REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112020-223073 CG-DL-E-13112020-223073

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582]नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्त्तिक 22, 1942No. 582]NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 713(अ).—निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें केंद्र सरकार सामान्य खंड अधिनियम,1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 की 36) की धारा 154, 155 और 158 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा –

- (i) कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950;
- (ii) अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1997;
- (iii) कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 1997;
- (iv) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, 1960;
- (v) प्रसूति लाभ (खान एवं सर्कस) नियम, 1963;
- (vi) उपदान संदाय (केंद्रीय) नियम, 1972;
- (vii) सिने कामगार कल्याण निधि नियम, 1984;
- (viii) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर नियम, 1998; तथा

5523 GI/2020

(ix) असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2009;

जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34), कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 (1959 का 31), प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 (1961 का 53), उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39), सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 (1981 का 33), भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) और असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33), जैसा भी मामला हो, के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके बनाया गया था, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा संबंधी उक्त संहिता की धारा 164 द्वारा निरस्त किया गया है, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को अथवा किए जाने को छोड़कर, बनाने का प्रस्ताव किया जाता है और इन्हें धारा 158 में यथा वांछित प्रावधान के अनुसार इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर सरकारी राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हुई है, की प्रतियां प्रकाशित होने की तारीख से इन्हें आम जनता उपलब्ध कराए जाने के 45 दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

यदि कोई आपत्तियां और सुझाव हों, तो उन्हें श्री राहुल भगत, निदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कमरा संख्या 302, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001 को या ई-मेल - <u>rahul.bhagat@ips.gov.in</u> पर भेजा जा सकता है। आपत्तियों और सुझावों को प्रोफॉर्मा में भेजा जाना चाहिए जिसके कॉलम (1) में व्यक्ति / संगठन का नाम और पता और कॉलम (2) में अध्याय तथा संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित नियम अथवा उप-नियम और कॉलम (3) में प्रतिस्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित संशोधित नियम अथवा उप नियम और कॉलम (4) में उसके कारणों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

उक्त मसौदा अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्धारित समाप्ति अवधि से पहले प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ । - (1) इन नियमों को सामाजिक सुरक्षा संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020 कहा जाए।

(2) ये नियम पूरे भारत में लागू होंगे।

(3) ये नियम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के प्रारंभ होने की तारीख से सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख के बाद लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि अन्यथा किसी विषय या संदर्भ की आवश्यकता न हो, -

(क) "एजेंसी" का अर्थ किसी भी निगम, निकाय या संस्था से है, जिसे संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत या केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विशेष प्रयोजन साधन के रूप में स्थापित किया गया है।

(ख) "अपील" का अर्थ धारा 23 की उपधारा (1) के तहत की गई अपील है;

(ग) "अपीलीय प्राधिकारी" का अर्थ है केंद्र सरकार या धारा 56 के उप-धारा (8) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी या संहिता के धारा 105 के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन अधिकारी के पद पर वरिष्ठ, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, जैसा भी मामला हो; (घ) "मूल्यांकन करने वाले अधिकारी" का अर्थ है राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी जो राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य हो जिसे ऐसी राज्य सरकार द्वारा संहिता के तहत उपकर के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया है;

(ड.) "प्राधिकारी" का अर्थ है केंद्र सरकार या धारा 72 के उप-धारा (3) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी;

(च) एक कर्मचारी के संबंध में संहिता के अध्याय IV के तहत "अंशदान अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी" का तात्पर्य उस अवधि के दौरान उस दिन के लिए विभाजित मजदूरी की कुल राशि से है जिसके लिए ऐसी मजदूरी देय थी;

(छ) संहिता के अध्याय IV के तहत "एक मजदूरी अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी" का तात्पर्य है –

(i) किसी कर्मचारी के संबंध में जो समय-दर के आधार पर नियुक्त किया जाता है, के मामले में मजदूरी की वह राशि जो उसे पूरी मजदूरी अवधि के लिए देय थी यदि उसने उस वेतन अवधि में सभी कार्य दिवसों पर काम किया होता, जिसे 26 से विभाजित किया गया हो, यदि उसकी पाक्षिक आधार पर दर निर्धारित की जाती है तो 13 से विभाजित हो और यदि उसे साप्ताहिक रूप से निर्धारित किया जाता है तो 6 से विभाजि हो और यदि उसका दैनिक आधार पर निर्धारण किया जाता है तो 1 से विभाजित हो।

(ii) किसी अन्य आधार पर कार्यरत कर्मचारी के संबंध में, अंशदान अवधि में पूर्ण वेतन अवधि के दौरान अर्जित मजदूरी की राशि जिसे पूर्ण या भाग में दिनों की संख्या से विभाजित किया गया है, जिसके लिए उसने उस मजदूरी अवधि में मजदूरी के लिए काम किया है:

बशर्ते कि किसी कर्मचारी को ऐसी मजदूरी अवधि के दौरान किसी भी दिन काम किए बिना मजदूरी मिलती है, तो उसे 26, 13, 6 या 1 दिन या दिन के लिए काम करने के लिए माना जाएगा यदि मजदूरी की अवधि क्रमशः एक महीने, एक पखवाड़े, एक सप्ताह या एक दिन हो ।

स्पष्टीकरण - जहां कोई भी रात्रि पारी आधी रात से पहले जारी रहती है, आधी रात के बाद की रात्रि पारी की अवधि को उस दिन की गणना के लिए गिना जाएगा, जो पहले के दिन के हिस्से के रूप में काम करता था;

(ज) "लाभ की अवधि" का अर्थ है योगदान अवधि के अनुरूप लगातार छह महीने से अधिक न होने की अवधि, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(झ) "कैरियर केंद्र (केंद्रीय)" का अर्थ है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कैरियर केंद्र;

(ञ) "कैरियर सेंटर (क्षेत्रीय)", चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को छोड़करपूरे भारत में, कैरियर केंद्र {कैरियर केंद्र (केंद्रीय) के अलावा}का अर्थ संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा अधिसूचित अधिकार - क्षेत्र;

(i) उस क्षेत्र पर जिसमें संबंधित प्रतिष्ठान स्थित हैं या हैं

(ii) संबंधित या रिक्तियों के निर्दिष्ट वर्गों या श्रेणियों से अधिक।

(ट) "चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश में कैरियर सेंटर (क्षेत्रीय)" का अर्थ है कि कैरियर केंद्र चंडीगढ़ या केंद्र शासित प्रदेश पंजाब या हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, जैसा कि मामला हो सकता है, संबंधित राज्य द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट वर्गों या प्रतिष्ठानों या रिक्तियों की श्रेणियों पर अधिकार क्षेत्र होने के नाते, बशर्ते कि पंजाब या हरियाणा राज्य सरकार द्वारा स्थापित कैरियर केंद्रों पर अधिकार क्षेत्र नहीं होगा-

(i) संबंधित राज्यों से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय / प्रतिष्ठान; तथा

(ii) निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान।

(ठ) "उपकर कलेक्टर" का अर्थ है संहिता के तहत उपकर संग्रह के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी;

(ड) "अध्यक्ष" का मतलब निगम के अध्यक्ष, केंद्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, राज्य असंगठित कामगार बोर्ड, स्थायी समिति, चिकित्सा लाभ समिति या कार्यकारी समिति, जैसा भी मामला हो;

(ढ) "चार्टर्ड इंजीनियर" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की कॉर्पोरेट सदस्यता है;

(ण) "कोड" का अर्थ है सामाजिक सुरक्षा पर कोड, 2020 (2020 का 36);

(त) "योगदान अवधि" का अर्थ है कि लगातार छह महीने से अधिक की अवधि, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(थ) "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" कोड के उद्देश्य के लिए किसी भी मोड में ईमेल द्वारा प्रस्तुत या निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करने या किसी भी मोड में डिजिटल भुगतान का मतलब है;

(द) "रिक्तियों को बाहर रखा गया" का अर्थ है वे रिक्तियां जिन्हें धारा 140 के उप-वर्गों (1) और (2) के प्रावधानों के अनुसार धारा 139 के दायरे से बाहर रखा गया है;

(ध) "फॉर्म" का अर्थ है कि इन नियमों से जुड़ा एक रूप;

(न) "फंड" का अर्थ है कर्मचारी राज्य बीमा कोष, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन कोष, कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा कोष या सामाजिक सुरक्षा कोष, जैसा भी मामला हो;

(प) "सरकारी प्रतिभूतियों" का अर्थ है सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 में परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां;

(फ) "अचल संपत्ति" में भूमि शामिल है, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़ी चीजें या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज के लिए ;

(ब) "चल संपत्ति" का अर्थ है अचल संपत्ति को छोड़कर हर विवरण की संपत्ति;

(भ) "नोडल ऑफिसर" का अर्थ है भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, जो माइग्रेशन प्रमाण पत्र का पंजीकरण, नवीकरण और जारी करने की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा या निजी रूप से काम करने वाले भवन निर्माण श्रमिकों के किसी भी अन्य कार्य के लिए है। सेक्टर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के सार्वजनिक उपक्रम। नोडल अधिकारी उपयुक्त सरकार द्वारा नामित लाभार्थी पंजीकरण अधिकारियों के कार्यों की देखरेख और निगरानी भी करेगा;

(म) "नामांकन" का अर्थ है कोड की धारा 55 के तहत किया गया नामांकन;

(य) "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी " का अर्थ है एक चिकित्सा व्यवसायी , जिसका नाम किसी भी कानून के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया गया है, जो दवा के चिकित्सकों के पंजीकरण को नियंत्रित करने के लिए लागू होता है;

(य क) "महिला कर्मचारियों का रजिस्टर" का अर्थ है नियम -के तहत बनाए गए महिला कर्मचारियों का एक रजिस्टर;

(य ख) "अनुसूची" का अर्थ है संहिता की अनुसूची;

(य ग) "धारा" का अर्थ कोड का एक भाग है;

(य घ) "श्रम सुविधा पोर्टल" का अर्थ है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का पोर्टल।

(य ड.) "निर्दिष्ट" से अभिप्राय केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा ऐसी सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के ओदश द्वारा निर्दिष्ट से है।

(य च) "मानक लाभ दर" का अर्थ है कि उन दिनों की कुल संख्या द्वारा योगदान अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल मजदूरी को विभाजित करके प्राप्त औसत दैनिक मजदूरी, जिसके लिए इन मजदूरी का भुगतान किया गया था;

(य छ) "टर्नओवर" का मतलब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत उप-धारा (91) के तहत एक एग्रीगेटर का कारोबार है, जिसका अर्थ बिक्री, आपूर्ति, या वित्तीय वर्ष के दौरान किसी कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं, या दोनों के आधार पर लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राजस्व की सकल राशि है।

(य ज) "वर्ष" का अर्थ वित्तीय वर्ष होगा, जो कि एक अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष के इकतीस मार्च को समाप्त होता है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और भाव जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, लेकिन इसमें परिभाषित हैं कोड, कोड में निर्धारित किए गए रूप में उनके संबंधित अर्थ होगा।

3. प्रणाली एवं शर्तें, जिनके अधीन, अध्याय III के प्रावधानों को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा उप-धारा (5) के तहत अप्रयुक्त बनाया जाएगा और प्रणाली तथा शर्तों जिनके अध्याधीन उक्त अध्याय IV के प्रावधानों के तहत धारा 1. (1) की उप-धारा (7) के अंतर्गत निगम के महानिदेशक द्वारा किसी प्रतिष्ठान के लिए अप्रयुक्त बनाया जाएगा। एक प्रतिष्ठान के लिए अनुपयुक्त बनाया जाएगा: एक स्थापना के नियोक्ता जिसमें अध्याय III या IV के प्रावधान लागू किए गए हैं संहिता की धारा-1 की उपधारा (5) या (7) के तहत अधिसूचना केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या महानिदेशक को निर्दिष्ट पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से लागू हो सकती है, जैसा कि मामला हो, ऐसी प्रयोज्यता से बाहर निकलने के लिए। नियोक्ता और प्रतिष्ठान के अधिकांश कर्मचारी इस तरह के निकास से लिखित रूप में सहमत हैं।

(2) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर आवेदन का निर्णय करेगा:

बशर्ते कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या महानिदेशक द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, जैसा कि मामला हो सकता है, साठ दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर, धारा 1 की उपधारा (5) या (7) के तहत अनुमति, यह मामला हो सकता है, ऐसे साठ दिनों के पूरा होने की तारीख से प्रभावी माना जाएगा:

आगे कहा गया है कि यदि उपखंड (5) के तहत अधिसूचना के बाद किसी भी समय स्थापना के लिए धारा 1 की उपधारा (4) या (7) के संदर्भ में अध्याय III या अध्याय IV के प्रावधान लागू हो गए हैं तो इस तरह के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा;

आगे यह भी बताया कि अध्याय III या IV के प्रावधानों के तहत इस तरह के कवरेज के पांच साल से पहले प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा ऐसा कोई आवेदन नहीं किया जाएगा;

आगे यह भी बताया कि जब तक नियोक्ता ने सभी वैधानिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किए हैं, तब तक ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसने संहिता के तहत सभी वैधानिक बकाया का भुगतान किया हो और आवेदन के साथ उस प्रभाव के लिए एक स्व-प्रमाणन प्रस्तुत किया हो।

4. धारा 2 के खंड (33) के उप-खंड (ङ) के तहत आश्रित माता-पिता की आय (एक महिला कर्मचारी के सास और ससुर सहित)- सभी स्त्रोतों से प्राप्त आश्रित माता-पिता की आय एक महीने में नौ हजार रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

5. स्थापना के पंजीकरण का समय और तरीका, पंजीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन करने का तरीका, जिन शर्तों के तहत पंजीकरण रद्द किया जाएगा और रद्द करने की प्रक्रिया और अन्य मामलों में स्थापना से संबन्धित मामलों के बारें में अध्याय III या अध्याय IV लागू होता है और जिनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ धारा 3 के तहत बंद होने की प्रक्रिया में है-(1) पहले से पंजीकृत नहीं एक प्रतिष्ठान की पंजीकरण हेतु नियोक्ता श्रम सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म में प्रतिष्ठान का विवरण देकर, प्रतिष्ठान के पंजीकरण से संबन्धित दस्तावेज़ अपलोड कर और फॉर्म में निर्दिष्ट नियोक्ता की पहचान और पते का प्रमाण देकर इलेक्ट्रोनिक रूप से आवेदन करेगा। पोर्टल पर प्रपत्र को डिजिटल रूप से या किसी अन्य तरीके से हस्ताक्षरित किया जा सकता है। आवेदक आवेदन में प्रस्तुत सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए जिम्मेदार होगा। आयकर अधिनियम के तहत आवंटित प्रतिष्ठान का स्थायी खाता संख्या (पैन) या किसी अन्य अधिनियम के तहत प्रतिष्ठान को आवंटित कोई अन्य विशेष संख्या जो कुछ समय के लिए लागू है या फॉर्म में अन्य कोई विशेष सूचना, ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है। पंजीकरण का प्रमाण पत्र इलेक्ट्रोनिक रूप से तुरंत जारी किया जायेगा यदि आवेदन सभी मामलों में पूरा हो गया है, लेकिन पूरा आवेदन जमा करने की तारीख से सात दिन बाद नहीं, यह सुनिश्चित करना कि इस तरह के प्रतिष्ठान को पंजीकृत किया गया माना जायेगा और पंजीकरण का प्रमाण पत्र स्वतः जारी हो जायेगा।

बशर्ते कि असाधारण परिस्थितियों में, केंद्र सरकार ऐसी अवधि के लिए, अधिसूचना के द्वारा, इलेक्ट्रोनिक पंजीकरण की आवश्यकता के साथ, स्थापना या स्थापना के वर्ग के संबंध में, भारत का भाग या पूरे भारत के लिए, उपलब्ध फॉर्म में आवेदन जमा कर सकती है, अनुमति दी जा सकती है।

(2) संहिता के तहत प्राधिकृत अधिकारी, उप-नियम (1) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल नियोक्ता को समय के भीतर ऐसा करने का निर्देश दे सकता है और ऐसे नियोक्ता अधिकारी के द्वारा जारी किए गए निर्देश का अनुपालन करेगा।

(3) किसी प्रतिष्ठान के संबंध में नियोक्ता किसी अन्य केंद्रीय श्रम कानून के तहत पहले से ही पंजीकृत होने के संबंध में, श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकरण विवरण को अद्यतन कर सकता है, ऐसी अवधि के भीतर जब केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।

(4) इस नियम के तहत किए गए किसी भी पंजीकरण को किया गया या माना गया है, पंजीकरण की तारीख से चौबीस महीने के बाद समाप्त हो जायेगा, अगर उस पंजीकरण संख्या पर कोई अनुपालन नियोक्ता द्वारा नहीं किया जाता है

बशर्ते कि पंजीकरण संख्या की ऐसी समाप्ती को पोर्टल पर किए गए आवेदन पर निरस्त किया जा सकता है।

(5) गलत जानकारी देकर प्राप्त किया गया कोई भी पंजीकरण रद्द किया जा सकता है बशर्ते कि स्थापना को कारण बताओ, इलेक्ट्रोनिक या अन्य कुछ, क्यों नहीं पंजीकरण का प्रमाण पत्र रद्द किया जाना चाहिए, दिखाने का अवसर दिया गया हो ।

(6) नियोक्ता अपने द्वारा तैयार किए गए सभी दस्तावेजों पर कोड या योजना या नियमों या विनियमों, या जैसा भी हो, संबन्धित कार्यालयों के साथ सभी पत्राचार के संबंध में पंजीकरण संख्या को उद्धृत करेगा।

(7) निर्दिष्ट पोर्टल पर प्रस्तुत पंजीकरण प्रपत्र में प्रस्तुत विवरण में कोई भी परिवर्तन, नियोक्ता द्वारा ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर अद्यतन किया जायेगा।

(8) एक प्रतिष्ठान का नियोक्ता, जिसके लिए संहिता के प्रावधान लागू होते है और जिनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ बंद होने की प्रक्रिया में है, वे पूर्ण विवरण और योगदान और संहिता के तहत देय अन्य देय राशि की स्थिति का विवरण देने के बाद, श्रम सुविधा पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(9) केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए तरीको से आवेदन में विवरण सत्यापित के बाद पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन की अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि पंजीकरण रद्द करने के लिए इस तरह के किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जायेगा जब तक कि नियोक्ता ने सभी वैधानिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किए हो, कोड के तहत सभी वैधानिक बकाया का भुगतान किया और आवेदन के साथ स्वः प्रमाणन आवेदन प्रस्तुत किया हो।

(10) पंजीकरण के प्रमाण पत्र की एक प्रति परिसर में उन विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी जहाँ कार्य किया जा रहा है।

अध्याय- II

सामाजिक सुरक्षा संगठन

क. केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

6. धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत केंद्रीय बोर्ड में निहित निधियों के संचालन की प्रणाली – (1) केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के दायरे में केंद्रीय बोर्ड को इसमे निहित निधि प्रशासित करनी होगी।

(2) स्कीमों के कुशल प्रशासन के लिए केंद्रीय बोर्ड उतने ही खाते खोल सकता है, जितना कि स्कीमों में आवश्यक या निर्दिष्ट हो।

(3) निधि से संबन्धित सभी धन भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक में या ऐसे अन्य अनुसूचित बैंको में जमा किये जाएंगे जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किए जा सकते है या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते है।

(4) किसी भी निवेश से उत्पन्न होने वाले सभी नुकसान और यदि कोई हो, तो फ़ंड के लिए शुल्क लिया जायेगा।

(5) निधि, जिसमे प्रशासन खाता शामिल नहीं है, निधि के सदस्यों के व्यक्तिगत क्रेडिट फंड या स्कीम के तहत उनके नामांकित या उतराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधियों का भुगतान, किसी भी प्रयोजन के लिए व्यय नहीं किया जायेगा ।

(6) निधि को ऐसे अधिकारियों द्वारा संचालित किया जायेगा जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए जा सकते है।

7. धारा 4 की उप-धारा (3) के तहत कार्यकारी समिति द्वारा अपने कार्यों के प्रदर्शन में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करने के लिए नियमावली, और उप-धारा (6) के तहत नियम व शर्तें, केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल, उप-धारा (7) के तहत अन्य कार्य और इस तरह के कार्य करने का तरीका – (1) कार्यकारी समिति का गठन – (1) (ए) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठित कर सकती है, जिसमे ऐसी तिथि से प्रभाव डाला जा सकता है, जिसमे कार्यकारी समिति को अपने कार्यों के प्रदर्शन में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ख) कार्यकारी समिति में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा, अर्थात

(i) केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों के बीच से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष,

(ii) संहिता की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति,

(iii) संहिता की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्ति,

(iv) संहिता की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से केंद्रीय बोर्ड द्वारा चुने गए नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति,

(v) संहिता की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ई) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से केंद्रीय बोर्ड द्वारा चुने गए नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति,

(vi) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पदेन

(2) कार्यकारी समिति के कुछ सदस्यों का चुनाव-

(क) केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अथवा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले जैसा भी मामला हो के चुनाव के लिए उप-नियम के उप-खंड (iv) और (v) में किए गए उल्लेख के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी। (ख) उप-नियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट बैठक में, केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष सदस्यों को उन सदस्यों के नाम प्रस्तावित करने के लिए आमंत्रित कर सकते है जो नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करते है या जैसा भी मामला हो, कर्मचारियों और इस तरह के प्रत्येक प्रस्ताव को बोर्ड के किसी अन्य सदस्य द्वारा विधिवत जारी किया जायेगा।

(ग) यदि उप-नियम (2) के खंड (क) के तहत चुनाव के लिए प्रस्तावित और दूसरे नंबर पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से रिक्त होने की संख्या से अधिक नहीं है, या जैसा भी मामला हो, कर्मचारियों जिनके नाम प्रस्तावित या नियोक्ताओं या कर्मचारियों की श्रेणी के संबंध में दूसरे स्थान पर है, को कार्यकारी समिति के लिए निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(घ) यदि उप-नियम (2) के खंड (क) के तहत चुनाव के लिए प्रस्तावित और दूसरे नंबर पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से रिक्त होने की संख्या से अधिक हो, या जैसा भी मामला हो, कर्मचारियों, बैठक में उपस्थित बोर्ड के प्रत्येक सदस्य, अध्यक्ष के अलावा, को एक बैलेट पेपर दिया जायेगा जिसमे सभी उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित और दूसरे होंगे और वह अपने मतो को उसमे दर्ज कर सकते है, जो कि संबन्धित श्रेणियों के कई उम्मीदवारों के लिए है। नियोक्ता या कर्मचारी, क्योकि ऐसी प्रत्येक श्रेणी के संबंध में रिक्तियाँ भरी जानी है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में एक से अधिक वोट नहीं दिये जाएंगे। यदि कोई भी सदस्य नियोक्ताओं या कर्मचारियों की श्रेणियों के संबंध में रिक्तियों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के लिए वोट देता है या किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में एक से अधिक वोट देता है, तो उसके सभी वोटों को अमान्य माना जायेगा।

(ड.) सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अध्यक्ष द्वारा एक ही बैठक में या उसके बाद यथाशीघ्र कार्यकारी समिति के लिए विधिवत रूप से घोषित किया जायेगा।

बशर्ते कि जहाँ उम्मीदवारों के बीच वोटों की समानता हो, वहाँ चेयरपर्सन वोट डालने की कवायद करेंगे।

(च) यदि किसी भी चुनाव की वैधता पर कोई प्रश्न उठता है, तो उसे केंद्र सरकार को भेजा जायेगा, जो उसका निर्णय करेगा।

(3) केंद्रीय बोर्ड की अन्य समितियाँ- आदेश में केंद्रीय बोर्ड, एक या एक से अधिक समितियों को गठन कर सकता है, जिसमे कर्मचारी ट्रस्टी फ़ंड संगठन के कई ट्रस्टी और अधिकारी शामिल है, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

बशर्ते कि बोर्ड में ऐसे व्यक्ति भी शामिल हो सकते है, जो अपनी राय में समिति से संबन्धित विषय की विशेष जानकारी रखते है।

(4) कार्यकारी समिति की उप-समितियाँ- आदेश में कार्यकारी समिति, एक या एक से अधिक उप-समितियों को गठन कर सकती है, जिसमे कार्यकारी समिति के कई सदस्य और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारी शामिल है, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

बशर्ते कि कार्यकारी समिति में ऐसे व्यक्ति भी शामिल हो सकते है, जो अपनी राय में उप-समिति से संबन्धित विषय की विशेष जानकारी रखते है।

(5) **केंद्रीय बोर्ड के कार्य –**केंद्रीय बोर्ड, कोड की धारा 15 के तहत बनाई गई योजनाओं को प्रशासित करने के अलावा, ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो कि केंद्र सरकार द्वारा संहिता की धारा 13 के तहत उसे सौपें जा सकते है।

(6) कार्यकारी समिति के कार्य –कार्यकारी समिति केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अधीक्षण के तहत अपने कार्यों के प्रदर्शन में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करने के लिए कार्य करेगी और केंद्रीय बोर्ड द्वारा इसे सौपें गए कार्यों को निष्पादित करेगी।

(7) पदावधि –

(क) केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के प्रत्येक ट्रस्टी का कार्यकाल सहिता की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ख), (घ) के अंतर्गत आधिकारिक राजपत्र में जिस तारीख को उनकी नियुक्ति को अधिसूचित किया जाता है, उस तारीख से शुरू होकर चार साल होगा। (ख) अध्यक्ष और कार्यकारी समिति के प्रत्येक सदस्य का पद उप-नियम (ii), (iii), (iv) और (v) उप-नियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट है। आधिकारिक राजपत्र में उनकी नियुक्ति को अधिसूचित किए जाने की तारीख से और उस पर शुरू होने वाले दो साल होंगे।

(ग) उप-नियम (7) के खंड (क) और (ख) में निहित कुछ के बावजूद, प्रत्येक ट्रस्टी या सदस्य तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनके उतराधिकारी की नियुक्ति आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित न हो जाए।

बशर्ते कि कार्यकारी समिति का कोई सदस्य केंद्रीय बोर्ड का सदस्य होने का पद छोड़ना नहीं चाहता।

(घ) एक ट्रस्टी या सदस्य जो उप-नियम (7) के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट है, एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया जायेगा, ट्रस्टी या सदस्य के कार्यालय के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिनके स्थान पर उन्हे नियुक्त किया गया है और जब तक उनके उतराधिकारी की नियुक्ति को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक कार्यालय की अवधि समाप्त होने पर पद पर बने रहेंगे।

(ड.) एक व्यक्ति ट्रस्टी या सदस्य के रूप में अधिकतम दो कार्यकाल के लिए नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित सीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के लिए लागू नहीं होगी और ट्रस्टी या सदस्य पदेन नियुक्त किया जायेगा और ऐसी नियुक्ति ट्रस्टी या सदस्य के कार्यालय के कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त होगी, जैसा कि मामला हो सकता है

बशर्ते कि किसी व्यक्ति को तत्कालीन कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 (क) की धारा (1) की उप-धारा (घ) और (ङ) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड के ट्रस्टी के रूप में अधिकतम दो कार्यकाल भी शामिल होगा।

(8) **केंद्रीय बोर्ड या कार्यकारी समिति के सचिव** - (क) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केंद्रीय बोर्ड और कार्यकारी समिति के सचिव होंगे।

(ख) केंद्रीय बोर्ड या कार्यकारी समिति के सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से, केंद्रीय बोर्ड या कार्यकारी समिति की बैठके बुला सकते है, जैसा भी मामला हो, इसके कार्यवृतों का रिकार्ड रखे और आवश्यक कदम उठाएंगे केंद्रीय बोर्ड या कार्यकारी समिति के निर्णयों को पूरा करने के लिए, जैसा भी मामला हो।

ख. कर्मचारी राज्य बीमा निगम

8. निगम प्रशासन और उप-धारा (1) के खंड (घ) के तहत राज्यों के प्रतिनिधितव का तरीका, उप-धारा (3) के तहत स्थायी समिति के गठन का तरीका, मामलों के प्रशासन का तरीका, निगम, उप-धारा (4) के खंड (क) के तहत स्थायी समिति द्वारा शक्तियों और कार्यों के प्रदर्शन, उप-धारा (5) के खंड (ख) के तहत चिकित्सा लाभ समिति के कर्तव्य और शक्तियाँ पद और कार्यों को प्रदर्शन, उप-धारा (5) के खंड (ख) के तहत चिकित्सा लाभ समिति के कर्तव्य और शक्तियाँ पद और कार्यों के प्रदर्शन, उप-धारा (5) के खंड (ख) के तहत चिकित्सा लाभ समिति के कर्तव्य और शक्तियाँ पद और कार्यकाल सहित नियम और शर्तें, जिनके अधीन निगम और स्थायी समिति का सदस्य धरा 5 की उप-धारा (7) के तहत अपने संबन्धित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा – (1) निगम में राज्यों का प्रतिनिधितव् – एक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नामांकित होने पर, प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व निगम के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

(2) **निगम के लिए संसद सदस्यों का चुनाव** – लोक सभा और राज्य सभा द्वारा लोक सभा के अध्यक्ष अथवा राज्य सभा के सभापति, जैसा भी मामला हो, के निदेश के अनुसाद लोक सभा के दो सदस्यों और राज्य सभा के एक सदस्य का चुनाव करेंगे।

(3) **मुहर** :- (क) निगम की सामान्य मुहर महानिदेशक की अभिरक्षा में रहेगी और इसे स्थायी समिति के दो सदस्यों या महानिदेशकों की उपस्थिति के अलावा किसी भी उपकरण में नहीं डाला जाएगा; महानिदेशक या उक्त दो सदस्य इस तथ्य के अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे कि उनकी या उनकी उपस्थिति में एक ही मुहर लगी थी।

(ख) निगम को अपने कार्यालयों में से प्रत्येक में उपयोग करने के लिए करने होंगा जैसा कि यह निर्दिष्ट कर सकता है, एक आधिकारिक मुहर जो कार्यालय के नाम के साथ निगम की सामान्य मुहर का एक नया स्वरूप होगा जंहा यह इस्तेमाल किया जाना है। (ग) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की उपस्थिति को छोड़कर आधिकारिक मुहर किसी भी उपकरण पर नहीं लगाई जाएगी क्योंकि स्थायी समिति इस संबंध में प्राधिकृत कर सकती है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों इस तथ्य के टोकन में उपकरण पर हस्ताक्षर करेंगे कि उसके उपस्थिति में इसे सील किया गया था ।

(घ) एक उपकरण जिसके लिए एक आधिकारिक मुहर विधिवत चिपका दी गई है, वह निगम को बाध्य करेगा जैसा कि उसे निगम की आम मुहर के साथ सील कर दिया गया हो।

(4) स्थायी समिति का गठन - निगम की एक स्थायी समिति इसके सदस्यों में से गठित की जाएगी जिसमें शामिल है-

(क) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष

(ख) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निगम के तीन सदस्य

(ग) निगम के तीन सदस्य जो ऐसे तीन राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करेंगे जैसाकि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(घ) निगम द्वारा चुने गए आठ सदस्य इस प्रकार है –

(i) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले निगम के सदस्यों में से तीन सदस्य,

(ii) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले निगम के सदस्यों में से तीन सदस्य

(iii) चिकित्सा पेशे का प्रतिनिधित्व करने वाले निगम के सदस्यों में से एक सदस्य, तथा

(iv) संसद द्वारा चुने गए निगम के सदस्यों में से एक सदस्य

(ड.) निगम के महानिदेशक, पदेन

(5) स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव- (क) निगम के अध्यक्ष, निगम की एक बैठक में जिस पर उप-नियम (4) के खंड (डी) के तहत स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव करने का प्रस्ताव है, सदस्यों को सदस्यों के बीच से नाम प्रस्तावित करने के लिए आमंत्रित करेंगे । निगम से संबन्धित समूह से जिसमें चुनाव किया जाना है। प्रस्तावित नामों को निगम के किसी अन्य सदस्य द्वारा विधिवत जारी किया जाएगा।

(ख) यदि चुनाव के लिए किसी समूह से प्रस्तावित संख्या उस समूह से भरे जाने वाले रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं है तो जिन व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित किए गए है, उन्हें स्थायी समिति के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(ग) यदि किसी समूह से चुनाव के लिए प्रस्तावित संख्या भरे जाने के लिए रिक्त पदों की संख्या से अधिक है, तो बैठक में उपस्थित निगम के प्रत्येक सदस्य को एक गुप्त मतदान पत्र दिया जाएगा जिसमें प्रस्तावित सभी उम्मीदवारों के नाम होंगे और वह समूह से उतने ही उम्मीदवारों के लिए मतदान करने की आवश्यकता होंगा जितने रिक्त पद भरे जाने हैं। किसी एक उम्मीदवारों के पक्ष में एक से अधिक वोट नहीं दिये जाएंगे। यदि कोई सदस्य अधिक उम्मीदवारों के लिए वोट देता है, जो समूह में रिक्तियाँ है या किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में एक से अधिक वोट देय है, तो उसके सभी वोटो को अमान्य माना जाएगा।

(घ) बैठक में अध्यक्ष द्वारा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की घोषणा की जाएगी या इसके बाद जल्द से जल्द स्थायी समिति के लिए चुने जाएंगे।

बशतें कि जहां किसी भी उम्मीदवार के बीच वोटो कि समानता पाई जाती है और एक वोट के अलावा किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने का अधिकार होगा, उस व्यक्ति या व्यक्तियों का निर्धारण जिनके लिए इस तरह के एक अतिरिक्त वोट को समझा जाएगा अध्यक्ष की मौजूदगी में और उसके द्वारा निर्धारित किए गए तरीके से बहुत कुछ तैयार किया जा सकता है। (ड.) यदि किसी चुनाव की वैधता पर कोई प्रश्न उठता है तो इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा जिसके मामले में निर्णय अंतिम होगा ।

(6) चिकित्सा लाभ समिति की शक्तियों और कर्तव्य- चिकित्सा लाभ समिति की शक्तियाँ और कर्तव्य निम्न होंगे-

(क) चिकित्सा लाभ के प्रशासन में सहायता के उद्देश्य के लिए गठित स्थानीय समितियों के गठन, कर्तव्यों और शक्तियों के संबंध में निगम को सलाह देना।

(ख) इस संबंध में निगम को सिफारिश करना –

(i) अस्पतालों, औषधालयों, क्लीनिकों और अन्य संस्थानों में प्रदान की जाने वाली चिकित्सा लाभ का पैमाना और प्रकृति और दवाइयों, कर्मचारियों और उपकरणों की प्रकृति और सीमाएं जो ऐसे संस्थानों में बनाए राखी जाएगी और जिस हद तक ये कमी आएगी वांछित मानक;

(ii) कोड के तहत प्रदान किए गए चिकित्सा लाभ के संबंध में उपयोग के लिए चिकित्सा सूत्र;

(iii) इस तरह के प्रमाणीकरण, सांखीयकीय रिटर्न, रजिस्टर और अन्य चिकित्सा रिकॉर्ड के लिए प्रक्रिया और रूपों सहित चिकित्सा प्रमाणन; तथा।

(iv) बीमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए किए गए उपाय, और बीमित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनः राजगर, विकलांग या असहाय;

(ग) कोड के तहत चिकित्सा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजित किसी भी चिकित्सा व्यवसायी के पशेवर आचरण से संबंधित किसी भी मामले पर निगम को सलाह देना।

(7) निगम की अन्य समितियां – निगम ऐसी रचना की एक या एक से अधिक समितियों का गठन कर सकता है जो अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए नियमन में निर्दिष्ट हो सकती है:

बशर्तें कि निगम में ऐसे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी राय में समिति से संबंधित विषय का विशेष ज्ञान हो।

(8) निगम के सदस्यों के पद की अवधि- (क) अन्यथा प्रावधान किए जाने को छोड़कर निगम के सदस्यों के पद का कार्यकाल खंड (क) में उल्लिखित सदस्यों के अलावा अन्य (क)(ख),(ग),(घ) और (ङ) उप-धारा (1) के कोड 5 की धारा और पदेन सदस्य के लिए क्रमशः चार साल तक उस तारीख से शुरू होगा जिस दिन उनकी नियुक्ति या चुनाव अधिसूचित किया गया है:

बशर्तें कि निगम का कोई सदस्य चार साल कि उक्त अवधि कि समाप्ति के बावजूद, अपने स्थान पर किसी सदस्य की नियुक्ति या चुनाव अधिसूचित होने तक पद पर बने रहें :

बशर्ते कि निगम निगम के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल कुल दो कार्यकलों से अधिक के लिए न हो।

(ख) निगम के सदस्य खंड 5 के उपखंड (1) के खंड (क) (ख), (ग), (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट है, जो केंद्रीय सरकार की सहमति के दौरान पद पर रहेंगे ।

(9) **स्थायी समिति के सदस्यों के पद की अवधि**- (क) संहिता में अन्यथा स्पष्ट किए जाने को छोड़कर स्थायी समिति के सदस्य के पद का कार्यकाल, उप नियम के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सदस्य के अलावा अन्य (4) उस तारीख से दो बर्ष का होगा जिस दिन उसका चुनाव अधिसूचित किया गया है:

बशर्तें कि स्थायी समिति का सदस्य दो वर्ष कि उक्त अवधि कि समाप्ती के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी के चुनाव को अधिसूचित किए जाने तक पद पर बने रहें । बशर्तें कि स्थायी समिति का कोई सदस्य निगम का सदस्य बनने से पहले कार्यालय का संचालन करना बंद कर देगा ।

(ख) स्थायी समिति के सदस्य (क) या उप-नियम (4) के खंड (क) या खंड (ग) में निर्दिष्ट केंद्र सरकार कि खुशी के दौरान पद धरण करेगा ।

ग. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

9. उप-धारा (1) के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा शक्तियों और कार्यों के निष्पादन की प्रणाली, सदस्यों के नामांकन का तरीका, उनके कार्यकाल की अवधि और सेवा की अन्य शर्तें, उनके निर्वहन में पालन की जाने वाली प्रक्रिया उप-धारा (4) के तहत रिक्तियों को भरने के कार्य और तरीके, उप-धारा (6) की उप-धारा 6 (1) के तहत कार्य संचालन से संबंधित प्रक्रिया के नियम और असंगठित कर्मी के राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन- (क) धारा 6 के तहत गठित बोर्ड को "असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड कहा जाएगा ।

(ख) पदेन सदस्य के अलावा एक सदस्य अपने नामांकन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर रहेगा ।

(ग) एक सदस्य पुनः नामांकन के लिए पात्र होगा।

बशर्तें कि कोई सदस्य कुल दो कार्यकाल से अधिक समय के लिए पद पर नहीं रहेगा।

 (ग) केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और नियोक्ताओं के संधों के प्रतिनिधियों के बीच, असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में, उप-खंड (i) और (ii) की श्रेणी में नामांकन ले सकती है। धारा 6 के उप-धारा (2) के खंड
 (ग) में इस तरह से जैसा कि सरकार द्वारा तय किया गया है।

(घ) धारा 6 की उपधारा (2) के उपखंड (iii) के उपखंड (iii) के तहत केंद्र सरकार श्रम कल्याण प्रबंधन, वित्त, कानून और प्रशासन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों मे से सात व्यक्तियों को नामित करेगी ।

(ङ) केंद्र सरकार लोक सभा के अध्यक्ष से दो लोक सभा सदस्यों और राज्य सभा के सभापति से एक सदस्य को जैसा मामला हो धारा 6 की उप-धारा के खंड (ग) के उपखंड (iv) के तहत नामांकित करने का अनुरोध करेगी ।

(च) केंद्र सरकार, धारा 6 की उपधारा (2) के उपखंड (ग) के उपखंड (v) के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागो
 का प्रतिनिधित्व करने वाले दस सदस्यों को नामित करेगी जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण से संबंधित मामलों से जुड़े हैं।

(छ) केंद्र सरकार धारा 6 के उप-खंड (2) के उपखंड (ग) के उपखंड (vi) के तहत राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पाँच सदस्यों और धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (vii) के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को रोटेशन के आधार पर ऐसी प्रणाली में जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, नामित करेगी ।

(ज) धारा 6 कि उप-धारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (i), (ii) और (iii) के तहत नामित सदस्य, बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो लाभ की श्रेणी है।

बशर्ते कि उपखंड (i) के तहत नामित सात व्यक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से एक-एक सदस्य का प्रतिनिधित्व होगा।

(झ) धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (iv) के तहत नामित एक सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह संसद का सदस्य नहीं रहता है।

(2) गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन – (क) संहिता की धारा (6) जो संहिता की धारा 114 की उप-धारा 6 के साथ पठित है, के अंतर्गत गठित बोर्ड को गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड कहा जाएगा ।

(ख) पदेन सदस्य को छोड़कर कोई सदस्य अपने नामांकन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा ।

(ग) एक सदस्य पुनः नामांकन के लिए पात्र होगा

बशर्तें कि कोई सदस्य कुल दो से अधिक कार्यकाल तक पद पर नहीं रखेगा ।

(घ) केंद्र सरकार धारा 114 की उपधारा (6) के खंड (क) के तहत पाँच सदस्यों को सातवीं अनुसूची में उल्लिखित कुल संयोजकों में से रोटेशन के आधार पर एग्रीग्रेटर्स के प्रतिनिधित्व के रूप में नामांकित करेगी।

(ङ) केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार के टमटम श्रमिकों और प्लेटफार्म श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, रोटेशन के आधार पर, गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स के बीच सेक्शन 114 के उप धारा (6) के क्लौज (ख) के तहत पाँच सदस्यों को नामित करेगी ।

(च) संहिता की धारा 114 की उप-धारा (6) के क्लौज (ङ) के तहत, केंद्र सरकार श्रम कल्याण प्रबंधन, वित्त, कानून, प्रशसन, ई-कॉमर्स या सूचना प्रोधोयोगिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से पाँच सदस्यों को विशेषज्ञों के रूप में नामित कर सकती है।

(छ) असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के कार्यों के तरीके और निर्वहन के नियम, गिग श्रमिकों और प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पर भी लागू होंगे, सिवाय इसके कि किसी भी बैठक में व्यापार के लेनदेन के लिए कोरम गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स के लिए बोर्ड छह सदस्य होंगे ।

(ज) गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स कि संख्या का आकलन करने, नए प्रकार के एग्रीगेटरों की पहचान करने या गिग कामगारों और प्लेटफार्म श्रमिकों से संबंधित किसी अन्य मामले से संबंधित मामलो पर सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है, ।

(3) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के शक्तियों के उपयोग और कार्य निष्पादन की प्रणाली - (क) बोर्ड धारा -6 की उप-धारा (7) के तहत, इसके कार्यों को सौपे जाने के लिए एक समिति का गठन ऐसी समिति को सौंपे गए विशिष्ट मुद्दे पर विचार-विमर्श करने और सिफारिश करने के लिए कर सकता है।

(2) ऐसी समिति (यों) द्वारा जिन विषयों पर इस समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जा सकता है से संबंधित विशेषज्ञों को सह-योजित किया जा सकता है, जो बोर्ड या बोर्ड के बाहर के सदस्य, जैसा कि मामला हो सकते हैं।

(4) **बोर्ड का पुनर्गठन** – (क) केंद्र सरकार बोर्ड के कार्यकाल कि समाप्ती के छह महीने से पहले राष्ट्रीय समंजिक सुरक्षा बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करेगी ।

(ख) यदि बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए बोर्ड का पुनः गठन नहीं किया जाता है, तो बोर्ड की छुट्टी और कार्य के लिए ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से नए बोर्ड के गठन तक तय किया जा सकता है ।

(ग) ऐसी व्यवस्था के परिणामस्वरूप, सभी कार्यवाहियों पर उसी तरह का प्रभाव पड़ेगा जैसा कि बोर्ड द्वारा किया गया है ।

(5) त्यागपत्र- (क) बोर्ड का सदस्य, पदेन सदस्य नहीं होने के कारण केंद्र सरकार को संबोधित एक पत्र द्वारा इस्तीफा दे सकता है ।

(ख) ऐसे सदस्य की सीट उस तारीख से खाली हो जाएगी जिस दिन उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है या त्यागपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दोनों की समाप्ती पर जो भी पहले हो । (ग) किसी सदस्य के इस्तीफे को स्वीकार करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी ।

(6) पते का परिवर्तन – यदि कोई सदस्य अपना पता बदलता है, तो वह बोर्ड के सदस्य-सचिव को अपना नया पता बताएगा, जो आधिकारिक रेकॉर्ड में अपना नया पता दर्ज करेगा ।

बशर्ते कि यदि कोई सदस्य अपने नये पते को सूचित करने में विफल रहता है तो सभी उद्देश्यों के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में दिये गए पते को सदस्य का सही पता माना जाएगा ।

(7) **रिक्त पदों को भरने का तरीका** : - जब बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति आती है या होने की संभावना होती है, तो बोर्ड के सदस्य सचिव केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट जमा देंगे और इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को ऊपर नियम 9 के उप-नियम (1) और (2) के तहत निर्धारित तरीके से रिक्त स्थान को भरने के लिए नामित करेंगे , और नामित व्यक्ति उस सदस्य के कार्यकाल के शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिनके जगह पर वह नामित होगा।

8) <mark>असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड से सदस्य को हटाने की प्रक्रिया :-</mark> (क) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) और (ग) के तहत कार्यवाही की पेंडेंसी के दौरान,असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के एक सदस्य को हटाने के लिए, ऐसा सदस्य को बोर्ड की बैठक (बैठक) से अलग रखा जाएगा।

(ख) इस धारा के तहत किसी सदस्य के पदार्पण, अयोग्यता और निष्कासन पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

10 धारा 7 की उपधारा (6) के खंड (ग) के तहत लाभार्थियों की समूह बीमा योजना, खंड (घ) के तहत लाभार्थियों के बच्चों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाएं और खंड (ङ) के तहत लाभार्थी की प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सा व्यय या इस तरह के आश्रित के लिए प्रीमियम के संबंध में राशि: कोड की धारा 7 की उप-धारा (6) में उल्लिखित कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद, राज्य भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रमिकों के लिए निम्नलिखित योजनाएं बना सकती हैं, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं:-

- (i) लाभार्थियों की समूह बीमा योजना के लिए प्रीमियम के संबंध में ऐसी राशि का भुगतान करना;
- (ii) लाभार्थियों के बच्चों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाओं को तैयार करना; तथा
- (iii) किसी लाभार्थी या उनके आश्रित की प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए इस तरह के चिकित्सा व्यय को प्रदान करना।
- 11. धारा 7 की उपधारा (6) के खंड (ञ) के तहत अन्य कल्याणकारी उपाय और सुविधाएं:- यदि केंद्र सरकार की राय में, यह स्थापित किया गया है कि भवन निर्माण श्रमिकों की भलाई में सुधार के लिए, यह आवश्यक है किसी राज्य (यों) में एक नई कल्याणकारी योजना या योजनाएँ बनाने के लिए, केंद्र सरकार समय-समय पर उस सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी योजनाएँ बना सकती है। यदि केंद्र सरकार की राय में, यह स्थापित किया गया है कि भवन निर्माण श्रमिकों की भलाई में सुधार के लिए, राज्य में नई कल्याण योजना (योजनाएं) तैयार करना आवश्यक है तो, उस सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार केंद्र सरकार इस तरह की योजना तैयार कर सकती है।

(घ) सामान्य

12. ऐसे अंतराल जिन पर सामाजिक सुरक्षा संगठन या किसी भी समिति की बैठक होगी और उप-धारा (1) के तहत बैठकों में व्यापार के लेन-देन के संबंध में प्रक्रिया, और उप के तहत ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन या समिति के सदस्यों के शुल्क और भत्ते -सेक्शन (4) सेक्शन 9.- (1) मीटिंग्स। -धारा 9 के उप-धारा (4) के तहत अंतराल जिन पर सामाजिक सुरक्षा संगठन या किसी भी समिति की बैठक होगी और उप-धारा (1) के तहत बैठकों में व्यापार के लेन-देन के संबंध में प्रक्रिया और उप-धारा के तहत ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन या समिति के सदस्यों के शुल्क और भत्ते (1) बैठकें- (क) केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या इसके बाद की कोई भी समिति उप-नियम के अधीन होगी (२) ऐसी जगह और समय पर बैठक होगी जो अध्यक्ष द्वारा तय की जा सकती है। उप-नियम (२) के अधीन केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या अन्य समिति अध्यक्ष द्वारा तय की गई स्थान या समय पर बैठक करेगी।

(ख) केंद्रीय बोर्ड या निगम वर्ष में कम से कम दो बार मिलेंगे।

(ग) केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति और निगम की स्थायी समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होगी। निगम की चिकित्सा लाभ समिति प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार बैठक करेगी।

(घ) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड वर्ष में कम से कम तीन बार मुलाकात करेगी।

(ङ) केंद्रीय बोर्ड या निगम या उसके पास की समिति का अध्यक्ष जब भी वह उचित समझेगा, और किसी विशेष बिषय के लिए संबंधित समिति के कम से कम आधे सदस्यों से लिखित रूप में प्राप्त मांग प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर बैठक बुला सकता है। इस तरह की मांग को प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य कहा जाएगा।

(2) बैठक की सूचना और विषय -

(क) केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या किसी भी समिति की प्रत्येक साधारण बैठक की तिथि और स्थान को जारी करने की तिथि से कम से कम पंद्रह दिनों के बाद, प्रस्तावित विषय सूची के साथ चेयरपर्सन द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ई-मेल या पंजीकृत डाक के माध्यम से या विशेष दूत द्वारा केंद्रीय न्यासी या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके किसी सदस्य जैसा कि मामला हो, को भेजेगा। एजेंडा के प्रत्येक मद पर एक संक्षिप्त नोट एजेंडा के साथ जल्द से जल्द भेजेगा।

(ख) जब अध्यक्ष किसी भी मामले पर विचार करने के लिए केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या किसी समिति की आपात बैठक बुलाता है, जो कि उसकी राय में जरूरी है, तो एक नोटिस जो इस तरह के उचित समय देने वाले नोटिस आवश्यक माना जा सकता है, को पर्याप्त माना जाएगा।

(ग) वे विषय जिसके लिए केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या किसी समिति की बैठक बुलाई गई है, के अलावा अन्य विषय पर बैठक के अध्यक्ष की अनुमति के अलावा बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।

(3) **बैठकों में अध्यक्षता करने के लिए**: - अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति की स्थिति में, बैठक की अध्यक्षता ऐसे ट्रस्टी या सदस्य द्वारा की जाएगी, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।

(4) **कोरम**: - केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके किसी भी समिति की बैठक में कोई भी विचार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके लिए उपयुक्त कोरम न हो :

(क) केंद्रीय बोर्ड के मामले में ग्यारह ट्रस्टी और कार्यकारी समिति के मामले में चार सदस्य; या

(ख) निगम के मामले में पंद्रह सदस्य, स्थायी समिति के मामले में पांच सदस्य और चिकित्सा लाभ समिति के मामले में सात सदस्य; या

(ग) <mark>असंगठित कर्मी के</mark> राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के मामले में 10 सदस्य और **गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड** के मामले में 6 सदस्य उपस्थित हों :

बशर्ते कि अगर किसी भी बैठक में कोरम बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रस्टी या सदस्य मौजूद नहीं हैं, जैसा कि मामला हो सकता है, बैठक के अध्यक्ष बैठक को एक घंटे के लिए स्थगित कर देंगे और यह ट्रस्टियों या सदस्यों की संख्या के बावजूद इस तरह की स्थगित बैठक का आयोजन कानूनन वैध होगा।

(5) ट्रस्टी या सदस्य की अनुपस्थिति के दौरान विकल्प का नामांकन: -

(क) यदि कोई ट्रस्टी या सदस्य केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके किसी समिति की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, जिस केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके बाद किसी समिति का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित पत्र द्वारा, संबंधित निकाय के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए और बैठक में भाग लेने में असमर्थता के कारणों की व्याख्या करते हुए, केंद्रीय बोर्ड या निगम की उस बैठक में भाग लेने के लिए उसके विकल्प के रूप में संगठन के किसी भी प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अनुरोध करता है,

बशर्ते कि कोई भी नियुक्ति तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि -

i) ऐसी नियुक्ति को संबंधित निकाय के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया हो; तथा

ii। इस तरह की नियुक्ति करने वाले आवेदन बैठक के लिए तय की गई तारीख से पहले संबंधित निकाय के अध्यक्ष द्वारा प्राप्त किए गए हैं।

ख) खंड (क) के तहत वैध रूप से नियुक्त एक विकल्प के पास ट्रस्टी या सदस्य के सभी अधिकार और शक्तियां होंगी, जैसा कि संबंधित निकाय की बैठक के संबंध में हो सकता है, जिसके बदले में वह नियुक्त है और भत्ते प्राप्त करेगा, और वह उन दायित्वों के तहत होगा जैसे कि वह एक ट्रस्टी या सदस्य कोड के तहत नियुक्त हो।

ग) एक ट्रस्टी या सदस्य, जो केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए कोई विकल्प नियुक्त करता है और इस नियम में निहित किसी भी विषय के बावजूद, गलत उपयोग या गलत व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है। स्थानापन्न द्वारा निधि और उसके द्वारा नियुक्त स्थानापन्न द्वारा निधि के संबंध में किए गए किसी भी अविश्वास या गैर-व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) विषय का निपटान: - केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके किसी समिति की बैठक में विचार किए जाने वाले प्रत्येक प्रश्न पर ट्रस्टियों या संबंधित निकाय के सदस्यों के बहुमत और वर्तमान वोटिंग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष एक अतिरिक्त वोट देगा:

बशर्ते कि अध्यक्ष उचित समझे तो यह निर्देश दे सकता है कि ट्रस्टी या केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या किसी समिति के सदस्यों को आवश्यक कागजात जारी करके किसी प्रश्न पर लिखित रूप में उनकी राय हासिल करेगा। इस तरह के किसी भी प्रश्नों पर फैसला ट्रस्टी के बहुमत या सदस्यों का समय-सीमा के भीतर प्राप्त राय के अनुसार किया जाएगा और यदि राय समान रूप से विभाजित हैं, तो अध्यक्ष की राय मान्य होगी:

आगे कहा गया है कि केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके किसी भी समिति के किसी ट्रस्टी या सदस्य अनुरोध कर सकता है कि ट्रस्टी या संबंधित निकाय के सदस्यों को संदर्भित प्रश्न, जैसा भी हो,बैठक में लिखित राय लेकर विचार किया जाना चाहिए और यदि अनुरोध कम से कम तीन ट्रस्टियों या संबंधित निकाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके किसी भी समिति के अध्यक्ष, यह निर्देश देगा कि ऐसा माना जाए।

(7) बैठकों का कार्यवृत्त: -

(क) प्रत्येक बैठक के कार्यवृतों में वहाँ उपस्थित सदस्य के नाम को दिखाते हुए, प्रत्येक ट्रस्टी या केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के सदस्य या समिति को और केंद्र सरकार को जितनी जल्दी हो सके और किसी भी मामले में बैठक के समाप्ती बाद चार सप्ताह से अधिक समय बाद नहीं, अग्रेषित किया जाए।

(ख) केंद्रीय बोर्ड और कार्यकारी समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त के रिकॉर्ड पर अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ग) बैठक के कार्यवृतों की पुष्टि अगली बैठक में आवश्यक संशोधनों के साथ की जाएगी ।

(घ) केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या इसके बाद की किसी भी समिति की बैठक के कार्यवृतों को अलग पुस्तकों में रखा जाएगा (बाद में मिनट –बुक्स (कार्यवृत –पुस्तकों) के रूप में संदर्भित) और उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिस पर कार्यवाही की पुष्टि की जाती है। (ङ) इस तरह की पुष्टि होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पुष्टि की गई कार्यवृतों की एक प्रति केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी।

(च) मिनट-बुक्स को किसी भी संबंधित सदस्य द्वारा नि: शुल्क निरीक्षण के लिए कार्य दिवसों पर केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के मुख्य कार्यालय में खुले रखा जाएगा।

(8) शुल्क और भत्ते: -

(क) केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके किसी भी गैर-सरकारी ट्रस्टी या सदस्य, जैसा भी मामला हो, को पे मैट्रिक्स में लेवल 12 में पदस्थ केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य दरों पर उन बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा और दैनिक भत्ते की अनुमति दी जाएगी।

(ख) ऐसे ट्रस्टी या सदस्य, जो संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, उन्हें संसद अधिनियम, 1954 (30) के वेतन, भत्ते और पेंशन के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का भुगतान किया जाएगा। 1954 का 30) या संबंधित राज्य विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित कानून से संबंधित प्रावधान, जैसा भी मामला हो:

बशर्ते कि जब किसी मंत्री को केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष या ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया जाता है और उसके बाद वे समिति की बैठक में भाग लेती है, तो उसकी यात्रा और दैनिक भत्ता आधिकारिक तौर पर यात्रा के लिए उसके लिए लागू नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और इसका भुगतान उनके वेतन भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(ग) किसी भी दैनिक यात्रा के संबंध में, जैसा भी मामला हो, किसी ट्रस्टी या केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के सदस्य या किसी समिति द्वारा दैनिक या यात्रा भत्ता का दावा नहीं किया जाएगा अगर उन्होंने अपने नियोक्ता से या समिति के सदस्य या किसी विधानमंडल या किसी समिति या सम्मेलन के सदस्य के रूप में सरकार द्वारा गठित या बुलाई गई भत्ते को प्राप्त किया हो और यदि सरकार या अपने नियोक्ता के खर्च पर परिवहन के साधनों का उपयोग करता है तो किसी यात्रा भत्ते का दावा नहीं किया जाएगा।

(घ) केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा गठित किसी भी उप समिति की बैठकों के संबंध में दैनिक और यात्रा भत्ता भी देय होगा।

(ङ) केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसके बाद की किसी भी समिति या केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या किसी समिति द्वारा गठित उप-समिति की बैठक में भाग लेने के लिए, एक आधिकारिक ट्रस्टी या केंद्र सरकार के सदस्य अपने विभाग से अपने यात्रा भत्ते को केंद्र सरकार के नियमों के तहत स्वीकार्य पैमाने पर और आहरित राशि प्राप्त करेगा। उक्त प्राप्त राशि केंद्र सरकार द्वारा की जा रही मांग पर केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या समिति द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(च) भत्ते का दावा अंतिम तिथि से पहले किसी गैर-सरकारी सदस्य को नहीं किया जाएगा।

प्रस्थान एवं आगमन दोनों के लिए यात्रा भत्ता यात्रा भत्ता बिल में शामिल किया जाएगा और यात्रा पूरी होने की तारीख के बावजूद भुगतान को अंतिम रूप दिया जाएगा।

13. धारा 11 की उपधारा (2) के तहत. संहिता के संगत प्रावधानों के प्रशासन के प्रयोजनार्थ वैकल्पिक व्यवस्था करने तथा निगम अथवा केन्द्रीय बोर्ड अथवा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कामगार बोर्ड या बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड या उप-धारा (1) के तहत किसी भी समिति के पुनर्गठन की प्रणाली --संहिता की धारा 11 के प्रावधानों के तहत जब केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कामगार बोर्ड या भवन श्रमिक कल्याण बोर्ड को हटा दिया जाता हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा कि मामला हो,

(क) धारा 4, 5, 6 और 7 के अनुसार,जैसा कि मामला हो, केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कामगार बोर्ड या बिल्डिंग वर्कर्स कल्याण बोर्ड में नए ट्रस्टी या सदस्य नियुक्त होने या चुने जाने का कारण, और (ख) अपने विवेक से, ऐसी अवधि के लिए ऐसी व्यवस्था करें जैसा कि वह उचित समझें, केंद्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित श्रमिक बोर्ड या भवन निर्माण कल्याण बोर्ड के शक्तियों का प्रयोग करने और कार्य करने के लिए।

अध्याय III

कर्मचारी भविष्य निधि

14. धारा 23 की उपधारा (2) के तहत अपील दायर करने के लिए फॉर्म, तरीके, समय सीमा और शुल्क:

(1) ट्रिब्यूनल की भाषा: - ट्रिब्यूनल की भाषा अंग्रेजी होगी:

बशर्ते कि ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही के लिए पक्षकार हिंदी में तैयार किए गए दस्तावेजों को दर्ज कर सकें, यदि वे ऐसा चाहते हैं तो,

बशर्ते कि आगे:

(i) ट्रिब्यूनल, अपने विवेक से कार्यवाही में हिंदी के उपयोग की अनुमति दे सकता है, लेकिन अंतिम आदेश अंग्रेजी में होगा;

(ii) मामले की सुनवाई करने वाला ट्रिब्यूनल, अपने विवेक से, याचिका दायर किए जाने वाले वादों और दस्तावेजों का प्रत्यक्ष अंग्रेजी अनुवाद कर सकता है।

(2) अपील दायर करने की प्रक्रिया: - (क) ट्रिब्यूनल में अपील अपीलकर्ता द्वारा व्यक्ति या एक एजेंट द्वारा या रजिस्ट्री के लिए एक विधिवत कानूनी चिकित्सक या रजिस्ट्रार द्वारा लिखित किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्राप्त करने के लिए लिए फॉर्म-1 में प्रस्तुत किया जाएगा। ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार को संबोधित विधिवत रूप से पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना।

(ख) उप-नियम (2) के तहत अपील इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पेपर-बुक के रूप में एक अप्रयुक्त फ़ाइल आकार के लिफाफे के साथ तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमे प्रतिवादी का पूरा पता होगा।

बशर्ते कि प्रतिवादियों की संख्या एक से अधिक हो, पेपर -बुक फॉर्म में अपील की कई अतिरिक्त प्रतियां जितना कि प्रतिवादियाँ है, अप्रयुक्त फ़ाइल आकार के लिफाफे के साथ जिसमे प्रतिवादी का पूरा पता हो, को अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

बशर्ते कि जहां उत्तरदाताओं की संख्या पांच से अधिक है, रजिस्ट्रार अपीलकर्ता को नोटिस जारी करने के समय अपील की अतिरिक्त प्रतियां दर्ज करने की अनुमति दे सकता है।

(ग) रजिस्ट्रार अपील की प्राप्ति की एक अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक या प्रपत्र- II में जारी करेगा।

(3) अपील की प्रस्तुति और जांच: - (क) रजिस्ट्रार, या उप-नियम (2) के तहत उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, उस अपील पर हर अपील का समर्थन करेगा, जिस पर उसे प्रस्तुत किया गया है या उस नियम के तहत प्रस्तुत किया गया है और वह डिजिटल या अन्य रूप से तसदीक पर हस्ताक्षर करेगा।

(ख) यदि, जाँच करने पर, अपील क्रम में पाई जाती है तो उसे विधिवत पंजीकृत किया जाएगा और एक क्रमांक दिया जाएगा।

(ग) यदि जाँच करने पर अपील दोषपूर्ण पाई जाती है और त्रुटि औपचारिक प्रकृति का है, तो रजिस्ट्रार पार्टी को उसकी उपस्थिति में सुधार करने की अनुमति दे सकता है, और यदि त्रुटि औपचारिक प्रकृति का नहीं है, तो रजिस्ट्रार अपीलकर्ता को दोष को सुधारने के लिए समय दे सकता है जो वह उचित समझता हो। (घ) यदि अपीलकर्ता खंड (ग) के तहत अनुमति दिए गए समय के भीतर भूल को ठीक करने में विफल रहता है, तो रजिस्ट्रार आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, अपील को पंजीकृत करने के माना कर सकता है और तदनुसार अपीलकर्ता को सूचित कर सकता है।

(4) **अपील दायर करने का स्थान:** - अपील को अपीलकर्ता द्वारा साधारणतः ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार के समक्ष दायर किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में: -

(i) कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है, या

(ii) प्रतिवादी का कार्यालय जिसके आदेश में राहत मांगी गई है, स्थित है।

(iii) उत्तरदाता का कार्यालय जिसके आदेश में राहत मांगी गई है, स्थित है।

5) शुल्क, अपील दायर करने का समय, अपील दायर करने कि देय राशि जमा करना। -

(क) रजिस्ट्रार को दायर की गई प्रत्येक अपील के साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या एक ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार के पक्ष में एक राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पांच हजार रुपये का शुल्क,जो उस स्थान पर उक्त बैंक के मुख्य शाखा पर देय हो , जहाँ पर उक्त अधिकरण अवस्थित है, संलग्न होने चाहिए।

(ख) संहिता की धारा 125 या 128 के तहत पारित आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति आदेश जारी करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर, ट्रिब्यूनल मे अपील कर सकता हैं:

बशर्ते कि ट्रिब्यूनल, अगर यह संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता को निर्धारित अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो उक्त अवधि को साठ दिनों की एक और अवधि तक बढ़ाया जा सकता है :

बशर्ते कि नियोक्ता द्वारा कोई अपील ट्रिब्यूनल द्वारा तब तक सुनी नहीं की जाएगी जब तक कि उसने इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कोड की धारा 16 के तहत गठित फंड मे धारा 125 या 128, के तहत निर्धारित देय राशि का 25% जमा नहीं किया हो,

(6) अपील की सामग्री: -उप-नियम (2) के तहत दायर की गई प्रत्येक अपील इस तरह की अपील के लिए अंकित अलग-अलग शीर्ष के तहत निर्धारित होगी। इस तरह के आधारों को लगातार क्रमांकित किया जाता है। प्रत्येक अपील, किसी भी विविध अपील सहित इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अच्छी गुणवत्ता के मोटे कागज पर दोनों तरफ दोहरे स्थान पर टाइप करके दर्ज किया जाना चाहिए।

(7) अपील के साथ जमा देने के लिए दस्तावेज: - (क) इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा दायर की जाने वाली हर अपील के साथ एक पेपर-बुक होगी, जिसमें ː -

(i) उस आदेश की एक प्रति जिसके खिलाफ अपील दायर की जाती है;

(ii) अपीलकर्ता द्वारा जारी दस्तावेजों की प्रतियां और अपील में संदर्भित दस्तावेज़;

(iii) दस्तावेजों का एक सूचकांक।

(ख) खंड (क) में उल्लिखित दस्तावेजों को कानूनी रूप से या एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित या सत्यापित किया जा सकता है और प्रत्येक दस्तावेज को क्रमिक रूप से ए -1, ए -2, ए -3 और के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

(ग) जहां एक एजेंट द्वारा अपील दायर की जाती है, इस तरह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए उसे अधिकृत करने वाले दस्तावेज को भी अपील में जोड़ा जाएगा:

बशर्ते कि अपील एक कानूनी प्राक्टिशनर द्वारा दायर की जाती है, और यह विधिवत रूप से निष्पादित 'वकालतनामा' के साथ डिजिटल प्रारूप में या अन्य में होगा। **(8) प्लूरल रेमेडीज:** - एक अपील कार्रवाई के एक कारण पर आधारित होगी और एक या एक से अधिक राहत की मांग कर सकती है बशर्ते कि वे एक दूसरे के लिए परिणामी हों।

(9) न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस और प्रक्रियाओं की सेवा: - (क) ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस और प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक या ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित निम्न में से किसी भी तरीके से पेश की जा सकती है:

(i) पार्टी द्वारा स्वयं सेवा;

(ii) प्रोसेस सर्वर के माध्यम से हाथों हाथ वितरण (दास्ती) द्वारा;

(iii) पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा।

(ख) जहां ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किया गया नोटिस पार्टी द्वारा स्वयं इलेक्ट्रॉनिक या 'हैंड डिलीवरी' (दास्ती) द्वारा दिया जाता है, वह ट्रिब्यूनल की रजिस्ट्री, पावती के साथ, सेवा के एक हलफनामे के साथ दाखिल करेगा।

(ग) खंड (क) में निहित किसी भी तथ्य के बावजूद, ट्रिब्यूनल उत्तरदाताओं की संख्या और उनके निवास स्थानों या कार्य स्थलों एवं अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश दे सकता है कि अपील की सूचना उत्तरदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य तरीके से दी जाएगी, जिसमें किसी भी प्रकार की वैकल्पिक सेवा शामिल है, जैसा कि ट्रिब्यूनल को सुगम और सुविधाजनक प्रतीत लगे।

(घ) खंड (क) के तहत किए गए किसी भी तथ्य के बावजूद, अधिकरण अपने विवेक से मामले की प्रकृति और तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संहिता के अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नियुक्त स्थायी काउंसलर्स को सूचना देने का निर्देश दे सकता है ।

(ङ) अधिकरण द्वारा जारी प्रत्येक नोटिस, जब तक अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है, के साथ पेपर-बुक की एक प्रति समेत अपील की एक प्रति होगी।

(च) प्रत्येक अपीलार्थी इस तरह से सेवा या प्रक्रिया के निष्पादन के लिए शुल्क का भुगतान उस तरीके से करेगा जैसा की खंड (ग) के अंतर्गत न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित होगा, और वो राशि, जो सेवा कार्य के संबंध मे हो,न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित वास्तविक शुल्क से अधिक नहीं होगा,

(छ) खंड (ग) के तहत प्रक्रियाओं की सेवा या निष्पादन के लिए शुल्क, उप-नियम (5) में निर्धारित तरीके से शुल्क निर्धारण करने के आदेश की तिथि के एक सप्ताह के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर जैसा रजिस्ट्रार अनुमति दे,भुगतान करेगा (कच) खंड (क) से खंड (घ) में निहित किसे तथ्य के बावजूद, यदि ट्रिब्यूनल इस बात से संतुष्ट है कि सभी उत्तरदाताओं को अपील की सूचना देना उचित नहीं है, तथा कारणों को उल्लेख लिखित में किया जाना हो , तो अपील को इस तथ्य के बावजूद कि उत्तरदाताओं में से कुछ को आवेदन की सूचना नहीं दी गई है को सुना जाएगा :

बशर्ते कि तब तक कोई अपील न सुनी जाएगी कि: -

(i) अपील की सूचना केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय बोर्ड को दे दी गई है, यदि ऐसी सरकार या बोर्ड प्रतिवादी है;

(ii) अपील की सूचना उस प्राधिकारी को दी गई है जिसने अपील दायर की है, जिसके खिलाफ आदेश पारित किया है; तथा

(iii) ट्रिब्यूनल इस बात से संतुष्ट है कि जिन उत्तरदाताओं की अपील पर नोटिस नहीं दिया गया है उनके हितों को पर्याप्त रूप से उन उत्तरदाताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है जिन पर अपील की सूचना दी गई है।

(10) उत्तरदाताओं द्वारा उत्तर और अन्य दस्तावेजों को दाखिल करना। - (ए) प्रत्येक प्रतिवादी,जो अपील करने का इरादा रखता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अपील के जवाब को तीन प्रतियों में, अपील की सूचना के एक महीने के भीतर रजिस्ट्री के साथ पेपर-बुक फॉर्म में दिए गए दस्तावेज को दाखिल करेगा । (ख) खंड (क) के तहत दायर उत्तर में, अपीलकर्ता द्वारा अपील में दिए गए तथ्यों को विशेष रूप से स्वीकार करना, अस्वीकार करना या स्पष्ट करना हो सकता है और ऐसे अतिरिक्त तथ्य भी बताए जा सकते हैं, जिन्हें न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक पाया जा सकता है। इसे डिजिटली या अन्यथा हस्ताक्षरित किया जाएगा और प्रतिवादी या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गयी लिखित सूचनाओं से सत्यापित किया जाएगा, जैसा की आदेश VI के लिए , सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 के 5) के नियम 15 के अनसार निर्धारित किया गया है।

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज भी उत्तर के साथ दर्ज किए जाएंगे और उसको आर -1, आर -2, आर -3 की तरह चिह्नित किया जाएगा।

(घ) उत्तरदाता भी अपीलकर्ता या उसके कानूनी प्रतिनिधि, यदि कोई हो , को क्लॉज (ए) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ उत्तर की एक प्रति भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रदान करेगा, और रजिस्ट्री में ऐसी सेवा का सबूत दर्ज कराएगा ।

(ङ) ट्रिब्यूनल निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद जवाब दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

(11) **सुनवाई की तारीख और स्थान अधिसूचित किया जाना** - ट्रिब्यूनल सामान्य रूप से या विशेष आदेश द्वारा, पक्ष को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, जैसा कि पीठासीन अधिकारी चाहे, अपील की सुनवाई की तारीख और स्थान सूचित करेगा।

(12) मामलों का कैलेंडर और निपटान के लिए समय सीमा - (ए) ट्रिब्यूनल मामलों की सुनवाई के लिए एक कैलेंडर तैयार करेगा और जहां तक संभव हो, कैलेंडर के अनुसार मामलों को सुनें और तय करें।

(ख) नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 मे उद्धृत किसी तथ्य के वावजूद , धारा 23 के तहत अपील , जहां तक व्यवहारिक है, दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुना जाएगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि एक वर्ष की अवधि के भीतर फैसला हो जाए ।

बशर्ते कि उक्त अवधि के भीतर अपील का निर्णय नहीं किया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी इस तरह की अपील को सुनकर निर्णय नहीं करने के लिए परिस्थितियों और कारणों को रिकॉर्ड करेगा और उन परिस्थितियों और कारणों को केंद्रीय सरकार अथवा उनके द्वारा इस संबंध मे प्राधिकृत अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(ग) न्यायाधिकरण के पास स्थगन को अस्वीकार करने और मौखिक तर्कों के लिए समय सीमित करने की शक्ति भी होगी।

(13) अपीलार्थी के डिफ़ॉल्ट के लिए अपील पर कार्रवाई - (ए) जहां अपील की सुनवाई के लिए तय की गई तारीख या किसी अन्य तारीख को, जहां इस तरह की सुनवाई स्थगित की जा सकती है, अपील सुनने के लिए अपील करने पर अपीलकर्ता प्रकट नहीं होता है, न्यायाधिकरण अपने विवेक से या तो डिफ़ॉल्ट के लिए अपील खारिज कर सकता है या सुनवाई और निर्णय पर मेरिट के आधार पर फैसला कर सकता है।

(ख) जहां एक अपील को डिफॉल्ट के लिए खारिज कर दिया गया है और अपीलकर्ता ने उस खारिज होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर एक अपील दायर की है और ट्रिब्यूनल को संतुष्ट करता है कि अपील के सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर उसकी उपस्थिति न होने के लिए पर्याप्त कारण था, तो ट्रिब्यूनल अपील को खारिज करने वाले आदेश को अलग करते हुए एक आदेश जारी करेगा और उसी को पुनर्स्थापित करेगा।

बशर्ते कि जहां मामले को मेरिट के आधार पर निपटाया गया था, समीक्षा को छोडकर, निर्णय को फिर से नहीं खोला जाएगा।

(14) एकपक्षीय सुनवाई और अपील का निपटान - (क) जहां अपील की सुनवाई के लिए तय की गई तारीख या किसी अन्य तारीख को, जिस पर सुनवाई स्थगित की जा सकती है, अपीलकर्ता उपस्थित होता है और जब सुनवाई के लिए अपील की जाती है तो प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है, तो ट्रिब्यूनल अपने विवेक से सुनवाई को स्थगित या सुनवाई और अपील पर एकपक्षीय निर्णय कर सकता है। (ख) जहां एक प्रतिवादी या उत्तरदाताओं के खिलाफ अपील को एकपक्षीय सुनी गयी है, ऐसे प्रतिवादी या उत्तरदाताओं ने इस आदेश को निरस्त करने के आदेश के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन किया हो सकता है और यदि इस तरह के प्रतिवादी या उत्तरदाता ट्रिब्यूनल को संतुष्ट करते हैं कि नोटिस विधिवत नहीं दिया गया था या कि जब उन्हें अपील के लिए सुनवाई के लिए बुलाया गया था, तब उन्हें उपस्थित होने से किसी भी पर्याप्त कारण से रोका गया था, ट्रिब्यूनल उस के खिलाफ एक -पक्षीय सुनवाई को निरस्त कर, जैसा उचित समझे, अपील पर कार्रवाई के लिए समय निर्धारित करेगा।

बशर्ते कि जहां एक-पक्षीय आदेश ऐसी प्रकृति का है कि इसे केवल एक प्रतिवादी के खिलाफ निरस्त नहीं किया जा सकता है, ऐसे मामलों में इसे सभी या किसी अन्य उत्तरदाता के खिलाफ भी निरस्त किया जा सकता है:

इसके अलावा , उप-नियम (9) के खंड (एच) द्वारा कवर किए गए मामलों में, ट्रिब्यूनल केवल अपील के एक पक्षीय आदेश को इस आधार पर निरस्त नहीं करेगा कि यह आदेश प्रतिवादी या उत्तरदाताओं पर नहीं दिया गया था।

(15) कानूनी प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन - (ए) ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही की लंबीतता के दौरान किसी पक्ष की मृत्यु के मामले में, मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा विधि से इस तरह की मौत की तारीख के तीस दिनों के भीतर रिकॉर्ड पर लेने हेतु आवेदन कर सकता है ।

(ख) जहां किसी विधिक प्रतिनिधि से धारा (क) में विनिर्दिष्ट अवधि के बीच कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है; मृतक पक्ष के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी।

बशर्ते कि उचित एवं पर्याप्त कारण के आधार पर न्यायाधिकरण, किसी आवेदन पर, निरस्त करने के आदेश को समाप्त कर सकता है और विधिक प्रतिनिधि को बदल सकता है।

(16) सुनवाई का स्थगन - यदि कार्यवाही के किसी चरण में पर्याप्त कारण दिखाई दे, न्यायाधिकरण पक्षों या उनमें से किसी को समय प्रदान कर सकता है और अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकता है।

(17) आदेश हस्ताक्षर एवं उसकी तारीख– (क) न्यायाधिकरण का प्रत्येक आदेश पीठसीन अधिकारी के द्वारा लिखित एवं डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित या अन्यथा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(ख) आदेश खुले न्यायालय में सुनाया जाना चाहिए।

(18) पक्षों को आदेश संसूचित किया जाना – (क) किसी अपील पर पारित प्रत्येक अंतिम आदेश को अपीलकर्ता और संबन्धित प्रतिवादी को या तो इलेक्ट्रोनिक रूप से या अन्य रूप से हाथों-हाथ या पंजीकृत डाक द्वारा नि:शुल्क संसूचित किया जाना चाहिए।

(ख) यदि किसी अपीलकर्ता या प्रतिवादी के द्वारा किसी दस्तावेज़ या कार्यवाही की प्रति मांगी जाए तो उन्हें पीठसीन अधिकारी द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से तय किए गए ऐसे नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत ऐसे शुल्क के एवज में प्रदान किया जाना चाहिए।

(19) निश्चित मामलों में दिए गए आदेश एवं निर्देश – न्यायाधिकरण ऐसे आदेश या निर्देश दे सकता है जिसे वह आवश्यक या वांछनीय समझे जो आदेश को लागू करने या इसके प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचाने या न्याय की प्राप्ति के लिए हो।

(20) न्यायाधिकरण का कार्य समय – शनिवार, रविवार या दूसरे सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर या फिर पीठसीन अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश के अनुसार न्यायाधिकरण का कार्यालय 9.30 पूर्वाहन से 6 बजे अपराहन तक खुला रहेगा।

(21) न्यायाधिकरण की कार्य-अवधि - न्यायाधिकरण की कार्य-अवधि, सामान्यतः 10.30 पूर्वाहन से 1.30 अपराहन और 2.30 अपराहन से 5 बजे अपराहन है या पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया गया इस संबंध में कोई सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार निर्धारित होती है।

(22) रजिस्ट्रार की शक्तियाँ एवं कार्य : (क) रजिस्ट्रार न्यायाधिकरण के दस्तावेजों का संरक्षक होगा एवं पीठसीन अधिकारी द्वारा दिए गए अलग आदेश के अनुसार ऐसे अन्य कार्य का निष्पादन करेगा जो उसे सोंपे जाएगें। (ख) आधिकारिक मुहर रजिस्ट्रार के संरक्षण में रहेगा।

(ग) न्यायाधिकरण की मुहर का प्रयोग रजिस्ट्रार के लिखित में प्राधिकार के अंतर्गत किसी आदेश, सम्मन या अन्य प्रक्रिया पर नहीं होगा बशर्ते कि पीठसीन अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई सामान्य या विशेष निर्देश दिए गए हों।

(घ) न्यायाधिकरण की मुहर का प्रयोग रजिस्ट्रार के लिखित में प्राधिकार के अंतर्गत किसी प्रमाणित प्रति पर नहीं होगा।

(23) रजिस्ट्रार की अतिरिक्त शक्तियाँ एवं कर्तव्य – इन नियमों में प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य प्राप्त हैं, बशर्ते कि पीठसीन अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई सामान्य या विशेष निर्देश दिए गए हों, यथा –

- (i) सभी अपीलों एवं दस्तावेजों को प्राप्त करना;
- (ii) पंजीयन के पहले अपीलों के जांच के उपरांत सामने आए प्रश्नों पर निर्णय लेना;
- (iii) किसी अपील को कोड एवं नियमों के अनुसार संशोधित कर न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना;
- (iv) अपील या अन्य कार्यवाही के प्रथम सुनवाई की तिथि को निश्चित करना एवं उन पर नोटिस जारी करना, बशर्ते कि न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार हो;
- (v) दस्तावेजों के औपचारिक संशोधन पर निर्देश;
- (vi) कार्यवाहियों पर पक्षों को दस्तावेजों की प्रति जारी करने का आदेश;
- (vii) न्यायाधिकरण के दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए अवकाश प्रदान करना;
- (viii) नोटिस के जारी करने या नए नोटिस को जारी करने की अन्य प्रक्रिया और ऐसे अपील को दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने और उत्तर या प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, दाखिल करने के लिए 15 दिनों से अधिक समय प्रदान नहीं करना और मामले को उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के बाद न्यायाधिकरण द्वारा समुचित आदेश पारित करने संबंधी सभी मामलों का निपटारा करना;
- (ix) अन्य प्राधिकारी के किसी न्यायालय के संरक्षण से दस्तावेजों की मांग;
- (x) लंबित अपीलों के दौरान मृत्यु की तिथि से 30 दिनों के अंदर मृतक पक्षों के विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन हेतु
 अपील ग्रहण करना;
- (xi) ऐसे मामलों को छोड़कर जहां कि उपशमन आदेश अपास्त किए गए हों, प्रतिस्थापन के लिए अपीलों को ग्रहण करना और उनका निपटारा करना;
- (xii) दस्तावेजों के वापस करने हेतु पक्षों के आवेदन को प्राप्त करना और उनका निपटारा करना;
- (24) अपीलकर्ता को अधिवक्ता का सहयोग लेने का अधिकार एवं सरकार आदि के लिए पेशी अधिकारी की नियुक्ति-

(क) कोड की धारा 23 के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा न्यायाधिकरण में अपील हेतु न्यायाधिकरण के समक्ष वह या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या अपने पसंद के अधिवक्ता के सहयोग से अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है;

(ख) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोड के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी एक या उससे अधिक अधिवक्ता या अपने किसी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति जिसे इस हेतु प्राधिकृत किया गया हो, न्यायाधिकरण के समक्ष किसी अपील को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है; (25) **मुहर और प्रतीक –** न्यायाधिकरण का आधिकारिक मुहर एवं प्रतीक गोलाकार होगा जिस पर न्यायाधिकरण का नाम बड़े अक्षरों में होगा और मध्य में अशोक स्तम्भ होगा।

(26) न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी और स्टाफ की पोशाक - न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी और न्यायाधिकरण के स्टाफ सदस्यों की पोशाक पीठासीन अधिकारी द्वारा उल्लिखित होगा।

(27) **पक्षों की पोशाक** – न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होते समय, एक अधिवक्ता, या जैसा भी मामला हो, एक पेशी अधिकारी अपने पेशवाराना पोशाक, यदि कोई हो, और अगर ऐसा कोई पोशाक न हो:

(i) एक पुरुष के मामले में एक गलबंध कोट और पैंट या एक लाउंज सूट ;

(ii) एक महिला के मामले में एक साड़ी या सौम्य रंग के किसी दूसरे पारंपरिक परिधान में हो।

अध्याय IV

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

15. उप-धारा (3) के अंतर्गत महानिदेशक या वित्त आयुक्त के वेतन एवं भत्ते, उप-धारा (4) के अंतर्गत उनकी शक्तियां एवं कर्तव्यों और धारा 24 के उप-धारा (7) के प्रावधान के अनुसार अधिकतम मासिक वेतन-सीमा –

(1) महानिदेशक या वित्त आयुक्त के वेतन एवं भत्ते :- धारा 24 के उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक एवं वित्त आयुक्त को केंद्र सरकार के समकक्ष अधिकारियों को प्राप्त वेतनमान के समान वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे।

बशर्ते कि जहां महानिदेशक या वित्त आयुक्त निगम की सेवा में पहले से ही नियुक्त हैं, वे पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य अधिवर्षिता लाभ के हकदार होंगे, यद्यपि उनकी नियुक्ति महानिदेशक या वित्त आयुक्त के रूप में हुई हो, वे ऐसे लाभों के हकदार होंगे।

(2) महानिदेशक की शक्तियां और कर्तव्य:

(क) महानिदेशक की शक्तियां और कर्तव्य निम्नांकित होंगी –

(i) निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य निर्वहन;

(ii) कोड एवं नियमों के अनुसार, अध्यक्ष के आदेशों के अंतर्गत, निगम, स्थायी समिति एवं चिकित्सा लाभ समिति की बैठकों का आयोजन एवं बैठकों में लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन;

(iii) कोड या नियमों या विनियमों के अंतर्गत या निगम या स्थायी समिति के सामान्य या विशेष अनुदेशों के अनुसार निगम के पक्ष में करार करना;

(iv) कोड एवं नियमों के अनुसार केंद्र सरकार को सभी रिटर्न्स एवं दस्तावेज़ की प्रस्तुति और निगम से संबन्धित सभी मामलों पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों से पत्र – व्यवहार करना;

(v) ऐसे दूसरे कर्तव्यों का निर्वहन और समय समय पर ऐसे दूसरे शक्तियों का प्रयोग करना जो कि सौपे गए हों या प्रत्यायोजित किए गए हों।

(ख) महानिदेशक, स्थायी समिति के अनुमोदन से, निगम के नियमों एवं विनियमों या निगम या स्थायी समिति के किसी संकल्प जैसा कि मामला हो, सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा, अपने किसी अधीनस्थ को अपनी शक्तियों या कर्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकता है। ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग, जो कि ऐसे बंधनों, सीमाओं और शर्तों, यदि कोई हो, स्थायी समिति के अनुमोदन से महानिदेशक के द्वारा अधिरोपित किया गया हो, के अंतर्गत होगा। (3) वित्त आयुक्त की शक्तियाँ और कर्तव्य- वित्त आयुक्त की शक्तियाँ और कर्तव्य महानिदेशक के नियंत्रण में निम्नांकित रूप में होगा –

(i) निगम के लेखाओं का अनुरक्षण और केन्द्रों एवं क्षेत्रों से प्राप्त रिटर्न्स के आधार पर लेखा के संकलन की व्यवस्था;

(ii) निगम के बजट को तैयार करना;

(iii) केन्द्रों एवं क्षेत्रों के लेखाओं का आंतरिक लेखा परीक्षा एवं उनके प्राप्ति एवं भुगतान की व्यवस्था करना;

(iv) निगम के निधियों के निवेश संबंधी सिफ़ारिशें ; और

(v) समय समय पर, उनको सोंपें या प्रत्यायोजित किए गए कर्तव्यों और शक्तियों का निर्वहन।

(4) निगम के द्वारा पदों का सृजन – कोड के धारा 24 के उप-धारा (6) के अंतर्गत पदों के सृजन संबंधी शक्तियाँ निगम को प्राप्त हैं, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पे मेट्रिक्स के अधिकतम लेवल 14 तक के संबंधी पदों के लिए निगम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

16. धारा 25 के उपधारा (4) का अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निधि या अन्य दूसरे धन जो कि निगम के पास है के निवेश की शैली – (1) निगम केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के दायरे में निधि का निवेश करेगा।

(2) निगम योजना के कुशल प्रशासन हेतु उतने खाते खोल सकता है जितना कि वह आवश्यक समझे या जो योजना में विनिर्दिष्ट हो।

(3) निवेश के सभी व्यय और घाटा, यदि कोई हो, को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मद में रखा जाएगा और किसी निवेश की बिक्री के प्राप्त लाभ, यही कोई हो, वह भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम को प्रोद्भूत होगा।

(4) इस नियम के अंतर्गत कोई निवेश उपनियम (ग) के अधीन होगा जो कि समय-समय पर भिन्न स्थानांतरित या उगाही योग्य होगा।

हालांकि, यदि इस तरह की भिन्नता, परिवर्तन या प्राप्ति के परिणामस्वरूप हानि होने की संभावना है, तो केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

स्पष्टीकरण : केंद्र सरकार की मंजूरी केवल इस आधार पर आवश्यक नहीं होगी कि इसकी परिपक्वता पर प्रतिभूति का मूल्य उस मूल्य से कम है, जिस पर इसे खरीदा गया था।

(5) केंद्र सरकार किसी भी समय, छुट्टी को आंशिक या पूर्ण रूप से निर्देशित कर सकती है, या किसी भी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों या किसी भूमि या भवन के वर्ग में निवेश पर रोक लगा सकती है।

(6) किसी भी निवेश के संबंध में प्राप्त सभी लाभांश, ब्याज या अन्य रकम जितनी जल्दी हो सके, रसीद के भुगतान के बाद कर्मचारी राज्य बीमा निधि के खाते में जमा की जाए।

17. धारा 26 के खंड (के) के तहत बीमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उपायों के प्रचार के लिए खर्च में कमी की सीमा – स्वास्थ्य में सुधार और बीमित व्यक्तियों के कल्याण के लिए उपायों के प्रचार के लिए और पुनर्वास के लिए बीमाकृत व्यक्तियों का पुनः रोजगार जो विकलांग या घायल हो गए हैं, निगम प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपये की सीमा तक व्यय कर सकता है और केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निधि के समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

18. उप-धारा (1) के तहत किसी भी चल या अचल संपत्ति हासिल करने, बेचने या अन्यथा हस्तांतरित करने की शर्तें, उप-धारा (2) के तहत निगम द्वारा धन-निवेश करने की शर्तें, उठाने की शर्तें और निर्वहन की लिए उपाय करना और धारा 27 की उप-धारा (3) के तहत इस तरह के ऋण – (1) संपत्ति के अधिग्रहण – उपनियम (3) के प्रावधानों के अधीन निगम की चल या अचल संपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी शर्तें समय-समय पर निगम के महानिदेशक द्वारा रखी जा सकती है। बशर्ते कि स्थायी समिति कि मंजूरी छत्तीस महीने के अधिक अवधि के लिए किसी संपत्ति को लीज पर लेने के लिए किसी अचल संपत्ति के आदान-प्रदान के लिए आवश्यक होगी, या स्वीकृति या किसी उपहार के लिए या संपत्ति की खोज एक दायित्व हो।

(2) संपत्ति का निपटारा – उप-नियम (3) के प्रावधानों के अधीन और ऐसी शर्तें जो निगम द्वारा समय-समय पर महानिदेशक के लिए रखी जा सकती हैं:

(क) निगम से संबंधी किसी भी चल संपत्ति के निपटान, बिक्री या विनिमय, जिसका मूल्य प्रत्येक मामले में **एक करोड़ रुपये** से अधिक नहीं है, या किसी भी अवधि के लिए अनुदान किसी भी अचल संपत्ति के बारह महीने से अधिक नहीं हो।

(ख) स्थायी समिति की मंजूरी के साथ, निगम से संबन्धित किसी भी चल या अचल संपत्ति का पता, बिक्री या अन्यथा निपटान।

(3) **अनुबंधों के निष्पादन की प्रक्रिया –** (क) निगम ऐसे सभी अनुबंधों में प्रवेश कर सकता है और यह करार के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो सकता है।

(ख) निगम की ओर से या करार के किसी भी प्रयोजन के लिए किए गए प्रत्येक अनुबंध –

(i) महानिदेशक द्वारा; या

(ii) ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि निगम के ऐसे सदस्य या अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, यह प्राधिकृत हो सकता है।

बशर्ते कि स्थायी समिति की मंजूरी किसी भी अनुबंध के संबंध में पंद्रह करोड़ रुपये से अधिक के व्यय से प्राप्त होगी।

(ग) किसी भी व्यक्ति द्वारा उप-नियम (2) में प्रदान किए गए प्रत्येक अनुबंध को इस तरह से और इस रूप में दर्ज किया जाएगा जैसे कि वह उसे परिसीमित कर लेगा यदि उसकी ओर से बनाया गया हो और इस तरह से और रूप में विविध हो या खारिज हो :

बशर्ते कि निगम की सामान्य या आधिकारिक सील, पाँच लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए निगम के हर अनुबंध पर लगा दी जाएगी।

(4) ऋणों को जुटाना और चुकाना- (क) निगम, स्थायी समिति की बैठक में पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ, कोड के प्रयोजनों के लिए ऋण जुटा सकता है।

(ख) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के बिना, निगम ऋण जुटा सकता है –

(i) भूमि के अधिग्रहण और / या भवनों के निर्माण के लिए; या

(ii) इस नियम के तहत उठाए गए ऋण को चुकाने के लिए; या

(iii) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

(ग) इस नियम के तहत सभी ऋण प्राप्त किए जाएंगे –

(i) ब्याज की ऐसी दरों और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने के समय और भुगतान की विधि के रूप में ऐसी दरों पर केंद्र सरकार से; या

(ii) नियम 23 में निर्दिष्ट ऐसे बैंक या बैंकों से केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ।

(घ) नियम 23 में निर्दिष्ट ऐसे बैंक या बैंकों से ऋण जहां प्राप्त होता है, जो निगम, केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ, उसमें दी गई सभी संपत्तियों को गिरवी रख सकता है, जो रकम ब्याज के साथ के पुनर्भुगतान के लिए अग्रिम है।

(ङ) निगम से देय सभी भुगतान पर ब्याज और ऋण के पुनर्भुगतान इस तरह से और ऐसे समय में किए जाएंगे, जिन पर सहमति हो सकती है:

बशर्ते कि निगम किसी भी रकम का आवेदन कर सकता है, जो कि किसी भी ऋण के मूलधन के संबंध में किसी भी राशि के पुनर्भुगतान पर लागू होगा, हालांकि उसी का पुनर्भुगतान देय नहीं हो सकता है।

(च) केंद्र सरकार के पिछले अनुमोदन (या दिशा-निर्देश के तहत) को छोड़कर, ऋण से बाहर किए गए किसी भी व्यय को निगम द्वारा मूलधन में नहीं लगाया जाएगा।

(छ) निगम प्रत्येक वर्ष तेरह अप्रैल तक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें लिए गए ऋण और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किए गए ऋणों के भुगतान को प्रस्तुत करेंगा।

19. धारा 28 के उप-धारा (1) के तहत कर्मचारियों के बीमा का शैली- (1) किसी प्रतिष्ठान में नियोक्ता किसी भी व्यक्ति को पहले जांच लेगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति पहले से ही कोड के अध्याय IV के तहत पंजीकृत न हो, निर्दिष्ट पोर्टल पर उसका नाम और आधार नंबर दर्ज करके उसे पंजीकृत करेगा, तभी उसे रोजगार में लेगा। नियोक्ता द्वारा उसके पंजीकरण पर तत्काल कर्मचारी को एक पंजीकरण संख्या स्वचालित रूप से आवंटित करेगा। यह पंजीकरण संख्या दस दिनों के लिए वैध रहेगी जिस दौरान नियोक्ता उस कर्मचारी और परिवार के अद्यत्त विवरणों को निर्दिष्ट पोर्टल पर उसका तत्काल कर्मचारी को एक पंजीकरण संख्या स्वचालित रूप से आवंटित करेगा। यह पंजीकरण संख्या दस दिनों के लिए वैध रहेगी जिस दौरान नियोक्ता उस कर्मचारी और परिवार के अद्यतन विवरणों को निर्दिष्ट पोर्टल पर उपलब्ध घोषणा पत्र में दर्ज करेगा। आधार से जुड़ा पहचान पत्र बीमाकृत व्यक्ति और उसके आश्रित परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा निगम द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(2) इस प्रकार आबंटित पंजीकरण संख्या स्वतः ही अमान्य हो जाएगी यदि कर्मचारी के विवरण को दस दिनों के भीतर घोषणा पत्र में अद्यतित नहीं किया जाता है या नए नियोजित व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया आधार नंबर संबंधित अधिकारियों द्वारा बिना सूचना के वापस कर दिया जाएगा।

(3) प्रतिष्ठान का नियोक्ता कर्मचारी के विवरण की सत्यता के लिए जिम्मेदार होगा, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर भरा गया हो। बीमित व्यक्ति पोर्टल पर प्रस्तुत अपने परिवार के विवरणों की सत्यता के लिए जिम्मेदार होगा।

(4) पंजीकरण संख्या का उपयोग नियोक्ता द्वारा योगदान के लिए और उस कर्मचारी के संबंध में अन्य सभी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

(5) इस प्रकार कर्मचारी को आवंटित पंजीकरण संख्या का उपयोग उसके द्वारा उपलब्ध किसी भी लाभ के लिए और (या) उसके परिवार के सदस्यों के लिए कोड के तहत किया जाएगा।

20. धारा 29 की उपधारा (2) के तहत योगदान की दर - (1) मजदूरी अवधि के लिए योगदान की राशि के संबंध में होगा –

(क) नियोक्ता का योगदान, एक कर्मचारी को देय मजदूरी का तीन और एक-चौथाई प्रतिशत के बराबर, एक राशि (अगले उच्च राशि के लिए) होगा।; तथा

(ख) कर्मचारी का योगदान, एक कर्मचारी को देय मजदूरी का तीन-चौथाई प्रतिशत के बराबर एक राशि (अगले उच्च रुपये के लिए)।

(2) एक कर्मचारी के संबंध में ऐसे व्यक्ति से है जो विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत विकलांग है और ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक प्रभृति और विभिन्न विकलांग अधिनियम 1999 (1999 का 44) के अंतर्गत व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट, नियोक्ता को अंशदान की शुरुआत की तारीख से तीन साल की अधिकतम अवधि तक नियोक्ता के अंशदान का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। (3) ऐसे कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता का अंशदान और उप-नियम (2) के तहत ऐसी अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा निगम को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

21. धारा 30 के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय का प्रकार और आय का प्रतिशत, जो की खर्चों पर व्यय किया जाएगा और ऐसे खर्चों की सीमा- (1) निम्नलिखित मदों पर निगम द्वारा किए गए व्यय को धारा 30 के तहत प्रशासनिक व्यय कहा जाएगा। यथा

(क) निगम के सदस्यों, स्थायी समिति और चिकित्सा लाभ समिति और निगम की अन्य समितियों को फीस और भत्ते का भुगतान;

(ख) वेतन भुगतान, छुट्टी और योगदान समय भत्ते, यात्रा और प्रतिपूरक और अन्य भत्ते, बोनस, ग्रेच्युटी और अनुकंपा भत्ते, पेंशन, भविष्य या अन्य लाभ निधि में योगदान और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी खर्चों का भुगतान;

(ग) निगम के कार्यालयों के संबंध में स्टाफ कारों, कार्यालय भवनों, स्टाफ क्वार्टरों, आवासों को किराए पर लेना, फर्नीचर की खरीद, कार्यालय उपकरण, स्टेशनरी, प्रिंटिंग और अन्य खर्चों के मूल्यह्रास और रखरखाव पर खर्च को कम करना;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कोड के अध्याय IV के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अन्य सेवाओं के लिए सदस्यता के खर्चों में कमी;

(ङ) निगम के लेखा परीक्षा खातों की लागत (सभी खर्चों सहित) और इसकी परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्यांकन में चूक;

(च) कोड के तहत स्थापित कर्मचारियों के राज्य बीमा न्यायालयों की लागत (सभी खर्चों सहित) को कम करना;

(छ) निगम या स्थायी समिति द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए दर्ज किए गए किसी अनुबंध के तहत किसी रकम का भुगतान;

(ज) निगम के खिलाफ कार्यवाही या किए गए दावा जो कि उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अपने कर्तव्य के निष्पादन में या किसी मुकदमे या किसी कानूनी या कानूनी समझौते के तहत किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के डिक्री, आदेश या राय के तहत रकम का भुगतान।

(झ) कोड के तहत की गई किसी भी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाली किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही को स्थापित करने या बचाव करने की लागत;

(ट) ई.एस.आई. योजना के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक प्रचार सामग्री पाठ्यक्रमों की छपाई सहित योजना प्रचार के सिलसिले में खर्च में कमी;

(ठ) ई.एस.आई योजना की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने में आने वाले खर्च को कम करना

(2) निगम की कुल राजस्व आय का प्रतिशत जो प्रत्येक वर्ष उसके प्रशासनिक व्यय पर खर्च किया जा सकता है पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: - इस नियम के उद्देश्य के लिए "ईएसआई योजना" की अभिव्यक्ति का अर्थ है कि निगम द्वारा बनाई गई योजना में नियम, विनियम, अधिसूचनाएं और निगम द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक निर्देश शामिल हैं। 22. धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के रकम के भुगतान की सीमा – धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के तहत अंतिम संस्कार की व्यय की राशि निगम द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

23. धारा 32 की उप-धारा (3) के तहत लाभ, शर्तों, दर और अवधि का दावा करने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता और उप-धारा (1) के तहत आश्रितों के लाभ के भुगतान की अवधि और अवधि और धारा 38 की उप-धारा (2) के तहत अन्य आश्रितों के लिए लाभ - (1) बीमारी लाभ- (क) कोड और विनियमों के प्रावधानों के अधीन, कोई व्यक्ति किसी बीमारी के लिए बीमारी लाभ का दावा प्राप्त करने के लिए योग्य होगा, यदि उसके संबंध में संगत अंशदान अठहत्तर दिनों से कम की अवधि के लिए देय नहीं हो और यदि इसी योगदान के दौरान उस व्यक्ति की "मानक लाभ दर" अगले उच्च रुपये के लिए होगा, वह सत्तर प्रतिशत की दर से इस तरह के लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा:

बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो पहली बार कोड के अध्याय IV के अर्थ के अंतर्गत एक कर्मचारी बन जाता है और जिसके लिए 156 दिनों से कम समय का एक छोटा योगदान अवधि उपलब्ध है, वह बीमारी का दावा करने के लिए योग्य होगा यदि उसके योगदान के लिए ऐसे योगदान अवधि में काम करने के लिए उपलब्ध दिनों की संख्या से आधे से कम नहीं के लिए देय था:

बशर्ते कि मातृत्व लाभ प्राप्त करने में बीमित महिला या अस्थायी विकलांगता लाभ की प्राप्ति में एक आईपी के मामले में और इसके कारण उसे / उसके लिए एक छोटा योगदान अवधि उपलब्ध है, वह बीमारी के लाभ का दावा करने के लिए योग्य होगी। इसी तरह की लाभकारी अवधि में काम करने के लिए उपलब्ध दिनों की तुलना में आधे से कम दिनों के लिए उसकी / उसके संबंध में योगदान का भुगतान किया गया या देय नहीं था:

बशर्ते कि वह बीमारी के पहले दो दिनों के लाभों का हकदार नहीं होगा, कम से कम पंद्रह दिनों के अंतराल पर, बीमारी की अवधि जिसके लिए बीमारी के लाभों का अंतिम भुगतान किया गया था :

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को लगातार दो लाभ अवधि में इक्यानबे दिन से अधिक किसी भी बीमारी का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ख) (i) बीमारी लाभ को बढ़ाया जाएगा यदि व्यक्ति को निगम द्वारा कोड के तहत बनाए गए विनियमों में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक बीमारियों से पीड़ित होने का निदान किया जाता है, बशर्ते कि बीमित व्यक्ति ने **चार** योगदान अवधि तत्काल पूरी की हो उस अवधि की शुरुआत से पहले जिसमें रोग का निदान किया जाता है और उपरोक्त चार अवधियों में 156 दिनों की अवधि के लिए योगदान का भुगतान किया गया है और वह उपर्युक्त चार अंशदायी अवधियों में से कम से कम एक में बीमारी के लाभ का दावा करने के लिए पात्र है।

(ii) विस्तारित बीमारी लाभ केवल तभी दिया जाएगा जब बीमित व्यक्ति अन्यथा ऊपर दिए गए विस्तारित बीमारी लाभ का हकदार है, लेकिन उप-नियम (1) के तीसरे प्रावधान के तहत उसके कारण बीमारी लाभ समाप्त हो गया है या उप-नियम (1) के संदर्भ में बीमारी लाभ के लिए अयोग्य है।

(iii) बीमारी लाभ को अधिकतम 730 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसमें उप-नियम (1) के तीसरे प्रावधान के तहत बीमारी लाभ शामिल है, जो विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है।

(iv) विस्तारित बीमारी लाभ का दैनिक दर "मानक लाभ दर" का अस्सी प्रतिशत होगी।

(2) **मातृत्व लाभ-** (क) एक बीमित महिला को लाभ अवधि में होने वाली या मृत्यु होने की आशंका के लिए मातृत्व लाभ का दावा करने के लिए अर्हता प्राप्त होगी, यदि उसके संबंध में योगदान लगातार दो योगदान अवधि से पहले कम से कम सत्तर दिनों के लिए देय था।

(ख) कोड और विनियमों के प्रावधानों के अधीन, यदि कोई हो, एक बीमित महिला जो उप-नियम (1) के अनुसार मातृत्व लाभ का दावा करने के लिए योग्य है, उसे उप नियम (5) में निर्दिष्ट उन सभी दिनों के लिए, जिस पर वह छब्बीस सप्ताह की अवधि के दौरान पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करता है, जिसमें आठ सप्ताह से अधिक नहीं, परिरोध की अपेक्षित तिथि से पहले होगा, दैनिक दर पर इसे प्राप्त करने का अधिकार होगा। बशर्ते कि बीमित महिला की डिलीवरी के दौरान या उसकी डिलीवरी की तारीख के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, जिसके लिए वह मातृत्व लाभ की हकदार है, या तो ऐसे मामले में अपने पीछे बच्चे को छोड़ गई हो, प्रसूति लाभ का भुगतान उस पूरी अवधि के लिए किया जाएगा लेकिन यदि उक्त अवधि के दौरान बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है, तो बीमित महिला द्वारा नामांकित व्यक्ति को बच्चे की मृत्यु के दिन तक और उस दिन तक के लिए, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है, और यदि ऐसा कोई नामित व्यक्ति नहीं है तो उसके कानूनी प्रतिनिधि को देय होगा।

बशर्ते कि बीमित महिला बच्चे को जन्म के बाद प्रसूति के लिए बारह सप्ताह के मातृत्व लाभ की हकदार होगी, जैसा कि मामला हो सकता है:

बशर्ते कि बीमित महिला के दो या दो से अधिक जीवित बच्चे हो, बारह सप्ताह की अवधि के दौरान मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होगी, जिसमें परिरोध की अपेक्षित तिथि छह सप्ताह से अधिक नहीं होगी।

(ग) एक बीमित महिला जो उप-नियम (1) के अनुसार मातृत्व लाभ का दावा करने के लिए योग्य है, गर्भपात या चिकित्सा समाप्ति के मामले में, इस तरह के सबूत के प्रस्तुत करने पर उप-नियम (5) में निर्दिष्ट दरों पर मातृत्व लाभ के लिए हकदार हो सकती है, उन सभी दिनों के लिए, जिस पर वह छह सप्ताह की अवधि के दौरान पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करती है, उसके गर्भपात या गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की तारीख, जैसा कि विनियमों के तहत आवश्यक हो सकता है।

(घ) एक बीमित महिला, जो गर्भावस्था, परिरोध, बच्चे के समय से पहले जन्म या गर्भपात या गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन से उत्पन्न बीमारी के मामले में उप-नियम (1) के अनुसार मातृत्व लाभ का दावा करने के लिए योग्य है, विनियमों के तहत इस तरह से सबूत पेश करने की आवश्यकता हो सकती है, वह हकदार होगी। मातृत्व लाभ के अलावा उसे कोड के किसी अन्य प्रावधान के तहत देय, सभी दिनों के लिए जिस पर वह उप-नियम(5) में निर्दिष्ट दरों पर मातृत्व लाभ के पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करती है जो कि एक महीने से अधिक की अतिरिक्त अवधि न हो।

(ङ) किसी लाभ अवधि के दौरान होने वाली परिरोध या होने वाली अपेक्षा के संबंध में देय मातृत्व लाभ की दैनिक दर, संबंधित अंशदान अवधि के दौरान बीमित महिला के संबंध में मानक लाभ दर के बराबर होगी, जो अगले उच्चतर रुपये के लिए होगी।

(3) परिरोध व्यय - एक बीमित महिला और एक बीमित व्यक्ति उसकी पत्नी के संबंध में को परिरोध व्यय के कारण चिकित्सा बोनस के रूप में प्रति मामला **सात हजार पांच सौ रुपये** का भुगतान किया जाएगा:

बशर्ते कि परिरोध उस स्थान पर होता है जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं:

बशर्ते कि केवल दो परिरोधों के लिए परिरोध व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(4) अक्षमता लाभ- (क) एक व्यक्ति को कोड के तहत एक कर्मचारी के रूप में निर्वाह किए गए ऐसे विकलांगता की अवधि के लिए तीन दिनों से कम समय (दुर्घटना के दिन को छोड़कर) के लिए अस्थायी विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ का दावा करने के लिए योग्य होगा।

(ख) एक व्यक्ति को कोड के तहत एक कर्मचारी के रूप में स्थायी विकलांगता के लिए आवधिक भुगतान का दावा करने के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी, चाहे वह, ऐसी विकलांगता के लिए पूर्ण या आंशिक हो:

बशर्ते कि स्थायी अक्षमता, चाहे कुल या आंशिक, का आकलन सीमित अवधि के लिए अनंतिम रूप से किया गया हो या अंत में, इस नियम के तहत प्रदान किया गया लाभ उस सीमित अवधि के लिए, या जैसा भी मामला हो, जीवन के लिए देय होगा। (सी) विकलांगता लाभ की दैनिक दर लाभ अवधि में लाभ की अवधि के अनुसार मानक लाभ दर का नब्बे प्रतिशत होगी जिसमें रोजगार की चोट होती है, जो अगले उच्च रुपये के लिए होती है:बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति के संबंध में पहले लाभ की अवधि शुरू होने से पहले रोजगार की चोट होती है, तो विकलांगता की दैनिक दर निम्न होगी –

- (i) जहां कोई व्यक्ति अंशदायी अवधि में पहली मजदूरी की अवधि समाप्त होने के बाद रोजगार की चोट का सामना करता है, जिसमें चोट लगती है, उस मजदूरी अवधि में उसकी औसत दैनिक मजदूरी का नब्बे प्रतिशत, अगले उच्च रुपये तक पहुंच जाता है;
- (ii) जहां कोई व्यक्ति अंशदायी अवधि में पहले वेतन अवधि की समाप्ति से पहले रोजगार की चोट का सामना करता है जिसमें चोट लगती है, नब्बे प्रतिशत मजदूरी वास्तव में अर्जित की जाती है या जो अर्जित की जाती थी, दुर्घटना की तारीख को क्या उसने पूरे दिन काम किया था, अगले उच्च रुपये तक होगा। स्पष्टीकरण। - पूर्वोक्त रूप में गणना की गई विकलांगता लाभ को "पूर्ण दर" कहा जाएगा।

विकलांग व्यक्ति को विकलांगता लाभ निम्नानुसार देय होंगे:

(i) अस्थायी विकलांगता के लिए, पूर्ण दर पर;

(ii) पूर्ण दर पर स्थायी कुल विकलांगता के लिए;

(iii) चौथा अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट चोट के कारण स्थायी आंशिक अपंगता के लिए, पूर्ण दर के ऐसे प्रतिशत पर जो स्थायी कुल अपंगता के मामले में देय होगा, जैसा कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। चोट के कारण कमाई क्षमता का नुकसान का प्रतिशत;

(iv) चौथी अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट चोट के कारण स्थायी आंशिक अपंगता के लिए, स्थायी कुल अपंगता के मामले में देय पूर्ण दर के प्रतिशत पर, जो चोट के कारण स्थायी रूप से अर्जित आय क्षमता के नुकसान के अनुपात में है।

स्पष्टीकरण - जहां एक ही दुर्घटना के कारण एक से अधिक चोटें आती हैं, लाभ देय समूह (ग) और

(घ) की दर को एकत्र किया जाएगा, लेकिन किसी भी मामले में पूरी दर से अधिक नहीं होना चाहिए इस तरह की दर से समूह (क), (ख), (ग) और (घ) द्वारा कवर किए गए विकलांगता के मामलों में, पूर्ण दर से अधिक नहीं, जैसा कि विनियमों में प्रदान किया जा सकता है।

(5**) आश्रित के लाभ**- (क) आश्रित के लाभ को बीमित व्यक्ति के आश्रितों को भुगतान किया जाएगा जो निम्न प्रकार से रोजगार की चोट के परिणामस्वरूप मर जाता है:

(ख) बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, आश्रितों का लाभ उनकी विधवा, बच्चों और विधवा मां को देय होगा:

(i) पुनर्विवाह तक जीवन के दौरान विधवा के लिए, पूरी दर के तीन-पाँचवें के बराबर राशि और, अगर दो या अधिक विधवाएँ हैं, तो पूर्वोक्त रूप से विधवा को देय राशि को विधवाओं के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा;

(ii) प्रत्येक वैध या दत्तक पुत्र के लिए, पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पूरी दर के दो-पाँचवें हिस्से के बराबर राशि:

बशर्ते कि एक वैध या दत्तक पुत्र के मामले में, जो विभक्त है और जो अपनी मृत्यु के समय बीमित व्यक्ति की कमाई पर पूरी तरह से निर्भर है, आश्रितों के लाभों का भुगतान किया जाना जारी रहेगा, जबकि दुर्बलता बनी रहती है;

(iii) प्रत्येक वैध या गोद ली हुई अविवाहित बेटी, दो-पाँचवें या पूरी दर के बराबर राशि:

बशर्ते कि वैध या दत्तक पुत्री के मामले में, जो विभक्त है और अपनी मृत्यु के समय बीमित व्यक्ति की कमाई पर पूरी तरह से निर्भर है, आश्रितों के लाभ का भुगतान किया जाना जारी रहेगा, जबकि दुर्बलता बनी रहती है: बशर्ते कि अगर विधवा या विधवा और वैध या गोद लिए गए बच्चों और मृतक व्यक्ति की विधवा मां के बीच कुल आश्रितों का लाभ किसी भी समय पूर्ण दर से अधिक हो, तो आश्रितों में से प्रत्येक का हिस्सा आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा, ताकि उनके लिए देय कुल राशि पूरी दर पर विकलांगता लाभ की राशि से अधिक न हो।

(iv) जीवन के दौरान विधवा माँ को पूरी दर के दो-पाँचवें हिस्से के बराबर राशि।

(ग) यदि मृत व्यक्ति विधवा या वैध या गोद लिए गए बच्चे को नहीं छोड़ता है या विधवा माँ आश्रितों को लाभ अन्य आश्रितों को देय होगा:

(i) जीवन के लिए विधुर, पूर्ण दर के तीन दसवें के बराबर राशि;

(ii) विधवा माँ या दादा-दादी के अलावा किसी अन्य माता-पिता को, जीवन के लिए, पूर्ण दर के तीन-दसवें हिस्से के बराबर राशि पर और यदि दो या अधिक माता-पिता (विधवा माँ के अलावा) या दादा-दादी के लिए देय राशि देय हो माता-पिता (विधवा मां के अलावा) या दादा-दादी जैसे कि पूर्वोक्त उनके बीच समान रूप से विभाजित होंगे।

(iii) किसी अन्य को –

I. पुरुष आश्रित, जब तक वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता,

(ii) महिला आश्रित, जब तक वह अठारह वर्ष की आयु या विवाह से पहले तक, जो भी पहले हो या विधवा हो, जब तक कि वह अठारह वर्ष की आयु या फिर से विवाह न कर ले, जो भी पहले हो पूरी दर के दो-दसवें हिस्से के बराबर राशि पर:

बशर्ते कि उप-खंड (iii) के तहत एक से अधिक आश्रित हों तो इस धारा के तहत देय राशि उनके बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी।

(घ) आश्रित के लाभ की दैनिक दर नब्बे प्रतिशत होगी। नियोजन अवधि में लाभकारी अवधि के अनुरूप योगदान अवधि में मानक लाभ दर, जिसमें रोजगार की चोट होती है:

बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति के संबंध में पहले लाभ की अवधि शुरू होने से पहले रोजगार की चोट होती है, आश्रितों के लाभ की दैनिक दर होगी –

(i) जहां एक व्यक्ति योगदान अवधि में पहली मजदूरी अवधि समाप्त होने के बाद रोजगार की चोट का सामना करता है, जिसमें चोट नब्बे फीसदी होती है। उस औसत अवधि के दौरान उसकी औसत दैनिक मजदूरी, अगले उच्च रुपये तक पहुंच गई;

(ii) जहां कोई व्यक्ति योगदान अवधि में पहले वेतन अवधि की समाप्ति से पहले रोजगार की चोट का जायजा लेता है, जिसमें चोट नब्बे प्रतिशत होती है। मजदूरी वास्तव में अर्जित की गई थी या जो अर्जित की गई होगी उसने दुर्घटना की तिथि पर पूरे एक दिन के लिए काम किया था, अगले उच्चतर रुपये के लिए:

बशर्ते कि मृतक कर्मचारी के सभी पात्र आश्रितों के लिए आश्रितों के लाभ के मासिक मासिक भुगतान की न्यूनतम कुल राशि, निगम द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

24. वह सीमा जिसके भीतर निगम कर्मचारियों के राज्य बीमा कोष से धारा 33 के तहत व्यय कर सकता है। - बीमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण के सुधार के उपायों के प्रचार के लिए और बीमा व्यक्तियों के पुनर्वास और पुन: रोजगार के लिए जो विकलांग या घायल हो गए हैं, निगम प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपये की सीमा तक व्यय कर सकता है या कर्मचारी राज्य बीमा कोष से समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। 25. वह समय और समय जिसके भीतर बीमित व्यक्ति या निगम धारा 37 के मेडिकल बोर्डंडर क्लॉज (ए) के निर्णय के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं।- (1) मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल से अपील- (ए) बीमित व्यक्ति या निगम मेडिकल बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, बीमित व्यक्ति या निगम धारा 37 की उप-धारा (7) में निर्दिष्ट मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल को इस तरह के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। बीमित व्यक्ति या निगम को उक्त निर्णय के संप्रेषण की तिथि से नब्बे दिन, जैसा भी मामला हो:

बशर्ते कि मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल नब्बे दिनों की अवधि के बाद एक आवेदन पर विचार कर सकता है, अगर यह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन, इस तरह के रूप में होगा जैसा कि विनियमन में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) आवेदन को पंजीकृत पद से चिकित्सा अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को भेजा जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।

26. समय और समय जिसके भीतर बीमाकृत व्यक्ति या निगम द्वारा धारा 37 (उप) के खंड (7) धारा 37 के तहत कर्मचारी अपील बीमा न्यायालय में दूसरी अपील दायर की जा सकती है।- (1) बीमित व्यक्ति या कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस कोर्ट में अपील कर सकता है कि मेडिकल बोर्ड या मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल के निर्णय के तीन महीने के भीतर एक आवेदन प्रस्तुत करके बीमित व्यक्ति या निगम के पास ले जा सकता है।

बशर्ते कि कर्मचारी बीमा न्यायालय तीन महीने की अवधि के बाद एक आवेदन परविचारकर सकता है, अगर यह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

(2) कर्मचारी बीमा न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और तरीकों के संबंध में नियम इस नियम के तहत प्रस्तुत आवेदनों पर लागू होंगे।

27. चिकित्सा लाभ का दावा करने के लिए एक बीमित व्यक्ति और उसके परिवार की योग्यता और ऐसी शर्तें जिनके अधीन लाभ दिया जा सकता है और धारा 39 की उपधारा (3) के तहत और अंशदान की अवधि और अवधि और योगदान और अन्य भुगतान तीसरे अनंतिम शर्तों के तहत शर्तें- (1) किसी व्यक्ति को किसी भी अवधि के दौरान चिकित्सा लाभ का हकदार होगा, जिसके लिए योगदान या उसके संबंध में देय हैं या जिसमें वह बीमारी लाभ या मातृत्व लाभ का दावा करने के लिए योग्य है।

(2) एक व्यक्ति जो विकलांगता लाभ की प्राप्ति में है, वह चिकित्सा लाभ का हकदार होगा, जबकि वह इस तरह के लाभ की प्राप्ति में है।

बशर्ते कि विकलांगता को स्थायी अक्षमता घोषित किए जाने के बाद, व्यक्ति चिकित्सा लाभ का हकदार नहीं होगा, अगर वह अन्यथा इस तरह के लाभ का हकदार नहीं है, तो किसी भी चिकित्सा उपचार के संबंध में, जो रोजगार की चोट के कारण आवश्यक हो सकता है जिससे अपंगता उत्पन्न हुई।

(3) पहली बार बीमित व्यक्ति बनने पर कोई व्यक्ति 3 महीने की अवधि के लिए चिकित्सा लाभ का हकदार होगा, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति 3 महीने या उससे अधिक समय तक किसी प्रतिष्ठान का कर्मचारी बना रहे, जिसके लिए अध्याय IV कोड लागू होता है, वह संबंधित लाभ अवधि की शुरुआत तक चिकित्सा लाभ का हकदार होगा।

(4) जिस व्यक्ति के योगदान के संबंध में योगदान राशि का भुगतान अदायगी अवधि में सत्तर से कम दिनों के लिए नहीं किया गया है, वह संबंधित लाभ अवधि के अंत तक चिकित्सा लाभ का हकदार होगा:

बशर्ते कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पहली बार संहिता के अर्थ में कर्मचारी बने, और जिसके लिए 156 दिनों से कम समय का अल्प अंशदान अवधि उपलब्ध हो, वह अंत तक चिकित्सा लाभ का हकदार होगा। यदि इस तरह के अंशदायी अवधि में काम करने के लिए उपलब्ध दिनों की संख्या के आधे से भी कम दिनों के लिए देय नहीं है, तो इसी लाभ की अवधि।

(5) जब कोई व्यक्ति नियम 23 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के प्रावधान के अनुसार बीमारी लाभ के विस्तार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेता है और संबंधित विषय के अंत तक वह चिकित्सा लाभ का हकदार होगा उस विषय पर किए गए नियम लाभ की अवधि।

(6) एक बीमित व्यक्ति, जिसका चिकित्सा लाभ का शीर्षक इस नियम के तहत समाप्त हो गया है, फिर से एक कर्मचारी द्वारा कोड के अध्याय IV के तहत एक कर्मचारी के रूप में अपने पुन: रोजगार की तारीख से चिकित्सा लाभ का हकदार होगा, जिसके लिए कोड निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकरण पर तुरंत लागू होता है। ऐसे बीमित व्यक्ति को, जब तक कि वह उप-नियम (डी) या (ई) से आच्छादित न हो, तब तक वह चिकित्सा लाभ पाने का हकदार हो, जब तक कि वह अंशदायी अवधि के अनुरूप लाभकारी अवधि शुरू न हो जाए, जब तक वह पुन: नियोजित न हो।

(7) एक बीमित व्यक्ति का परिवार ऐसी तारीख से चिकित्सा लाभ का हकदार बन जाएगा जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है और यह तब तक जारी रहेगा, जब तक बीमित व्यक्ति अपने लिए या किसी अन्य के लिए चिकित्सा लाभ प्राप्त करने का हकदार हो या बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थितिमेंउस तिथि तक बनीं रहेगी जब तक की बीमित व्यक्ति के स्वयं के जीवित रहने पर बनी रहती।

(8) एक बीमित व्यक्ति और उसका परिवार केवल इस तरह के चिकित्सा लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा और इस तरह के पैमाने पर राज्य सरकार या निगम द्वारा प्रदान किया जा सकता है जैसा कि मामला हो सकता है, और एक बीमित व्यक्ति या उसका परिवार किसी भी चिकित्सा उपचार का दावा करने का अधिकार नहीं है, जैसे कि डिस्पेंसरी, अस्पताल, क्लिनिक या अन्य संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है, जहां उसे या उसके परिवार को आवंटित किया जाता है, या विनियमों द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

(9) कोड में ऐसा कुछ भी नहीं की एक बीमित व्यक्ति को उसके परिवार को किसी भी चिकित्सा उपचार के संबंध में किए गए किसी भी खर्च के निगम से प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए हकदार होगा, सिवाय इसके कि विनियमों द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

(10) एक बीमित व्यक्ति जो रोजगार में चोट के कारण स्थायी अक्षमता के कारण बीमा योग्य रोजगार में नहीं रह पाता है धारा (ज) तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत निर्धारित पैमाने पर अपने और अपने पति या पत्नी के लिए चिकित्सा लाभ - बशर्ते की -

(i) ऐसे बीमित व्यक्ति द्वारा प्रमाण का उत्पादन कि वह ऐसे अधिकारी की संतुष्टि के लिए रोजगार में चोट के कारण स्थायी अक्षमता के कारण बीमा योग्य रोजगार में होना बंद हो जाता है, जैसे कि निगम द्वारा अधिकृत किया जा सकता है; तथा

(ii) इसके द्वारा निर्धारित तरीके से निगम के संबंधित कार्यालय को अग्रिम में एक वर्ष के लिए एकमुश्त पचास रुपये प्रति माह की दर से अंशदान का भुगतान।

28. धारा 40- (9) की उपधारा (6) के तहत बीमारी, मातृत्व और रोजगार के दौरान चोट के मामले में कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी जैसे कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करने के लिए संगठन की संरचना, कार्य, शक्तियां और गतिविधियां। राज्य सरकार ऐसे संगठन की स्थापना कर सकती है जो कोड की धारा 40 (1) की उपधारा (5) के संदर्भ में एक प्रबंधकीय और स्वास्थ्य देखभाल निकाय के रूप में काम करेगी।

(2) सोसायटी में शासी निकाय, कार्यकारी समिति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिवालय शामिल होंगे।

(3) सोसायटी को राज्य विशिष्ट सोसायटी पंजीकरण अधिनियम और राज्यों विशिष्ट सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा। (4) सोसायटी के शासी निकाय का गठन: - शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: -

- (i) अध्यक्ष के रूप में राज्य के मुख्य सचिव;
- (ii) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव (श्रम / स्वास्थ्य) * उपाध्यक्ष के रूप में;
- (iii) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव (स्वास्थ्य / श्रम) * सदस्य के रूप में ऊपर (ii) के अलावा अन्य;
- (iv) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (वित्त);
- (v) सीईओ-सह- ईएसआई सदस्य सचिव के रूप में राज्य के निदेशक ईएसआई सेवाएं;
- (vi) सदस्य के रूप में निगम द्वारा नामित;
- (vii) सदस्य के रूप में तीन नियोक्ता प्रतिनिधियों को निगम द्वारा नामित किया जाना है;
- (viii) सदस्य के रूप में निगम द्वारा नामित तीन कर्मचारी प्रतिनिधि;
- (ix) सदस्य के रूप में क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम;
- (x) सदस्य के रूप में राज्य चिकित्सा अधिकारी, ईएसआईसी।

*** स्पष्टीकरण: -** अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव (श्रम / स्वास्थ्य) जो भी राज्य में ईएसआई योजना की देखरेख कर रहा है, वह उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(5) सोसायटी के मामलों का प्रबंधन शासी निकाय को सौंपा जाएगा और संस्था की संपत्ति को शासी निकाय में निहित किया जाएगा और संस्था की संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए संस्था जिम्मेदार होगा। और शासी निकाय द्वारा निहित होगा।

(6) सोसाइटी के पास एक कार्यकारी समिति भी होगी जो शासी निकाय की ओर से उसका कार्य देख्गी व कार्य करेगी। कार्यकारी समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

- (i) राज्य में ईएसआईसी की देखरेख कर अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (श्रम / स्वास्थ्य) अध्यक्ष के रूप में,
- (ii) उपाध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष के अलावा, अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य / श्रम) रहे,
- (iii) सदस्य के रूप में अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव (वित्त),
- (iv) राज्य के सदस्य के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय मुख्य निदेशक,
- (v) सदस्य के रूप में ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक;
- (vi) सदस्य के रूप में ईएसआईसी के राज्य चिकित्सा अधिकारी;
- (vii) सदस्य के रूप में एक नियोक्ता प्रतिनिधि;
- (viii) सदस्य के रूप में एक कर्मचारी प्रतिनिधि।
- (ix) निदेशक राज्य ईएसआई योजना, कार्यकारी समिति के सीईओ सह सदस्य सचिव होंगे।

(7) एक तिहाई या कम से कम तीन, जो भी शासी निकाय या कार्यकारी समिति के सदस्यों के पद ज्यादा में भरे हुए है, उनकी बैठक के लिए कोरम का गठन करेगी। शासी निकाय या कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णय के लिए आने वाला प्रत्येक मामला, जैसा भी हो, बैठक के समय बहुमत में उपस्थित व्यक्तियों और मतदान द्वारा और वोटों की समानता के मामले में बैठक के अध्यक्ष बैठक में अतिरिक्त वोटिंग करेंगे। (8) शासी निकाय साल में कम से कम दो बार बैठक करेगा और कार्यकारी समिति हर तीन महीने में बैठक करेगी। अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, गवर्निंग बॉडी या कार्यकारी समिति के उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, बैठक में अध्यक्षता करेंगे।

(9) सोसाइटी एक सचिवालय की स्थापना करेगी जो सोसायटी की गतिविधियों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।

(10) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शासी निकाय प्राधिकृत किया जा सकता है ताकि वह सोसायटी के व्यवसाय के संचालन राज्य सरकार के मानकों के अनुसार सही हो, संस्थान की ओर से ऐसे संविदा का निष्पादन कर सके।

(11) सोसायटी प्रत्येक वर्ष के 10 दिसंबर तक अपना बजट प्रस्तुत करेगी। सोसायटी के खातों का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष ऑडिट किया जाएगा।

(12) सोसायटी का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा।

(13) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष का वित्तीय विवरण वर्ष के 31 मई तक तैयार किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के बंद होने के छह महीने के भीतर वार्षिक खातों के साथ एक वार्षिक रिपोर्ट निगम को प्रस्तुत की जाएगी।

(14) एक राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले जाने वाले के लिए इसमें एक बैंक खाता सोसाइटी का नाम होगा। सोसायटी शासी निकाय की मंजूरी के अधीन भारतीय या विदेशी मुद्रा में या तो अनुदान, दान, अंशदान, सदस्यता, वसीयत, शुल्क, ऋण या आकस्मिक धनराशि प्राप्त करने की हकदार होगी।

(15) गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। कोई भी गैर-आधिकारिक सदस्य दो से अधिक अवधि के लिए सोसायटी के सदस्य का हकदार नहीं होगा।

(16) संबंधित मामले के संदर्भ में, अवसर को देखते हुए शासी निकाय द्वारा नियुक्त सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसे अन्य सदस्यों के नाम पर मुकदमा दायर किया जा सकता है या मुकदमा चलाया जा सकता है।

(17) सोसायटी राज्य सरकार या पीएसयू या केंद्र सरकार या निगम से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखेगी और उनके पेंशन देनदारियां, यदि कोई हो, संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के पास होगा ।

(18) सोसाइटी किसी अन्य गतिविधि को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा या निगम द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

29. बीमा के लिए विस्तारित अवधि, संतुष्टि का तरीका और धारा 42 की उप-धारा (1) के तहत कर्मचारी को देय लाभ के पूंजीकृत मूल्य की गणना का तरीका। स्थायी विकलांगता लाभ और आश्रित लाभ का पूंजीकृत मूल्य होगा नियमों में प्रदान किए गए बीमित व्यक्ति की आयु के आधार पर गुणन कारक के साथ लाभ की दैनिक दर को गुणा करके गणना की जाती है।

30. नियम और शर्तें जिनके अधीन अन्य लाभार्थियों के लिए योजना धारा 44 के तहत संचालित की जा सकती है। -संहिता की धारा 44 के तहत अन्य लाभार्थियों के लिए योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें और निगम द्वारा समय समय उपयोगकर्ता शुल्क पर अनुमोदित किए जाएंगे।

31. कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करने का तरीका, धारा 51 (1) की उप-धारा (1) के तहत फीस और प्रक्रिया। निगम पीड़ित व्यक्ति या एक प्रतिष्ठान के नियोक्ता जैसा भी मामला हो के आवेदन द्वारा कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की जाएगी।

(2) इस संहिता के अध्याय IV प्रावधानों और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, कर्मचारी बीमा अदालत के समक्ष सभी कार्यवाहियों को उस स्थानीय क्षेत्र के लिए नियुक्त न्यायालय में स्थापित किया जाएगा जिसमें बीमित व्यक्ति प्रश्न के समय कार्य कर रहा था या विवाद हुआ था।

(3) यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि पहले से लंबित किसी कार्यवाही से उत्पन्न कोई भी मामला उसी राज्य में किसी अन्य कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा अधिक आसानी से निपटा जा सकता है, तो यह राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी
भी नियम के अधीन हो सकता है, इस तरह के मामले को निपटान के लिए इस तरह के अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दें और उस मामले से जुड़े रिकॉर्ड को ऐसे अन्य न्यायालय को प्रेषित कर दें।

(4) राज्य सरकार किसी भी कर्मचारी के बीमा न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले को किसी अन्य राज्य में उस राज्य के राज्य सरकार की सहमति से किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित कर सकती है।

(5) किसी भी मामले को उप-नियम (3) या उप-नियम (4) के तहत स्थानांतरित किया जाता है, तो अदालत कार्यवाही को जारी रखेगी जैसे कि वे मूल रूप से इसमें स्थापित किए गए थे।

32. धारा 155 (1) की उप-धारा (2) के खंड (यब) के तहत नियम: बैंक या बैंकों को निधि जमा करने के लिए - निधि के लिए एकत्र किए जाने वाले या देय सभी धनराशि निगम इस कार्य हेतु अपने द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाएगी। जितनी राशि प्राप्त होगी, उतनी ही व्यावहारिक रूप से उसकी रसीद इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा ऐसे रूप में की जाएगी, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित बैंकों में निधि के खाते में जमा किया जा सकता है;

बशर्ते फंड जमा करने के लिए कि इस तरह के बैंक या बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी एजेंसी व्यवसाय के लिए प्राधिकृत कोई अनुसूचित बैंक होंगे।

स्पष्टीकरण - (क) "राष्ट्रीयकृत बैंक" का अर्थ है (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) बैंकिंग कंपनियों के लिए पहली अनुसूची में निर्दिष्ट एक नया बैंक या (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40)] पहली अनुसूची में निर्दिष्ट एक नया बैंक।

(ख) "अनुसूचित बैंक" का अर्थ है एक अनुसूचित बैंक जिसे धारा 42 में संदर्भित किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है;

(ग) "सरकारी एजेंसी व्यवसाय के लिए अधिकृत बैंक" का अर्थ है वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा अधिसूचित बैंक कार्यालय ज्ञापन संख्या एस-11021/1 (20)/रैल/2008 /RBD /2018, दिनांक 7 दिसंबर, 2016 , समय-समय पर संशोधित किया गया। "

(2) बैंकों को धन जमा करने की प्रक्रिया- (क) निगम हेतु एकत्र की जाने वाली या देय सभी धनराशि स्वीकृत बैंक या बैंकों को जमा की जाएगी और किसी भी प्रयोजन के लिए सीधे उपयोग नहीं की जाएगी।

(ख) बैंक या बैंकों को प्रत्येक केलेन्डर माह के अंत में, माह के दौरान निधि को जमा करने तथा निकासी करने संबंधी विवरणी निगम या उनकी ओर से उनके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इन विवरिणयों की जांच महानिदेशक द्वारा विवरणी की अवधि के दो महीने की अवधि की समाप्ति के पूर्व की जाएगी।

(3) **निधि में से भुगतान करने की पद्धति-** (क) निगम के अनुमोदन के साथ निधि के लेखों को स्थायी समिति द्वारा यथा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा परिचालन किया जाएगा।

(ख) खंड (क) के अंतर्गत यथा प्राधिकृत ऐसे अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित चेक को छोड़कर बैंक या बैंकों द्वारा निधि से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ग) एक हजार रुपये से अधिक किसी भी भुगतान को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पूर्वोक्त रूप में हस्ताक्षरित चेक के माध्यम से तथा किसी और रूप से नहीं किया जाएगा जब तक कि विशेष रूप से स्थायी समिति द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया हो।

(घ) जब तक व्यय को चालू बजट अनुदान द्वारा कवर नहीं किया जाता है, तब तक कोई भुगतान निधि में से नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि चालू बजट अनुदान की अनुपस्थिति में निगम या तो सामान्य रूप से या किसी विशिष्ट मामले हेतु प्राधिकृत कर सकता है: बशर्ते कि संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को लाभों का भुगतान और विधिवत संस्वीकृत पदों के वेतन और भत्ते संस्वीकृत बजट अनुदान की मांग हेतु रोका नहीं जाएगा।

(4) परिस्थितियाँ जिनमें चेक निकाला जा सकते हैं। - उपनियम (3) के तहत प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति एक चेक पर हस्ताक्षर करता है या एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करता है, वह खुद को संतुष्ट करेगा कि वह राशि जिसके लिए चेक निकाला गया है -

(i) एक उद्देश्य या काम के लिए आवश्यक है जो विशेष रूप से उचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत और वर्तमान बजट अनुदान द्वारा कवर किया गया है; तथा

(ii) संहिता की धारा 26 के तहत निर्दिष्ट और संदर्भित किसी भी भुगतान के लिए आवश्यक है:

बशर्ते कि वर्तमान बजट अनुदान के न होने पर, निगम आम तौर पर या किसी विशेष मामले के लिए भुगतान को अधिकृत कर सकता है:

बशर्ते कि संहिता के प्रावधानों के तहत बीमित व्यक्तियों को लाभ का भुगतान और विधिवत स्वीकृत पदों के वेतन और भत्ते को स्वीकृत बजट अनुदान के लिए रोका जाएगा।

(5) वार्षिक बजट अनुमानों की तैयारी और प्रस्तुत करना- (क) अप्रैल से पहले से शुरू होने वाले और अगले मार्च के इकतिसवें दिन समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष हेतु निगम के बजट का अनुमान वित्तीय आयुक्त द्वारा इस तरह तैयार किया जाएगा। जैसा कि केंद्र सरकार समय-समय पर, प्रत्यक्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की पहली फरवरी से पहले आयोजित होने वाली स्थायी समिति की बैठक में अनुमोदन के लिए महानिदेशक द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) बजट अनुमानों की एक प्रति स्थायी समिति या निगम के प्रत्येक सदस्य को स्थायी समिति या निगम की बैठक से कम से कम सात स्पष्ट दिनों से पहले भेजी जाएगी, जिस पर इन अनुमानों पर विचार किया जाना है।

(ग) स्थायी समिति इस तरह के बदलावों के साथ बजट अनुमानों पर विचार और अनुमोदन करेगी क्योंकि यह आवश्यक हो सकता है।

(घ) स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान पूर्ववर्ती वर्ष के फरवरी के बीसवें से पहले आयोजित होने वाली निगम की बैठक से पहले रखा जाएगा।

(ड़) निगम द्वारा पारित बजट अनुमानों को निगम की आम मुहर को प्रमाणित करके प्रमाणित किया जाएगा और धारा

117, के तहत केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, बाद में अगले मार्च के पहले की तुलना में नहीं।

(च) यह बजट अनुमानों में ऐसे परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार के लिए खुला होगा जो अनुमोदन के अनुसार आवश्यक माना जा सकता है।

(छ) निगम द्वारा और अंतत: केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत बजट अनुमानों को वित्तीय वर्ष से पहले मार्च के महीने में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा संसद के समक्ष रखा जाएगा, जिसका अनुमान संबंधित है और जिसे प्रकाशित किया जाएगा। सरकारी राजपत्र।

(6) अनुपूरक अनुमान- यदि किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में आगे व्यय व्यय होने की संभावना है तो स्थायी समिति एक पूरक अनुमान तैयार कर निगम को प्रस्तुत कर सकती है। इस तरह के प्रत्येक पूरक अनुमान पर निगम द्वारा विचार किया जाएगा और मंजूरी दी जाएगी और केंद्र सरकार को उसी तरह से प्रस्तुत किया जाएगा जैसे कि यह एक मूल वार्षिक अनुमान तैयार किया जाता है, संबंधित वित्तीय वर्ष की पंद्रह फरवरी के पूर्व। नियम 39 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस तरह के पूरक अनुमान पर लागू होते हैं।

(7) पुन: विनियोग- (क) यदि महानिदेशक उस वर्ष के दौरान पाता है कि किसी शीर्ष के अधीन स्वीकृत बजट अनुमान से अधिक व्यय की संभावना है, तो वह बजट अनुमान के प्रत्येक शीर्ष के अधीन आबंटन की जाँच करेगा। किसी अन्य शीर्ष के तहत संभावित बचत की खोज और पुन: विनियोजन को प्रभावित करने वाले बजट अनुमान के प्रत्येक शीर्ष के आबंटन की जांच करेगा। जहां इस तरह का पुन: विनियोजन संभव है, वह केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर रखी जाने वाली ऐसी शर्तों के अधीन पुन: विनियोग को मंजूरी दे सकता है।

(ख) केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के अलावा बजट अनुमानों में विचार नहीं की गई एक नई सेवा पर व्यय को पूरा करने के लिए फंड को पुन: विनियोजित नहीं किया जाएगा।

(ग) प्रशासनिक व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान में पुन: विनियोजन की अनुमति नहीं होगी, जिसमें से दो-तिहाई वहन केंद्र सरकार करेगी और अन्य व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान द्वारा किया जाएगा।

<u>अध्याय V</u>

<u> उपदान</u>

33. बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान जिसमें धारा 53 की उप-धारा (1) के तहत तीसरे प्रावधान के तहत नाबालिग के लाभ के लिए ग्रेच्युटी का निवेश किया जाएगा। नॉमिनी या वारिस के मामले में, जो नाबालिग है, सक्षम प्राधिकारी भारतीय स्टेट बैंक या नेशनल बैंक के साथ सावधि जमा में ऐसे नाबालिग के लाभ के लिए उसके साथ जमा की गई ग्रेच्युटी राशि का निवेश करेगा।

स्पष्टीकरण - "राष्ट्रीयकृत बैंक" का अर्थ है बैंकिंग कंपनियों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट एक नया बैंक (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) या बैंकिंग कंपनियों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट एक नया बैंक। (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40)।

34. उप-धारा (1) के तहत एक कर्मचारी द्वारा नामांकन का समय, फॉर्म और तरीके (उप-धारा (4) के तहत नया नामांकन करने का समय, उप-धारा (5) के तहत नामांकन के संशोधन का रूप और तरीका) और धारा 55 की उप-धारा (6) के तहत नए नामांकन के लिए फॉर्म। नामांकन - (1) एक नामांकन फॉर्म-III में होगा और कर्मचारी द्वारा डुप्लीकेट या तो व्यक्तिगत सेवा में, उचित रसीद लेने के बाद या नियोक्ता को नियत या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक पावती द्वारा प्रस्तुत करेगा।

(i) ऐसे कर्मचारी के मामले में, जो इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि पर एक वर्ष या उससे अधिक के लिए पहले से ही नियोजित है, लेकिन ऐसी तिथि से नब्बे दिनों के भीतर, आमतौर पर, नामांकन प्रस्तुत नहीं किया जाता है; तथा

(ii) एक कर्मचारी के मामले में, जो इन नियमों के शुरू होने की तारीख के बाद सेवा का एक वर्ष पूरा करता है, जो सामान्यतया सेवा के एक वर्ष पूरा होने के तीस दिनों के भीतर होता है:

बशर्ते कि **प्रपत्र- III** में नामांकन निर्दिष्ट अवधि के बाद नियोक्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा, अगर दायर किया गया है और कोई नामांकन स्वीकार नहीं किया गया है तो यह केवल इसलिए अमान्य होगा क्योंकि यह निर्दिष्ट अवधि के बाद दायर किया गया था।

(2) उप-नियम (1) के तहत **फॉर्म-III** में नामांकन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, नियोक्ता को कर्मचारी के सेवा विवरण प्राप्त होंगे, जैसा कि नामांकन के रूप में उल्लेख किया गया है, को प्रतिष्ठान के अभिलेखों के संदर्भ में सत्यापित और कर्मचारी को वापसी के पश्चात एक रसीद प्राप्त करने के बाद, **फॉर्म-III** में नामांकन की डुप्लिकेट कॉपी विधिवत रूप से नियोक्ता या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाती है जो कि नियोक्ता द्वारा नामांकन की रिकॉर्डिंग के टोकन के रूप में रखा जाएगा और नामांकन की दूसरी प्रति दर्ज की जाएगी।

 (3) एक कर्मचारी जिसके पास नामांकन करने के समय कोई परिवार नहीं है, परिवार होने के 90 दिनों के भीतर उप-नियम (1) में निर्दिष्ट एक नया नामांकन, जैसा कि उप-धारा के तहत आवश्यक है (4) सेक्शन 55 की, नियोक्ता को फॉर्म-III में डुप्लिकेट और उसके बाद उप-नियम (2) के प्रावधान म्यूटिस म्यूटेंडिस को लागू करेंगे जैसे कि यह उप-नियम (1) के तहत किया गया था। (4) एक नामांकन के संशोधन की सूचना, उन मामलों सहित जहां एक नॉमिनी एक कर्मचारी को पूर्वनिर्धारित करता है, उसे उप-नियम (1) में निर्दिष्ट तरीके से नियोक्ता को **फॉर्म-III** में डुप्लिकेट में प्रस्तुत किया जाएगा, और उसके बाद उप के प्रावधान –उपनियम (2) म्यूटेटिस म्यूटेंडिस लागू करेगा।

(5) एक नामांकन या एक नया नामांकन या नामांकन के संशोधन की एक सूचना कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी या, यदि वह निरक्षर है, तो उसके अंगूठे का निशान कर्मचारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत पोस्ट पावती के कारण प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) एक नामांकन, नए नामांकन या नामांकन के संशोधन की सूचना नियोक्ता द्वारा प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगी।

35. वह समय जिसके भीतर और जिस रूप में उप-धारा (1) के तहत एक लिखित आवेदन किया जाएगा और धारा 56 की उपधारा (5) के खंड (बी) के तहत सक्षम प्राधिकारी को आवेदन का रूप - (1) ग्रेच्युटी के लिए आवेदन: (क) फॉर्म IV में नियोक्ता को, एक कर्मचारी जो कोड के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पात्र है, या कोई भी व्यक्ति, जो लिखित रूप में अधिकृत है, अपनी ओर से कार्रवाई करने के लिए, आमतौर पर, ग्रेच्युटी देय होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर लागू होगा।

बशर्ते कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख ज्ञात हो, कर्मचारी सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख के तीस दिनों से पहले नियोक्ता को आवेदन कर सकता है।

आगे यह प्रावधान किया जाता है कि नियतकालिक रोजगार पर नियुक्त कोई कर्मचारी उपदान के लिए पात्र होगा यदि वह संविदा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करता है और उसे 15 दिनों के वेतन की दर पर उपदान का भुगतान किया जाएगए जो उसके द्वारा प्रत्येक सेवा के पूर्ण किए गए वर्ष अथवा उसके कुछ भाग जो छ: माह से अधिक हो, के लिए उसके द्वारा आहरित अंतिम मजदूरी की दर पर आधारित होगा।

(ख) IV में नियोक्ता को एक कर्मचारी का नाम जो धारा 53 की उप-धारा (1) के तहत दूसरे प्रोविज़ो के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पात्र है, जो कि, ग्रैच्युटी की तारीख से तीस दिनों के भीतर, उसके लिए देय हो, **फॉर्म-**

बशर्ते कि संबंधित विवरण के साथ सादे कागज में एक आवेदन भी स्वीकार किया जाएगा। नियोक्ता ऐसे अन्य विवरण प्राप्त कर सकता है जो उसके द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है।

(ग) IV में नियोक्ता को एक कर्मचारी का कानूनी उत्तराधिकारी, जो धारा 53 की उप-धारा (1) के तहत दूसरे प्रोविज़ो के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पात्र है, आमतौर पर, ग्रेच्युटी की तारीख से एक वर्ष के भीतर, उसके लिए देय हो जाता है।

(घ) जहां इन नियमों के लागू होने से पहले संहिता के तहत ग्रेच्युटी देय हो जाती है, धारा (क), (ख) और (ग) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सीमा की अवधि को तारीख से ऑपरेटिव माना जाएगा।

(ड़) इस नियम में निर्दिष्ट अवधियों की समाप्ति के बाद दायर ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक आवेदन नियोक्ता को भी दिया जाएगा, यदि आवेदक अपने दावे को प्राथमिकता देने में देरी के लिए पर्याप्त कारण जोड़ता है, और कोड के तहत ग्रेच्युटी के लिए कोई दावा नहीं करता है तो यह केवल इसलिए अमान्य होगा क्योंकि दावेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा। इस संबंध में किसी भी विवाद को उसके निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।

(च) इस नियम के तहत एक आवेदन नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक या व्यक्तिगत सेवा या पंजीकृत डाक पावती द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए सूचना: (क) उप-नियम (1) के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, नियोक्ता यह कर सकता है- (i) यदि सत्यापन पर दावा स्वीकार्य पाया जाता है, तो आवेदक कर्मचारी, नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को **फॉर्म-∨** में एक नोटिस जारी करें, जैसा भी मामला हो, देय ग्रेच्युटी की राशि निर्दिष्ट करना और एक तारीख तय करना, बाद की तुलना में नहीं होना आवेदन की प्राप्ति की तिथि के बाद तीसवां दिन, उसके भुगतान के लिए, या

(ii) यदि ग्रेच्युटी के लिए दावा स्वीकार्य नहीं है, तो आवेदक कर्मचारी, नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को **फॉर्म-V** में एक नोटिस जारी करें, जैसा भी मामला हो, कारण बताते हुए कि ग्रेच्युटी के लिए दावे को स्वीकार्य क्यों नहीं माना जाता है।

ग्रेच्युटी को अस्वीकार करने के मामले में नोटिस की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी।

(ख) यदि ग्रेच्युटी का भुगतान नियोक्ता के कार्यालय में किया जाना है, तो धारा (क) उप नियम 92) के उप-खंड (i) के तहत फॉर्म-V में नोटिस में उद्देश्य के लिए तय की गई तारीख नियोक्ता द्वारा फिर से तय किया जा सकता है, अगर इस संबंध में एक लिखित आवेदन आदाता द्वारा बताया गया है कि उसके लिए निर्दिष्ट तारीख पर व्यक्ति में उपस्थित होना क्यों संभव नहीं है।

(ग) यदि ग्रेच्युटी के लिए दावेदार नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी है, तो नियोक्ता ऐसे गवाह या सबूत मांग सकता है, जो उसकी पहचान स्थापित करने या उसके दावे की स्थिरता के लिए प्रासंगिक माना जा सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है। उस मामले में, नियोक्ता को उप-नियम (2) के खंड (क) के तहत नोटिस जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा इस तरह के गवाह या साक्ष्य से प्रभावी होगी, जैसा कि मामला हो सकता है, नियोक्ता द्वारा बुलाया गया है।

(ड़) **फॉर्म-V** में एक नोटिस आवेदक को रसीद लेने के बाद या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा या तो व्यक्तिगत सेवा द्वारा दिया जाएगा।

(घ) धारा 56 की उप-धारा (2) के तहत एक नोटिस फॉर्म-V में होगा।

(3) ग्रेच्युटी के भुगतान का तरीका: कोड के तहत देय ग्रेच्युटी का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या पात्र कर्मचारी, नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी के बैंक खाते में जमा करके किया जाएगा, जैसा भी मामला हो:

बशर्ते कि भुगतान के विवरण के बारे में जानकारी नियोक्ता द्वारा क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी।

(4) धारा 56 की उप-धारा (5) के खंड (ब) के तहत निर्देश के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन: (क) यदि कोई नियोक्ता-

(i) नामांकन को स्वीकार करने या **उप-नियम (1),** या के तहत किए गए आवेदन को लेने से इनकार करता है।

(ii) उप-नियम के खंड (क) के तहत एक नोटिस जारी करता है या तो ग्रेच्युटी की राशि निर्दिष्ट करता है, जो आवेदक के विचार में जितना देय है उससे कम है या ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु पात्रता अस्वीकार करता है या

(iii) **उप-नियम (5)** के तहत एक आवेदन प्राप्त होने के बाद, उप-नियम (2) के तहत आवश्यक सूचना जारी करने में विफल रहता है, उसमें निर्दिष्ट कर्मचारी, नामिती या कानूनी वारिस, जैसा भी मामला हो, हो सकता है। घटना के **एक सौ अस्सी** दिनों के भीतर, धारा 56 के उप-खंड (5) के तहत एक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को **फॉर्म-VI** में आवेदन किया जा सकता है, जिसमें विपरीत पक्षों के लिए कई अतिरिक्त प्रतियां दी जा सकती हैं:

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी इस उप-नियम के तहत किसी भी आवेदन को स्वीकार कर सकता है, निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के बाद आवेदक द्वारा दिखाए जाने वाले पर्याप्त कारण पर।

(ख) खंड (क) उप-नियम (4) और इस तरह के आवेदन से संबंधित अन्य दस्तावेजों को सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक या नियत समय से पंजीकृत डाक पावती द्वारा भेजा जाएगा।

(5) निर्देशन के लिए आवेदन से निपटाने की प्रक्रिया: (क) उप-नियम (4) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी, प्रपत्र- VII में एक नोटिस जारी करके, इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत पोस्ट पावती के कारण या व्यक्ति में आवेदक के साथ-साथ नियोक्ता को भी निर्दिष्ट तिथि, समय और स्थान पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए, या तो स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहों के साथ, यदि कोई हो, पर बुलाएं।

(ख) कोई भी व्यक्ति नियोक्ता या कर्मचारी, नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी की ओर से कार्रवाई करने की इच्छा रखता है, जैसा कि मामले हो सकते हैं, सक्षम प्राधिकारी को नियोक्ता या संबंधित व्यक्ति से अधिकार पत्र प्रस्तुत करेगा, जैसा कि मामला हो सकता है किसकी ओर से वह इस मामले में अपनी रुचि को स्पष्ट करते हुए लिखित बयान के साथ मिलकर कार्रवाई करने की अनुमति चाहता है। सक्षम प्राधिकारी उसके अनुमोदन या विवरण के अनुसार आदेश को दर्ज कर सकता है, इनकार करने की अनुमति देने से इनकार करने के मामले में, इनकार करने के कारण।

(ग) अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रदर्शित होने वाली पार्टी प्रतिनिधि के कृत्यों से बाध्य होगी।

(घ) धारा (क) के तहत तय की गई तारीख पर सुनवाई पूरी होने के बाद, या इस तरह के अन्य सबूतों के बाद, दस्तावेजों, गवाहों, सुनवाई और पूछताछ की जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है, सक्षम अधिकारी अपनी खोज को रिकॉर्ड करेगा कि क्या कोई कोड के तहत आवेदक को राशि देय है। प्रत्येक पक्ष को खोजने की एक प्रति दी जाएगी।

(ड़) यदि संबंधित नियोक्ता पर्याप्त कारण के बिना नोटिस की उचित सेवा के बाद सुनवाई की निर्दिष्ट तिथि पर प्रकट होने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी आवेदन पूर्व पक्ष को सुनने और निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। यदि आवेदक पर्याप्त कारण के बिना सुनवाई की निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकता है:

बशर्ते कि उप-नियम (5) के खंड (ड़) के तहत एक आदेश, उक्त आदेश के तीस दिनों के भीतर दिखाए जाने वाले अच्छे कारण पर समीक्षा की जा सकती है और नोटिस के चौदह दिनों के भीतर आवेदन पर पुन: विचार करने हेतु विपरीत पक्ष को आवेदन के सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित किया जाएगा।

(6) सुनवाई का स्थान और समय- सक्षम अधिकारी की बैठकें ऐसे समय पर और ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाएंगी, जो वे उसी तरह से पक्षों के सदस्यों को सूचित करेंगे जैसे वह ठीक समझते हैं।

(7) शपथ का प्रशासन - शपथ पत्र बनाने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी अपने कार्यालय के एक लिपिक को शपथ दिला सकता है।

(8) गवाहों की सम्मन और उपस्थिति- सक्षम अधिकारी, उनके समक्ष कार्यवाही में शामिल किसी भी पक्ष द्वारा या उसके बिना आवेदन के किसी भी स्तर पर या उससे पहले की कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार फॉर्म-VII में किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है या तो सबूत देने के लिए या किसी निर्दिष्ट तिथि, समय और स्थान पर दस्तावेजों का निर्माण करने के लिए या दोनों उद्देश्यों के लिए।

(9) सम्मन या नोटिस देना- (क) उपबंधों के प्रावधानों के अधीन (ख) नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत निर्धारित किसी अन्य तरीके से। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी नोटिस, सम्मन, प्रक्रिया या आदेश को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सेवा में पंजीकृत पोस्ट पावती द्वारा दिया जा सकता है।

(ख) जहां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही के लिए (पक्षों के रूप में) कई व्यक्ति होते हैं, और ऐसे व्यक्ति किसी भी ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन के सदस्य होते हैं या किसी अधिकृत व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सचिव पर नोटिस की सेवा, या जहां कोई सचिव नहीं है , ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन के प्रमुख अधिकारी पर, या अधिकृत व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों पर सेवा करने के लिए समझा जाएगा।

(10) सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामलों के अभिलेखों का रखरखाव - (क) सक्षम अधिकारी धारा 56 के तहत प्रत्येक मामले के विवरण दर्ज करेगा और आदेश पारित करते समय प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर विवरण दर्ज करेगा। (ख) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मामले में आदेश पारित करते समय, मामले के गुणों पर निष्कर्ष भी दर्ज करता है और आदेश पत्र के साथ साक्ष्य के ज्ञापन के साथ इसे दर्ज करता है।

(ग) किसी भी आदेश या निर्देश के रिकॉर्ड के अलावा कोई भी रिकॉर्ड, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ लिखित रूप में नियुक्त किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी की ओर से और उसके निर्देशन में

11) ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु दिशा निर्देश: यदि कोई उप-नियम (5) के खंड (डी) के तहत दर्ज किया जाता है कि आवेदक संहिता के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान का हकदार है, तो सक्षम अधिकारी नियोक्ता को संबंधित नोटिस जारी करेगा। फॉर्म-VIII इलेक़्ट्रॉनिक या पंजीकृत पोस्ट पावती की वजह से या नियोक्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचना के तहत आवेदक को देय राशि और उसके भुगतान का निर्देश निर्दिष्ट करता है। जैसा भी मामला हो, नोटिस की एक प्रति आवेदक कर्मचारी, नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी।

(12) **अपील -** (क) संहिता की धारा 56 की उप-धारा (8) के तहत अपील का ज्ञापन, अपीलीय प्राधिकारी को उसकी प्रति और पक्ष में सक्षम प्राधिकारी को उसकी प्रति के साथ या पंजीकृत पोस्ट पावती द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से

(ख) अपील के ज्ञापन में मामले के तथ्य, सक्षम प्राधिकारी का निर्णय, अपील का आधार और मांगी गई राहत शामिल होगी।

(ग) ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी और दिशा की खोज की प्रमाणित प्रति अपील के ज्ञापन के लिए संलग्न किया जाएगा।

(घ) मेमोरेंडम ऑफ अपील की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकारी को मामले के रिकॉर्ड को अग्रेषित करेगा।

(ड़) अपील के ज्ञापन की प्रति प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, विपरीत पक्ष अपीलकर्ता को एक प्रति के साथ अपीलीय प्राधिकारी को, अतिरिक्त दलीलों के साथ, ज्ञापन के प्रत्येक अनुच्छेद की अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगा।

(च) अपील प्राधिकारी अपील को सुनने का एक उचित अवसर पर पार्टियों को देने के बाद अपना निर्णय दर्ज करेगा। निर्णय की एक प्रति पार्टियों को इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत डाक या व्यक्ति द्वारा अपील करने के लिए दी जाएगी और उसकी एक प्रति सक्षम अधिकारी को मामले के अपने रिकॉर्ड को वापस भेज दी जाएगी।

(छ) सक्षम प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति पर, उसके द्वारा बनाए गए मामले के रिकॉर्ड में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।

(ज) अपील प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, यदि उस निर्णय के तहत आवश्यक हो, तो ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए उसकी दिशा निर्देश में संशोधन करता है और **फॉर्म-VIII** में संबंधित नियोक्ता को संशोधित राशि देय और निर्देशन को निर्दिष्ट करने के लिए एक नोटिस जारी कर सकता है। नियोक्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करते हुए अपीलीय प्राधिकारी को नोटिस की एक प्रति के साथ-साथ अपीलकर्ता कर्मचारी, नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को नोटिस दी जा सकती है।

(13) ग्रेच्युटी की वसूली के लिए आवेदन - जहां एक नियोक्ता उप-नियम (11) या उप-नियम (12) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिस के अनुसार संहिता के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान करने में विफल रहता है, जैसा भी मामला हो, संबंधित कर्मचारी, उसका नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, जिस पर ग्रेच्युटी देय हो, संहिता की धारा 129 के तहत वसूली के लिए **फॉर्म IX** में डुप्लिकेट में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है।

36. धारा 58 की उपधारा (1) के तहत सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी की योग्यता और अनुभव। सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

अध्याय VI

मातृत्व लाभ

37. उप-धारा (1) के तहत नोटिस का रूप और गर्भावस्था का प्रमाण और धारा 62 की उप-धारा (5) के तहत प्रसव का प्रमाण और गर्भपात या उप-धारा (1) के तहत गर्भधारण की चिकित्सा समाप्ति का प्रमाण, प्रमाण उप-धारा (2) और धारा 65 की उप-धारा (3) के तहत बीमारी के सबूत के तहत ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन। - (1) प्रमाण (क) यह तथ्य कि एक महिला गर्भवती है या एक बच्चे की डिलीवरी हुई है या गर्भावस्था या ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के गर्भपात या चिकित्सा समाप्ति से गुजरना पड़ा है या गर्भावस्था, प्रसव, बच्चे के समय से पहले जन्म या गर्भपात या गर्भावस्था या ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के चिकित्सा समाप्ति से उत्पन्न बीमारी से पीड़ित है, जो एक फॉर्म X प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से साबित होगा। -

(i) एक क्षेत्रीय अस्पताल के एक चिकित्सा अधिकारी या कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत गठित डिस्पेंसरी से; या

(ii) जहां एक माइंस स्वास्थ्य बोर्ड है, जिसके अधिकार क्षेत्र में, उस बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी से है; या

(iii) एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से।

(ख) यह तथ्य कि एक महिला घर पर ही है, वह किसी भी कानून के प्रावधानों के तहत बनाए गए जन्म रजिस्टर से प्रमाणित अर्क के दिखाने या किसी पंजीकृत दाई द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को दिखाने से भी साबित हो सकती है।

(ग) यह तथ्य कि एक महिला का गर्भपात हो चुका है, एक पंजीकृत दाई द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के उत्पादन से भी साबित हो सकता है।

(घ) किसी महिला या बच्चे की मृत्यु का तथ्य उप-नियम (क) में या किसी प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने से संदर्भित अधिकारियों में से किसी को भी फॉर्म-X में इस आशय के प्रमाण पत्र जारी करने से या उस समय किसी भी कानून के प्रावधानों के तहत बनाए गए मृत्यु रजिस्टर से प्रमाणित भाग को जारी करने से साबित हो सकता है

(2) मातृत्व और अन्य लाभ का भुगतान- (क) एक महिला जो प्रतिष्ठान में कार्यरत है और मातृत्व लाभ की हकदार है, अपने नियोक्ता को फॉर्म-XI में नोटिस देगी और नियोक्ता संबंधित महिला को कोड के तहत मातृत्व लाभ और किसी अन्य राशि का भुगतान करेगा, या इस तरह के मातृत्व लाभ या राशि प्राप्त करने से पहले उसकी मृत्यु के मामले में, या जहां नियोक्ता धारा 60 की उप-धारा (3) के लिए दूसरे प्रावधान के तहत मातृत्व लाभ के लिए ज़िम्मेदार है, जो महिला द्वारा फॉर्म नोटिस में उसके द्वारा नामित व्यक्ति को ग्यारहवीं और उसके कानूनी प्रतिनिधि के मामले में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है।

(ख) संदेह के मामले में, एक प्रतिष्ठान में कार्यरत महिला के कारण मातृत्व लाभ या अन्य राशि नियोक्ता द्वारा जमा की जाएगी, सक्षम अधिकारी के साथ संबंधित महिला की मृत्यु की तारीख के दो महीने के भीतर, जो बाद में आवश्यक पूछताछ करना, उसे उस व्यक्ति को भुगतान करना, जो उसकी राय में, इसे प्राप्त करने का हकदार है।

(ग) जब भी उप-नियम (क) में उल्लिखित भुगतान किया जाता है, तो नियोक्ता को **फॉर्म-XI** में नियोक्ता द्वारा उस व्यक्ति से प्राप्त किया जाएगा, जिसे भुगतान किया जाता है। उप-नियम (बी) के तहत आने वाले मामलों में, नियोक्ता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक रसीद दी जाएगी।

(घ) चिकित्सा बोनस का भुगतान मातृत्व लाभ की दूसरी किस्त के साथ किया जाएगा।

(ड़) मातृत्व लाभ या धारा 63 के तहत देय किसी अन्य राशि का भुगतान इस तरह का लाभ या राशि प्राप्त करने की हकदार महिला की मृत्यु की तारीख के दो महीने के भीतर किया जाएगा।

(च) धारा 65 के तहत देय मजदूरी का भुगतान उस महिला को किया जाएगा, जो फार्म-X में प्रमाण पत्र के उत्पादन के अड़तालीस घंटे के भीतर ऐसी मजदूरी प्राप्त करने का हकदार है। 38. धारा 66 के तहत नर्सिंग ब्रेक की अवधि- धारा 66 में उल्लिखित दो ब्रेक में से प्रत्येक 15 मिनट की अवधि का होगा। एक अतिरिक्त पर्याप्त अवधि, कवर की जाने वाली दूरी के आधार पर, क्रेच या उस स्थान से यात्रा के उद्देश्य के लिए अनुमति दी जाएगी जहां या जहां ड्यूटी पर रहते हुए महिलाओं द्वारा बच्चों को छोड़ दिया जाता है, बशर्ते कि ऐसी अतिरिक्त अवधि 5 मिनट से कम और 15 मिनट से अधिक नहीं होगी। यदि इस तरह की अतिरिक्त अवधि के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामले को निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकरण को भेजा जाएगा।

39. कर्मचारियों की संख्या और धारा 67 की उप-धारा (1) के तहत क्रेच सुविधा के लिए दूरी- (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान में जहां पचास या अधिक महिला कर्मचारी नियोजित हैं, वहां उपयोग के लिए क्रेच उपलब्ध कराया जाएगा और बनाए रखा जाएगा। जहां ऐसी महिलाओं की बच्चों की आयु छह साल से कम है।

(2) इस तरह के कमरे में पर्याप्त प्रकाश, वेंटिलेशन और साफ और स्वच्छता स्थिति में बनाए रखा जाएगा। क्रेच बच्चों और शिशुओं की देखभाल प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा किया जाएगा।

(3) क्रेच सुविधा प्रतिष्ठान के भीतर या प्रतिष्ठान से उचित दूरी पर स्थित होगी, ताकि यह घर से काम करने वाली महिला कर्मचारी सहित महिला कर्मचारियों को आसानी से उपलब्ध हो सके।

40. धारा 68 की उपधारा (1) के लिए दूसरे प्रावधान के तहत सकल कदाचार - (1) निम्नलिखित अधिनियम धारा 68 के सकल कदाचार के उद्देश्य से गठित किया गया है अर्थात्: -

(क) नियोक्ता के सामान या संपत्ति का स्वेच्छा से नाश करना;

(ख) कार्यस्थल पर किसी भी उच्च या सह कर्मचारी के साथ मारपीट करना;

(ग) कानून की अदालत में सजा में जिसके परिणामस्वरूप नैतिक उत्पीड़न शामिल आपराधिक अपराध;

(घ) नियोक्ता के व्यवसाय या संपत्ति के संबंध में चोरी, धोखाधड़ी, या बेईमानी; तथा

(ड़) सुरक्षा उपायों या विषय पर या सुरक्षा उपकरणों के साथ या अग्निशमन उपकरणों के साथ विलफुल हस्तक्षेप की इच्छाधारी गैर-पालन।

(2) धारा 68 के तहत अपील- (क) धारा 68 की उप-धारा (2) के तहत फॉर्म-XIII में एक अपील सक्षम प्राधिकारी को मान्यता दी जाएगी।

(ख) अपील लिखित में की जा सकती है और या तो व्यक्तिगत रूप से सौंप दी जाएगी या किसी पंजीकृत कवर के तहत या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्षम प्राधिकारी को भेज दी जाएगी।

(ग) जब कोई अपील प्राप्त होती है, तो सक्षम प्राधिकारी नियोक्ता को अपील के ज्ञापन की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, उसके उत्तर के लिए कॉल करेगा और उसे एक फिक्सिंग तिथि तक अपील के मुद्दे से जुड़े दस्तावेजों का उत्पादन करने के लिए भी कहेगा। सक्षम प्राधिकारी यदि आवश्यक हो, नियोक्ता से और साथ ही महिला से आगे के विवरण का पता लगा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने और सत्य पाने पर सक्षम प्राधिकारी अपना निर्णय देगा। यदि नियोक्ता अपना जवाब प्रस्तुत करने या निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी अपने निर्णय को पूर्व निर्धारित कर सकता है।

41. प्राधिकरण जिसे धारा 72 की उपधारा (3) के तहत अपील पसंद की जा सकती है ।- (1) धारा 72 के (क) धारा 72 की उपधारा (1) के तहत एक शिकायत फॉर्म XII में लिखित से की जाएगी, जैसा कि मामला हो।

(ख) जब एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा धारा 72 में संदर्भित शिकायत प्राप्त होती है, तो वह नियोक्ता द्वारा इस संबंध में बनाए गए प्रासंगिक अभिलेखों की जांच करेगा, प्रतिष्ठान में कार्यरत किसी भी व्यक्ति की जांच करेगा और उद्देश्य के लिए आवश्यक बयान लेगा। जांच और अगर वह संतुष्ट है कि मातृत्व लाभ या राशि अनुचित रूप से रोक दी गई है, तो वह नियोक्ता को धारा 63 के तहत भुगतान का दावा करने वाली महिला या व्यक्ति को जैसा कि मामला हो सकता है, तुरंत या एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर। भुगतान करने का निर्देश देगा।

(2) धारा 72 के तहत अपील - (क) धारा 72 के उप-खंड (2) के तहत निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के निर्णय के खिलाफ एक अपील सक्षम प्राधिकारी के पास होगी।

(ख) पीड़ित व्यक्ति फॉर्म-XIII में निर्धारित प्राधिकारी को लिखित में एक अपील पसंद करेंगे और अन्य सहायक दस्तावेज दाखिल करेंगे।

(ग) जब कोई अपील प्राप्त होती है, तो निर्धारित प्राधिकारी निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता से एक निश्चित तिथि से पहले बुलाकर मामले का रिकॉर्ड दर्ज करेगा। यदि आवश्यक हो, तो निर्धारित प्राधिकारी भी पीडित व्यक्ति के बयानों को दर्ज करेगा, और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को और यदि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण मांग सकता है।

(घ) दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, उनके सामने पेश किए गए सबूत और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य या उनके द्वारा पता लगाया गया, निर्धारित प्राधिकरण अपना निर्णय देगा।

42. धारा 155 की उप-धारा 2 के खंड (यब) के तहत नियम- (1) संहिता के अध्याय VI के तहत सक्षम प्राधिकारी और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के कर्तव्य और शक्तियां I-

(क) सक्षम प्राधिकरण इन नियमों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा जो उनके संबंधित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है।

(ख) प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे गए क्षेत्र के भीतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और सक्षम प्राधिकारी की देखरेख और नियंत्रण में कार्य करेगा।

(ग) प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता किसी प्रतिष्ठान के प्रत्येक निरीक्षण के दौरान देखेगा कि -

(i) क्या धारा 62 के तहत दिए गए हर नोटिस पर उचित कार्रवाई की गई है;

(ii) क्या नियम 55 के तहत निर्धारित महिला कर्मचारियों का रजिस्टर सही ढंग से रखा गया है;

(iii) क्या अंतिम निरीक्षण के बाद से धारा 68 के प्रावधानों के उल्लंघन में डिस्चार्ज या बर्खास्तगी या डिस्चार्ज या बर्खास्तगी के कोई मामले सामने आए हैं;

(iv) क्या धारा 59 के उप-धारा (1), धारा 68, धारा 64 की उप-धारा (5) और (6), धारा 65 की उप-धारा (1), (2) और (3), धारा 66, 67, 69 और 71 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और क्या निर्धारित समय के भीतर देय राशि का भुगतान किया गया है;

(v) क्या धारा 68 के उप-धारा (2) के उल्लंघन में मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस के अभाव के कोई मामले सामने आए हैं; तथा

(vi) पिछले निरीक्षणों में कितनी अनियमितताएँ बताई गई हैं, उन्हें दूर किया गया है और पहले जारी किए गए आदेशों का अनुपालन कैसे किया गया है।

(घ) जहां एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता कोड या इन नियमों के खिलाफ अनियमितताओं को देखता है, वह नियोक्ता को लिखित में आदेश जारी करेगा, जो उत्तरार्द्ध को एक निश्चित अवधि के भीतर अनियमितताओं को सुधारने और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के अनुपालन की रिपोर्ट करने के लिए कहेगा।

(2) प्रपत्रों की आपूर्ति - नियोक्ता फॉर्म-X, XI, XII और XIII की प्रतियों से मुक्त प्रत्येक महिला को उसके अनुरोध पर आपूर्ति करेगा। (3) निर्धारित प्रपत्रों में नोटिस, अपील या शिकायतें प्रस्तुत न करना— नियम 37 के उप-नियम (1) और नियम 40 के उप-नियम (1) और (2) में कुछ भी महिला के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। यदि वह संहिता के तहत मातृत्व लाभ या किसी अन्य राशि को प्राप्त करने का हकदार है, जैसा कि मामला हो सकता है, एक निर्धारित प्रपत्र में:वह उक्त नियमों के तहत नोटिस, अपील या शिकायत प्रस्तुत करने में विफल रहती है:

बशर्ते कि एक महिला द्वारा मातृत्व लाभ या किसी अन्य राशि को निर्धारित प्रपत्र के अलावा किसी अन्य रूप में संहिता क तहत प्राप्त करने के लिए उक्त नियमों के तहत नोटिस, अपील या शिकायत प्रस्तुत की गई हो, संबंधित प्राधिकारी, पंद्रह दिनों के भीतर संबंधित हो सकता है। ऐसे नोटिस, अपील या शिकायत की प्राप्ति के लिए महिला को जैसा कि मामला हो सकता है, निर्धारित प्रपत्र में नोटिस, अपील या शिकायत प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

(4) सार- संहिता के अध्याय V के प्रावधानों का सार और नियम के तहत धारा 71 के तहत प्रदर्शित किए जाने के लिए आवश्यक नियम फॉर्म XIV में होंगे तथा इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी की आवश्यकता हो सकती है।

अध्याय VII

निर्माण और अन्य सन्निर्माण कार्य करने वालों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और उपकर

43. उप-धारा (2) के तहत उपकर के संग्रह का तरीका और समय, उप-धारा (3) के तहत एकत्र उपकर का तरीका, और उप-धारा (4) के तहत अग्रिम उपकर की समान दर या दरें। धारा 103 की उप-धारा (1) के तहत उपकर के स्व-मूल्यांकन की धारा 100 और तरीका - (1) नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना - (क) प्रत्येक नियोक्ता अपने कार्य या के शुरू होने के साठ दिनों के भीतर या उपकर का भुगतान कर जैसा कि मामला हो सकता है, मूल्यांकन अधिकारी को प्रपत्र- XV में जानकारी प्रस्तुत करना।

(ख) खंड (क) के तहत दी गई जानकारी में कोई भी परिवर्तन या संशोधन **फॉर्म-XV** में मूल्यांकन अधिकारी को सूचित किया जाएगा, जिसमें ऐसे संशोधन का विवरण तुरंत शामिल होगा, लेकिन संशोधन को प्रभावित करने की तारीख से तीस दिनों के बाद नहीं।

(2) उपकर के संग्रह का समय और तरीका - (क) संहिता की धारा 100 की उपधारा (1) के तहत लगाया गया उपकर किसी नियोक्ता द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदन के समय या काम शुरू होने से पहले चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा उसके स्व-मूल्यांकन के आधार पर विधिवत प्रमाणित होगा।

(ख) निर्माण की लागत के स्व-मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, नियोक्ता संबंधित राज्य के लोक निर्माण विभाग या उस वर्ष के लिए लागू केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्दिष्ट निर्माण दरों की एक समान दर या निर्माण की लागत की गणना करेगा जिस वर्ष जिसमें इमारत और अन्य निर्माण कार्य की शुरुआत होगी **फॉर्म- XVI** में हुई:

बशर्ते, अगर कोई ऐसी निर्माण गतिविधि शामिल है जिसके लिए न तो राज्य पीडब्ल्यूडी और न ही केंद्रीय पीडब्ल्यूडी या रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने कोई दर (एस) निर्दिष्ट की है, तो नियोक्ता निर्माण किए जाने वाले दस्तावेजों के आधार पर निर्माण की लागत की गणना के साथ-साथ उनके मूल्यांकन अधिकारी के पास उनके निर्माण और अन्य निर्माण कार्य या परियोजना के पूरा होने पर साठ दिनों के भीतर **फॉर्म-XVI** में उनके मूल्यांकन विवरण के साथ भरेगा।

(ग) उपबंधों (क) और (ख) के बावजूद, जहां किसी स्थानीय प्राधिकारी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य की स्वीकृति, जैसा भी मामला हो, आवश्यक है, हर आवेदन इस तरह के अनुमोदन के लिए **चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा स्व-मूल्यांकन के आधार पर देय उपकर की राशि के लिए राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण** कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में किए गए ऑन-लाइन भुगतान के प्रमाण के साथ होना चाहिए: बशर्ते कि अगर परियोजना की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की संभावना है, तो निर्माण की लागत पर देय उपकर की राशि के लिए सेस भुगतान की राशि शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के दौरान स्व-आकलित की जाएगी और आगे के भुगतान इस नियम के उप-नियम (2) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार देय उपकर लगाया जाएगा।

(घ) खंड (क) और (ख) के प्रावधानों के बावजूद, जहां सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निर्माण या अन्य निर्माण कार्य से उपकर लिया जाना है। ऐसी सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस तरह के कार्यों के लिए भुगतान किए गए बिलों से अधिसूचित दरों पर देय उपकर में कटौती करेगी। इस कटे हुए उपकर को संबंधित राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पास संबंधित क्षेत्र के मूल्यांकन अधिकारी को निर्माण कार्य के विवरण के साथ इस तरह की कटौती की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।

(ड़) यदि भवन या निर्माण कार्य में कोई ठहराव या कमी है, तो नियोक्ता **फॉर्म-XVII** में इस तरह के ठहराव या भवन या अन्य निर्माण में कमी के साठ दिनों के भीतर मूल्यांकन अधिकारी को सूचना देगा।

(च) प्रत्येक नियोक्ता भवन या अन्य निर्माण कार्य के पूरा होने पर, उसके प्रत्येक पूर्ण कार्य के साठ दिनों के भीतर मूल्यांकन अधिकारी को **फॉर्म-XVIII** में रिटर्न जमा करना होगा।

(छ) ऊपर दिए गए अग्रिम उपकर को निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए अंतिम मूल्यांकन आदेश में समायोजित किया जाएगा।

(3) बोर्ड को उपकर की आय का हस्तांतरण - (क) उप-नियम (2) के तहत एकत्र उपकर की कार्यवाही, ऐसे केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय द्वारा जैसा भी मामला हो, सार्वजनिक स्टेट अंडरटेर्किंग, स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य प्राधिकरण, या मूल्यांकन अधिकारी, स्टेट बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के बैंक खाते में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑन-लाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

(ख) एकत्रित राशि को ऑन-लाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से अपने संग्रह के तीस दिनों के भीतर बोर्ड के कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(ग) राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड राज्य सरकार या केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इस तरह के किसी अन्य प्राधिकारी के साथ समय-समय पर एकत्रित उपकर की राशि का सामंजस्य करेगा जैसाकि उपयुक्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया रया है।

(घ) राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को एक प्रति, उपकर जमा की गई राशि, संचयी और अवधि के दौरान, किए गए व्यय की राशि बिल्डिंंग और अन्य निर्माण श्रमिकों की संख्या, या ऐसी अवधि के लिए और इस तरह के विवरण के साथ अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(4) आकलन - (क) नियोक्ता से फॉर्म-XVIII में रिटर्न और भरे गए उपकर की सूचना मिलने पर, मूल्यांकन अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर जांच करेगा, और यदि वह सूचना में संतुष्ट है तो वह इस तरह की जानकारी प्राप्त करने की तारीख से नब्बे दिन से अधिक की अवधि के भीतर मूल्यांकन का एक आदेश देगा, नियोक्ता द्वारा देय उपकर की राशि का संकेत देता है और नियोक्ता को एक प्रति और उपकर-कलेक्टर को समर्थन करता है। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड और तारीख के पाँच दिनों के भीतर ऐसा आदेश निकालते हैं, जिस पर ऐसा आदेश दिया जाता है।

(ख) यह आदेश उप-नियम (2) के प्रावधान के अनुसार देय नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए उपकर या स्रोत और पहले से भुगतान की गई शेष राशि और उपकर (2) के तहत उपकर की राशि निर्दिष्ट करेगा जिसके द्वारा उपकर कलेक्टर को उपकर का भुगतान किया जाएगा।

(ग) यदि नियोक्ता द्वारा प्रपत्र-XVIII में दी गई जानकारी की जांच पर, आकलन अधिकारी की राय है कि नियोक्ता ने निर्माण की लागत की गणना की है या उसे घटाया है या देय उपकर की कम राशि की गणना की है, तो वह नोटिस जारी करेगा, वह उपकर के मूल्यांकन के लिए नियोक्ता को नोटिस जारी करेगा। (घ) इस तरह के नोटिस की प्राप्ति पर नियोक्ता मूल्यांकन अधिकारी को नोटिस के प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उसके दावे के समर्थन में दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य की प्रतियों के साथ जवाब प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते कि मूल्यांकन करने वाला अधिकारी, आकलन के दौरान व्यक्ति को सुनने के लिए एक अवसर दे सकता है, यदि वह अपने दावे को पुष्ट करने का अनुरोध करता है।

(4) यदि नियोक्ता क्लॉज़ के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहता है (घ) या जहां कोई भी नियोक्ता **फॉर्म-IV** में जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ेगा और अन्य जानकारी यदि हो।

(च) मूल्यांकन अधिकारी किसी भी समय कार्य प्रगति पर है या निर्माण की लागत के मूल्यांकन की प्रक्रिया में हो सकता है, ऐसे अधिकारी को निर्माण की लागत का यथासंभव सटीक आकलन करने के उद्देश्य से उचित समझें। कार्य स्थल पर या दस्तावेजी साक्ष्य से या किसी अन्य तरीके से इस तरह की जांच करने के लिए अधिकृत करता है।

(5) उपकर के अधिक भुगतान की वापसी - (क) जहां नियोक्ता ने पहले से उपकर जमा किया है और नियोक्ता कामों से हटने या निर्माण करने या निर्माण की योजना को संशोधित करने का फैसला करता है, जिससे निर्माण की लागत कम हो जाती है या किए गए कार्य के पूरा होने के आह्वान के लिए अन्य परिस्थितियां, वह इस तरह की कमी या काम के ठहराव के कारण आकलन अधिकारी को प्रपत्र-XVII में सूचना जमा करके अग्रिम उपकर की अतिरिक्त राशि वापस मांग सकता है।

(ख) आकलन अधिकारी, एक नियोक्ता से **फॉर्म-XVII** में सूचना प्राप्त होने पर, इस तरह की जानकारी से लैस जांच करेगा और यदि वह विशेष रूप से दिए गए विवरणों की प्रमाणिकता के बारे में संतुष्ट है, तो वह मूल्यांकन का एक आदेश ऐसी जानकारी प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर देगा।

(ग) खंड (ख) के अनुसार प्रपत्र-XVII की प्राप्ति पर किए गए मूल्यांकन आदेश के बाद, मूल्यांकन अधिकारी, जहां भी आवश्यक हो, संबंधित भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, उपकर कलेक्टर और अन्य ऐसे व्यक्तियों को इस तरह के मूल्यांकन की एक प्रति का समर्थन करता है। धारा (ख) के तहत किए गए आकलन में आदेश के अनुसार अतिरिक्त उपकर की वापसी के लिए जैसा कि वह उचित समझते हैं।

(घ) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, धारा (ग) के तहत मूल्यांकन अधिकारी से समर्थन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर इस प्रयोजन के लिए नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार बैंक खाता इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑन-लाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से नियोक्ता को आदेश में निर्दिष्ट राशि वापस कर देगा।

(ड़) जहां अपीलीय प्राधिकरण ने उपकर की मात्रा को कम करने के लिए मूल्यांकन के आदेश को संशोधित किया है, वापसी उसी समय के भीतर या ऊपर दिए गए खंड (घ) के तहत निर्दिष्ट तरीके और समय में की जाएगी जैसा कि उस क्रम में निर्दिष्ट किया जा सकता है

44. धारा 101 के तहत उपकर के विलंबित भुगतान के मामले में उपकर की राशि और ब्याज की दर का भुगतान करने की समय सीमा: (1) उपकर के भुगतान की तारीख वह तिथि होगी जिस पर उपकर कलेक्टर के पास जमा होता है। नियम -43 के उप-नियम (2) के धारा (क) व (ख) के तहत या नियम-43 के उप-नियम (2) के धारा (घ) के तहत स्रोत पर कटौती की तारीख या वह तारीख जिस पर राशि जमा की गई है नियम 4 के उप-नियम (5) के तहत स्थानीय प्राधिकारी के साथ जैसा भी मामला हो।

(2) यदि कोई भी नियोक्ता संहिता की धारा 100 के तहत देय उपकर की किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसे समय में जैसा कि मूल्यांकन आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसे नियोक्ता को उपकर की राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसका एक प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाना है प्रत्येक महीने या महीने के एक हिस्से के लिए तारीख से उस अवधि में समाहित किया गया था जब तक कि ऐसी राशि वास्तव में भुगतान नहीं की जाती थी। 45. धारा 104 के तहत जुर्माना लगाने और लगाने का अधिकार- (1) एक आकलन अधिकारी, यदि उसे यह प्रतीत होता है कि किसी नियोक्ता ने मूल्यांकन आदेश में निर्दिष्ट तिथि के अनुसार उपकर का भुगतान नहीं किया है या कम उपकर का भुगतान किया है, जिसमें शामिल है स्रोत पर कटौती या अग्रिम में भुगतान किया गया उपकर, ऐसे नियोक्ता को एक नोटिस जारी करेगा कि उसे बकाया माना जाएगा और इस तरह के आकलन अधिकारी को इस तरह की जांच के बाद, यह उचित माना जाएगा, ऐसे नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा जो कि ऐसी उपकर राशि से अधिक जुर्माना नहीं होगा उपकर:

बशर्ते, ऐसे किसी भी दंड को लागू करने से पहले, ऐसे नियोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा और अगर ऐसी सुनवाई के बाद मूल्यांकन अधिकारी संतुष्ट है कि डिफ़ॉल्ट किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए था, तो ऐसे नियोक्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

(2) यदि नियोक्ता पर कोई जुर्माना लगाया जाता है या जुर्माना लगाने का नोटिस वापस ले लिया जाता है, जैसा कि उप-नियम (1) में उल्लिखित है, तो आकलन अधिकारी इस संबंध में एक सकारण आदेश पारित करेगा और इसके कारणों को बताएगा। इस तरह के आदेश की एक प्रति नियोक्ता, उपकर-संग्राहक और सचिव, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को दी जाएगी।

46. उप-धारा (1) के तहत अपील, अपीलीय प्राधिकार, प्रपत्र और अपील के तरीके को चुनने की समय सीमा और धारा 105 की उप-धारा (2) के तहत अपील के लिए शुल्क - (1) एक नियोक्ता ने नियम 43 के उप नियम 94) के तहत किए गए मूल्यांकन आदेश से व्यतीत ऐसे आदेश के खिलाफ इस संबंध में फॉर्म-XIX में अपील दर्ज कर सकते हैं, जो नब्बे दिनों के भीतर प्राप्त होने पर इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी को आदेश।

(2) इस तरह की अपील, परस्पर, के साथ होगी-

(क) आदेश के खिलाफ अपील की;

(बी) उपकर कलेक्टर से इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि इस तरह की अपील से संबंधित, जैसा भी मामला हो, उपकर या जुर्माना या दोनों की राशि;

(ग) एक **गैर-वापसी योग्य शुल्क**, जो आधे प्रतिशत के बराबर है, लेकिन विवाद या जुर्माना या दोनों में राशि के पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं है, जैसा कि इस तरह की अपील के तहत हो सकता है;

(घ) विवाद में बिंदुओं का विवरण; तथा

(ई) दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा किया।

(3) अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय प्राधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी के विरुद्ध विवरण या उसके मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध अपील की गई अपील के आधार पर, जैसे कि अपीलीय प्राधिकारी ऐसी अपील के निपटान के लिए आवश्यक विचार कर सकता है।

(4) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को मामले में सुनवाई का अवसर देगा और अपील का निपटारा यथाशीघ्र करेगा लेकिन ऐसी अपील प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन से अधिक नहीं होगा।

(5) उपकर प्राधिकरण की मात्रा पर संतुष्ट होने पर मूल्यांकन अधिकारी के आदेश की पुष्टि करेगा या यदि उसकी राय में मूल्यांकन गलत था; या उच्चतर पक्ष मूल्यांकन के आदेश को संशोधित करेगा या यदि उसकी राय में मूल्यांकन निचले पक्ष पर है या यदि मूल्यांकन का आधार गलत है, तो यह मूल्यांकन अधिकारी को मूल्यांकन के आदेश के साथ-साथ उसकी टिप्पणियों को सुधारने के लिए वापस भेज देगा। गलत।

(6) उप-नियम (5) के तहत वापस भेजे गए एक आदेश का मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गए अवलोकन के मद्देनजर एक महीने के भीतर किया जाएगा: (7) बशर्ते, यदि उपकर की राशि को निर्धारित करने का प्रस्ताव किया जाता है तो निर्धारिती को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(8) यदि अपीलीय प्राधिकरण की राय है कि लगाया गया जुर्माना की मात्रा उच्च पक्ष पर है या सही ढंग से नहीं बना है, तो यह उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा या मूल्यांकन अधिकारी के आदेश को अलग कर देगा, जैसा भी मामला हो।

(9) इस नियम के तहत अपील को एक आदेश बोलकर निपटाया जाएगा और इस तरह के आदेश की एक प्रति अपीलकर्ता, मूल्यांकन अधिकारी और सचिव, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को पाँच दिनों के भीतर भेजी जाएगी। जिस तारीख पर ऐसा आदेश दिया जाता है।

(10) उपकर की राशि को कम करने की अपील में एक आदेश संबंधित <mark>भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड</mark> के सचिव को स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं को एक निर्दिष्ट समय बताते हुए अतिरिक्त उपकर वापस करने के लिए कहेगा।

(11) अपील या उपकर या जुर्माने की राशि को कम करने या दोनों में, जैसा भी मामला हो, अपील करने का आदेश, उस तारीख को भी निर्दिष्ट करेगा जिसके द्वारा उपकर या जुर्माना या दोनों का भुगतान किया जाना चाहिए या वापस किया जाना चाहिए।

(12) इस नियम के तहत कोई अपील अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध नहीं होगी।

47- धारा 106 के तहत लाभार्थी के रूप में भवन निर्माण श्रमिक के पंजीकरण का प्रबंध- (1) राज्य सरकार और राज्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे सभी श्रमिकों को पंजीकृत करे, जो भवन निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले या अन्य निर्माण श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हों। राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार या बोर्ड के आधार के माध्यम से निर्दिष्ट पोर्टल पर।

(2) ऐसे भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के नियोक्ता या ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यकर्ता केंद्र सरकार और **राज्य सरकार या बोर्ड** के निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

(3) भवन निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना का पंजीकरण, नवीनीकरण और वितरण निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

(4) भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लाभों की पोर्टेबिलिटी, उनके पंजीकरण की प्रक्रिया, डी-ग्रेजुएशन, और राज्य में लाभ प्राप्त करने के तरीके जहां वे भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं, वह केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया व तरीके से किया जाएगा।

(5) भवन श्रमिकों का पंजीकरण नियम के तहत असंगठित कामगार, टमटम कर्मी और प्लेटफार्म कर्मी के पंजीकरण के लिए निर्धारित तरीके और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(6) प्रत्येक राज्य सरकार आधिकारिक गजट के माध्यम से भवन श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए नोडल अधिकारी नामित करेगी।

(7) पंजीकरण या नवीनीकरण जैसा कि मामला भवन का हो सकता है और अन्य निर्माण श्रमिकों को केवल तभी किया जाएगा जब वे एक वर्ष में नब्बे दिनों से कम समय के लिए भवन या अन्य निर्माण कार्य में लगे हुए हों।

(8) बोर्ड निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के पंजीकरण, नवीनीकरण और वितरण की सुविधा के लिए डाक विभाग या किसी अन्य ऐसी एजेंसी के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ई-सीलाकेंद्रों और व्यावसायिक पत्राचारों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

(9) प्रत्येक बोर्ड उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप में केंद्र सरकार को प्रति के साथ एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करेगा। (10) बोर्ड भवन निर्माण श्रमिकों को जुटाएगा और पात्र भवन श्रमिकों को पंजीकृत करने और श्रम गहन क्षेत्रों में आवश्यक शिविरों को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगा।

(11) संहिता की धारा 106 के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक भवन कर्मी, अपने कोष से बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए लाभों का हकदार होगा।

(12) जहां एक भवन कार्यकर्ता एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, वह उस बोर्ड से लाभ पाने का हकदार होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह वर्तमान में काम कर रहा है और ऐसे श्रमिकों को इस तरह के लाभ प्रदान करने के लिए बोर्ड जिम्मेदार होगा।

(13) प्रत्येक पंजीकृत भवन श्रमिक को एक डिजिटल पहचान पत्र जारी किया जाएगा या अन्यथा उचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट उसकी तस्वीर और अन्य विवरणों को वहन किया जाएगा।

(14) जहां उप-नियम (1) के तहत जारी किया गया पहचान पत्र खो जाता है या गलती से नष्ट हो जाता है, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट सत्यापन के साथ बोर्ड के वेब-पोर्टल से फिर से एक डुप्लिकेट पहचान पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

(15) यदि कोई है, तो पंजीकरण या अपडेशन, नवीनीकरण या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए शुल्क, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या बोर्ड या स्वयं कार्यकर्ता द्वारा वहन किया जा सकता है, आंशिक रूप से या पूरी तरह से या जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है इस संबंध में।

48. धारा 107 की उप-धारा (2) के तहत एक लाभार्थी के लाभ- यदि कोई भवन निर्माण कार्यकर्ता साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से तुरंत पहले कम से कम तीन वर्ष तक लाभार्थी रहा हो, तो ऐसे श्रमिकों के लाभ के लिए, केंद्र सरकार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है ऐसी योजना तैयार कर सकती है।

49. धारा 155 की उपधारा (2) के खंड (zw) के तहत बनाए गए नियम - (1) अतिदेय राशि की वसूली।-अवैतनिक उपकर, ब्याज या अतिदेय भुगतान के कारण बकाया राशि की वसूली के उद्देश्य से या इन नियमों के तहत दंड, निर्धारण अधिकारी उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र तैयार करेगा, जो देय राशि को निर्दिष्ट करेगा और इसे संबंधित जिले के रिकवरी अधिकारी को भेजेगा, जो उक्त नियोक्ता से वसूल की गई राशि से उबरने के लिए आगे बढ़ेगा जैसे कि वह एक बकाया राशि थी इस प्रयोजन के लिए उस राज्य में प्रचलित भूमि राजस्व या किसी अन्य ऐसे कानून द्वारा।

(2) मूल्यांकन अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्तियाँ - एक मूल्यांकन अधिकारी, या एक अधिकारी अधिकृत, नियम (7) के उप-नियम (7) के तहत (अगर बदला जाए), तो धारा 103 के तहत राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोड, हो सकता है, -

(क) किसी भी प्रतिष्ठान में प्रवेश करें जहां सचिव, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बाद भवन और अन्य निर्माण कार्य चल रहा हो;

(ख) कार्य स्थल पर पड़ी सामग्री, मशीनरी या अन्य लेखों की सूची बनाना;

(ग) विभिन्न गतिविधियों में लगे श्रमिकों की संख्या के बारे में पूछताछ;

(घ) निर्माण कार्य की लागत या कार्यरत श्रमिकों की संख्या के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक किसी भी निर्धारित रजिस्टर या किसी अन्य दस्तावेज के उत्पादन की आवश्यकता होती है;

(ड़) ऐसे किसी भी रिकॉर्ड की प्रतियों को जब्त करना या लेना;

(च) निर्माण कार्य के पूरा होने के चरण का सामान्य मूल्यांकन करना;

(छ) माप, नोट्स या तस्वीरें लें; तथा

(ज) निर्माण की लागत के उचित मूल्यांकन के लिए इस तरह की अन्य शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक माना जाता है।

(3) शिकायत दर्ज करना - (क) आकलन अधिकारी, या कोड के तहत कोई निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता, रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए दायित्व का उल्लंघन करने, झूठी सूचना प्रस्तुत करने, जानबूझकर या दृढ़ इच्छा या प्रयास करने के बारे में जानता है। उपकर के भुगतान से बचने के लिए राज्य सरकार को इस तरह की शिकायत से संबंधित साक्ष्य लिखित रूप में बोर्ड को एक प्रतिलिपि के साथ शिकायत कर सकते हैं।

(ख) राज्य सरकार इस तरह की जांच को आवश्यक मान सकती है और किसी भी अधिकारी को अधिकृत कर सकती है क्योंकि वह कानून की अदालत में शिकायत दर्ज करना उचित समझती है।

(4) छूट - (क) किसी भी नियोक्ता या नियोक्ता का वर्ग, जो राज्य में संहिता की धारा 102 के तहत छूट की मांग करता है, श्रम कल्याण महानिदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को एक आवेदन कर सकता है, जो कामों का विवरण बताता है। उस राज्य में लागू किए गए अधिनियम, या उस कानून के तहत किसी भी अन्य कानून का नाम, जिसके तहत वह निर्माण श्रमिकों की **सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय** के लिए उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और उपकर की राशि और इस तरह के भुगतान की तिथि के साथ वास्तव में भुगतान किया गया है। । इस तरह के आवेदन की एक प्रति संबंधित मूल्यांकन अधिकारी और **भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड** को दी जाएगी।

(ख) इस तरह के आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार, यदि आवश्यक हो, संबंधित राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकती है।

(ग) इस तरह के आवेदन के आधार, तथ्यों और गुणों की जांच करने पर, केंद्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियोक्ता या नियोक्ता के वर्ग को छूट देने का आदेश जारी कर सकती है, जैसा कि मामला हो, उपकर के तहत देय उपकर के भुगतान से। कोड जहां इस तरह के उपकर पहले से ही लगाए गए हैं और ऐसे संगत कानून के तहत देय हैं।

(घ) आकलन अधिकारी द्वारा खंड की अर्जी (क) के तहत आवेदन की प्रति प्राप्त होने की तारीख से, या खंड के तहत केंद्र सरकार के आदेश तक शुरू होने वाले मूल्यांकन की कार्यवाही के लिए मूल्यांकन की कार्यवाही को रोक दिया जाएगा (c) एक नियोक्ता या नियोक्ताओं के वर्ग से अवगत कराया जाता है, जिसने खंड (क) के तहत आवेदन किया है, जो भी पहले हो।

अध्याय VIII

अंसगठित, गिग तथा प्लेटफार्म श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा

50. खंड (क) के तहत पंजीकरण के लिए उपयुक्त आयु और उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत सूचना का रूप एवं प्रणाली और धारा 113 की उपधारा (2) के तहत आवेदन पत्र का प्रारूप, पंजीकरण हेतु दस्तावेज एवं और स्व पंजीकरण का तरीका- (1) असंगठित श्रमिकों अथवा असंगठित श्रमकों की उप-श्रेणी अथवा किसी भी श्रेणी का पंजीकरण –

(क) धारा 113 के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र असंगठित श्रमिकों, या असंगठित श्रमिकों की किसी भी श्रेणी या उप श्रेणी को प्रपत्र में स्व-घोषणा के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर आधार के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है।

(ख) किसी भी असंगठित श्रमिक या असंगठित श्रमिक की किसी भी श्रेणी या उप-श्रेणी के लिए कोड के तहत निर्मित किसी भी योजना के अधीन किसी भी लाभ के लिए सक्षम सरकार जैसा कि वो उचित समझे, पात्रता की विशिष्ट शर्तों को अधिसूचित कर सकती है।

(ग) पात्र असंगठित श्रमिक, या असंगठित श्रमिकों की कोई श्रेणी या उप-श्रेणी, केंद्र सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल पर ऐसे प्राधिकरण को पंजीकरण के लिए स्व-घोषणा के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, आधार के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा/करेगी।

(घ) पंजीकरण पूरा होने पर, ऐसे श्रमिक को उसकी विशिष्ट पंजीकरण संख्या के साथ इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किसी रूप में एक पावती जारी की जाएगी। (ङ) केंद्र सरकार असंगठित श्रमिकों को निर्दिष्ट पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल या किसी अन्य अनुप्रयोग जैसी सुविधा प्रदान करेगी।

(च) स्व-पंजीकरण की सुविधा का लाभ उठाने के लिए, एक असंगठित श्रमिक, या असंगठित श्रमिक की किसी भी श्रेणी या उप-श्रेणी को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट ओ.टी.पी या किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

(छ) कोड के तहत निर्मित किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कोई भी लाभ लेने के लिए, एक असंगठित श्रमिक या असंगठित श्रमिक की किसी भी श्रेणी या उप-श्रेणी को केंद्र सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल पर इस तरह के विवरणों के साथ जैसाकि सक्षम सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं, पंजीकृत होना आवश्यक है।

(ज) असंगठित श्रमिक, या असंगठित श्रमिक की किसी भी श्रेणी या उप-श्रेणी को अपने विवरणों को समय-समय पर सक्षम सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार अपडेट करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि वर्तमान पता, वर्तमान व्यवसाय, मोबाइल नंबर, कौशल, या कोई अन्य विशेष विवरण। इस तरह के अद्यतन न होने की स्थिति में, कोई भी असंगठित श्रमिक या असंगठित श्रमिक की कोई भी श्रेणी या उप-श्रेणी कोड के तहत अधिसूचित सुरक्षा योजना/योजनाओं का ऐसे लाभ प्राप्त के लिए पात्र नहीं है।

(झ) सक्षम सरकार असंगठित श्रमिकों, या असंगठित श्रमिक की किसी भी श्रेणी या उप-श्रेणी सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभों के वितरण के लिए केंद्र सरकार के उपरोक्त पोर्टल से जानकारी का उपयोग करेगी।

(ञ) राज्य सरकार या भवन निर्माण श्रमिकों के कल्याण बोर्ड या राज्य सरकार या असंगठित श्रमिक के इस प्रकार के बोर्ड या भवन श्रमिकों के नियोक्ता या समूहक या असंगठित श्रमिक या इसकी किसी भी श्रेणी के श्रमिकों या गिग श्रमिकों या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के ठेकेदारों की जिम्मेदारी होगी कि ऐसे पात्र श्रमिकों को आधार के साथ पंजीकृत करवाया जाये जो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर ईएसआईसी या ईपीएफओ के साथ पंजीकृत नहीं हैं।

(त) श्रम कल्याण महानिदेशालय, समय-समय पर, केंद्र सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल पर आधार के साथ पंजीकृत श्रमिकों को डी-डुप्लिकेट करेगा और केवल कोड के तहत अधिसूचित ऐसे श्रमिक ही लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे ।

(थ) असंगठित श्रमिक या असंगठित श्रमिक की किसी भी श्रेणी या उप-श्रेणी के निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकरण या अपडेशन के लिए, यदि कोई शुल्क है तो, उसे सक्षम सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार सरकार या राज्य सरकारों या असंगठित श्रमिक या असंगठित श्रमिक की किसी भी श्रेणी या उप-श्रेणी द्वारा आंशिक या पूरी तरह से वहन किया जाएगा।

(2) गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों और ऐसे किसी अन्य श्रमिक का पंजीकरण:-

(क) <mark>धारा 113 के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र</mark> गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों <mark>को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर प्रपत्र में स्व-घोषणा के आधार पर, आधार के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है।</mark>

(ख) पात्र गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की पहचान और सुचारू पंजीकरण के लिए, प्रत्येक समूहक, पोर्टल पर विशिष्ट पंजीकरण संख्या या अस्थायी पंजीकरण संख्या निर्मित करने के लिये मासिक या आवधिक रूप से अपने गिग या प्लेटफार्म श्रमिकों की सूचना का विवरण केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार वर्णित करेगा। इसके अलावा, इस तरह की संख्या के जारी होने पर, प्रत्येक गिग या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आधार के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित करेगा।

(ग) केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर अपने गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों को पंजीकृत करने और उप-नियम (2) के खंड (घ) के तहत प्रदान किए गए विशिष्ट पंजीकरण संख्या के साथ अपने डेटाबेस को लिंक करने के लिए समूहकों की जिम्मेदारी होगी । (घ) एक गिग और प्लेटफार्म श्रमिक जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन साठ वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, पंजीकरण के लिए पात्र होगा जैसा कि ऊपर दिए गए खंड (क) में उल्लिखित है:

बशर्ते ऐसे कर्मी गिग या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक के रूप में पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान कम से कम 90 दिनों तक कार्यरत रहे हों।

(ङ) गिग या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक या ऐसे किसी अन्य श्रमिक का पंजीकरण उसी तरह से समान प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, जैसा कि उप नियम (1) के अधीन असंगठित कामगार, या श्रमिक की किसी भी श्रेणी या उप-श्रेणी के पंजीकरण के लिए निर्धारित है।

(च) कोड के तहत निर्मित किसी भी योजना के अधीन किसी भी लाभ की पात्रता के लिए गिग या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सक्षम सरकार ,जैसा कि वो उचित समझे , विशिष्ट शर्तों को अधिसूचित कर सकती है,।

(छ) कोड के तहत निर्मित किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कोई भी लाभ लेने के लिए, एक असंगठित श्रमिक, गिग या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक को सक्षम सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए विवरणों के साथ केंद्र सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

(ज) असंगठित श्रमिक, गिग या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक को अपने विवरणों को समय-समय पर सक्षम सरकार द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर अपडेट करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि वर्तमान पता, वर्तमान व्यवसाय, समूहक या संबंधित प्लेटफ़ॉर्म में नियुक्ति की अवधि, मोबाइल नंबर, कौशल, या कोई अन्य विवरण। इस तरह के अद्यतन न होने की स्थिति में, कोई भी गिग या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना/योजनाओं का कोड के तहत अधिसूचित ऐसे लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(थ) गिग या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक के निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकरण या अपडेशन के लिए, यदि कोई शुल्क है तो, उसे सक्षम सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार केंद्र सरकार या समूहकों या गिग श्रमिकों या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों द्वारा आंशिक या पूरी तरह से वहन किया जाएगा।

51. धारा 114 की उप-धारा (7) के खंड (i) में निर्दिष्ट मामलों का निष्पादन - (1) अंशदान को एकत्रित करने एवं एकत्रित किए गए अंशदान को खर्च करने का अधिकार। - (1) केंद्र सरकार एक अधिकारी, या एक एजेंसी को पदनामित करेगी जो समूहक से अंशदान एकत्रित और खर्च करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(2) इस प्रकार के प्राधिकारी द्वारा धारा 144 के अधीन एवं इसके तहत उपयुक्त कल्याण योजनाओं के निर्माण तथा उनके कार्यान्वयन हेतु गिग एवं प्लेटफार्म श्रमिकों के पंजीकरण हेतु समूहक से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा सकेगी।

(3) धारा 144 के अधीन एकत्रित अंशदान जैसाकि धारा 141 की उप-धारा (2) में वर्णित है, गिग एवं प्लेटफार्म श्रमिक के लिये अलग से बने खाते में सामाजिक सुरक्षा निधि का हिस्सा होगा।

(2) भुगतान में देरी होने, कम भुगतान करने य़ा भुगतान न किये जाने की स्थिति में समूहक द्वारा भुगतान किये जाने वाले ब्याज की दर- यदि कोई समूहक केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत धारा 114 की उप-धारा (4) के अधीन भुगतान योग्य अंशदान की किसी राशि का भुगतान नहीं कर पाता तो उस स्थिति में ऐसे समूहक को भुगतान किये जाने वाले अंशदान की राशि पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा जोकि प्रत्येक माह अथवा किसी माह की किसी हिस्से की अवधि में भुगतान हेतु देय तिथि से किया जाएगा, जब तक इस राशि का वास्तविक भुगतान नहीं कर दिया जाता।

(3) समूहकों द्वारा अंशदान का स्व-मूल्यांकन- (क) प्रत्येक समूहक धारा 114 की उप-धारा 4 के अधीन भुगतान योग्य अंशदान का मूल्यांकन फार्म-xx में करेगा तथा जिस वर्ष हेतु अंशदान देय है उस चालू वर्ष की 30 जून तक, पूर्ववर्ती वर्ष के सामाजिक सुरक्षा निधि के दिए खाते में यथामूल्यांकित अनंतिम अंशदान का भुगतान करेगा। (ख) समूहक को आयकर अधिनियम, 1961 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा लिमिटेड लायेबिल्टी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित लेखा विवरण को अंतिम रूप देने के पश्चात् चालू वर्ष के 31 अक्तूबर तक, जिस वर्ष अंशदान देय है, यदि कोई भुगतान किया गया है तो अंशदान के अनंतिम भुगतान एवं बकाया भुगतान के विवरण सहित फार्म- XXI में अंतिम रिटर्न के रूप में जमा कराना होगा।

(ग) किसी भी समूहक द्वारा ज्यादा योगदान के भुगतान के मामले में ऐसी अतिरिक्त राशि के रिफंड हेतु फॉर्म-XXI में दावा किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी, समूहक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र- XXI की जांच करेगा, यदि कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया है तो फॉर्म-XXI में दिए बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावे की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

यदि कोई भी समूहक प्राधिकरण के आदेश से असन्तुष्ट है तो उप-नियम (2) या उप-नियम (3) में उल्लिखित अनुसार सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास अपील की जायेगी और उस मामले में सचिव का आदेश अंतिम होगा।

(4) **गिग या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के पंजीकरण समाप्त करने की शर्तें** - (क) कोई भी गिग या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक जो धारा 113 के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है, यदि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है या जब वह पूर्ववर्ती 12 महीनों में नब्बे दिनों से कम की अवधि के लिए किसी भी समूहक के साथ गिग या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक के रूप में कार्यरत न हों ते उसका पंजीकरण समाप्त हो जाएगा।

(ख) प्रत्येक समूहक मासिक या ऐसी अन्य आवधिकता में और यथानिर्दिष्ट रूप में, केंद्र सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने गिग श्रमिकों या प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की जानकारी का विवरण देगा।

(5) <mark>धारा 114 के तहत अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा योजना के सुचारू संचालन से संबंधित कोई अन्य मामला</mark>- धारा 2 की उप-धारा (2) के तहत परिभाषित प्रत्येक समूहक, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार सुविधा पोर्टल या किसी अन्य पोर्टल पर पंजीकरण करेगा ।

अध्याय IX

वित्त तथा लेखा

52. उप-धारा (1) के अधीन किसी चल अथवा अचल संपति को हासिल करने, बेचने, रखने अथवा अन्य किसी स्थिति के लिये शर्तें, उपधारा (2) के अधीन पूंजी निवेश, पुन:निवेश अथवा निवेश वसूल करने संबंधी शर्तें, उपधारा (3) के तहत ऋण प्राप्त करने एवं इस प्रकार की ऋण अदायगी हेतु उपायों संबंधी शर्तें, धारा 120 की उप-धारा (4) के अधीन अधिकारियों एवं स्टाफ अथवा उनके किसी वर्ग के लाभ हेतु भविष्य अथवा अन्य निधियों हेतु संबंधित शर्तें- भविष्य निधि, पैंशन निधि अथवा बीमा निधि के मामलों को भविष्य निधि योजना अथवा पैंशन योजना अथवा बीमा योजना में यथानिर्धारित रूप से विनिर्दिष्ट किया जायेगा। निगम के मामले में अध्याय IV तथा अध्याय IX में इन नियमों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

53. धारा 121 के तहत अशोध्य देयताओं को बट्टे खाते में रखने की शर्तें और तरीके - (1) जहां निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का विचार है कि निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को देय अंशदान, उपकर, ब्याज और हर्जाना की राशि की वसूली संभव नहीं है तो इस संबंध में निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या इसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उक्त राशि को बट्टे खाते में डालने को मंजूरी दे सकता है: -

(i) प्रतिष्ठान को पांच साल से अधिक समय से बंद कर दिया गया है और सभी संभावित प्रयासों के बावजूद नियोक्ता का पता नहीं लगाया जा सकता है;

(ii) निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त फैसले को दोषी नियोक्ता की पर्याप्त संपत्ति की कमी के कारण सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया जा सका; या (iii) निम्नलिखित द्वारा अंशदान की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं की गई है -

(क) दिवालियापन की स्थिति में कारखानों/ प्रतिष्ठानों के मामले में परिसमापक अधिकारी द्वारा; या

(ख) इकाई का राष्ट्रीयकरण या सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने की स्थिति में भुगतान आयुक्त द्वारा।

(2) भविष्य निधि, पैंशन निधि अथवा बीमा निधि के मामले में इस प्रकार के बट्टे खाते को भविष्य निधि योजना अथवा पैंशन योजना अथवा बीमा योजना जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

54. धारा 155 की उप-धारा (2) के खंड (जेडडब्ल्यू) के अधीन नियम- (1) लेखों का रख-रखाव- निगम द्वारा पूर्ण और सटीक खातों का रख-रखाव इस प्रकार किया जाएगा जैसाकि समय-समय पर स्थायी समिति द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन सहित निर्दिष्ट किया जाये। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बही खाते संतुलित किए जाएंगे।

(2) **राजस्व लेखा** - निगम 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व लेखा तैयार करेगा और 31 मार्च तक की बैलेंस शीट 31 मई तक तैयार करेगा:

बशर्ते कि निगम के आवेदन पर, केंद्र सरकार उक्त तिथि को तीस दिनों से अधिक नहीं बढ़ा सकेगी:

बशर्ते कि निगम और यदि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाये तो किसी अन्य अवधि के लिए या किसी अन्य तिथि को राजस्व लेखा और बैलेंस शीट तैयार करने का कारण दे सकता है।

(3) <mark>भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समक्ष खातों को प्रस्तुत किया जाना</mark> – वित्त वर्ष के अंत में वार्षिक खातों को तैयार किया जायेगा तथा जाँच हेतु प्रत्येक संबंधित वर्ष की 15 जून को या उससे पहले भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समक्ष रखा जायेगा:

बशर्ते कि निगम के आवेदन पर केंद्र सरकार उक्त तिथि को तीस दिनों से अधिक नहीं बढ़ा सकेगी।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट - वार्षिक लेखा पर भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि और रूप में निगम को प्रस्तुत की जाएगी और वे वर्णित करेंगे कि क्या उनकी राय में बैलेंस शीट एक पूर्ण और निष्पक्ष बैलेंस शीट है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं और इसे ठीक से तैयार किया गया है ताकि निगम के मामलों की स्थिति के बारे में यथार्थ और उचित दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके और यदि किसी मामले में निगम या उसके किसी अधिकारी से स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी गई है तो क्या यह प्रदान की गयी है और क्या यह संतोषजनक है.

(5) रिपोर्टों पर विचार करना - (क) निगम के कार्य और गतिविधियों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट (उसमें शामिल वर्ष के लिए लेखापरीक्षण न किये गये खातों को छोड़कर) पर स्थायी समिति द्वारा विचार किया जाएगा और संबंधित वित्तीय वर्ष के समापन पर 10 दिसंबर से पूर्व होने वाली निगम की बैठक में इसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक खातों को वित्त आयुक्त और महानिदेशक द्वारा विधिवत् प्रमाणित और स्थायी समिति द्वारा अनुमोदन के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा और लेखा परीक्षित खातों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित संबंधित वित्तीय वर्ष के समापन पर 10 दिसंबर से पूर्व होने वाली निगम की बैठक में इसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा:

बशर्ते कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संबंधित वर्ष के बीस नवंबर तक प्राप्त हो जाये।

(6) वार्षिक खातों और रिपोर्टों का प्रमाणीकरण और प्रस्तुत करना- वार्षिक लेखों तथा उन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और निगम द्वारा किए गए कार्य और गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट को एक साथ निगम की सामान्य मुहर लगाकर प्रमाणित किया जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर निगम की टिप्पणियों के साथ उसकी चार प्रतियों को संसद के सामने रखे जाने हेतु केंद्र सरकार को संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत में 20 दिसंबर से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा: बशर्ते कि अगर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संबंधित वित्तीय वर्ष में 20 नवबंर तक प्राप्त नहीं हो पाती है, तो वार्षिक लेखा खातों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार को अलग से प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें निगम के कार्य और गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल नहीं होगी।

(7) लेखा परीक्षा की लागत - केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई तारीख तक लेखा परीक्षा की लागत का भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा।

(8) खातों में अनुपयुक्तता या अनियमितता - (क) लेखापरीक्षक यदि आवश्यक हो तो निगम और केंद्र सरकार को एक अलग विवरण प्रस्तुत करेंगे जो निम्नलिखित के संबंध में होगा-

(i) कोई भी महत्वपूर्ण अनुपयुक्तता या अनियमितता जो वे व्यय में, या निगम के खातों में या उसके कारण धन की वसूली में देखें; या

(ii) निगम में निहित या निगम की किसी भी प्रकार की धनराशि या सम्पत्ति की हानि या बर्बादी जो किसी की लापरवाही या कदाचार के कारण हुई है, उन व्यक्तियों के नाम के साथ जो उनके विचार से इस तरह की हानि या बर्बादी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं।

(ख) स्थायी समिति लेखापरीक्षकों द्वारा बताई गई किसी भी कमी या अनियमितता को दूर करेगी, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर केंद्र सरकार को उसके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:

बशर्ते कि अगर स्थाई समिति तथा लेखापरीक्षकों के बीच विचारों की भिन्नता हो या स्थायी समिति किसी कमी या अनियमतता हेतु एक पर्याप्त समय में कोई समाधान न दे सके तो इस प्रकार की स्थिति में केन्द्र सरकार विशेषरूप से इस संदर्भ में जैसाकि वो उचित समझे कोई आदेश पारित कर सकती है तथा स्थायी समिति इसके पश्चात इसके अनुरूप केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अन्तर्गत कार्रवाई कर सकती है।

(9) उपगत व्यय हेतु प्रतिबंध तथा हानि या कमी हेतु अधिप्रभार-(क) स्थायी समिति या इसकी ओर से प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, संबंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण का अवसर देने के बाद तथा इस तरह के स्पष्टीकरण पर विचार करने के उपरांत कोड या नियमों या इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के प्रावधानों के विपरीत बने किसी लेखा मद को अस्वीकार कर सकता है तथा इस प्रकार के खाते का भुगतान करने वाले या भुगतान को प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर अधिप्रभार लगा सकता है और उस व्यक्ति की लापरवाही या दुराचार द्वारा उपगत राशि की कमी या हानि या ऐसी किसी राशि को जिसे खाते में लाया जाना चाहिये था परंतु उस व्यक्ति द्वारा ऐसा नहीं किया गया, लेखाकंन वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध चार्ज करेगा और इस प्रकार के प्रत्येक मामले में इस प्रकार के व्यक्ति हेत देय राशि को प्रमाणित करेगा:

बशर्ते कि स्थायी समिति द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कोई भी प्रमाण पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक इसे स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

(ख) स्थायी समिति, उसके द्वारा बनाए गए या स्वीकृत किए गए प्रत्येक अस्वीकृति, अधिभार या प्रभार के लिए अपने कारणों को लिखित में दर्ज करेगी और उस देय राशि के संबंध में प्रमाण पत्र और उस व्यक्ति पर अपने निर्णय के कारणों की एक प्रति जारी करेगी जिसके खिलाफ प्रमाणपत्र तैयार किया गया है और केंद्र सरकार को भी उसकी प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ग) उप-नियम (9) के तहत बनाए गए प्रमाण पत्र से अंसतुष्ट कोई व्यक्ति, खंड (ख) उप-नियम (9) के तहत इस प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर, अस्वीकृति, अधिभार या प्रभार को खारिज करने या संशोधित करने के लिए, जिसके संबंध में प्रमाण पत्र बनाया गया था, केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(घ) खंड (ग) के तहत या अपने स्वयं के प्रस्ताव के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार आवश्यक जांच करवाने के बाद यदि उपयुक्त समझे, शुल्क जिसके संबंध में प्रमाण पत्र बनाया गया था, पुष्टि करने, संशोधित करने या खारिज करने से संबंधित आदेश पारित कर सकती है, और स्थायी समिति केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए समय के भीतर ऐसे आदेश के अनुसार कार्रवाई करेगी।

(ङ) केंद्र सरकार आदेश द्वारा सीधे निर्देश दे सकती है कि इस नियम के तहत बनाए गए प्रमाण पत्र के तहत आगे की समस्त कार्रवाई तब तक बाधित रहेगी, जब तक कि खंड (ङ) के तहत लंबित मामले का निपटान नहीं हो जाता।

(10) **देय राशि की वसूली -** (क) स्थायी समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति की ओर से देय राशि प्रमाणित कर दी गई है या यदि केंद्र सरकार द्वारा प्रमाण पत्र को संशोधित किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति से संशोधित प्रमाण पत्र में दर्शाई देय राशि का भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थायी समिति द्वारा उसे जारी प्रमाण पत्र के तीन महीने के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत दी गई किसी लंबी अवधि के भीतर निगम को करना होगा ऐसी किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

(ख) भुगतान या वसूल की गई किसी राशि या किसी ऐसी राशि का हिस्सा जिसके संबंध में प्रमाण-पत्र खारिज या संशोधित किया गया है, जैसी भी आवश्यकता हो, को आंशिक या पूर्ण रूप ऐसे व्यक्ति को वापिस किया जायेगा जिसने यह भुगतान किया है।

(11) भविष्य निधि की स्थापना- निगम अपने कर्मचारियों के संबंध में, उन कार्मिकों के अलावा जिनकी सेवाएं केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निगम के अध्यधीन हैं, एक ऐसी निधि की स्थापना, रख-रखाव तथा उसमें योगदान करेगा जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि (जिसे इसमें इसके बाद भविष्य निधि कहा गया है) कहा गया है।

(12) भविष्य निधि का प्रबंधन- भविष्य निधि को निगम की स्थायी समिति या समिति द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समिति द्वारा इस उद्देश्य से उन स्थितियों के अधीन जैसाकि लागू किया जाना उचित समझा जाये, शासित किया जायेगा।

(13) भविष्य निधि नियम बनाना- निगम भविष्य निधि से संबंधित या आवश्यक अन्य सभी मामलों हेतु नियम बनायेगा।

(14) **नकद भुगतान जारी करने पर रोक**- जहाँ एक बीमाकृत व्यक्ति कोड की घारा 133 के खंड (ओ) के तहत दोषी पाया गया है तो उस स्थिति में वह प्रथम दोषसिद्धि हेतु तीन माह तक कोड के अध्याय IV के तहत अनुप्रयोज्य किसी नकद लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा तथा इसी तरह आगे प्रत्येक दोषसिद्धि के समय निगम के संबंधित कार्यालय में कोर्ट के निर्णय की रसीद की प्राप्ति से 6 माह तक यही प्रक्रिया लागू होगी।

अध्याय X

प्राधिकार, मूल्यांकन, अनुपालन तथा वसूली

55. खंड (क) के तहत रिकॉर्ड और रजिस्टर और अन्य विवरणों और ब्योरों के रखरखाव के लिए फार्म और तरीके, खंड (ख) के तहत कर्मचारियों के कार्य स्थानों पर नोटिस प्रदर्शित करने के तरीके और धारा 123 के खंड (घ) के तहत प्राधिकारी और अधिकारियों को रिटर्न दाखिल करने के तरीके और अवधि (1) महिला कर्मचारियों का रजिस्टर। - (क) प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोक्ता जिसमें महिलाएं कार्यरत हैं, वे फार्म XXII में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या हार्ड कॉपी में महिला श्रमिकों के एक रजिस्टर को तैयार करेगा और रख-रखाव करेगा। जिसमें प्रतिष्ठान की सभी महिला श्रमिकों की संख्या और विवरण दर्ज होंगे।

इसके अलावा, यह हमेशा निरीक्षक-सह-फेसीलिटेटर के लिए अधिसूचित निरीक्षण योजना के तहत निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ख) नियोक्ता महिला श्रमिकों के संबंध में अन्य विवरण भी दर्ज करेगा जोकि कोड के किसी अन्य उद्देश्य के लिये आवश्यक हो। **(2) अभिलेख** — कोड के अध्याय V के प्रावधानों के तहत रखे गए अभिलेख और उसके तहत तैयार नियमों को उनकी तैयारी की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(3) वार्षिक रिटर्न- (क) वह नियोक्ता जिसके लिए अध्याय V के प्रावधान लागू होते हैं प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम दिन या इससे पूर्व केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन-XXIII में पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में निर्दिष्ट विवरणों की जानकारी देते हुए एकीकृत वार्षिक रिटर्न अपलोड करेगा: बशर्ते कि निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक-सह-फेसिलीटेटर खातों, पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है जिनका रख-रखाव इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य किसी रूप से किया जाता है। स्पष्टीकरण I - इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "इलेक्ट्रॉनिक रूप" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की 21) की धारा 2 के खंड (आर) में वर्णित है।

(ख) यदि वह नियोक्ता जिस पर कोड लागू होता है, प्रतिष्ठान को बेच देता है, त्याग देता है या बंद कर देता है, तो, वह इस तरह की बिक्री या परित्याग की तारीख के एक महीने के भीतर या इस तरह के छूट की तारीख के चार महीने के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, श्रम और रोजगार मंत्रालय में केंद्र सरकार के वेब पोर्टल पर खंड (क) से संदर्भित फार्म XXIII में एकीकृत ऑनलाइन रिटर्न अपलोड करेगा जोकि पूर्ववर्ती वर्ष के अंत तथा बिक्री, परित्याग या छूट की तारीख के बीच की अवधि के संबंध में होंगी।

अध्याय XI

अपराध एवं शास्तियाँ

56. धारा 138 की उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपराधों के शमन का तरीका तथा धारा 138 की उप-धारा (4) के अधीन एक अपराध को शमन करने के लिये आवदेन का तरीका- (1) धारा 138 की उप-धारा (1) के अधीन अपराधों के शमन के उद्देश्यों हेतु अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी फार्म-XXIV में उन अपराधों के लिये इलैक्ट्रोनिक रूप से शमन नोटिस भेजेगा जो धारा 138 के अधीन शमनीय हैं।

(2) वह व्यक्ति जिसे इस प्रकार का नोटिस दिया गया है, फार्म-XXIV के भाग III में इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन करेगा तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इलेक्ट्रोनिक या किसी अन्य रूप से समस्त शमनीय राशि को जमा करवायेगा।

(3) कंपाउंर्डिंग अधिकारी, कंपोजीशन राशि प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर फॉर्म- XXIV के भाग IV में ऐसे व्यक्ति को कंपोजीशन प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जिससे यह राशि कंपोजीशन नोटिस की प्राप्ति के बाद में प्राप्त हुई हो।

(4) यदि वह व्यक्ति जिसे नोटिस भेजा गया है, निर्धारित समय के भीतर कंपोजिशन राशि जमा करने में विफल रहता है, तो सक्षम न्यायालय के समक्ष या उस अपराध के संबंध में, जिसके संबंध में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था, अभियोजन शुरू किया जाएगा।

(5) अभियोजन शुरू होने के बाद समझौता- (क) कोर्ट कोड की धारा 138 के अधीन एक शिकायत दायर करने के उपरांत किसी भी समय किसी भी शमनीय अपराध को माफ कर सकता है।

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 के प्रावधान ऐसे समझौतों पर लागू होंगे।

अध्याय XII

रोजगार सूचना एवं अनुवीक्षण

57. धारा 2 के खंड (9) के अधीन करियर सैंटर तथा करियर सेवाओं की स्थापना तथा रख-रखाव - (1) सक्षम सरकार अधिसूचना के माध्यम से करियर सैंटर की स्थापना, संचालन एवं रख-रखाव कर सकती है अथवा पूर्व में ही स्थापित अपने कार्यालय अथवा रोजगार कार्यालय अथवा दोनों अथवा किसी पोर्टल अथवा किसी इस प्रकार के सैंटर को करियर सैंटर के रूप में संशोधित एवं घोषित कर सकती है। इस प्रकार की अधिसूचना के पूर्ण होने तक मौजूदा स्थानीय रोजगार कार्यालय तथा केन्द्रीय रोजगार कार्यालय क्रमश: करियर सैंटर (क्षेत्रीय) तथा करियर सैंटर (केन्द्रीय) के रूप में कार्य करते रहेंगे।

(2) सक्षम सरकार किसी करियर सैंटर के संचालन हेतु किसी संस्थान, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय निकाय अथवा निजी निकाय से समझौता भी कर सकती है।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (1) तथा (2) के अधीन स्थापित करियर सैंटर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करेंगे।

(क) निम्नलिखित के संबंध में रजिस्टरों के रखरखाव अथवा किसी अन्य तरीके से जैसे कि मैनुअली, डिजिटल माध्यम से, वर्चुअली अथवा अन्य किसी माध्यम से सूचना का संग्रहण एवं प्रेषण किया जायेगा।

- (i) कामगारों को नियोजित करने वाले व्यक्ति;
- (ii) रोजगार की मांग करने वाले व्यक्ति;
- (iii) रिक्तियों की उपस्थिति; और
- (iv) व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा करियर काउंसलिंग अथवा स्व-रोजगार स्टार्ट करने के संबंध में मार्गदर्शन के इच्छुक व्यक्ति
- (ख) व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा करियर काउंसलिंग प्रदान करना;
- (ग) रोजगार मेले तथा रोजगार ड्राइव का संचालन;
- (घ) रोजगार संबंधित सर्वेक्षण तथा अध्ययन;
- (ङ) रोजगार को बढ़ाने वाली गतिविधियाँ; और
- (च) समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली अन्य सेवाएं

स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य हेतु सक्षम सरकार करियर सैंटर (केन्द्र) के लिये केन्द्र सरकार होगी तथा संबंधित राज्य सरकार करियर सैंटर (क्षेत्रीय) हेतु होगी।

58. धारा 139 की उप-धारा (2) के तहत संबंधित करियर सैंटर को नियोक्ता द्वारा रिक्तियों को रिपोर्ट करने का तरीका तथा फार्म एवं रिटर्न फाईल करना- (1) करियर सैंटर को रिक्तियाँ प्रेषित करना:- (क) किसी भी राज्य या उसके किसी क्षेत्र में यह कोड लागू होने के उपरांत उस राज्य या उस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी प्रतिष्ठान में नियोक्ता उस प्रतिष्ठान में किसी नियोजन में रिक्तियों को भरने से पूर्व ऐसे तरीके से करियर सैंटरों को उस रिक्ति को रिपोर्ट करने का कारण प्रेषित करेगा जैसाकि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाये।

(ख) निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान में या निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित किसी प्रतिष्ठान में प्रत्येक नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान में किसी भी नियोजन में रिक्तियों को भरने से पूर्व ऐसे तरीके से उस तारीख से इस प्रकार के करियर सैंटरों (क्षेत्रीय) को प्रेषित करेगा जैसाकि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाये।

(ग) सक्षम सरकार नियोक्ताओं द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों की प्राप्ति हेतु एक तंत्र (डिजिटल सहित) उपलब्ध करवायेगी। करियर सैंटर जिसमें ये रिक्तियाँ प्रेषित की गई हैं, रिपोर्ट की गई रिक्तियों के लिये एक विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या उपलब्ध करवायेंगे तथा इसे तुंरत लिखित में, मेल या डिजिटल या अन्य किसी प्रकार के मीडिया के माध्यम से सूचित करेंगे जिसकी समयावधि रिक्तियों की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन होंगी। स्पष्टीकरण: (1) "सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठान" का अर्थ एक प्रतिष्ठान जिसका मालिकाना हक, नियंत्रण अथवा प्रबंधन निम्नलिखित के द्वारा होगा-

- (i) सरकार अथवा सरकार का एक विभाग
- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथापरिभाषित एक सरकारी कंपनी;
- (iii) किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित एक निगम (सहकारी संस्था सहित) या एक स्वायत्त संगठन या एक प्राधिकारी या एक निकाय जिसका मालिकाना हक, नियंत्रण या प्रंबंधन सरकार द्वारा किया जाता हो; और
- (iv) एक स्थानीय प्राधिकारी

(2) "निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठान" का अर्थ किसी ऐसे प्रतिष्ठान से है जोकि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान नहीं है तथा जिसमें 50 या इससे अधिक कर्मचारी या ऐसी संख्या के कर्मचारी नियोजित हैं जैसाकि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।

(3) सक्षम सरकार करियर सैंटर (केन्द्र) के लिये केन्द्र सरकार होगी तथा संबंधित राज्य सरकार करियर सैंटर (क्षेत्रीय) हेतु होगी। राज्य सरकार जिसके पास स्वयं का कोई करियर सैंटर या पोर्टल नहीं है तो उस स्थिति में उस क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की रिक्तियों की रिपोर्टिंग अधिसूचना के माध्यम से केन्द्र सरकार के डिजिटल पोर्टल या करियर सैंटर को की जायेगी।

(2) रिक्तियों का प्रकार और रिक्तियों की रिपोर्ट करने हेतु संबंधित करियर सैंटर: (क) निम्नलिखित रिक्तियां, अर्थात्-

(i) प्रतिष्ठानों में उत्पन्न होने वाली न्यूनतम वेतन या वेतन स्तर या दोनों सहित तकनीकी और वैज्ञानिक प्रकृति के पदों में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित सभी रिक्तियां, जिनके संबंध में कोड के तहत केन्द्र सरकार उपयुक्त सरकार है; और

(ii) जिस राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में प्रतिष्ठान स्थित है, उसके बाहर करियर सैंटर में नियोक्ता की इच्छानुसार परिचालित की जाने वाली रिक्तियां-

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्धारित किए अनुसार ऐसे करियर सैंटर (केन्द्रीय) को रिपोर्ट की जानी चाहिए।

(ख) उपर्युक्त उप-धारा (1) में निर्धारित रिक्तियों के अतिरिक्त अन्य रिक्तियों को संबंधित करियर सैंटर (क्षेत्रीय) को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

(ग) रिक्तियां, जो कि करियर सैंटर (क्षेत्रीय) को रिपोर्ट की जा चुकी हैं और जिनके लिए भर्ती राज्य या अन्तर-राज्य या अखिल भारतीय आधार पर की जानी है, को भी करियर सैंटर (केंद्रीय) को रिपोर्ट किया जाएगा या अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(3) रिक्तियों की रिपोर्टिंग का तरीका व प्रारूप: (क) रिक्तियों को लिखित रूप में अथवा वैध-आधिकारिक ई-मेल के द्वारा अथवा डिजिटल रूप से, सक्षम सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार करियर सैंटर को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

(ख) प्रपत्र-XXV में दिए गए प्रारूप के अनुसार, प्रत्येक प्रकार की रिक्ति के संबंध में जितना भी विवरण व्यावहारिक रूप से संभव हो, पृथक रूप में प्रदान करते हुए, रिक्तियों को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

(ग) उप-नियम (4) के खंड (क) के तहत करियर सैंटर को पहले ही प्रदान किए जा चुके विवरणों में हुए बदलाव के बारे में, लिखित अथवा आधिकारिक ई-मेल अथवा डिजिटल रूप से, जैसा भी मामला हो, निर्धारित करियर सैंटर को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

(4) रिक्तियों की रिपोर्टिंग में समय-सीमा:

(क) रिक्तियां, जो कि करियर सैंटर (क्षेत्रीय) को रिपोर्ट की जानी आवश्यक हैं, रिपोर्ट की गई रिक्तियों के लिए नियुक्ति के उद्देश्य हेतु अथवा साक्षात्कार लिए जाने अथवा परीक्षा लिए जाने हेतु संभावित उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त होने की आखिरी तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पहले रिपोर्ट की जानी चाहिए।

(ख) रिक्तियां, जो कि करियर सैंटर (केन्द्रीय), को रिपोर्ट की जानी आवश्यक हैं, रिपोर्ट की गई रिक्तियों के लिए नियुक्ति के उद्देश्य हेतु अथवा साक्षात्कार लिए जाने अथवा परीक्षा लिए जाने हेतु संभावित उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त होने की आखिरी तिथि से कम से कम 40 दिन पहले रिपोर्ट की जानी चाहिए।

(5) रिकार्डों का रख-रखाव: (क) किसी राज्य या उसके क्षेत्र में इस कोड के लागू होने के बाद उस राज्य अथवा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा मैनुअली या इलैक्ट्रानिक रूप से या डिजिटल रूप से निम्नलिखित रिकार्ड रखा जाएगा:-

- (i) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को कर्मचारियों की कुल सं. (नियमित, संविदा या फिक्सड टर्म रोज़गार)
- (ii) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान नियुक्त व्यक्ति
- (iii) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने कर्मचारियों का व्यावसायिक विवरण
- (iv) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ऐसी रिक्तियां जिनके लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे;
 और
- (v) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली अनुमानित रिक्तियों की संख्या

(ख) सक्षम सरकार अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में निर्धारित किए गए अनुसार ऐसी तिथि से आवश्यक कर सकती है कि निजी क्षेत्र में प्रत्येक प्रतिष्ठान अथवा निजी क्षेत्र में किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के प्रतिष्ठान से संबंधित प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोक्ता मैनुअली या इलैक्ट्रानिक रूप से या डिजिटल रूप से निम्नलिखित रिकार्ड रखेगा:-

- i) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को कर्मचारियों की कुल सं.(नियमित, संविदा या फिक्सड टर्म रोज़गार)
- ii) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए व्यक्ति
- iii) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने कर्मचारियों का व्यावसायिक विवरण
- iv) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ऐसी रिक्तियां जिनके लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे; और
- v) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली अनुमानित रिक्तियों की संख्या

(6) रिटर्नों को जमा करना:- प्रपत्र-XXVI में दिए गए अनुसार नियोक्ता EIR (रोज़गार सूचना रिटर्न) के तौर पर वार्षिक रिटर्नों को संबंधित करियर सैंटर को प्रेषित करेगा। संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट नियत तिथि के तीस दिनों के भीतर सामान्य वर्ष की 31 मार्च को वार्षिक रिटर्नों को मैनुअली या इलैक्ट्रॉनिक रूप से या डिजिटल रूप से, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) कार्यकारी अधिकारी की घोषणा: (क) निदेशक, रोज़गार या उसके समकक्ष अथवा उच्च स्तर का अधिकारी, जो संबंधित राज्य सरकार के करियर सैंटर (क्षेत्रीय) का कार्य नियंत्रित कर रहा हो, कोड के अध्याय XIII (रोज़गार सूचना और निगरानी) के प्रवर्तन/कार्यान्वयन के प्रयोजन हेतु प्रत्येक जिले में करियर सैंटर (क्षेत्रीय) के कार्य की देख-रेख के लिए "कार्यकारी अधिकारी" के तौर पर लिखित में एक अधिकारी को नियुक्त करेगा। वह ऐसा अधिकारी होगा जो कि कोड की धारा 139 में संदर्भित अधिकारों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा अथवा उन अधिकारों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन हेतु लिखित में किसी व्यक्ति को अधिकृत करेगा। (ख) निदेशक, रोज़गार या उसके समकक्ष अथवा उच्च स्तर का अधिकारी, जो रोज़गार महानिदेशालय, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, नई दिल्ली का कार्य नियंत्रित कर रहा हो, कोड के अध्याय XIII (रोज़गार सूचना और निगरानी) के प्रवर्तन/कार्यान्वयन के प्रयोजन हेतु प्रत्येक जिले में करियर सैंटर (क्षेत्रीय) के कार्य की देख-रेख के लिए "कार्यकारी अधिकारी" के तौर पर लिखित में एक अधिकारी को नियुक्त करेगा। वह ऐसा अधिकारी होगा जो कि कोड की धारा 139 में संदर्भित अधिकारों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा।

(8) कोड के अध्याय XIII के तहत जुर्माना लगाना: निदेशक, रोज़गार या उसके समकक्ष अथवा उच्च स्तर का अधिकारी, जोकि संबंधित राज्य के करियर सैंटर (क्षेत्रीय) के कार्य को नियंत्रित कर रहा हो, संस्थान को अनुमोदित या कोड के तहत धारा 133 में उल्लेख किए गए अनुसार किसी अपराध हेतु संस्थान पर जुर्माना लगाने की मंजूरी देने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

(9) दिशानिर्देशों को जारी करना:- सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020 के अध्याय XIII से संबंधित प्रावधानों तथा उसके नियमों को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकती है जिनमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

अध्याय XIII

विविध

59. धारा 141 की उप-धारा(4) के तहत सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना और प्रशासन का तरीका: (1) धारा 141 की उप-धारा(1) के तहत प्राप्त सभी निधियों को एक अलग खाते(तों) में जमा किया जाएगा और जो सामाजिक सुरक्षा कोष कहलाएंगे और असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए धारा 109 और 114 के तहत अधिसूचित योजना(ओं) के सभी खर्चें इस कोष से किए जाएंगे।

(2) केन्द्र सरकार समय-समय पर सामाजिक सुरक्षा कोष के प्रारंभिक वित्तपोषण/पूर्ति हेतु स्रोत(तों) की पहचान करेगी।

(3) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार कोष को इस प्रयोजन हेतु नियत की गई एजेंसी के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

(4) सामाजिक सुरक्षा कोष के प्रशासन हेतु नियत की गई एजेंसी के द्वारा केन्द्र सरकार के निर्देशों, यदि कोई हो तो, का अनुपालन किया जाएगा।

(5) एजेंसी द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोष के खातों के विवरण को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए तरीके और प्रपत्र(त्रों) के अनुसार रखा जाएगा और समय-समय पर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोष के खातों का ऑडिट किया जाएगा।

60. उप-धारा (1) के तहत छूट देने से पहले पूरी की जाने वाली पात्रता की शर्तें और छूट के बाद अनुपालन की जाने वाली शर्तें; और धारा 143 की उप-धारा(3) के तहत छूट की विस्तार अवधि-

(1) एक प्रतिष्ठान जो कि कोड की धारा 143 के तहत छूट पाना चाहता है, को छूट से पूर्व निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा:-

(क) इस तरह के प्रतिष्ठान के कर्मचारी, कोड के अध्याय III के तहत योजना में दिए गए लाभों या अध्याय IV के तहत उपलब्ध लाभों, जैसा भी मामला हो, के समान या उससे बेहतर लाभों को प्राप्त करते हो;

(ख) छूट की मांग करने वाले प्रतिष्ठान को इलेक्ट्रॉनिक या अन्य प्रकार से आवेदन करना होगा;

(ग) आवेदन करने से ठीक पहले तीन साल की अवधि के लिए प्रतिष्ठान नियमित रूप से कोड के अध्याय III के प्रावधानों या कर्मचारियों के भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम,1952 (1952 का 19) के प्रावधानों; या, कोड के अध्याय IV के प्रावधानों या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के प्रावधानों, जैसा भी मामला हो, का अनुपालन कर रहा हो और ऐसी अवधि के दौरान संबंधित अध्यायों के तहत देय भुगतान में चूक नहीं की गई हो;

(घ) कोड की धारा 143 के तहत छूट मांगने वाले प्रतिष्ठान में इस तरह के आवेदन की तारीख पर कोड के अध्याय III के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम पांच सौ अंशदायी सदस्य या कोड के अध्याय IV के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम पांच सौ कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, होने चाहिए;

(ड.) कोड की धारा 15 के तहत निर्धारित पेंशन योजना या भविष्य निधि योजना के प्रावधानों से छूट की मांग करने वाले प्रतिष्ठान के पास, छूट मांगी गई योजना के संबंध में पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक की संचित निधि होनी चाहिए;

(च) अध्याय III के प्रयोजनों हेतु कोड की धारा 143 के तहत छूट मांगने के लिए प्रतिष्ठान, कर्मचारियों के बहुमत संबंधी सहमति प्रस्तुत करेगा;

(छ) छूट की मांग करने वाले प्रतिष्ठान के पास आवेदन की तारीख से पूर्व विगत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान सकारात्मक निवल संपत्ति होनी चाहिए;

(ज) कोड के संबंधित डेटा-बेस में, प्रतिष्ठान को अध्याय III के प्रयोजनों के लिए संबंधित सदस्यों के खाते में या अध्याय IV के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक बीमित सदस्य और उसके पारिवारिक सदस्यों के खाते में, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक सदस्य का आधार नंबर रखना चाहिए; तथा

(झ) कोड के अध्याय III के प्रयोजनों के लिए, प्रतिष्ठान दावों के ऑनलाइन निपटान हेतु सुविधाएं प्रदान करेगा और छूट प्रदान करने के 90 दिनों के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ संबंध रखने वाली शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा।

(2) कोड की धारा 143 के तहत छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना जारी की जाएगी जिससे कि वह अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हो सके और इसमें अन्य नियम और शर्तें होंगी जिनका प्रतिष्ठान और/या नियोक्ता द्वारा, जैसा भी मामला हो, अनुपालन किया जाएगा।

(3) (क) छूट की समाप्ति से न्यूनतम छह महीने पहले निर्दिष्ट पोर्टल पर कोड की धारा 143 के तहत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया जाएगा।

(ख) अध्याय IV के प्रावधान से किसी प्रतिष्ठान को दी गई छूट सक्षम सरकार के द्वारा एक समय में पांच साल की अवधि के लिए इस शर्त के अधीन विस्तारित की जा सकती है कि प्रतिष्ठान, नियम 60 के उप-नियम(1) के खंड(घ) को छोड़कर नियम 60 के उप-नियम(1) में निर्दिष्ट प्रासंगिक शर्तों को पूरा करता रहेगा।

(ग) निगम के पूर्व परामर्श के बिना अध्याय IV के प्रावधान से कोई छूट विस्तारित नहीं की जाएगी। आवेदन प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर निगम, सक्षम सरकार को अपने विचार प्रस्तुत करेगा व ऐसा ना होने की स्थिति में सक्षम सरकार जैसा भी ठीक समझेगी, छूट के विस्तार पर निर्णय लेगी।

(घ) भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना के संबंध में दी गई छूट, जैसा भी मामला हो, को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी नियमों और शर्तों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है जो कि संबंधित योजनाओं में निर्दिष्ट की गई हो। 61. धारा 143 की उप-धारा(1) के तहत वह समय जिसके भीतर केंद्रीय बोर्ड या निगम, जैसा भी मामला हो, उपयुक्त सरकार को अपना दृष्टिकोण अग्रेषित करेगा- केंद्रीय बोर्ड या निगम, जैसा भी मामला हो, कोड की धारा 143 के तहत छूट की मांग करने वाले आवेदन पर अपने विचार सक्षम सरकार को छूट के लिए प्रस्ताव के प्राप्त होने के छह महीने के भीतर अग्रेषित करेगा। यदि केंद्रीय बोर्ड या निगम, जैसा भी मामला हो, उक्त अवधि के भीतर अपने विचार प्रदान करने में असमर्थ रहता है, तो उपयुक्त सरकार समय-सीमा का विस्तार कर सकती है या छूट के आवेदन पर कार्रवाई, जैसा भी ठीक समझे, कर सकती है।

62. धारा 143 की उप-धारा(2) के तहत छूट के बाद वे शर्तें जिन्हें छूट प्राप्त प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों का वर्ग या कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग, जैसा भी मामला हो, अनुपालन करेगा-

(1) कोड के अध्याय IV के प्रावधान से छूट प्राप्त प्रतिष्ठान:

(क) विनियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार छूट दिए गए कर्मचारियों के संबंध में इस तरह के रिकॉर्ड बनाए रखेगा और निगम को ऐसी रिटर्न और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा; तथा

(ख) विलय, डीमर्जर, अधिग्रहण, बिक्री, समामेलन, सहायता रूपांतरण, चाहे पूर्ण स्वामित्व हो या नहीं, आदि के कारण ऐसे किसी प्रतिष्ठान जिसे कोड की धारा 143 के तहत छूट दी गई है, की कानूनी स्थिति में हुए परिवर्तन के मामले में छूट को रद्द समझा जाएगा और छूट के लिए प्रतिष्ठान को सक्षम सरकार के पास फिर से नया आवेदन करना होगा।

(2) अध्याय III के प्रयोजनों के लिए, प्रतिष्ठान और/या नियोक्ता, छूट प्राप्ति के बाद, भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना, जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट कोड की धारा 15 के तहत बनाए गए सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन करेगा।

63. धारा 143 की उप-धारा(5) के तहत ट्रस्ट के प्रबंधन के लिए शर्तें, जिसे अध्याय III के तहत धारा 143 की उप-धारा(1) के तहत छूट प्रदान की गई है- (1) भविष्य निधि या पेंशन फंड के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार या केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के द्वारा समय-समय पर दिए गए इस तरह के निर्देशों के अनुसार एक न्यासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

(2) भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना, जैसा भी मामला हो, में निर्धारित किए अनुसार न्यासी बोर्ड में नियोक्ता और कर्मचारी प्रत्येक के बराबर संख्या में प्रतिनिधि होंगे।

(3) छूट प्राप्त ऐसे प्रतिष्ठान का नियोक्ता, न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष होगा। वोटों के बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष एक वोट डाल सकता है। हालांकि, न्यासी बोर्ड की सभी बैठकों में अध्यक्ष द्वारा arm's length सिद्धांतों को बनाए रखा जाएगा।

(4) न्यासी बोर्ड प्रत्येक तीन महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगा और केंद्र सरकार या केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

(5) ट्रस्टियों के कार्यालय के कार्यकाल सहित नियम और शर्तों को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और न्यासी बोर्ड के नियोक्ताओं के चुनाव या नामांकन के लिए प्रक्रिया और तरीके, ट्रस्टीशिप की समाप्ति और अपात्रता, फिर से चुनाव या न्यासियों का फिर से नामांकन, बोर्ड की बैठक में कोरम, व्यवसाय के लेन-देन का रिकॉर्ड रखना और ट्रस्ट के प्रबंधन के लिए अन्य सभी मामलों और शर्तों को भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना, जैसा भी मामला हो, के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

(6) इन नियमों और शर्तों के दायरे में किसी भी सामान्य मुद्दे पर किसी प्रकार के विवाद या संदेह के मामले में, मामला क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजा जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यालय है। इस मामले में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 64. <mark>धारा 155 की उप-धारा (2) के खंड (यफ) के अंतर्गत महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के कार्यालय को फार्म की एक प्रति भेजना –</mark> फार्म V (उपदान के दावे के भुगतान/अस्वीकार करने संबंधी सूचना) की एक प्रति महानिदेशक, श्रम ब्यूरो को ऑटो मॉड में इलेक्ट्रानिक रूप से साझा किया जाएगा।

प्रपत्र- I

[देखें नियम 14 (2)(ए)]

सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020 की धारा 23 के तहत अपील

मामले का शीर्षक:

अपील

सूची

क्र.सं.	दस्तावेजों का विवरण	पृष्ठ सं.
1.		
2.		
3.		
4.		

आवेदक के हस्ताक्षर

अधिकरण कार्यालय में प्रयोग हेतु

प्रस्तुतीकरण की तिथि (या) डाक द्वारा प्राप्ति की तिथि पंजीकरण सं.

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण में

मध्य	य		
ए.ड	ft.		अपीलकर्ता
	बनाम		
सी.	डी.		प्रतिवादी
अर्प	ोल का विव	बरण	
1	्रामिलकत	र्ग का विवरण:	
1.			
	(i)	अपीलकर्ता का नाम	
	(ii)	कार्यालय का पता	
	(iii)	नोटिस भेजने का पता	
2.	प्रतिवादी	का विवरण:	
	(i)	प्रतिवादी का नाम	
	(ii)	कार्यालय का पता	
	(iii)	नोटिस भेजने का पता	
3.	अपील कि	ज्ए गए आदेश/अधिसूचना का विवरण: अपील निम्	प आदेश/अधिसूचना के विरूद्ध की गई ह <mark>ै</mark> -
	(i)	अनुलग्नक के संदर्भ में आदेश/अधिसूचना सं.	
	(ii)	तिथि	
	(iii)	द्वारा पारित	
	(iv)	संक्षिप्त विषय	

- 4. अधिकरण का क्षेत्राधिकार: अपीलकर्ता यह घोषणा करता है कि जिस मामले के खिलाफ वह निवारण चाहता है, उसका विषय अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है।
- 5. सीमा अपीलकर्ता आगे यह घोषणा करता है कि अपील सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020 की धारा 127 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत है।
- 6. मामले के तथ्य: मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं:

(iv)

(कालानुक्रमिक क्रम में यहां तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें, जहां तक संभव हो, प्रत्येक पैराग्राफ में एक अलग मुद्दा, तथ्य या कुछ और)

7. **किए जा चुके उपायों** का विवरण- अपीलकर्ता यह घोषणा करता है कि उसने कोड के तहत उपलब्ध सभी उपायों का लाभ उठा लिया है।

(अनुलग्नक संख्या के संदर्भ में कालानुक्रमिक रूप में दिए गए अभ्यावेदन का विवरण और इस तरह के अभ्यावेदन का निष्कर्ष यहां दें)।

8. पहले से दायर नहीं किए गए या किसी अन्य अदालत के पास गैर-लंबित मामले -अपीलकर्ता आगे यह घोषणा करता है कि उसने पहले किसी भी कानूनी अदालत या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकरण की किसी अन्य पीठ के समक्ष अपील किए गए मामलें के संबंध में कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा दायर नहीं किया है, और ना ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा उनमें से किसी के समक्ष लंबित है।

यदि अपीलकर्ता ने पहले कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा दायर किया है, तो जिस चरण में वह लंबित है और यदि निर्णय हो चुका है, तो निर्णय का सार अनुलग्नक के संदर्भ सहित दिया जाना चाहिए।

 मांग की गई राहत(तें) - ऊपर पैरा 6 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित राहत(ओं) के लिए अपीलकर्ता अनुरोध करता है :-

[राहत(ओं) के लिए आधार की व्याख्या करते हुए राहत(ओं) और कानूनी प्रावधान(यदि कोई हो) जिन्हें अपनाया गया है, को नीचे निर्दिष्ट करें।

10. अंतरिम आदेश, यदि किसी के लिए अनुरोध किया गया हो- अपील पर लंबित अंतिम निर्णय की वजह से आवेदक अगले अंतरिम आदेश को जारी करने हेतु कह सकता है-

(अनुरोध किए गए अंतरिम आदेश की प्रकृति को यहां कारणों सहित बताएं)

- 11. पंजीकृत डाक से भेजी गई अपील की स्थिति में, यह पूछा जा सकता है कि क्या अपीलकर्ता प्रवेश चरण में मौखिक सुनवाई का इच्छुक है या नहीं और यदि हां तो वह स्वयं के पते वाला पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र संलग्न करेगा, जिस पर सुनवाई की तारीख के संबंध में सूचना उसे भेजी जा सके।
- 12. अपील शुल्क के संबंध में बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर का विवरण:
 - 1. बैंक का नाम, जिस पर आहरित किया गया है
 - 2. डिमांड ड्राफ्ट संख्या (या)
 - 3. ऑनलाइन फंड ट्रांसफर का विवरण
- 13. संलग्नकों की सूची
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.

		सत्या	पन					
मैं,			(अपीलकर्ता	का	नाम),	पुत्र,	पुत्री,	पत्नी,
		,	आयु					
का	निवासी				. के	का	र्यालय	में
	के तं	ौर पर कार्यरत हूं	व एतदद्वारा स	त्यापित	करता/र्त	ो हूं कि	पैरा	
सेकी स	ामग्री मेरी व्यक्तिगत	ा जानकारी के अनु	सार सही है। पैर	रा	से	कान्	ूनी परा	मर्श के
अनुसार सही है और मैं	ने किसी भी महत्वपूप	र्ग तथ्य को छुपाया	नहीं है।					
							`	
						अपाल	किता के	हस्ताक्षर

तिथि:

स्थान:

सेवा में

रजिस्ट्रार

प्रपत्र**-||**

[देखें नियम 14 (2)(सी)]

रसीद पर्ची

एतदद्वारा,	श्री/श्रीमती/	′सुश्री			जो कि
में/के	लिए	कार्यरत	हैं	और	
			. के निवा	सी हैं, के द्व	रा केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरणमें
दायर की ग	ई अपील की	। रसीद प्रदान व	की जाती	है।	

रजिस्ट्रार हेतु

केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण

तिथि:

मोहर:

प्रपत्र-III

[(नियम 34 (1), (2), (3) और (4) देखें] नामांकन/नया नामाकंन/ नामांकन में संशोधन (जो शब्द लागू न हो काट दें)

सेवा में.....

(यहां प्रतिष्ठान का नाम या विवरण पूरे पते के साथ लिखें)

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी......निच अभिव्यक्त किया गया है, एतद्दवारा नीचे उल्लेखित व्यक्ति (यों) को / सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में अपनाए गए परिवार को......(यहां तारीख लिखें) से निम्नलिखित इंगित तरीके से नामित करता/करती हूं और इसलिए नीचे उल्लेखित व्यक्ति (यों) को मेरी मृत्यु के उपरांत देय उपदान और साथ ही मेरी मृत्यु की स्थिति में मुझे क्रेडिट होने वाले उपदान की राशि जो मुझे देय हो गई है, या देय होने का भुगतान नहीं किया गया है और उक्त उपदान राशि को नामिति/यों को उनके नाम के आगे दर्शाये गए अनुपात में बांट दी जाने का निर्देश देता/देती हूं।

या

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.....के वा प्रा त्यहां पूरा नाम लिखें) जिसका विवरण नीचे अभिव्यक्त किया गया है एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक.....को नामांकन भरा गया है तथा आपके दिनांक.....के सदर्भ संख्या.....के तहत रिकार्ड किए गए को निम्नानुसार संशोधित किया जाए-

*अनावश्यक भाग को काट दें।

 मैं एतद्दवारा प्रमाणित करता/करती हूं कि उल्लेखित व्यक्ति (यों) सामजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में मेरे परिवार का/के सदस्य (यें) हैं।

3. मैं एतद्दवारा घोषाणा करता/करती हूं कि उक्त संहित की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में मेरा कोई परिवार इसके अतंर्गत नहीं है।

4. (क) मेरे पति /माता/माता-पिता/ मुझ पर निर्भर नहीं है ।

(ख) मेरे पति के पिता/माता/माता-पिता मेरे पति पर निर्भर नहीं है

5. मैंने उपरोक्त संहिता की धारा (2) के खंड (33) की शर्तों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को दिनांक.....को दिए नोटिस के द्वारा अपने परिवार से अपने पति को अलग कर दिया है।

6. यह नामांकन मेरे पुराने नामांकन का निरस्त कर देगा।

नामिति

क्रम सं.	नामिति/यों का पूरा नाम एवं पता	कर्मचारी से संबंध	नामिति की आयु	उपदान साझा करने के लिए अनुपान
1.				
2.				
3.				

"एक परिवार" को अपनाने का तरीका

(यहां इस बात का विवरण दें कि एक परिवार को कैसे अपनाया गया था, अर्थात विवाह या माता-पिता द्वारा आश्रित होने या अन्य प्रक्रिया जैसे गोद लेना के माध्यम से)

विवरणी

- 1. कर्मचारी का पूरा नाम
- 2. लिंग
- 3. धर्म
- 4. क्या आप अविवाहित / विवाहित / विधवा / विधुर है
- 5. विभाग / शाखा / अनुभाग जहां तैनात हैं
- 6. पदनाम के साथ टिकट या क्रमांक संख्या,यदि कोई हो
- 8. नियुक्ति की तारीख
- 9. स्थायी पताः

गांव	थाना	उप प्रभाग
डाकघर	जिला	राज्य
ईमेल आईडी	मोबाइल	। संख्या
स्थानः		

दिनांकः

कर्मचारी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नियोक्ता के द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामांकत का विवरण सत्यापित किया गया है और इसे संस्थान में रिकार्ड कर लिया गया है।

नियोक्ता का संदर्भ संख्या, यदि कोई हो

नियोक्ता के हस्ताक्षर/प्रधिकृत अधिकारी का पदनाम

संस्थान का नाम एवं पता या उसका रबर मोहर

दिनांक.....:

कर्मचारी के द्वारा पावती

मेरे द्वारा भरे गए और नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किए गए नामांकत प्रपत्र की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर ली गई है।

दिनांक.....:

कर्मचारी के हस्ताक्षर
प्रपत्र-IV

[(नियम 35(1) देखें]

कर्मचारी/ नामिति/ कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा उपदान के लिए आवेदन (जो शब्द लागू न हो काट दें)

सेवा में,....

(यहां प्रतिष्ठान का नाम या विवरण पूरे पते के साथ लिखे)

महोदय/ महोदया,

मैं,(कर्मचारी/नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम)/स्वर्गीय...... (कर्मचारी का नाम) द्वारा नामित व्यक्ति का नाम/स्वर्गीय...... (कर्मचारी का नाम) कानूनी उत्तराधिकारीके रूप में, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (1) के तहत हकदार हूं, उपदान के भुगतान के लिए आवेदन करता हूँ -

(क) मेरी अर्धवर्षिता /सेवानिवृत्ति / कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा के पूरे करने बाद त्यागपत्र /दुर्घटना के कारण कुल विकलांगता/ बीमारी के कारण कुल विकलांगता/..... तिथि से प्रभावी नियत अवधि रोजगार के तहत संविदा अवधि की समाप्ति पर या;

(ख) सेवा में रहते हुए उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु/सेवा में...... वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दिनांकको अर्धवर्षिता/ दिनांक.......से दुर्घटना या सेवा में रहते हुए में बीमारी के कारण उपर्युक्त कर्मचारी की कुल विकलांगता या;

(ग) सेवा में रहते हुए आपके प्रतिष्ठान में उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु/दिनांक.....को अर्धवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात बिना कोई नामांकन के......वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात/को अर्धवर्षिता आयु प्राप्त करने के हुए उक्त कर्मचारी की दुर्घटना या बीमारी द्वारा कुल विकलांगता ;

मेरी नियुक्ति से संबंधित आवश्यक विवरण निम्नानुसार है।

1. कर्मचारी का पूरा नाम, (यदि, किसी कर्मचारी द्वारा उपदान का दावा किया जाता है)

क. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित / विवाहित / विधवा / विधुर)

ख. कर्मचारी का पूरा पता

2. नामिति / कानूनी उत्तराधिकारी का नाम (यदि, किसी कर्मचारी द्वारा उपदान का दावा किया जाता है)

- क. कर्मचारी का नाम
- ख. नामिति / कानूनी उत्तराधिकारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित / विवाहित / विधवा / विधुर)
- ग. नामिति / कानूनी उत्तराधिकारी का कर्मचारी के साथ का संबंध
- घ. नामिति / कानूनी उत्तराधिकारी पूरा पता
- ड. कर्मचारी की मृत्यु की तिथि और मृत्यु का प्रमाण
- च. रिकार्ड किए गए नामांकन की संदर्भ संख्या यदि उपलब्ध हो
- 3. विभाग / शाखा / अनुभाग जहां अंतिम तैनाती थी -
- 4. कर्मचारी द्वारा धारित पद -
- 5. नियुक्ति की तारीख -
- 6. सेवा समाप्ति की तारीख और कारण -
- 7. मृत्यु की तारीख -
- 8. कर्मचारी की सेवा की कुल अवधि -
- 9. कर्मचारी द्वारा आहरित कुल अंतिम वेतन
- 10. कर्मचारी को देय कुल उपदान/ नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावा किए गए उपदान का भुगतान-
- 11. मेरे बैंक खाता संख्या..... में कृपया क्रास बैंक चेक/क्रडिट द्वारा भुगतान किया जाए।

भवदीय/ भवदीया

आवेदक कर्मचारी/ नामिति/ कानूनी उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान.

स्थान:

तारीख:

प्रपत्र-V

[(नियम 35(2)देखें]

उपदान के दावे का भुगतान/ खारिज किए जाने की सूचना

(जो शब्द लागू न हो काट दें)

सेवा में,....

(आवेदित कर्मचारी / नामित कानूनी उत्तराधिकारी का नाम और पता)

आपको एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि

(क) *सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2020 पर संहिता के नियम 35 के उप-नियम (2) के खंड (क) के उप-खंड (ii) के तहत आवश्यकतानुसार, उक्त नियमों के तहत **फॉर्म-IV** में दिए गए आपके आवेदन पर इंगित उपदान के भुगतान के लिए आपका दावा उल्लिखित कारणों के कारण स्वीकार्य नहीं है:

कारण (यहां कारण स्पष्ट करें); या

- 3. आपकी इच्छानुसार देय राशि आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या आपके बैंक खाते में क्रेडिट द्वारा भेजी जाएगी।
- 4. केलक्यूलेशन का संक्षेप विवरण
 - (क) नियुक्ति की तारीख।
 - (ख) समाप्ति / अर्धवर्षिता / त्यागपत्र / विकलांगता / मृत्यु की तारीख।
 - (ग) संबंधित व्यक्ति की कुल सेवा अवधि:माह.
 - (घ) अंतिम आहरित वेतन:
 - (ड) नामांकन/ एक कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में देय स्वीकार्य उपदान का अनुपातः
 - (च) देय राशि:
- * पैरा जो लागू न हो काट दें

स्थान:

दिनांक:

नियोक्ता/ सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिष्ठान का नाम या विवरण या उसकी रबर की मोहर

उपदान के अस्वीकार्य मामले में सक्षम अधिकारी को सूचना

प्रपत्र-VI

[(नियम 35(4)देखें]

सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत अध्याय V के लिए सक्षम प्राधिकारी से समक्ष निर्देश के लिए आवेदन

आवेदन संख्या.

दिनांक

(आवेदक के पूरे नाम सहित पूरा पता)

तथा

(संबंधित नियोक्ता का पूर्ण पते के साथ पूरा नाम)

के मध्य

उक्त सूचना की एक डुप्लीकेट प्रति संलग्न है।

3. आवेदक ने माना है कि मामले पर कोई विवाद है (विवाद स्पष्ट करें).

4. आवेदक यहां अनुलग्नक में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करता है और प्रार्थना करता है कि सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्ता को देय उपदान की राशि को निर्धारित करे और उपर्युक्त नियोक्ता को याचिकाकर्ता को उक्त भुगतान करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

5. आवेदक इस बात की घोषणा करता है कि अनुलग्नक में प्रस्तुत विवरण उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

दिनांक:

आवेदक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

अनुबंध

1. आवेदक के पूरे नाम सहित पूरा पता :-

2. दावे का आधार (मृत्यु / अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र / कर्मचारी की विकलांगता / नियत अवधि रोजगार के तहत संविदा अवधि की समाप्ति)

3. कर्मचारी का पूरा नाम और पता

- 4. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित / विवाहित / विधवा / विधुर)
- 5. नियोक्ता का नाम और पूरा पता
- 6. विभाग / शाखा / अनुभाग जहां कर्मचारी अंतिम बार कार्यरत था (यदि ज्ञात हो)
- 7. टिकट या क्रम संख्या सहित कर्मचारी द्वारा धारित पद, यदि कोई हो (यदि ज्ञात हो)
- 8. कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख (यदि ज्ञात हो)

9. तारीख सहित कर्मचारी की सेवा समाप्ति का कारण (अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र / विकलांगता / मृत्यु / नियत अवधि रोजगार के तहत संविदा अवधि की समाप्ति)

- 10. कर्मचारी द्वारा सेवा की कुल अवधि
- 11. कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन
- 12. यदि कर्मचारी मृत है, तो उसकी तिथि और कारण
- 13. कर्मचारी की मृत्यु के समर्थन में साक्ष्य / गवाह
- 14. यदि एक नामिति है, नियोक्ता के साथ नामांकन की संख्या और रिकार्ड की तारीख
- 15. कानूनी उत्तराधिकारी होने के समर्थन में साक्ष्य / गवाह, यदि उत्तराधिकारी है
- 16. कर्मचारी को देय कुल उपदान (यदि ज्ञात हो)
- 17. आवेदक को नामिति / कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में देय उपदान का प्रतिशत
- 18. आवेदक द्वारा दावा की गई उपदान की राशि

स्थान:

दिनांक:

आवेदक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

प्रपत्र– VII

[(नियम 35 (5),(8)देखें]

सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थिति के लिए सूचना / समन

/जो शब्द लागू न हो काट दें/

सेवा

में,....

(नियोक्ता / आवेदक का नाम और पता)

जबकि श्री उपरोक्त उल्लेखित नियोक्ता के अधीन एक कर्मचारी / श्री उपरोक्त उपरोक्त उल्लेखित नियोक्ता के तहत एक कर्मचारी के नामिति(यों) / कानूनी उत्तराधिकारी(यों) हैं ने सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2020 पर संहिता के नियम 35 के उप-नियम (4) के तहत एक आवेदन दायर किया है जो आरोपित करता है कि ----

(उक्त आवेदन की एक प्रति संलग्न है, यदि, समन जारी किया गया है तो आवेदन की प्रति की आवश्यकता नहीं है)

ध्यान दें कि पूर्व में उल्लिखित तारीख को आपकी अनुपस्थिति पर, आवेदन को खारिज / सुनवाई तथा आपकी अनुपस्थिति में निर्धारित की जाएगी।

जबकि सबूत देने के लिए आपकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है / आपको इस सूची में दिए दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता होती है, प्रपत्र........... के द्वारा उपदान के लिए दावे से उत्पन्न मामले में........ के पक्ष पर और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 56 के तहत आवेदन द्वारा इस प्राधिकारी को संदर्भित किया गया है, आपको एतद्दवारा व्यक्तिगत रूप से इस प्राधिकारी के समक्ष दिन 20... .. पर... बजे पूर्वाहन में /अपराह्न में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है और उक्त दस्तावेज जो (इस प्राधिकारी को आपके द्वारा भेजे जाने है) आपको अपने साथ लाने हैं।

दस्तावेजों की सूची-

1.

2.

3. आगे

20......केइस दिन.....को मेरे द्वारा सुपर्द और सील की गई।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत सक्षम प्राधिकारी

नोट: 1. लागू नहीं होने वाले शब्दों और पैराग्राफों को काट दें.

2. जो हिस्सा लागू न होता हो उसे हटा दें।

 समन डुप्लिकेट में जारी किया जाएगा। डुप्लिकेट पर हस्ताक्षर किया जाना है और निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित व्यक्तियों द्वारा लौटाया जाना है।

4. यदि समन केवल एक दस्तावेज तैयार करने के लिए जारी किया जाता है और सबूत नहीं दिया जाता है तो यह समन के लिए पर्याप्त अनुपालन होगा, यदि दस्तावेजों को उद्देश्य के लिए निर्धारित दिन और घंटे के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है।

प्रपत्र-VIII

[नियम 35(11) और 12) देखें]

सक्षम/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित उपदान संदाय हेतु नोटिस

(लागू न होने वाले शब्द हटा दिए जाएं)

सेवा में,

किया जाए।

(नाम और नियोक्ता का पता)

1. जबकि स्वर्गीय		जो आप के अधीन एक कर्मचारी थे उनके
नामित(तों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)	श्री/श्रीमती/कुमारी	ने मेरे समक्ष
सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 की ध	धारा 56 के तहत एक आवेदन	ा दायर किया था; अथवा
जबकि आपको दिनांक	को एक नोटिस दि	या गया था जिसमें आपसे सामाजिक सुरक्षा संहिता,
2020 के तहत उपदान के रूप में	रुप	ये का भुगतान करने की अपेक्षा की गई थी।
2. और जबकि आवेदन पर आपकी उपस्थि	थति में सुनवाई दिनांक	की गई थी और सुनवाई के बाद पता
चला कि उक्त / श्रीमती / कुमारी		सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत
उपदान के रूप मेंरुष	पये प्राप्त करने का हकदार है;	अथवा
जबकि आप / आवेदक अपीलीय प्राधिक	ारी के समक्ष अपील में गए	थे, जिन्होंने फैसला किया है कि सामाजिक सुरक्षा
संहिता, 2020 के तहत रुपये	की उपदान राशि का १	श्री / श्रीमती / कुमारी को भुगतान

अत	:, अब मैं	आपको	इसके लि	ाए, इस नो	टिस की	प्राप्ति व	के तीस	दिनों वे	⁵ भीतर	मुझे स्	गूचित	करते हुग	<mark>ए श्री/श्रीम</mark> ती	/ कुमारी
				को				रुप	ये का भु	गतान	करने [;]	का निर्देश	ग देता हूं।	
20		की		तारीख	को मेरे	हस्ताक्ष	र और ः	मुहर के	अंतर्गत प	प्रदान ी	कियाः	गया।		

सक्षम प्राधिकारी

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत

दिनांक

प्रति:

1. आवेदक- उसे भुगतान प्राप्त करने के लिए नियोक्ता से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

2. अपीलीय प्राधिकारी, यदि लागू हो।

नोट --- (यदि लागू न हों तो पैराग्राफों को हटा दें)

फार्म - IX

[(देखें नियम 35(13)]

उपदान की वसूली के लिए आवेदन

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अध्याय V के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष

आवेदन संख्या

(पूरे पते के साथ आवेदक का नाम)

तथा

(संबंधित नियोक्ता/न्यास/बीमाकर्ता का पता सहित पूरा नाम)

के बीच

2. आवेदक ने यह सूचित किया है कि हालांकि मैंने भुगतान के लिए उससे संपर्क किया था फिर भी उक्त नियोक्ता आपके द्वारा यथा निर्देशित उपदान राशि का भुगतान करने में विफल रहा है ।

3. आवेदक यह प्रार्थना करता है कि आपके निर्देश के अनुरूप उपदान के रूप में देय वसूली के लिए संहिता की धारा 129 के तहत एक प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान।

स्थान:

दिनांक:

नोट — लागू नहीं होने वाले शब्दों को हटा दें।

प्रपत्र-X

[नियम 37 (1)(क) और (घ) देखें]

गर्भपात/गर्भधारण या ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन/बच्चे की डिलीवरी/बच्चे को गोद लेने के लिए चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा व्यवसायी का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि-

1. "मैंने दिनांक को (स्थापना का नाम) की पत्नी/बेटी उक्त तारीख से गर्भवती है और उसकी (उक्त नियोजित कर्मचारी/महिला कर्मचारी की पत्नी/बेटी उक्त तारीख से गर्भवती है और उसकी (उक्त तारीख).....से/को (एक महीने और दिनों के भीतर) डिलीवरी की उम्मीद है/ उसके बच्चे का गर्भपात हो गया है/मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन/ (उक्त तारीख)..... को बच्चे को जन्म दिया है अथवा (उक्त तारीख)..... से गर्भावस्था/डिलीवरी /बच्चे का असमय जन्म अथवा गर्भपात/गर्भावस्था का मेडिकल टर्मिनेशन या ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के कारण होने वाली बीमारी से ग्रस्त है।

2. *(स्थापना का नाम).....में नियोजित श्रीकी पत्नी/बेटी श्रीमतीकी के बच्चे की मृत्यु गर्भावस्था से पूर्व/दौरान/समाप्ति के बाद हो गई।

 *"मैंने जांच की कि (स्थापना का नाम)......में नियोजित श्रीकी पत्नी/बेटी या महिला कर्मचारी श्रीमतीकी/काकी/का त्री तारीख को उसके बच्चे का डिलीवरी हो गया है/ उसका गर्भपात हो गया है।

* अनावश्यक भाग को हटा दें।

हस्ताक्षर, योग्यता और पदनाम

चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा व्यवसायी/धाई

दिनांक.....

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुसार "बच्चे" और "गर्भपात" की परिभाषाएँ -

1. "बच्चे" में मृतजात बच्चा भी शामिल है।

 "गर्भपात" का अर्थ गर्भावस्था के छब्बीसवें सप्ताह से पहले या उसके दौरान किसी भी समय गर्भवती के गर्भाशय की सामग्री का निष्कासन करना, लेकिन इसमें कोई गर्भपात शामिल नहीं है, भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है।

प्रपत्र - XI

[नियम 37 (2) का (क) और (ग) देखें]

(धारा 62 और 63 के तहत मातृत्व लाभ और भुगतान के लिए दावे का नोटिस)

सेवा में,

(प्रतिष्ठान का नाम)

भाग I

नोटिस

[नियम 37(2)(क) देखें]

(स्थापना का नाम)मेंके रूप में नियोजित श्री..... की पत्नी/बेटी(महिला का नाम) मैंएतद्वारा सूचना देती हूं कि मैं इस नोटिस की तारीख से अगले छह सप्ताह/गर्भावस्था के भीतर, (तारीख) को एक बच्चे के जन्म की उम्मीद करती हूं/जन्म दिया है जिस कारण मैं(तारीख) से काम से अनुपस्थित रहूंगी। जिस अवधि में मुझे मातृत्व लाभ प्राप्त होता है, उस अवधि में मैं किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं करूंगी।

मामले में एक सत्यापक का हस्ताक्षर महिला का हस्ताक्षर या अंगूठे का छाप (यदि महिला हस्ताक्षर करने और अंगूठे का निशान

लगाने में सक्षम नहीं है)

दिनांक.....

भाग - ।।

प्रसूति प्रसुविधा लाभ प्राप्ति का प्रपत्र

[नियम 37(2)(ग) देखें]

मैं.....भें सिथत अधोहस्ताक्षरी, सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत जिला......अधोहस्ताक्षरी, सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत जिला...... में स्थित (स्थापना का नाम)..... को नामिती/कानूनी प्रतिनिधि हूं जिसने प्रसूति प्रसुविधा के रूप में देय राशि निम्नानुसार प्राप्त की है :-

प्रसूति प्रसुविधा की पहली किस्त के रूप में दिनांकरूपो को भुगतान की गई राशि.....रुपये

डिलीवरी के उपरांत प्रसूति प्रसुविधा की दूसरी किस्त के रूप में दिनांक को भुगतान की गई राशि.....रुपये

संहिता की धारा 64 के अंतर्गत चिकित्सा बोनस के रूप में दिनांकरूप. को भुगतान की गई राशि.....रुपये

धारा 65 के तहत उल्लिखित छुट्टी अवधि के लिए दिनांकको वेतन के रूप में भुगतान की गई राशि.....रुपये

* मेरी/उसकी डिलीवरी /गर्भपात के लिए ऑपरेशन या ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन दिनांक......को हुई थी अथवा मैं/वह गर्भावस्था/डिलीवरी /बच्चे के असमय जन्म अथवा गर्भपात के कारण गर्भावस्था चिकित्सा की समाप्ति दिनांक को ऑपरेशन या ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन के कारण हो गई। इसके परिणामस्वरूप मुझे...... उसके नामित / कानूनी प्रतिनिधि के रूप में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 60, 64 और 65 में उक्त उल्लिखित राशि प्राप्त हुई है।

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

*महिला कर्मचारी या उसके द्वारा नामित या कानूनी प्रतिनिधि

यदि महिला हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है तो साक्षी के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान

दिनांक.....

* अनावश्यक भाग को हटा दें।

फार्म - XII

[नियम 41(1)(क) देखें)

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को शिकायत

सेवा,

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

(सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत)

महोदय,

मैंमें कार्यरत हूं अथवा मैं (महिला का नाम) (नाम और स्थापना का पूरा पता)......में कार्यरत हूं अथवा मैं (नाम) धारा 62 के तहत नामांकित एक व्यक्ति या....... (महिला का नाम) (नाम और स्थापना का पूरा पता)...... के एक कानूनी प्रतिनिधि के रूप में नामित हूं, मैं सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 एवं उसके अंतर्गत नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार मातृत्व लाभ और मेडिकल बोनस के रूप में रुपये पाने का हकदार हूँ और/अथवा धारा 65 के तहत छुट्टी अवधि के लिए वेतन के रूप में देय राशि को नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के इस अध्याय VI के प्रावधानों के अनुसार अनुचित रूप से रोक दिया गया है/काम से उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसे हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है।

अत: आपसे अनुरोध किया जाता है कि नियोक्ता को मुझे राशि का भुगतान करने और नियोक्ता द्वारा कार्य से हटाने या बर्खास्तगी को समाप्त करने के लिए निर्देशित करें।

महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

दिनांक.....

यदि महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि यदि करने में सक्षम नहीं है तो सत्यापक के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान महिला/नामित/ कानूनी प्रतिनिधि का पूरा पता

प्रपत्र- XIII

अपील

[नियम 40(2) और 41(2)(ख) देखें]

सेवा में,

प्राधिकारी,

(सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर के तहत नियुक्त)

..... (पता)

महोदय,

मैं.....अधोहस्ताक्षरी, (नाम और स्थापना का पूरा पता)अधोहस्ताक्षरी, की महिला कर्मचारी हूं, मैं -

^{*}धारा 72 की उप-धारा (2) के तहत निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश से निराश हूं जिसके कारण इसके साथ संलग्न हैं, धारा 68 की उप-धारा (2) के तहत आपके समक्ष यह अपील करना चाहती हूं और यह अनुरोध करती हूं कि उक्त नियोक्ता को मुझे देय उपर्युक्त राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाए। इस संबंध में निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश की एक प्रति संलग्न है; या

^{*}श्री निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को धारा 72 की उप-धारा (2) के तहत मातृत्व लाभ या अन्य राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है (राशि की प्रकृति) जिसे (महिला का नाम) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय V के प्रावधानों के अनुसार हकदार होने/ कार्य से अनुपस्थिति के दौरान या कार्य के अभाव में मेरे द्वारा की गई बर्खास्तगी को रद्द करने के लिए निर्देशित किया गया है। (अनावश्यक भाग हटा दें)

मैं धारा 72 की उप-धारा (3) के तहत अपील करती हूं। ज्ञापन में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर और अन्य दस्तावेजों के साथ यह कहा जाता है कि महिला मातृत्व लाभ या उक्त राशि की हकदार नहीं है और इसलिए निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश की संलग्न प्रति को निरस्त किया जा सकता है।

* अनावश्यक भाग को हटा दें।

महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

दिनांक.....

यदि महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि यदि हस्ताक्षर करने हेतु सक्षम नहीं है तो सत्यापक का हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान महिला/नामित/ कानूनी प्रतिनिधि का पूरा पता

फार्म - XIV

[नियम 42(4) देखें]

(मातृत्व लाभ के लिए और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत बनाए गए नियमों का सार)

1. कोई भी नियोक्ता डिलीवरी /गर्भपात/चिकित्सा समाप्ति की तारीख के तुरंत बाद छह सप्ताह के दौरान जानबूझकर किसी महिला को नियुक्त नहीं करेगा और उक्त अवधि के दौरान कोई भी महिला किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं करेगी।

2. कोई भी गर्भवती महिला इस संबंध में उसके द्वारा किए जा रहे अनुरोध पर, उसके नियोक्ता से उसकी अपेक्षित डिलीवरी की संभावित तारीख से पूर्व छह सप्ताह की अवधि, जिसके लिए वह अनुपस्थिति का लाभ नहीं उठाती है, के दौरान किसी भी अवधि जिसके लिए उसने किसी कठिन प्रकृति का कार्य के लिए उसे लंबे समय तक खड़े रहना शामिल है अथवा जिसका उस क्रम में उसकी गर्भावस्था को प्रभावित करने या भ्रूण के सामान्य विकास में अवरोध की अथवा उसके गर्भपात होने की संभावना हो अथवा अन्यथा उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, नियोजित करने की अपेक्षा नहीं होगी। कोई भी जो है या जिस तरह से या के कारण या,

3. (क) संहिता के प्रावधानों के अध्यधीन, प्रत्येक महिला जो वास्तव में नियोक्ता के स्थापन में काम कर चुकी है, जिसमें से वह कम-से-कम 80 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व लाभ का दावा करती है, जिसमें उन दिनों को शामिल किया गया था, जिसमें वह कार्य से मुक्त थी और डिलीवरी के दिन से पहले और उस दिन के बाद की शेष अवधि के लिए उसकी वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के छह सप्ताह से अनधिक उसके औसत दैनिक मजदूरी की दर से मातृत्व लाभ का भुगतान या मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दर अथवा दो सौ रुपये प्रतिदिन जो भी अधिक हो, की हकदार होगी और उसका नियोक्ता इसका भुगतान करेगा।

बशर्ते कि उस अवधि के दौरान एक महिला की मृत्यु हो जाती है, जिसके लिए मातृत्व लाभ देय है, उसके लिए, यह लाभ केवल उसकी मृत्यु के दिन तक और उसके बाद के दिनों के लिए देय होगा। हालाँकि, जहाँ महिला को डिलीवरी हो गया हो, उसकी डिलीवरी के दौरान या मातृत्व लाभ की शेष अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, और बच्चे को पीछे छोड़ जाती है, लेकिन यदि बच्चे की मृत्यु भी उक्त अवधि के दौरान हो जाती है, तो बच्चे की मृत्यु के दिन तक और उस अवधि के लिए नियोक्ता मातृत्व की पूरी अवधि के लिए मातृत्व लाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) उसकी अपेक्षित डिलीवरी की तारीख से पहले की अवधि के लिए मातृत्व लाभ की राशि नियोक्ता द्वारा महिला को अग्रिम रूप से प्रपत्र-X में एक प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर यह बताते हुए भुगतान किया जाएगा कि वह गर्भवती है और डिलीवरी होने की उम्मीद है, प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख के छह सप्ताह के भीतर बच्चे के जन्म की संभावना पर और उसके बाद की अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा महिला को देय राशि का भुगतान किया जाएगा यदि वह 48 घंटे के भीतर प्रपत्र-X में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए यह उल्लेख करे कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है अथवा वर्तमान में लागू किसी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत रखे जाने वाले जन्म पंजीका से प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करे।

4. (क) इस संहिता के प्रावधानों के तहत किसी भी महिला को एक प्रतिष्ठान में नियुक्त किया गया हो तो उसे मातृत्व लाभ पाने का अधिकार उसके नियोक्ता द्वारा प्रपत्र-XI में लिखित रूप में दिया जा सकता है जिसमें यह उल्लेख हो कि उसे मातृत्व लाभ और कोई अन्य राशि जिसकी वह हकदार है, इस संहिता के तहत उसे या ऐसे व्यक्ति को भुगतान किया जा सकता है जिसको उसने नोटिस में नामांकित किया हो और वह उस अवधि के दौरान किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम नहीं करेगी जिसके लिए उसने मातृत्व लाभ प्राप्त किया हो।

(ख) किसी गर्भवती महिला के मामले में, इस तरह की सूचना जिसमें उस तारीख का उल्लेख हो कि वह किस तारीख से कार्य से अनुपस्थित रहेगी, जो उसकी अपेक्षित डिलीवरी की तारीख से छह सप्ताह पहले की तारीख नहीं होगी।

(ग) कोई भी महिला जिसने गर्भवती होने का नोटिस नहीं दिया हो, डिलीवरी के बाद जितनी जल्दी हो सके ऐसा नोटिस दे सकती है। (घ) नोटिस प्राप्त होने पर नियोक्ता ऐसी महिला को उसकी डिलीवरी के दिन के बाद मातृत्व लाभ की शेष अवधि की समाप्ति तक प्रतिष्ठान से अनुपस्थित रहने की अनुमति देगा।

5. (क) संहिता के अंतर्गत मातृत्व लाभ पाने की हकदार प्रत्येक महिला को अपने नियोक्ता से तीन हजार पांच सौ रुपये का मेडिकल बोनस प्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि नियोक्ता द्वारा उसे नि: शुल्क डिलीवरी पूर्व अवकाश और प्रसवोत्तर देखभाल उपलब्ध नहीं करायी गई हो। चिकित्सा बोनस का भुगतान मातृत्व लाभ की दूसरी किस्त के साथ किया जाएगा।

(ख) गर्भपात/ गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति के मामले में, एक महिला, गर्भपात की तारीख के तुरंत बाद छह सप्ताह की अवधि के लिए मातृत्व लाभ की दर से सवेतन छुट्टी लेने की हकदार होगी। मजदूरी का भुगतान प्रपत्र-X में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के 48 घंटे के भीतर किया जाएगा।

(ग) कोई महिला जो गर्भावस्था, डिलीवरी, समय से पहले बच्चे के जन्म या गर्भपात/ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अथवा ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन से होने वाली बीमारी से पीड़ित हो, प्रपत्र-X में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूति या गर्भपात/मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अथवा ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के कारण उसकी अनुपस्थिति, जैसा भी मामला हो, मातृत्व लाभ की दर से अधिकतम एक महीने की अवधि के लिए सवेतन अवकाश की हकदार होगी। अवकाश अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान उस अवधि की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर किया जाएगा।

6. बच्चे की ऐसी डिलीवरी के बाद कार्य पर लौटने वाली प्रत्येक महिला को आराम करने के अंतराल के अलावा, जब तक बच्चा पंद्रह महीने की आयु प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे दैनिक कार्य के दौरान बच्चे को नर्सिंग करने हेतु 15 मिनट के दो ब्रेक की अवधि की अनुमति दी जाएगी। क्रेच या उस स्थान पर, जहां कार्य पर रहते हुए महिलाओं द्वारा बच्चों को छोड़ा जाता है, यात्रा के उद्देश्य के लिए कवर की जाने वाली दूरी के आधार पर उसे एक अतिरिक्त पर्याप्त अवधि की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी अतिरिक्त अवधि 5 मिनट से कम और 15 मिनट से अधिक नहीं होगी।

7. (1) जब एक महिला संहिता के प्रावधानों के अनुसार काम से स्वयं अनुपस्थित रहती है, तो उसके नियोक्ता के लिए ऐसी अनुपस्थिति के दौरान कार्य से हटाना या उसकी बर्खास्तगी के कारण दिया जाने वाला नोटिस उस तिथि को जो ऐसी अनुपस्थिति के दौरान उसे दिया गया हो जिसकी समय-सीमा उस अवधि में समाप्त हो गई हो अथवा जो उसकी सेवा-शर्तों में से किसी एक को नुकसान पहुंचाने वाला हो, उसे गैर-कानूनी माना जाएगा।

(2) (क) किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय कार्य से हटाना या बर्खास्त करना जिसके लिए वह प्रसूति प्रसुविधा या मेडिकल बोनस के लिए हकदार होगी, उससे उसे प्रसूति प्रसुविधा और मेडिकल बोनस पाने के अधिकार से वंचित नहीं होना पड़ेगा।

बशर्ते कि बर्खास्तगी निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्य के लिए है, नियोक्ता महिला को लिखित सूचना के माध्सम से मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस या दोनों से वंचित कर सकता है-

(i) नियोक्ता के माल या संपत्ति का जानबूझकर नाश;

(ii) कार्यस्थल पर किसी भी वरिष्ठ या सह-कर्मचारी पर हमला करना;

- (iii) कोर्ट में आपराधिक अपराध कार्य जिसमें नैतिक अपराध शामिल हैं के कारण दोषसिद्धि;
- (iv) नियोक्ता के व्यवसाय या संपत्ति के संबंध में चोरी, धोखाधड़ी या बेईमानी; तथा

(iv) संबंधित सुरक्षा उपायों या नियमों या सुरक्षा उपकरणों के साथ या आग से लड़ने वाले उपकरणों के साथ जानबूझकर छेड़-छाड़।

(ख) मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस या दोनों से वंचित कोई भी महिला, जिस दिन इस तरह के ऐसे वंचन का आदेश उसे दिया जाता है, उस तारीख से साठ दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रपत्र-XIII में अपील कर सकती है और इस तरह की अपील के बारे में कि महिला को मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस या दोनों से वंचित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसका निर्णय अंतिम होगा।

8. यदि कोई महिला अपने नियोक्ता द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वयं को अनुपस्थित होने की अनुमति प्राप्त होने के बाद किसी भी प्रतिष्ठान में काम करती है, तो वह ऐसी अवधि के लिए मातृत्व लाभ के लिए अपने दावे को खारिज़ कर देगी।

9. (1) मातृत्व लाभ या किसी भी अन्य राशि का दावा करने वाली किसी भी महिला को जिसकी वह अधिनियम के तहत हकदार है और इसके संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति ने ऐसा दावा किया है कि देय भुगतान को अनुचित तरीके से रोक दिया गया है तो वह **प्रपत्र-XIII** में लिखित रूप से निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को शिकायत कर सकता है।

(2) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता अपने प्रस्ताव पर या **प्रपत्र-XII** में प्राप्त शिकायत पर, जांच कर सकते हैं या जांच का आदेश दे सकते हैं और यदि वे संतुष्ट हों कि भुगतान गलत तरीके से रोक दिया गया है, तो वे अपने आदेशों के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दे सकते हैं।

(3) कोई भी व्यक्ति निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के निर्णय से दुखी होकर, उस तारीख से 30 दिनों के भीतर, जिस तिथि को उसे इसकी सूचना मिलती है, समुचित सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण को अपील कर सकता है।

(4) उस प्राधिकरण, जहां कोई अपील की गई हो अथवा जिसके संबंध में निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के पास ऐसी कोई अपील न की गई हो, तो उसका निर्णय अंतिम होगा।

10. (क) नियोक्ता उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक महिला को उसके अनुरोध पर लागत प्रतियों से मुक्त <mark>प्रपत्र X, XI, XII</mark> और XIII की आपूर्ति करेगा।

(ख) संहिता के तहत निर्धारित प्रपत्र में नोटिस, अपील या शिकायत प्रस्तुत करने में विफलता के कारण मातृत्व लाभ या किसी अन्य राशि को प्राप्त करने के महिला के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। जहां कोई सूचना, अपील या शिकायत निर्धारित प्रपत्र के अलावा किसी अन्य रूप में प्राप्त होती है, ऐसे नोटिस, अपील या शिकायत की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर जैसा भी मामला हो, उस महिला से संबंधित प्राधिकारी के पास नोटिस, अपील या शिकायत प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती है।

11. (क) (1) उस प्रतिष्ठान का नियोक्ता जिसमें महिलाएं कार्यरत हैं, प्रपत्र- XXII में महिला कर्मचारियों के संबंध में एक रजिस्टर तैयार और उसका रख-रखाव करेगा और प्रतिष्ठान में सभी महिला श्रमिकों के विवरण दर्ज करेगा।

(2) महिला कर्मचारियों के रजिस्टर में सभी प्रविष्टियाँ दर्ज की जाएंगी और अद्यतन की जाएंगी और यह कार्य के दौरान निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगी।

(ख) वह नियोक्ता जिसपर प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहली तिथि या उससे पहले संहिता लागू होती है, श्रम और रोजगार मंत्रालय में केंद्र सरकार के वेब पोर्टल पर **प्रपत्र-XXIII** में एकीकृत वार्षिक रिटर्न अपलोड करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में निर्दिष्ट विवरण के अनुसार जानकारी दी गई हो।

बशर्ते कि निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा बनाए गए खातों, पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो।

स्पष्टीकरण ।- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "इलेक्ट्रॉनिक रूप" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में दिया गया है।

फार्म - XV

[नियम 43 (1) (क) और (ख) देखें]

नियोक्ता द्वारा भवन या अन्य निर्माण कार्य के संबंध में प्रविष्ट करने या संशोधन करने हेतु सूचना

1.	स्थापना का नाम और (स्थायी) पता ।	
2.	नियोक्ता का नाम और पता का विवरण	
3.	उस स्थान का नाम और पता/स्थान जहाँ भवन और अन्य निर्माण प्रस्तावित किया जाना है।	
4.	संपर्क विवरण के साथ अधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता	
5.	प्रस्तावित भवन या अन्य निर्माण कार्य के लिए पत्राचार हेतु पता	
6.	प्रस्तावित निर्माण कार्य की प्रकृति	
7.	काम शुरू करने की तारीख (मामले में निर्माण शुरू हो गया है)	
8.	काम की अनुमानित अवधि	
9.	प्रस्तावित निर्माण कार्य में किसी परिवर्तन / संशोधन का विवरण	

मैं / हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य (कार्य का नाम) के लिए हमारा पंजीकरण नंबर दिनांक दिनांक से आरंभ/संशोधित (दिनांक) / [(दिनांक)] से प्रभावी होने की संभावना है।

नियोक्ता का हस्ताक्षर

नाम:

दिनांक:

स्थान:

मोबाइल नंबर:

ई-मेल (यदि कोई हो):

प्रपत्र-XVI

[नियम 43(2)(ख) देखें]

नियोक्ता द्वारा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए उपकर का स्व-मूल्यांकन के लिए प्रारूप

1.	प्रतिष्ठान का नाग	ा और पता (स्थायी)				
2.	नियोक्ता का नाग	। और पता				
3.	स्थान का नाम किया जाना प्रस्त	और पता जहां भवन और ावित है।	अन्य सन्निर्माण			
4.	प्राधिकृत व्यक्ति	के संपर्क ब्यौरे सहित नाम,	पदनाम और पता			
5.	प्रस्तावित भवन पता	या अन्य सन्निर्माण कार्य के [:]	लिए पत्राचार का			
6.	प्रस्तावित सन्निम	र्गण कार्य की प्रकृति				
7.	कार्य के प्रारंभ ह हो गया है)	होने की तारीख (यदि सन्नि	र्माण कार्य आरंभ			
8.	कार्य की अनुमार्ग	नेत अवधि				
9.	सन्निर्माण कार्य व	का कुल प्रस्तावित क्षेत् <u>र</u>				
10.	नियम 43 के अ सीपीडब्ल्यू या हो, के आधार प					
11.	चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा यथा प्रमाणित सन्निर्माण की कुल अनुमानित लागत					
12.	अनंतिम उपकर	केंद्रीय द्वारा अधिसूचित सन्निर्माण अनुमानित का प्रतिशत	की कुल लागत	कुल अनुमानित उपकर (रूपये में)		
13.	ब्यौरा सहित भु की स्वीकृति के र सोत पर कटौती			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
14.	भुगतान किए गए उपकर का ब्यौरा (जब प्रस्तावित सन्निर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो)					
	क्र.सं. वर्ष			राशि (रूपये	में)	
	14.1	पहला वर्ष				
	14.2	दूसरा वर्ष				
	14.3	तीसरा वर्ष				
	1			1		

15.	कुल उपकर का भुगतान (क्रम संख्या 13+14)	
	5 5 7	

घोषणा

1. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं /हम एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त गणना में कुछ छुपाया नहीं गया है या कोई तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. मैं / हम एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं / करते हैं कि मैं / हम सामाजिक सुरक्षा संहिता के जुर्माने से संबंधित प्रावधानों से पूर्णत: अवगत हूं/ हैं और यदि भविष्य में उपकर राशि के उपर्युक्त स्व-मूल्यांकन में उल्लिखित कोई जानकारी गलत अथवा अनुप्रयुक्त पायी जाती है अथवा तथ्यों को छिपाने या उपकर की राशि के परिकलन में कमी पाई जाती है तो मेरे / हमारे विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

> नियोक्ता हस्ताक्षर और मुहर नाम दिनांक स्थान मोबाइल नंबर ई-मेल (अगर कोई हो)

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित विधिवत मुहर के साथ उसकी पंजीकरण संख्या

प्रपत्र-XVII

[नियम 44)2देखें (.ड)(]

भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य रोकने या कटौती के लिए नोटिस

1.	प्रतिष्ठान का नाम			
2.	प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या			
3.	प्रतिष्ठान का पता			
4.	कार्य के आरंभ की तारीख	दिन	माह	वर्ष
5.	कार्य की प्रस्तावित अनुमानित अवधि	दिन	माह	वर्ष
6.	भवन या सन्निर्माण कार्य के रोकने या कटौती करने की तारीख			
7.	नियम 43 के अनुसार (मूल) दस्तावेजों सहित दर पीडब्ल्यू या सीपीडब्ल्यू या आरईआरए या अन्य दरों, जैसा भी मामला हो, के आधार पर सन्निर्माण की कुल अनुमानित लागत			

1

8.	सन्निर्माण कार्य	पर किया गया कुल व्यय		
9.	भुगतान योग्य	उपकर की कुल राशि	केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सन्निर्माण की कुल अनुमानित लागत का प्रतिशत	9
10.		मुगतान किए गए अग्रिम उपकर (परियोजना समय या सन्निर्माण कार्य के आरंभ के पहले) / ो		
11.		ाए उपकर का ब्यौरा (जब प्रस्तावित सन्निर्माण [.] एक वर्ष से अधिक हो)	राशि (रूपये में)	
	क्र.सं.	वर्ष		
	14.1	पहला वर्ष		
	14.2	दूसरा वर्ष		
	14.3	तीसरा वर्ष		
12.	भुगतान किया 11)	गया कुल उपकर (क्रम संख्या 10 - क्रम संख्या		
13.	कुल बकाया उप	कर (क्रम संख्या 13- क्रम संख्या 16)		
14.	कुल बकाया उप	कर के भुगतान का प्रमाण, यदि लागू है		
15.	अधिक भुगतान	किए गए उपकर की राशि, यदि लागू है		
16.	अधिक राशि, व	के मामले में, बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें गपस की जाएगी।		
17.	टिप्पणी, यदि व	 कोई।		

घोषणा

1. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं /हम एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त गणना में कुछ छुपाया नहीं गया है या कोई तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. मैं / हम एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं / करते हैं कि मैं / हम सामाजिक सुरक्षा संहिता के जुर्माने से संबंधित प्रावधानों से पूर्णत: अवगत हूं/ हैं और यदि भविष्य में उपकर राशि के उपर्युक्त स्व-मूल्यांकन में उल्लिखित कोई जानकारी गलत अथवा अनुप्रयुक्त पायी जाती है अथवा तथ्यों को छिपाने या उपकर की राशि के परिकलन में कमी पाई जाती है तो मेरे / हमारे विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नियोक्ता हस्ताक्षर और मुहर

नाम

दिनांक

स्थान

मोबाइल नंबर

ई-मेल (अगर कोई हो)

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित

विधिवत मुहर के साथ उसकी पंजीकरण संख्या

प्रपत्र-XVIII

[नियम 43(2)(च 43 और ((4) (कदेखें (ग) (]

नियोक्ता द्वारा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पूरा होने पर विवरणी

1.	प्रतिष्ठान का नाम और पता (स्थायी)	
2.	नियोक्ता का नाम और पता	
3.	स्थान का नाम और पता जहां भवन और अन्य सन्निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	
4.	प्राधिकृत व्यक्ति के संपर्क ब्यौरे सहित नाम, पदनाम और पता	
5.	प्रस्तावित भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए पत्राचार का पता	
6.	प्रस्तावित सन्निर्माण कार्य की प्रकृति	
7.	कार्य के प्रारंभ होने की तारीख (यदि सन्निर्माण कार्य आरंभ हो गया है)	
8.	कार्य के पूर्ण होने की तारीख	
9.	कार्य की अवधि	
10.	संन्निर्माण कार्य के कुल पूर्ण होने वाले क्षेत्र	
11.	नियम 43 के अनुसार (मूल) दस्तावेजों सहित (पीडब्ल्यू या सीपीडब्ल्यू या आरईआरए या अन्य दरों, जैसा भी मामला हो, के आधार पर) सन्निर्माण की कुल अनुमानित लागत	
12.	सन्निर्माण कार्य पर किया गया कुल व्यय	
13.	भुगतान योग्य उपकर की कुल राशि	केंद्रीय सरकार द्वारा भुगतान योग्य कुल यथा अधिसूचित उपकर (रूपये में) सन्निर्माण की कुल अनुमानित लागत का प्रतिशत
14.	ब्यौरा सहित भुगतान किए गए अग्रिम उपकर (परियोजना की स्वीकृति के समय या सन्निर्माण कार्य के आरंभ के पहले) / सोत पर कटौती	
15.	भुगतान किए गए उपकर का ब्यौरा (जब प्रस्तावित सन्निर्माण	

	कार्य की अवधि प	एक वर्ष से अधिक हो)				
	क्र.सं.	वर्ष	राशि (रूपये में)			
	14.1	पहला वर्ष				
	14.2	दूसरा वर्ष				
	14.3	तीसरा वर्ष				
16.	कुल उपकर का भ्	गुगतान (क्रम संख्या 14+15)				
17.	उपकर की बकाय	ा राशि (क्र.सं. 13- क्रम सं. 16)				
18.	कुल बकाया उपव	कर के भुगतान का प्रमाण, यदि कोई हो				
19.	कुल अधिक भुगत हो	ान किए गए उपकर का प्रमाण, यदि लागू				
20.	अधिक भुगतान के मामले में बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें बकाया राशि वापस की जाएगी					
21.	टिप्पणी यदि को	ई हो।				

घोषणा

- मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं /हम एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त गणना में कुछ छुपाया नहीं गया है या कोई तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 2. मैं / हम एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं / करते हैं कि मैं / हम सामाजिक सुरक्षा संहिता के जुर्माने से संबंधित प्रावधानों से पूर्णत: अवगत हूं/ हैं और यदि भविष्य में उपकर राशि के उपर्युक्त स्व-मूल्यांकन में उल्लिखित कोई जानकारी गलत अथवा अनुप्रयुक्त पायी जाती है अथवा तथ्यों को छिपाने या उपकर की राशि के परिकलन में कमी पाई जाती है तो मेरे / हमारे विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नियोक्ता हस्ताक्षर और मुहर नाम दिनांक स्थान मोबाइल नंबर ई-मेल (अगर कोई हो)

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित

विधिवत मुहर के साथ उसकी पंजीकरण संख्या

प्रपत्र-XIX

[नियम 46(1) और सामाजिक सुरक्षा संहिता ,2020 की धारा देखें को 105]

आकलन के आदेश या दंड लगाने के आदेश के विरूद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील के लिए प्रोफार्मा

1.	प्रतिष्ठान का नाम और पता (स्थायी)		
2.	नियोक्ता का नाम और पूरा पता		
3.	स्थान का नाम और पता जहां भवन और अन्य सन्निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।		
4.	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता सहित संपर्क विवरण		
5.	प्रस्तावित भवन या अन्य निर्माण कार्य के लिए जिस पते पर पत्राचार किया जा सकता है		
6.	प्रस्तावित निर्माण कार्य की प्रकृति		
7.	कार्य आरंभ होने की तारीख (यदि निर्माण कार्य आरंभ		
	हो गया हो)		
8.	कार्य समाप्ति की तारीख		
9.	कार्यावधि		
10.	निर्माण कार्य का कुल पूर्ण क्षेत्र		
11.	नियम 43 के अनुसार दस्तावेजों (मूल) के साथ दरों के आधार पर निर्माण की कुल अनुमानित लागत (पीडब्ल्यूडी या सीपी डब्ल्यूडी या आरईआरए या अन्य दरें जैसा भी मामला हो)।		
12	निर्माण कार्य पर कुल किया गया व्यय		
13	देय उपकार की कुल राशि	केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित निर्माण के कुल व्यय का प्रतिशत	कुल देय उपकार (रुपये में)
14	भुगतान किए गए अग्रिम उपकर का विवरण (परियोजना के अनुमोदन के समय या निर्माण कार्य के आरंभ होने से पहले)/ स्रोत पर कटौती, यदि कोई हो,		
15	भुगतान किए गए उपकर का विवरण (जब प्रस्तावित निर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो)		
	क्र.सं.	वर्ष	

	14.1	प्रथम वर्ष
	14.2	द्वितीय वर्ष
	14.3	तृतीय वर्ष
16	भुगतान किया गया कुल उपकर (क्र.सं.14 + 15)	
17.	बकाया उपकर की राशि (क्र.सं. 13 - क्र.सं. 16)	
18	बकाया उपकार के भुगतान का प्रमाण, यदि कोई हो	
19.	अधिक भुगतान किए गए उपकर की राशि, यदि लागू हो	
17	मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आकलित उपकर की राशि	
18	नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले बकाया उपकार की राशि	
19	मूल्यांकन अधिकारी द्वारा लगाए गए उपकर/ बकाया उपकर के भुगतान न करने पर जुर्माने की राशि।	
20.	सहायक दस्तावेज के साथ अपील हेतु आधार	
21.	टिप्पणी, यदि कोई हो	

घोषणा

- मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी/ हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार, सत्य है और मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि कुछ भी छिपाया नहीं गया है या किसी भी तथ्य को मेरे/ हमारे द्वारा की गई उपरोक्त आकलन में गलत प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 2. मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मैं/ हम सामाजिक सुरक्षा संहिता के दंडात्मक उपबंधों से भली-भांति परिचित हैं और यदि भविष्य में उपकर राशि के स्व-मूल्यांकन में उल्लेखित कुछ भी गलत या अनुपयुक्त पाया जाता है या तथ्यों को छिपाने या उपकर राशि के काम आकलन की कोई भी घटना पाई जाती है तो मेरे/ हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नियोक्ता का हस्ताक्षर और मुहर

नाम:

दिनांक:

स्थान:

मोबाईल संख्या:

ई-मेल (यदि कोई हो):

प्रपत्र – XX

[नियम *51(3)(*क*)* देखें]

गिग कामगारों और प्लेटप्रपत्र कामगारों के एग्रीगेटरों द्वारा अंशदान के स्व-मूल्यांकन हेतु प्रारूप

(चालू वर्ष जिसमें अंशदान देय है, के 30 जून तक प्रस्तुत किया जाए)

1	एग्रीगेटर/	प्लेटप्रपत्र की पंजीकरण संख्या	
2	एग्रीगेटर/ स्थान	प्लेटप्रपत्र का नाम और एग्रीगेटर/ प्लेटप्रपत्र का पता/	
3	प्राधिकृत [ः]	व्यक्ति का नाम और पता संपर्क विवरण सहित	
4	अप्रैल की	ोय वर्ष के प्रारंभिक दिन के अनुसार, अर्थात वर्ष में पहली तारीख जिसमें अंशदान देय है, एग्रीगेटर/ के साथ संबद्ध गिग कामगारों और प्लेटप्रपत्र कामगारों	
5	पूर्ववर्ती व ओवर	र्ष के ऐसे एग्रीगेटर/ प्लेटप्रपत्र मंच का वार्षिक टर्न	
6	-	की देयता, जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान गिग कामगारों हॉर्म कामगारों के लिए देय है	
7	अनंतिम अंशदान मूल्यांकन		
7	अनातम अ	शिदान मूल्याकन	(राशि रुपये में)
	अनोतम अ 7.1	शिदान मूल्याकन पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 114 की उप-धारा (4) के अंतर्गत यथा अधिसूचित वार्षिक टर्नओवर का प्रतिशत	(राशि रुपये मे)
		पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 114 की उप-धारा (4) के अंतर्गत यथा अधिसूचित वार्षिक टर्नओवर का	(राशि रुपये मे)
8	7.1	पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 114 की उप-धारा (4) के अंतर्गत यथा अधिसूचित वार्षिक टर्नओवर का प्रतिशत गिग कामगारों और प्लेटप्रपत्र कामगारों को	(राशि रुपये मे)
	7.1 7.2 देय अंशदा	पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 114 की उप-धारा (4) के अंतर्गत यथा अधिसूचित वार्षिक टर्नओवर का प्रतिशत गिग कामगारों और प्लेटप्रपत्र कामगारों को एग्रीगेटर के 5% की देयता	(राशि रुपये मे)
8	7.1 7.2 देय अंशदा ऊपर दिए भुगतान।	पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 114 की उप-धारा (4) के अंतर्गत यथा अधिसूचित वार्षिक टर्नओवर का प्रतिशत गिग कामगारों और प्लेटप्रपत्र कामगारों को एग्रीगेटर के 5% की देयता न की राशि (7.1 और 7.2 का न्यूनतम) (रुपये में)	(राशि रुपये मे)

नोट-1: अंशदान की गणना के प्रयोजनार्थ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के अंतर्गत उप-धारा (91) के तहत यथा परिभाषित किसी एग्रीगेटर के टर्नओवर का अर्थ किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा बिक्री, आपूर्ति, या माल के वितरण या प्रदान की गई सेवाओं, या दोनों से लाभ और हानि खाते में प्राप्त राजस्व की सकल राशि है।

नोट-2: इस प्रयोजनार्थ, किसी एग्रीगेटर के वार्षिक टर्नओवर में केंद्र सरकार को कोई कर, लेवी और भुगतान किया गया या देय उपकर शामिल नहीं होगा।

घोषणा

- 3. मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी/ हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि कुछ भी छिपाया नहीं गया है या किसी भी तथ्य को मेरे/ हमारे द्वारा की गई उपरोक्त आकलन में गलत प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 4. मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मैं/ हम सामाजिक सुरक्षा संहिता के दंडात्मक उपबंधों से भली-भांति परिचित हैं और यदि भविष्य में अंशदायी राशि के स्व-मूल्यांकन में कुछ भी गलत या अनुपयुक्त पाया जाता है या तथ्यों को छिपाने या अंशदायी राशि से काम आकलन की कोई भी घटना पाई जाती है तो मेरे/ हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

प्राधिकृत व्यक्ति का सील और मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम:

दिनांक:

स्थान:

मोबाईल संख्या:

ई-मेल (यदि कोई हो):

प्रपत्र– XXI

[नियम *51 (3)(*ख) और *(*ग*)*देखें]

गिग कामगारों और प्लेटप्रपत्र कामगारों के एग्रीगेटरों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी हेतु प्रारूप

(चालू वर्ष जिसमें अंशदान देय है, के 31 अक्तूबर तक प्रस्तुत किया जाए)

1	एग्रीगेटर/ प्लेटप्रपत्र की पंजीकरण संख्या	
2	एग्रीगेटर/ प्लेटप्रपत्र का नाम और एग्रीगेटर/ प्लेटप्रपत्र का पता और स्थान	
3	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता सहित संपर्क विवरण	
4	चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन के अनुसार, अर्थात वर्ष में अप्रैल की पहली तारीख जिसमें अंशदान देय है, एग्रीगेटर/ प्लेटप्रपत्र के साथ संबद्ध गिग कामगारों और प्लेटप्रपत्र कामगारों की संख्या।	
5	पूर्ववर्ती वर्ष के ऐसे एग्रीगेटर/ प्लेटप्रपत्र मंच का वार्षिक टर्न ओवर	
6	एग्रीगेटर की देयता, जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए देय	
7	अनंतिम अंशदान मूल्यांकन	(राशि रुपये में)
	7.1 पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 114 की उप-धारा (4) के अंतर्गत यथा अधिसूचित वार्षिक टर्नओवर का	

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

		प्रतिशत
	7.2	गिग कामगारों और प्लेटप्रपत्र कामगारों को एग्रीगेटर के 5% की देयता
8	देय अंशदा	न की राशि (7.1 और 7.2 का न्यूनतम) (रुपये में)
9	ऊपर दिए भुगतान।	गए आकलन के अनुसार अनंतिम अंशदान का
10	अनंतिम भु	गतान का विवरण
11.	भुगतान वि क्र.सं. 9)	कए जाने वाले बकाये अंशदान की राशि (क्र.सं. 8 -
11	बकाये अंश	दान के भुगतान का प्रमाण, यदि कोई हो
12	अतिरिक्त भ	मुगतान किए गए अंशदान की राशि, यदि कोई हो
13	e	तान किए जाने पर, उस बैंक खाते का विवरण जिसमें राशि वापस की जानी है
14	टिप्पणी, य	दि कोई हो

नोट-1: अंशदान की गणना के प्रयोजनार्थ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के अंतर्गत उप-धारा (91) के तहत यथा परिभाषित किसी एग्रीगेटर के टर्नओवर का अर्थ किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा बिक्री, आपूर्ति, या माल के वितरण या प्रदान की गई सेवाओं, या दोनों से लाभ और हानि खाते में प्राप्त राजस्व की सकल राशि है।

नोट-2: इस प्रयोजनार्थ, किसी एग्रीगेटर के वार्षिक टर्नओवर में केंद्र सरकार को कोई कर, लेवी और भुगतान किया गया या देय उपकर शामिल नहीं होगा।

घोषणा

- 5. मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी/ हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि कुछ भी छिपाया नहीं गया है या किसी भी तथ्य को मेरे/ हमारे द्वारा की गई उपरोक्त आकलन में गलत प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 6. मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मैं/ हम सामाजिक सुरक्षा संहिता के दंडात्मक उपबंधों से भली-भांति परिचित हैं और यदि भविष्य में अंशदायी राशि के स्व-मूल्यांकन में कुछ भी गलत या अनुपयुक्त पाया जाता है या तथ्यों को छिपाने या अंशदायी राशि के काम आकलन की कोई भी घटना पाई जाती है तो मेरे/ हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

प्राधिकृत व्यक्ति का सील और मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम: दिनांक: स्थान: मोबाईल संख्या:

ई-मेल (यदि कोई हो):

प्रपत्र– XXII

*[(*नियम *55(1)(*क*)* देखें)*]*

महिला कर्मचारियों का रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम

- 1. क्रम संख्या
- 2. महिला का नाम और उनके पिता (या, यदि विवाहित हैं तो पति) का नाम
- 3. नियुक्ति की तारीख
- 4. कार्य की प्रकृति
- 5. महीने और वर्ष के साथ तारीख जबसे वह नियोजित हैं, नौकरी से निकाली गई हैं और नियोजित नहीं हैं।

महिना	नियोजित दिनों की संख्या	नौकरी से निकाले गए दिनों की संख्या	नियोजित नहीं किए गए दिनों की संख्या	टिप्पणी
क	ख	ग	घ	ङ

6. महिला द्वारा धारा 62 के अंतर्गत नोटिस दिए जाने की तारीख।

7. सेवा मुक्त/ बर्खास्तगी, यदि कोई हो, की तिथि।

8. धारा 62 के अंतर्गत प्रसव के प्रमाण प्रस्तुत करने की तिथि।

9. शिशु के जन्म की तिथि।

10. प्रसव/ गर्भपात/ गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति/ ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन/ बच्चे की मृत्यु/ गोद लेने के प्रमाण प्रस्तुत करने की तिथि।

11. धारा 65 में संदर्भित रुग्णता प्रमाण प्रस्तुत करने की तारीख।

12. संभावित प्रसव से पहले अग्रिम भुगतान किए गए मातृत्व लाभ की राशि सहित भुगतान की तिथि।

13. तिथि सहित प्रसूति लाभ के अनुवर्ती भुगतान की राशि।

14. धारा 64 के अंतर्गत तिथि सहित बोनस की राशि, यदि भुगतान की गई हो।

15. धारा 65(1) और 65(3) के अंतर्गत तिथि सहित अवकाश के समय भुगतान की गई मजदूरी की राशि।

16. धारा 65(2) के अंतर्गत तिथि सहित अवकाश के समय भुगतान की गई मजदूरी की राशि और अवकाश की अवधि।

17. धारा 62 के अंतर्गत महिला द्वारा नामित व्यक्ति का नाम।

18. यदि महिला की मृत्यु होती है, तो उसकी मृत्यु की तारीख, उस व्यक्ति का नाम जिसे मातृत्व लाभ और/ या अन्य राशि का भुगतान किया गया था, उसकी राशि और भुगतान की तारीख।

19. यदि महिला की मृत्यु होती है और शिशु जीवित रहता है तो, उस व्यक्ति का नाम, जिसे बच्चे की ओर से मातृत्व लाभ की राशि का भुगतान किया गया था और वह अवधि जिसके लिए यह भुगतान किया गया था।

20. महिला कर्मचारियों के रजिस्टर में प्रविष्टियों को प्रमाणित करते हुए प्रतिष्ठान के नियोक्ता का हस्ताक्षर।

21. निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के उपयोग के लिए टिप्पणी कॉलम।

प्रपत्र XXIII

*[(55(3)(*क*)* नियम देखें*]*

एकीकृत वार्षिक विवरणी

क.	सामान्य भाग:
	(क) प्रतिष्ठान का नाम
	प्रतिष्ठान का पता:
	मकान सं./ फ्लैट सं
शहर .	पिन कोड
(ख) नि	योक्ता का नाम
	नियोक्ता का पता:
मकान	सं./ फ्लैट सं
शहर	राज्यपिन कोड
	ई-मेल आईडी मोबाईल सं दूरभाष सं
(ग) प्रा	तिष्ठान के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार प्रबंधक या व्यक्ति का नाम
	पता:
मकान	सं./ फ्लैट सं
शहर	पिन कोड
	ई-मेल आईडी मोबाईल सं दूरभाष सं

ख. नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित संहिता के अंतर्गत नियोक्ता का पंजीकरण/ लाइसेंस संख्या:

क्र.सं.	नाम	पंजीकरण	यदि हां (पंजीकरण सं.)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020।		
02.	सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020।		
03.	समय लागू होने के लिए कोई अन्य कानून।		

ग. नियोक्ता, ठेकेदार और ठेका श्रम के विवरण:

01.	ठेकेदारों के प्रतिष्ठान के मामले में	नियोक्ता का नाम।		
02.	प्रतिष्ठान के आरंभ होने की तारीग	व।		
03.	वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान में कार्यरत	ा ठेकेदारों की संख्या।		
04.	वर्ष के दौरान दिनों की कुल संख्य	ा जिनमें ठेका श्रमिक नियोजित थे।		
05.	वर्ष के दौरान ठेका श्रम द्वारा का	र्य किए गए श्रम-दिनों की कुल संख्य	ТІ	
06.	प्रबंधक या एजेंट का नाम (खदान	ों के मामले में)		
07.	पता मकान सं./ फ्लैट सं. शहर ई-मेल आईडी मोबाईल संख्या	गली/ प्लॉट सं. जिला दूरभाष संख्या	पिन व	ਸੇਤ

घ. कार्य घंटे और साप्ताहिक विश्राम दिवस:

01.	वर्ष के दौरान कार्य किए गए दिवसों की संख्या।	
02.	वर्ष के दौरान कार्य किए गए श्रमदिवासों की संख्या।	
03.	कार्य के दैनिक घंटे।	
04.	विश्राम का साप्ताहिक दिवस।	

ङ. वर्ष के दौरान किसी दिन भी नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या:

क्र.सं.	पुरुष	किशोर (14 से 18 वर्ष की आयु के बीच)	बच्चे (14 वर्ष की आयु से कम)	कुल

च. मजदूरी दरें (श्रेणी-वार):

श्रेणी	मजदूरी की दरें				कामगारों	की संख	या		
	का दर			नियमित				संविदा	
		पुरूष	महिला	बच्चे	किशोर	पुरूष	महिला	बच्चे	किशोर
उच्च									
कुशल									
कुशल									
अर्धकुशल									
अकुशल									

छ. (क) भुगतान का विवरण:

भुगतान कियाः वेतन	गया सकल				भुगतान किया गया निवल वेतन	
नकद	अन्य प्रकार से		नुकसान अथवा क्षति के लिए कटौतियां	अन्य	नकद	अन्य प्रकार से

(ख)वर्ष के दौरान सवेतन अवकाश अनुमोदित किए गए कामगारों की संख्या :

क्रम संख्या .	वर्ष के दौरान	कामगारों की संख्या	सवेतन अवकाश अनुमोदित

ज. सांविधिक योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई विभिन्न कल्याण योजनाओं का विवरण :

उपलब्ध कराई गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं की प्रकृति	सांविधिक (संविधि विनिर्दिष्ट करें)

झ. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत प्रसूति लाभ :

(क) प्रतिष्ठान, चिकित्सा एवं पैरा-चिकित्सा स्टाफ का विवरण:

01.	प्रतिष्ठान के खुलने की तारीख
02.	बंद होने की तारीख, यदि बंद हो तो
03.	चिकित्सा अधिकारी का नाम
03(i)	चिकित्सा अधिकारी की योग्यता
03(ii)	क्या चिकित्सा अधिकारी (खान अथवा सकर्स) में है?
03(iii)	क्या वह अंशकालिक है, तो कितनी बार प्रतिष्ठान का दौरा करता/करती है?
03(iv)	क्या वहां कोई अस्तपाल है?
03(v)	यदि हां, तो कितने बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है?
03(vi)	क्या वहां कोई महिला चिकित्सक है?
03(vii)	यदि हां, तो उसकी योग्यता क्या है?
03(viii)	क्या वहां कोई योग्य दाई है?
03(ix)	क्या शिशुगृह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है?

(ख) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत अनुमोदित अवकाश

तारीख

01.	प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या	
02.	अनुमोदित अवकाश के दिनों की कुल संख्या	
	कर्मचारियों की संख्या जिन्हें प्रसूति अवकाश दिया गया / ईएसआई द्वारा लाभान्वित हुए	

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सत्य एवं सही है तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मेरे प्रतिष्ठान पर लागू होने वाले श्रम कानूनों के सभी उपबंधों का अनुपालन किया है।

स्थान

यहा हस्ताक्षर करें

प्रपत्र-XXIV

[नियम 56 (1) देखें]

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 138 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपराध की कम्पाउंर्डिंग के लिए पहली बार अपराध करने वाले नियोक्ता को नोटिस

नोटिस संख्या

तारीख :

मेरे समक्ष रखे गए रिकार्ड एवं दस्तावेजों के आधार पर, अधोहस्ताक्षरी के पास यह मानने के लिए कारण हैं कि आपने,प्रतिष्ठान के नियोक्ता होने के कारण (पंजीकरण संख्या), सहिता के उपबंधों अथवा योजनाओं अथवा नियमों अथवा उनके अंतर्गत विनियमों के उल्लंघन में नीचे दिए गए विवरणानुसार अपराध किया है :-

भाग – I

- 1. व्यक्ति का नाम:
- 2. प्रतिष्ठान का नाम एवं पता:
- 3. प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या :
- 4. अपराध का विवरण :
- संहिता/योजना /नियमों/विनियमों के उपबंध जिनके अंतर्गत अपराध किया गया है:
- अपराध के संघटन के लिए भुगतान किए जाने के लिए अपेक्षित कंपाउर्डिंग राशि :
- कॉलम 6 में विनिर्दिष्ट राशि जमा करने के लिए खाते का नाम एवं विवरण:

भाग –II

उपर्युक्त के दृष्टिग्त, आपके पास ऊपर वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 15 दिन के अंदर भुगतान करने तथा इस नोटिस के भाग-III में भरकर आवेदन को लौटाने का विकल्प है।

यदि विनिदिष्ट समय में उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस संबंध में बिना कोई अवसर दिए अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

(कंपाउंडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

भाग – III

[नियम 56 (2)देखें]

अपराध की कंपाउर्डिंग के लिए धारा 138 की उप-धारा (4) के अंतर्गत आवेदन

संदर्भ : नोटिस संख्या

अधोहस्ताक्षरी ने भाग-I के कॉलम 6 में विनिर्दिष्ट की गई सम्पूर्ण राशि जमा कर दी है तथा भाग-I में उल्लिखित अपराध को कंपाउंड करने के अनुरोध के साथ भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है।

1. जमा की गई कंपाउर्डिंग राशि का विवरण (इलैक्ट्रॉनिक ढंग से जारी रसीद की प्रति संलग्न की जानी है):

2. अभियोजन, यदि ऊपरलिखित अपराधों के उल्लंघन के लिए दायर किया गया हो, का विवरण:

 क्या यह अपराध प्रथम अपराध है अथवा आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया था तो उस अपराध का पूर्ण विवरण दें:

4. अन्य कोई सूचना जो आवेदक देना चाहता हो :

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम एवं पदनाम)

तारीख:

स्थान:

भाग – IV

संघटन प्रमाण-पत्र

[नियम 56 (3)देखें]

संदर्भ : नोटिस संख्या

यह प्रमाणित किया जाता है कि संहिता की धारा 133 की उपधारा के अंतर्गत अपराध, जिसके संबंध में श्री ------(आवेदक), (प्रतिष्ठान का नाम एवं पंजीकरण संख्या) के नियोक्ता को दिनांक : _____ का नोटिस संख्या जारी किया गया था , को उक्त नोटिस के अनुपालन में अपराधों के संघटन के लिए --------(रुपये_____) की पूर्ण राशि का भुगतान करने के कारण कंपाउंड कर दिया गया है।

> (हस्ताक्षर) अधिकारी का नाम एवं पदनाम

तारीख:

तारीख:

स्थान:

प्रपत्र- XXV

[नियम 58(3)(ख) देखें] कैरियर केन्द्रों को रिक्तियां रिपोर्ट करने हेतु प्रपत्र तारीख:

<u>(प्रत्येक प्रकार के पद के लिए अलग-अलग प्रपत्र प्रयोग किया जाना है)</u>

1	नियोक्ता का विवरण :		
	नाम:		
	पिन कोड सहित पता:		
	दूरभाष संख्या :		
	मोबाइल संख्या:		
	ई-मेल पता:		
	प्रतिष्ठान का नाम एवं प्रकार (केन्द्र सरकार,		
	राज्य सरकार, पीएसयू, स्वायत्त, निजी, इत्यादि)		
	संहिता के अंतर्गत प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या		
	:		
	आर्थिक क्रियाकलापों का विवरण		
2.	इंडेंटिंग अधिकारी का विवरण:		
	नाम:		
	पदनाम:		
	दूरभाष संख्या . :		
	मोबाइल संख्या .:		
	ई-मेल पता :		
3.	रिक्ति(रिक्तियों) का विवरण :		
	(क)भरी जाने वाली रिक्ति(रिक्तियों) का पदनाम/ नामावली		
	(म) मन ने नकी-नें ना नकीन (नर्मन		
	(ख) पद के दायित्वों का वर्णन (जॉब भूमिका/कार्यप्रणाली भूमिका)		
	(ग) अपेक्षित योग्यताएं/कौशल		वांछनीय/प्राथमिकता योग्य
	(शैक्षणिक, तकनीकी, अनुभव)		
		अनिवार्य	
	(i) शैक्षणिक योग्यता		
	(ii) तकनीकी योग्यता		
	(iii) कौशल		

					1
	(iv) अनुभव				
	(घ) आयु सीमा, यदि कोई हो				
	(आवेदन करने की अंतिम तारीख को आयु)				
	(ङ) प्राथमिकताएं (जैसेकि भूतपूर्व सैनिक,				
	दिव्यांग व्यक्ति, महिलाएं इत्यादि) यदि कोई हों।				
	(च) नियोजन की अवधि	पदों	की संख	या	
	(i) 3-6 माह				
	(ii) 6-12 माह				
	(iii) 12 माह				
4	क्या रिक्तियों को भरने में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), भूतपर्वू सैनिक तथा दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), इत्यादि जैसे व्यक्तियों की किसी श्रेणी को आरक्षण /प्राथमिकता देने की व्यवस्था करने का कोई दायित्व है: हॉ/नहीं				
	(यदि हां, तो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या बताई जाए)			यों द्वारा भरी जाने वाली	
	श्रेणी		भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या		
	(क) अनुसूचित जाति		कुल	*प्राथमिकत	ा अभ्यर्थियों द्वारा
	(ख) अनुसूचित जनजाति			(केन्द्र सरक	ार की रिक्तियों के लिए लागू)
	(ग)अन्य पिछड़ा वर्ग				
	(घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				
	(ङ) भूतपूर्व सैनिक				
	(च) दिव्यांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी)				
	(छ) महिलाएं				
	(ज) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
6.	वेतन एवं भत्ते:				
	सरकारी रिक्तियों के लिए : अन्य विवरण के साथ मूल				
	वेतन/प्रतिमाह वेतन सहित पद के वेतन स्तर/वेतन स्केल, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।				
	अन्य के लिए: अन्य विवरण के साथ प्रतिमाह न्यूनतम				
	कुल वेतन, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।				
7.	कार्य स्थल(कस्बे/गांव तथा जिला का नाम, पिन व इत्यादि के साथ, जिसमें यह स्थित है)	<u>कोड</u>			

8.	आवेदन का तरीका (ई-मेल, ऑन लाइन, लिखित में, इत्यादि) और	
	आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख	
9.	उस अधिकारी का विवरण जिसको आवेदन भेजे जाएं/ अभ्यर्थी सम्पर्क करें:	
	(नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी पता, दूरभाष संख्या, ऑन लाइन के मामले में वेबसाइट के पते का उल्लेख करें)	
10	भर्ती का तरीका	
	{कैरियर केन्द्र, प्लेसमेंट एजेंसी, स्व प्रबंधन के माध्यम	
	से, अन्य कोई तरीका (विनिर्दिष्ट करें) }	
11	क्या कैरियर केन्द्र में पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों की सूची सौंपने को वरीयता देंगे।	हां/नहीं
12	अन्य कोई प्रासंगिक सूचना	

प्रतिष्ठान/नियोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर एवं तारीख के साथ हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम

(कार्यालय प्रयोग के लिए-कैरियर केन्द्र द्वारा भरा जाए)

13	कैरियर केन्द्र का नाम, पता,ई-मेल आईडी	
14	रिक्तियां प्राप्त होने की तारीख	
15	प्रतिष्ठान का एनआईसी कोड	
16	पद का एनसीओ कोड	
17	विशिष्ट रिक्ति आईडी (संख्या)	

कैरियर केन्द्र के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर एवं तारीख के साथ हस्ताक्षर /नाम /पदनाम

टिप्पणी:

- कैरियर केन्द्र जिसको रिक्तियां रिपोर्ट की जाती हैं, वह रिपोर्ट की गई रिक्ति को एक विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या प्रदान करेगा तथा इसे लिखित में ई-मेल अथवा डिजिटल ढंग से अथवा अन्य किसी मीडिया के माध्यम से तत्काल नियोक्ता को सूचित करेगा परन्तु किसी भी मामले में यह रिक्तियों की रिपोर्टिंग की प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवस के पश्चात नहीं करेगा।
- कोई नियोक्ता, यदि किसी मीडिया में उस रिक्ति का विज्ञापन देता है अथवा किसी एजेंसी अथवा किसी अन्य तरीके से भर्ती करता है, तो वह उस विज्ञापन अथवा भर्ती प्रक्रिया में उस विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या को हमेशा उल्लिखित करे।
कैरियर केन्द्र को पहले से दिए गए विवरणों में कोई परिवर्तन होने पर, इसकी सूचना लिखित में अथवा वैध आधिकारिक ई-मेल अथवा डिजिटल ढंग से (पोर्टल के माध्यम सहित) जैसा भी मामला हो, समुचित कैरियर केन्द्र को दी जाएगी।

प्रपत्र-XXVI

[नियम 58(6)देखें]

ईआईआर प्रपत्र (रोजगार सूचना विवरणी)

...... को समाप्त वर्ष के लिए कैरियर केन्द्र (क्षेत्रीय) को जमा की जाने वाली वार्षिक विवरणी

सामाजिक सुरक्षा संहिता (अध्याय-XIII – रोजगार सूचना एवं अनुवीक्षण) 2020 के अंतर्गत जमा करने के लिए निम्नलिखित सूचना अपेक्षित है

नियोक्ता का नाम एवं पता	
क्या मुख्यालय है	
शाखा कार्यालय है	
प्रतिष्ठान का प्रकार	
(सार्वजनिक/निजी क्षेत्र)	
व्यवसाय का प्रकार / मुख्य क्रियाकलाप	
संहिता के अंतर्गत प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या	

1. (क) रोजगार

अंशकालिक कामगारों तथा प्रशिक्षुओं को छोड़कर कार्यरत प्रोपराइटर्स/पार्टनर्स/आकस्मिक भुगतान एवं संविदा कामगारों, आउटसोर्स कामगारों सहित प्रतिष्ठान की जनशक्ति की कुल संख्या (इन आंकड़ों में वह प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहिए जिसे मजदूरी अथवा वेतन का भुगतान किया जाता है)।

श्रेणी	पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को	रिपोर्टाधीन वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को
पुरूष		
महिला		
अन्य (ट्रांसजेंडर)		

कुल :

उपर्युक्त कुल में से दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी)

(ईआईआर- जारी)

 वर्ष के दौरान हुई रिक्तियों की संख्या 	रिक्तियों * तथा कैरियर	केन्द्र को रिपोर्ट की गई	रिक्तियों की संख्या तथ	ा वर्ष के दौरान भरी गई
हुई रिक्ति	रिपोर्ट की गई कैरियर केन्द्र (क्षेत्रीय)	कैरियर केन्द्र (केन्द्रीय)	भरी गई	स्रोत (कैरियर केन्द्र/एनसीएस पोर्टल/ सरकारी भर्ती एजेसियां/ निजी प्लेसमेंट संगठन/अन्य)
1	2	3	4	5

*सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (अध्याय XIII) के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियामों के अनुसार।

3. जनशक्ति की कमी<mark>:</mark>

समुचित आवेदकों की कमी के कारण रिक्तियां/पद रिक्त रह गए ।

व्यवसाय का नाम अथवा पद का पदनाम	रिक्त रिक्तियों /पदों की संख्या		
ויי אין אין אין אין אין אין אין אין אין א	कौशल/योग्यता (शैक्षणिक /तकनीकी /निर्धारित अनुभव)	अनिवार्य	वांछनीय
1	2	3	4

(कृपया उन अन्य व्यवसायों को भी सूचीबद्ध करें जिनके लिए हाल ही में प्रतिष्ठान को समुचित आवेदक प्राप्त करने में मुश्किल हुई थी।)

 अगले कैलैंडर वर्ष के दौरान व्यावसायिक वर्गीकरण के कारण अपेक्षित अनुमानित जनशक्ति (कृपया नीचे प्रत्येक व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग दी जाए)

व्यवसाय	कर्मचारियों की संख्या
	कृपया जहां तक संभव हो सेवानिवृत्ति/ विस्तार अथवा पुनर्संगठन के कारण अगले वित्तीय वर्ष के दौरान आपके द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक व्यवसाय में रिक्तियों की
	ावत्ताय वर्षे के दाराने आपके द्वारा भरा जाने वाला प्रत्यके व्यवसाय में रिक्तियों की

	अनुमानित संख्य	ा दें।			
विवरण	<u>पुरूष</u>	महिला	<u>अन्य</u> (ट्रांसजेंडर)	<u>कुल</u>	कुल में से दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी)
1	2	3	4	5	6
*					
कुल:					

> प्रतिष्ठान के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता /नियोक्ता के मुहर एवं तारीख सहित हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम

सेवा में

कैरियर केन्द्र

.....

टिप्पणी:- 1. यह विवरणी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिन के अंदर प्रतिष्ठानों/नियोक्ताओं द्वारा कैरियर केन्द्र (क्षेत्रीय) को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अध्याय-XIII – रोजगार सूचना एवं अनुवीक्षण) के अंतर्गत अपने दायित्व के रूप में जमा करानी अपेक्षित है।

2. नियोक्ताओं से सूचना प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य (i) उपलब्ध रिक्तियों/रोजगार के अवसरों; (ii) कार्मिकों का प्रकार जिनका अभाव है और (iii) नौकरी चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए भविष्य के जॉब अवसरों का पता लगाना तथा उन्हें नियोक्ताओं से जोड़ना है। यह कौशल आवश्यकताओं का पता लगाने मे भी सहायक है। नियोक्ता भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समुचित अभ्यर्थी लेने के लिए कैरियर केन्द्रों को कॉल करने में समर्थ होंगे।

[फा. सं. आर-11011/03/2020-एसएस-II]

अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2020

G.S.R. 713 (E).— The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 154, 155 and 158 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and in supersession of the -

- (i) Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950;
- (ii) Tribunal (Procedure) Rules, 1997;
- (iii) Employees' Provident Funds Appellate Tribunal(Conditions of Service) Rules, 1997;
- (iv) Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Rules, 1960;
- (v) Maternity Benefit (Mines and Circus) Rules, 1963;
- (vi) Payment of Gratuity (Central) Rules, 1972;
- (vii) Cine-Workers Welfare Fund Rules, 1984;
- (viii) Building and Other Constructions Workers' Welfare Cess Rules, 1998; and
- (ix) Unorganised Workers' Social Security Rules, 2009;

made by the Central Government in exercise of the powers conferred by the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959(31 of 1959), the Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961), the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), the Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981), the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996(28 of 1996) and the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008(33 of 2008), as the case may be, which are repealed by section 164 of the said Code on Social Security, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified, as required by section 158, for information of all persons likely to be affected thereby and the notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Rahul Bhagat, Director, Ministry of Labuor and Employment, Room No.302, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001 or by e-mail – rahul.bhagat@ips.gov.in. The objections and suggestions should be sent in a proforma containing column (1) specifying the name and address of the person/organization and column (2) specifying the chapter and rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (3) specifying the revised rule or sub-rule proposed to be substituted and column (4) reasons therefor;

Objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.- (1) These rules may be called the Code on Social Security (Central) Rules, 2020.

(2)They extend to the whole of India.

(3) They shall come into force after the date of their final publication in the Official Gazette, on the date of the commencement of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires, —

- (a) "agency" means any corporation, body or institution, established under an Act of Parliament or Central Public Sector Undertaking or Special Purpose Vehicle as notified by the Central Government.
- (b) "appeal" means an appeal preferred under sub-section (1) of section 23;

- (c) "Appellate authority" means the Central Government or the authority specified by the Central Government under sub-section (8) of section 56 or an officer, senior in rank to the Assessing Officer for the purposes of section 105 of the Code, appointed by the State Government, as the case may be;
- (d) "Assessing Officer" means a gazetted officer of a State Government or an officer of a local authority holding an equivalent post to a gazetted officer of the State Government appointed by such State Government for assessment of Cess under the Code;
- (e) "authority" means the Central Government or the authority specified by the Central Government under sub-section (3) of section 72;
- (f) "average daily wages during a contribution period" under chapter IV of the Code in respect of an employee, means the aggregate amount of wages payable to him during that period divided by the number of days for which such wages were payable;
- (g) "Average daily wages during a wage period" under chapter IV of the Code means —
- (i) in respect of an employee who is employed on time-rate basis, the amount of wage which would have been payable to him for the complete wage period had he worked on all the working days in that wage period, divided by 26 if he is monthly rated, 13 if he is fortnightly rated, 6 if he is weekly rated and 1 if he is daily rated;
- (ii) in respect of an employee employed on any other basis, the amount of wages earned during the complete wage period in the Contribution period divided by the number of days in full or part for which he has worked for wages in that wage period :

Provided that where an employee receives wages without working on any day during such wage period, he shall be deemed to have worked for 26, 13, 6 or 1 days or day if the wage period be a month, a fortnight, a week or a day respectively.

- **Explanation.** Where any night shift continues beyond midnight, the period of the night shift after midnight shall be counted for reckoning the day worked as part of the day preceding;
- (h) "benefit period" means the period not exceeding six consecutive months corresponding to the contribution period, as may be specified in the Regulations;
- (i) "career centre (Central)" means that career centre as notified by the Central Government;
- (j) "career centre (Regional)", throughout India except the Union Territory of Chandigarh, means that Career Centre { other than the Career Centre (Central) } as notified by the respective State Government or the Administration of the Union Territory as having jurisdiction;
 - (i) over the area in which the establishments concerned are situated; or
 - (ii) over specified classes or categories of establishments concerned or vacancies.
- (k) "career centre (Regional) in the Union Territory of Chandigarh" means that Career Centre established either by the Union Territory Administration of Chandigarh or by the State Government of Punjab or Haryana, as the case may be, notified by respective the State as having jurisdiction over specified classes or categories of establishments or vacancies, provided that the Career Centres established by the State Government of Punjab or Haryana shall not have jurisdiction over—
 - (i) The Public Sector offices/establishments other than those belonging to the respective States; and
 - (ii) Private Sector establishments.
- (l) "cess collector" means an officer appointed by the State Government for collection of cess under the Code ;
- (m) "chairperson" means the Chairperson of the Corporation, the Central Board, the National Social Security Board, the State Unorganised Workers' Board, the Standing Committee, the Medical Benefit Committee or the Executive Committee, as the case may be;
- (n) "chartered engineer" means a person having an engineering degree and the corporate membership of Institute of Engineers India;
- (o) "Code" means the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);
- (p) "contribution period" means the period not exceeding six consecutive months, as may be specified in the Regulations;
- (q) "electronically" means any information submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code;

114	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]			
(r)	"excluded vacancies" means those vacancies which have been excluded from the purview of the section 139 as per the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 140;			
(s)	"form" means a form appended to these rules;			
(t)	"fund" means the Employees' State Insurance Fund, the Employees' Provident Fund, the Employees' Pe Fund, the Employees' Deposit-Linked Insurance Fund or the Social Security Fund, as the case may be;			
(u)	"Government Securities" means Government Securities as defined in the Government Securities Act, 200 of 2016);			
(v)	"immovable property" includes land, benefits to arise out of land, things attached to the earth, or permanently fastened to anything attached to the earth;			
(w)	"movable property" means property of every description except immovable property;			
(x)	"nodal officer" means a person designated by Building and Other Construction Workers' Welfare Board or the State Government to facilitate the registration, renewal and updation electronically or otherwise or any such other function of Building Workers working in the Private Sector, State Government, Central Government and Public Sector Undertakings of the Central and the State Governments or local authority. The Nodal officer shall also supervise and monitor functions of the Beneficiary Registering Officers designated by Appropriate Government;			
(y)	"nomination" means nomination made under section 55 of the code;			
(z)	"Registered Medical Practitioner" means a medical practitioner whose name has been enrolled in a register maintained under any law for the time being in force regulating the registration of practitioners of medicine;			
(za)	"register of women employees" means a register of women employees maintained under rule 55;			
(zb)	"schedule" means the schedule of the Code;			
(zc)	"section" means a section of the Code;			
(zd)	"Shram Suvidha Portal" means portal of Ministry of Labour and Employment.			
(ze)	"specified" means specified by an order of the Central Government or any State Government or any officer so authorised by such Government;			
(zf)	"standard benefit rate" means average daily wages obtained by dividing the total wages paid during the Contribution period by the number of days for which these wages were paid;			
(-)	""			

THE GAZETTE OF INDIA · EXTRAORDINARY

- 'turnover" of an aggregator as defined under sub-section (91) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of (zg) 2013), means the gross amount of revenue recognised in the profit and loss account from the sale, supply, or distribution of goods or on account of services rendered, or both, by a company during a financial year.
- "year" shall mean the financial year, that is to say, beginning from the first of April and ending with the thirty-(zh) first of March of the year following.

(2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the

Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.

114

3. Manner, and the conditions subject to which, the provisions of Chapter III shall be made inapplicable to an establishment by the Central Provident Fund Commissioner, under sub-section (5) and the manner, and the conditions subject to which the provisions of that Chapter IV shall be made inapplicable to an establishment by the Director General of the Corporation under sub-section (7) of section 1.- (1) The employer of an establishment to which the provisions of Chapter III or IV have been applied by notification under sub-section (5) or (7) of section 1 of the Code, may apply electronically on the specified portal to the Central Provident Fund Commissioner or the Director General, as the case may be, for exiting from such applicability provided that the employer and majority of the employees in the establishment agree in writing to such exit.

The Central Provident Fund Commissioner or the Director General, as the case may be, shall decide the application within a period of sixty days from the date of receipt of application:

Provided that if no decision is taken by the Central Provident Fund Commissioner or the Director General, as the case may be, within the specified period of sixty days, the permission under sub-section (5) or (7) of section 1, as the case may be, shall be deemed to have been granted with effect from the date of completion of such sixty days:

Provided further that no such application shall be entertained if the provisions of Chapter III or Chapter IV have become applicable in terms of sub-section (4) of section 1 to the establishment at any time subsequent to the notification under sub-section (5) or (7) of section 1:

Provided also that no such application shall be made by the employer of the establishment before five years of such coverage under provisions of Chapter III or IV:

Provided further that no such application shall be entertained unless the employer has furnished all statutory returns, paid all statutory dues under the Code and submitted a self-certification to that effect along with the application.

4. Income of dependant parents (including father-in-law and mother-in-law of a woman employee), under subclause (e) of clause (33) of section 2.- The income of dependant parents for all sources shall not exceed nine thousand rupees in a month.

5. Time and manner of registration of establishment, the manner of making application for cancellation of the registration, the conditions subject to which the registration shall be cancelled and the procedure of cancellation and other matters relating thereto in respect of an establishment to which Chapter III or Chapter IV applies, and whose business activities are in the process of closure, under section 3.- (1) The employer seeking registration for an establishment not already registered shall apply electronically in the Form available on the Shram Suvidha Portal by giving details about the establishment, and uploading documents related to Registration of the establishment, proof of Identity and address of the employer(s) as specified in the Form. The Form shall be signed digitally or in any other manner as may be required on the portal. The applicant shall be responsible for veracity of all information submitted in the application. The Permanent Account Number (PAN) of the establishment allotted under Income Tax Act, 1961 or any other unique number allotted to the establishment under any other Act for the time being in force or any other particular furnished in the form, may be verified online. The certificate of registration shall be issued electronically immediately if the application is complete in all respect but not later than seven days from the date of submission of complete application, failing which such establishment shall be deemed to have been registered and the certificate of registration shall be auto generated:

Provided that in exceptional circumstances the Central Government may, for such period, by notification, dispense with requirement of electronic registration, in respect of establishment or class of establishment, for part or whole of India, and submission of application in the form so provided, may be allowed.

(2) The Authorized officer under the Code may direct the employer who fails to comply with the requirements of sub-rule (1), to do so within the time stated therein and such employer shall, thereupon comply with the instruction issued by the officer in this behalf.

(3) The employer in respect of an establishment already registered under any other central labour law for the time being in force shall, update the registration particulars on the Shram Suvidha Portal, within such period as the Central Government may specify by notification.

(4) Any registration made or deemed to have been made under this rule shall expire, after twenty-four months from the date of registration, in case no compliance on that registration number is made by the employer:

Provided that such expiration of the registration number may be revoked on an application made on the portal.

(5) Any registration obtained by providing wrong information shall be liable to be cancelled provided that the establishment has been given an opportunity to show cause, electronically or otherwise, as to why the certificate of registration should not be cancelled.

(6) The employer shall quote the Registration Number on all documents prepared or completed by him in connection with the Code or the Scheme or the Rules or the Regulations, as the case may be, and in all correspondence with the offices concerned.

(7) Any change in the particulars furnished in Registration Form submitted on the specified portal, shall be updated by the employer within thirty days of such change.

(8) The employer of an establishment to which the provisions of the Code apply and whose business activities are in the process of closure, may apply for cancellation of registration in prescribed form online on the Shram Suvidha Portal after giving complete details and the status of the contribution and other dues payable under the Code.

(9) The application for cancellation of registration shall be allowed after the particulars in the application are verified in the manner as may be specified by the Central Government:

Provided that no such application for cancellation of registration shall be entertained unless the employer has furnished all statutory returns, paid all statutory dues under the Code and submitted a self-certification to that effect along with the application.

(10) A copy of the certificate of registration shall be displayed at the conspicuous places at the premises where the work is being carried out.

CHAPTER II

SOCIAL SECURITY ORGANISATIONS

A. CENTRAL BOARD, EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

6. Manner of administration of the funds vested in the Central Board under sub-section (1) of section 4.- (1) The Central Board shall administer the Funds vested in it within the ambit of the guidelines issued by the Central Government.

(2) The Central Board for the efficient administration of the Schemes may open as many accounts as it may consider necessary or as specified in the Schemes.

(3) All moneys belonging to the Funds shall be deposited in the Reserve Bank or the State Bank of India or in such other Scheduled Banks as may be approved by the Central Government from time to time or shall be invested as the Central Government may specify by notification in the Official Gazette.

(4) All expenses incurred in respect of, and loss, if any, arising from any investment shall be charged to the Funds.

(5) The Funds, not including therein the Administration Account, shall not be expended for any purpose other than the payment of the sums standing to the credit of individual members of the Funds or to their nominees or heirs or legal representatives in accordance with the provisions of that Scheme.

(6) The Funds shall be operated upon by such officers as may be authorized in this behalf by the Central Board.

7. Manner to assist the Central Board in performance of its functions by Executive Committee under subsection (3), the terms and conditions, including tenure of office of members of the Central Board and Executive Committee under sub-section (6) and the other functions and the manner of performing such functions under sub-section (7), of section 4.- (1) Constitution of Executive Committee. -(1) (a) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute, with effect from such date as may be specified therein, an Executive Committee to assist the Central Board in the performance of its functions.

- (b) The Executive Committee shall consist of the following persons as members, namely:
 - (i) a Chairperson appointed by the Central Government from amongst the members of the Central Board;
 - (ii) two persons appointed by the Central Government from amongst the persons referred to in clause(b) of sub-section (1) of section 4 of the Code;
 - (iii) three persons appointed by the Central Government from amongst the persons referred to in clause(c) of sub-section (1) of section 4 of the Code;
 - (iv) three persons representing the employers elected by the Central Board from amongst the persons referred to in clause (d) of sub-section (1) of section 4 of the Code;
 - (v) three persons representing the employees elected by the Central Board from amongst the persons referred to in clause (e) of sub-section (1) of section 4 of the Code; and
 - (vi) the Central Provident Fund Commissioner, ex-officio.
- (2) Election of certain members of the Executive Committee. -
 - (a) The Chairperson of the Central Board shall call a meeting of the Board for the purpose of election to the Executive Committee of the members representing the employer or, as the case may be, the employees referred to in sub-clauses (iv) and (v) of clause (b) of sub-rule (1).
 - (b) In the meeting referred to in clause (a) of sub-rule (2), the Chairperson of the Central Board may invite the members to propose the names of those members who represent the employers or, as the case may be, the employees and every such proposal shall be duly seconded by another member of the Board.
 - (c) If the number of persons proposed and seconded for election under clause (a) of sub-rule (2) does not exceed the number of vacancies to be filled up from amongst the persons representing the employers, or, as the case may be, the employees, the persons whose names have been so proposed and seconded in relation to the category of employers or employees, shall be declared elected to the Executive Committee.
 - (d) If the number of persons proposed and seconded for election under clause (a) of sub-rule (2) exceeds the number of vacancies to be filled up from amongst the persons representing the employers or, as the case may be, the employees, each member of the Board present at the meeting, other than the Chairperson, shall be given a ballot paper containing the names of all the candidates so proposed and seconded and he

may record his votes thereon for as many candidates belonging to the categories of employers or employees, as there are vacancies to be filled up in relation to each such category, but not more than one vote shall be given in favour of any one candidate. If any member votes for more candidates than the number of vacancies in relation to the categories of employers or employees or given more than one vote in favour of any one candidate, all his votes shall be deemed to be invalid.

(e) The persons getting the highest number of votes shall be declared by the Chairperson as duly elected to the Executive Committee at the same meeting or as soon thereafter as possible:

Provided that where there is an equality of votes between candidates, the Chairperson shall exercise a casting vote.

(f) If any question arises as to the validity of any election, it shall be referred to the Central Government, who shall decide the same.

(3) Other committees of the Central Board. – The Central Board may, by order, constitute one or more committees consisting of as many trustees and officers of Employees' Provident Fund Organisation, as may be specified in the order:

Provided that the Central Board may also include such persons, who in its opinion, have special knowledge of the subject matter relating to the Committee.

(4) Sub-committees of the Executive Committee. – The Executive Committee may, by order, constitute one or more sub-committees consisting of as many members of the Executive Committee and officers of Employees' Provident Fund Organisation, as may be specified in the order:

Provided that the Executive Committee may also include such persons, who in its opinion, have special knowledge of the subject matter relating to the Sub-Committee.

(5) Functions of the Central Board. – The Central Board, apart from administering the Schemes framed under Section 15 of the Code, shall also perform such other functions as may be assigned to it by the Central Government under section 13 of the Code.

(6) Functions of the Executive Committee. – The Executive Committee shall function under the general superintendence of the Central Board to assist the Central Board in performance of its functions and shall perform such functions as may be assigned to it by the Central Board.

(7) Term of office. -

- (a) The term of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and every Trustee of the Central Board referred to in clauses (b), (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 4 of the Code shall be four years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette.
- (b) The term of office of the Chairperson and every member of the Executive Committee referred to in subclauses (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-rule (1) shall be two years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette.
- (c) Notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b) of sub-rule (7), every Trustee or member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette:

Provided that a member of the Executive Committee shall cease to hold office when he ceases to be a member of the Central Board.

- (d) A Trustee or a member referred to in clauses (a) and (b) of sub-rule (7) appointed to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the trustee or member in whose place he is appointed and shall continue to hold office on the expiry of the term of office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.
- (e) A person shall be eligible for appointment as a Trustee or a member for a maximum of two terms:

Provided that the limitation mentioned above shall not apply to Chairperson, Vice-Chairperson, and a Trustee or Member appointed *ex-officio* and such appointment shall be co-terminus with the tenure of the office of the Trustee or Member, as the case may be:

Provided further that the maximum of two terms shall also include the number of terms for which a person has been appointed as a Trustee of the Central Board under clause (d) or (e) of sub-section (1) of section 5A of the erstwhile Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

(8) Secretary of the Central Board or the Executive Committee. – (a)The Central Provident Fund Commissioner shall be the Secretary of the Central Board and of the Executive Committee.

(b) The Secretary to the Central Board or the Executive Committee shall, in consultation with the Chairman, convene meetings of the Central Board or the Executive Committee, as the case may be, keep a record of its minutes and shall take the necessary steps for carrying out the decisions of the Central Board or the Executive Committee, as the case may be.

B. EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

8. Manner of administration of the Corporation and the manner of representation of States under clause (d) of sub-section (1), the manner of constitution of Standing Committee under sub-section (3), the manner of administration of the affairs of the Corporation, exercise of powers and performance of functions by the Standing Committee under clause (a) of sub-section (4), the duties and powers of Medical Benefit Committee under clause (b) of sub-section (5) and the terms and conditions, including tenure of office, subject to which a member of the Corporation and Standing Committee shall discharge their respective duties under sub-section (7) of section 5.- (1) Representation of States in the Corporation: - One person representing each of the States shall be appointed as a member of the Corporation, on nomination by the State Government concerned.

(2) Election of members of Parliament to the Corporation. —The House of the People (Lok Sabha) and the Council of States (Rajya Sabha) shall elect in such manner as the Speaker of the House of the People or as the case may be the Chairman of the Council of States may direct, two members of the House of the People (Lok Sabha) and one member of the Council of States (Rajya Sabha) to be members of the Corporation.

(3) Seal:- (a)The common seal of the Corporation shall remain in the custody of the Director General and shall not be affixed to any instrument except in the presence of the Director General or two members of the Standing Committee; the Director General or the said two members shall sign the contract in token of the fact that the same was sealed in his or their presence.

(b) The Corporation shall have for use at each of such other of its offices as it may specify, an official seal which shall be a facsimile of the common seal of the Corporation with the addition of the name of the office where it is to be used.

(c) The official seal shall not be affixed to any instrument except in the presence of such person or persons as the Standing Committee may authorise in this behalf and such person or persons shall sign the instrument in token of the fact that the same was sealed in his or their presence.

(d) An instrument to which an official seal is duly affixed shall bind the Corporation as if it had been sealed with the common seal of the Corporation.

(4) **Constitution of Standing Committee**. — A Standing Committee of the Corporation shall be constituted from among its members, consisting of —

- (a) a Chairperson appointed by the Central Government;
- (b) three members of the Corporation, appointed by the Central Government;
- (c) three members of the Corporation representing such three State Governments thereon as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify from time to time;
- (d) eight members elected by the Corporation as follows: ----
 - (i) three members from among the members of the Corporation representing employers;
 - (ii) three members from among the members of the Corporation representing employees;
 - (iii) one member from among the members of the Corporation representing the medical profession; and
 - (iv) one member from among the members of the Corporation elected by Parliament;

(e) the Director-General of the Corporation, ex-officio.

(5) Election of members to the Standing Committee. —(a) The Chairperson of the Corporation shall, at a meeting of the Corporation at which it is proposed to elect members of the Standing Committee under clause (d) of sub-rule (4), invite members to propose names from among members of the Corporation belonging to the group from which election is to be made. The names proposed shall be duly seconded by another member of the Corporation.

(b) If the number proposed from any group for election does not exceed the number of vacancies to be filled from that group, the persons whose names have been so proposed shall be declared elected to the Standing Committee.

(c) If the number proposed for election from a group exceeds the number of vacancies to be filled therefrom, each member of the Corporation present at the meeting shall be given a secret ballot paper containing the names of all the

candidates proposed and he shall be required to vote thereon for as many candidates from the group as there are vacancies to be filled up. Not more than one vote shall be given in favour of any one candidate. If any member votes for more candidates than there are vacancies in the group or gives more than one vote in favour of any one candidate, all his votes shall be deemed to be invalid.

(d) The persons getting the highest number of votes shall be declared by the Chairperson at the meeting or as soon thereafter as possible as duly elected to the Standing Committee:

Provided that where an equality of votes is found to exist between any candidates and the addition of one vote will entitle any of the candidates to be declared to be elected, the determination of the person or persons to whom such one additional vote shall be deemed to have been given shall be made by lot to be drawn in the presence of the Chairperson and in such manner as he may determine.

(e) If any question shall arise as to the validity of any election it shall be referred to the Central Government whose decision in the matter shall be final.

(6) **Powers and duties of the Medical Benefit Committee**— The powers and duties of the Medical Benefit Committee shall be:-

(a) to advise the Corporation in regard to the constitution, setting up, duties and powers of Local Committees constituted for the purpose of assisting in the administration of medical benefit.

(b) to make recommendations to the Corporation in regard to —

- the scale and nature of medical benefit provided at hospitals, dispensaries, clinics and other institutions and the nature and the extent of the medicines, staff and equipment which shall be maintained at such institutions and the extent to which these fall short of the desired standard;
- (ii) the medical formulary for use in connection with the medical benefit provided under the Code;
- (iii) medical certification, including the procedure and the forms for such certification, statistical returns, registers and other medical records; and
- (iv) measures undertaken for the improvement of the health and welfare of Insured Persons, and the rehabilitation and re-employment of Insured Persons, disabled or injured;

(c) to advise the Corporation on any matter relating to the professional conduct of any medical practitioner employed for the purpose of providing medical benefit under the Code.

(7) **Other Committees of Corporation**:-The Corporation may by order constitute one or more committees of such composition as may be specified in the Regulation to assist in the discharge of its function:

Provided that the Corporation may also include such persons, who in its opinion have special knowledge of the subject matter relating to the Committee.

(8) **Term of the office of Members of the Corporation:** - -(a) Save as otherwise expressly provided in the Code, the term of office of members of the Corporation, other than the members referred to in clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 5 of the Code and the *ex-officio* member, shall be for four years commencing from the date respectively on which their appointment or election is notified:

Provided that a member of the Corporation shall notwithstanding the expiry of the said period of four years, continue to hold office until the appointment or election of his successor is notified:

Provided further that the tenure of non-official members of the Corporation shall not be for more than total of two terms.

(b) The member of the Corporation referred to in clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 5 shall hold office during the pleasure of the Central Government.

(9) **Term of office of members of Standing Committee**. — (a) Save as otherwise expressly provided in the Code, the term of office of a member of the Standing Committee, other than a member referred to **in** clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-rule(4), shall be two years from the date on which his election is notified:

Provided that a member of the Standing Committee shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until the election of his successor is notified:

Provided further that a member of the Standing Committee shall cease to hold office when he ceases to be a member of the Corporation.

(b) A member of the Standing Committee referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-rule (4) shall hold office during the pleasure of the Central Government.

C. NATIONAL SOCIAL SECURITY BOARD

9. Manner of exercising the powers and performance of the functions by the National Social Security Board under sub-section (1), the manner of nomination of members, their term of office and other conditions of service, procedure to be followed in the discharge of their functions and manner of filling vacancies under sub-section (4) and time, place and rules of procedure relating to the transaction of business under sub-section (6) of section 6.- (1) Constitution of the National Social Security Board for Unorganised Workers.- (a) The Board constituted under section 6 shall be called as 'National Social Security Board for Unorganised Workers'.

(b) A member, other than an ex-officio member, shall hold office for a period not exceeding three years from the date of his nomination.

(c) A member shall be eligible for re-nomination:

Provided that a member shall not hold the office for more than total of two terms.

(d) Central Government may seek nomination from amongst the representatives of associations of unorganised sector workers and employers' associations of unorganised sector, in the National Social Security Board for Unorganised Workers, in the category of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 in such a manner, as decided by the Government.

(e) The Central Government shall nominate seven persons under sub-clause (iii) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 from amongst persons of eminence in the field of labour welfare, management, finance, law and administration.

(f) The Central Government shall seek nomination of two Lok Sabha Members from the Speaker of the Lok Sabha (House of the People) and one member from the Chairman of the Rajya Sabha (Council of the States) under subclause (iv) of clause (c) of sub-section (2) of section 6, as the case may be.

(g) The Central Government shall nominate ten Members under sub-clause (v) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 representing Ministries/ Departments of Central Government, concerned with the matters related to the welfare of the unorganised sector workers.

(h) The Central Government shall nominate five Members representing the State Governments under sub-clause (vi) of clause (c) of sub-section (2) of section 6, and one member representing Union Territories under sub-clause (vii) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 on rotation basis in such manner, as may be decided by that Government.

(i) A member nominated under sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (c) of sub-section (2) of the section 6, shall cease to be a member of the Board if he ceases to represent the category of interest from which he was so nominated:

Provided that out of seven persons nominated under sub-clause(i), one member each from the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the Minorities and Women shall be represented.

(j) A member nominated under sub-clause (iv) of clause (c) of sub-section (2) of the section 6 shall cease to be a member of the Board if he ceases to be a member of the House of Parliament by which he was so elected.

(k) No person shall be chosen as, or continue to be, a member of the Board, if such person attracts any provision(s) of section 8.

(2) Constitution of the National Social Security Board for Gig Workers and Platform Workers.- (a) The Board constituted under section 6 of the Code read with sub-section (6) of the section 114 of the Code shall be called as 'National Social Security Board for Gig Workers and Platform Workers'.

(b) A member, other than an ex-officio member, shall hold office for a period not exceeding three years from the date of his nomination.

(c) A member shall be eligible for re-nomination:

Provided that a member shall not hold the office for more than total of two terms:

(d) Central Government shall nominate five members under clause (a) of sub-section (6) of section 114, as representative of aggregators on rotation basis from amongst type of the aggregators mentioned in the Seventh Schedule.

(e) Central Government shall nominate five members under clause (b) of sub-section (6) of section 114 from amongst the gig workers and platform workers, on rotation basis, representing the different types of gig workers and platform workers.

(f) Under clause (e) of sub-section (6) of section 114 of the Code, the Central Government may nominate five members as experts from amongst persons of eminence in the field of labour welfare, management, finance, law, administration, e-commerce or information technology.

(g) The rules for the manner and discharge of functions of the National Social Security Board for Unorganised Workers shall also be applicable to the National Social Security Board for Gig Workers and Platform Workers except that the quorum for transaction of business at any meeting of the Board for Gig and Platform Workers shall be six members.

(h) National Social Security Board for Gig Workers and Platform Workers may constitute an expert committee to advise it on matters related to the welfare of gig workers and platform workers, assessment of number of gig workers and platform workers, identifying of new types of aggregators or any other matter related to gig workers and platform workers.

(3) Manner of exercising the powers and performance of the functions of the National Social Security Board.-(a) The Board, for discharging its functions as assigned to it, under sub-section (7) of section 6, may constitute a committee to deliberate and recommend on the specific issue(s) as may be assigned to such committee.

(2) Such committee(s) may co-opt Members from the Board or outside as the case may be, from the field(s) of the experts, on which committee is required to deliberate.

(4) **Reconstitution of the Board:-** (a) Central Government shall initiate the process for reconstitution of the National Social Security Board, prior to six months of expiry of the term of the Board.

(b) If the new Board is not re-constituted after completion of the term of the Board, such arrangements may be made for discharging and function of the board as may be decided by the Central Government for the period till the new Board is constituted, through a notification.

(c) Consequent upon institution of such arrangement, all actions taken shall have the same effect as if it has been carried out by the Board itself.

(5) **Resignation.-** (a) A member of the Board, not being an ex-officio member, may resign by a letter in writing addressed to the Central Government.

(b) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of intimation of resignation, whichever is earlier.

(c) The power to accept the resignation of a member shall vest with the Central Government.

(6) Change of Address.- If a member changes his address, he shall notify his new address to the Member-Secretary of the Board who shall thereupon enter his new address in the official records:

Provided that if a member fails to notify his new address, the address in the official records shall for all purposes be deemed to be the member's correct address.

(7) **Manner of filling vacancies.-** When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, Member Secretary of the Board shall submit a report to the Central Government and on receipt of such report, the Central Government may, by notification, nominate a person to fill the vacancy in the manner prescribed under sub-rules (1) and (2) of rule 9 above, and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(8) **Procedure for removal of a Member from the National Social Security Board for Unorganised Workers.** (a) During the pendency of the proceeding, if any, under clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 8, for removal of a member of the National Social Security Board for Unorganised Workers, such member shall abstain from the meeting(s) of the Board.

(b) The decision of the Central Government, on the debarment, dis-qualification and removal of any member under section 8, shall be final.

10. Amount in connection with premium for Group Insurance Scheme of the beneficiaries under clause (c), the educational schemes for the benefit of children of the beneficiaries under clause (d) and the medical expenses for treatment of major ailments of a beneficiary or, such dependant under clause (e) of sub-section (6) of section 7.- Notwithstanding the welfare schemes mentioned in the sub-section (6) of the section 7 of the Code, the State Building and Other Construction Workers' Welfare Board shall also formulate following scheme(s) for the Building workers as may be specified by the State Government:

(i) pay such amount in connection with premium for Group Insurance Scheme of the beneficiaries;

- (ii) frame educational schemes for the benefit of children of the beneficiaries; and
- (iii) meet such medical expenses for treatment of major ailments of a beneficiary or, such dependant.

11. Other welfare measures and facilities under clause (*j*) of sub-section (6) of section 7.- If in the opinion of the Central Government, it is established that for improvement in the wellbeing of the Building workers, it is necessary to formulate a new welfare scheme (s) or schemes in a state(s), Central Government may formulate such scheme (s) as notified by that Government from time to time.

D. GENERAL

12. Intervals at which Social Security Organisation or any Committee thereof shall meet and the procedure in regard to the transaction of business at meetings under sub-section (1), and the fee and allowances of members of such Social Security Organisation or Committee under sub-section (4) of section 9.- (1) Meetings. –

- (a) The Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any Committee thereof shall, subject to the sub-rule (2), meet at such place and time as may be decided by the Chairperson.
- (b) The Central Board or the Corporation shall meet at least twice a year.
- (c) The Executive Committee of the Central Board and the Standing Committee of the Corporation shall meet at least four times a year. The Medical Benefit Committee of the Corporation shall meet at least twice each year.
- (d) The National Social Security Board shall meet at least thrice a year.
- (e) The Chairperson of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any Committee thereof may whenever he thinks fit, and shall within fifteen days of receipt of a requisition in writing from not less than one half of the members of the body concerned call for a special meeting thereof. A requisition so made shall specify the object of the meeting proposed to be called.

(2) Notice of meeting and list of business. -

- (a) A notice of not less than fifteen days from the date of issue, containing the date, time and place of every ordinary meeting of Central Board or Corporation or National Social Security Board or any Committee thereof, together with a list of business proposed to be transacted approved by the Chairperson shall be sent to every Trustee or member of Central Board or Corporation or National Social Security Board or any Committee thereof, as the case may be, through e-mail or registered post or by special messenger. A brief note on each item of the agenda shall be sent along with the agenda as soon as thereafter possible.
- (b) In case when the Chairperson calls an emergency meeting of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any Committee thereof for considering any matter which in his opinion is urgent, a notice giving such reasonable time as he may consider necessary shall be deemed sufficient.
- (c) No business other than for which the meeting of Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any Committee thereof has been convened shall be considered at the meeting except with the permission of the Chairperson of the meeting.

(3) **Chairperson to preside at meetings.** – The Chairperson or in his absence the Vice-Chairperson of Central Board or the Corporation or the National Social Security Board, as the case may be, shall preside the meeting. In event of absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, the meeting shall be presided over by such Trustee or Member as may be nominated by the Chairperson.

(4) **Quorum.** – No business shall be transacted at any meeting of Central Board or Corporation or National Social Security Board or any Committee thereof unless a quorum of:

- (a) eleven Trustees in case of Central Board and four members in case of Executive Committee; or
- (b) fifteen members in case of Corporation, five members in case of Standing Committee and seven members in case of Medical Benefit Committee; or
- (c) ten members in case of National Social Security Board for Unorganised Workers and six members in case of National Social Security Board for Gig Workers and Platform Workers;

is present:

Provided that if at any meeting there is not a sufficient number of Trustees or members, as the case may be, present to form quorum, the Chairperson of the meeting shall adjourn the meeting for an hour and it shall thereupon

(5) Nomination of a substitute during the absence of a Trustee or Member. -

a) If a Trustee or member is unable to attend any meeting of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any Committee thereof, he may, by a written instrument, signed by him, addressed to the Chairperson of the concerned body and explaining the reasons for his inability to attend the meeting, appoint any representative of the organisation, which he represents on the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any Committee thereof, as his substitute for attending that meeting of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any Committee thereof in his place:

Provided that no such appointment shall be valid unless-

- i. such appointment has been approved by the Chairperson of the body concerned; and
- ii. the instrument making such appointment has been received by the Chairperson of the body concerned before the date fixed for the meeting.
- b) A substitute validly appointed under clause (a) shall have all the rights and powers of a Trustee or the member, as the case may be, in relation to the meeting of the body concerned, in respect of which he is appointed and shall receive allowances, and be under obligations as if he were a Trustee or the member appointed under the Code.
- c) A Trustee or the member appointing a substitute for attending any meeting of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any Committee thereof, shall, notwithstanding anything contained in this sub-rule, continue to be liable for the misappropriation or misapplication of the Fund by the substitute and shall also be liable for any act of misfeasance or non-feasance committed in relation to the Fund by the substitute appointed by him.

(6) **Disposal of business.** – Every question considered at a meeting of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any Committee thereof shall be decided by a majority of the votes of the Trustees or members of the body concerned present and voting. In the event of an equality of votes the Chairperson shall exercise an additional casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any question shall be decided by the circulation of necessary papers to Trustees or members of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any Committee thereof and by securing their opinions in writing. Any such question shall be decided in accordance with the opinion of the majority of Trustees or members received within the time-limit allowed and if the opinions are equally divided, the opinion of the Chairperson shall prevail:

Provided further that any Trustee or member of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any Committee thereof may request that the question referred to Trustees or members of the concerned body, as the case may be, for written opinion be considered at a meeting of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any Committee thereof and thereupon the Chairperson may, and if the request is made by not less than three Trustees or members of the concerned body, shall direct that it be so considered.

(7) Minutes of meetings. -

- (a) The minutes of each meeting showing *inter-alia* the names of the member present there, shall be forwarded to each Trustee or member of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any Committee thereof as the case may be and to the Central Government as soon as possible and in any case not later than four weeks after the meeting.
- (b) The records of the minutes of each meeting of the Central Board and the Executive Committee shall be signed by the Central Provident Fund Commissioner with the approval of the Chairperson.
- (c) The minutes of the meeting shall be confirmed with such modification considered necessary at the next meeting.
- (d) The minutes of a meeting of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any Committee thereof shall be kept in separate Books (hereinafter referred to as minute-books) and shall be signed by the Chairperson of the meeting at which the proceedings are confirmed.
- (e) A copy of the minutes so confirmed shall be forwarded to the Central Government within fifteen days from the date of such confirmation.

(f) The minute-books shall be kept open at the principal office of the Central Board or Corporation or National Social Security Board during office hours on working days for inspection free of charge by any of the respective member.

(8) Fees and allowances. -

- (a) Every non-official Trustee or member of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any Committee thereof, as the case may be, shall be allowed travelling and daily allowance for attending its meetings at the rates admissible to officers of the Central Government holding a post in Level 12 in the Pay Matrix.
- (b) Where such Trustee or member, who is a Member of Parliament or a Member of State Legislature shall be paid travelling allowance and daily allowance in accordance with the provisions of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) or the respective provision of the law pertaining to the members of the concerned State Legislature, as the case may be:

Provided that when a Minister is appointed as Chairperson or Trustee of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any Committee thereof and attends a meeting, his travelling and daily allowance shall be governed by the rules applicable to him for journeys performed on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.

- No daily or travelling allowance in respect of any day of journey, as the case may be, shall be claimed by a (c) Trustee or member of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or by any Committee thereof if he has drawn or will draw allowance for the same from his employer or as a member of the Committee or any Legislature or of any Committee or Conference constituted or convened by Government and no travelling allowance shall be claimed if he uses a means of transport provided at the expense of Government or his employer.
- (d) The daily and travelling allowance shall also be payable in respect of the meetings of any sub-committee set up by the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or by any Committee thereof.
- For attending a meeting of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or (e) any Committee thereof or meetings of a Sub-Committee set up by the Central Board or Corporation or National Social Security Board or any Committee thereof, an official Trustee or member of the Central Government shall draw his travelling allowance from his department on a scale admissible to him under the Central Government Rules and the amounts so drawn shall, on a demand being made therefor by the Central Government, be reimbursed by the Central Board or Corporation or National Social Security Board or Committee thereof to that Government.
- (f) Payments shall not be made to a non-official member earlier than the last date up to which the allowance is claimed. The travelling allowance for both the onward and return journeys will be included in the travelling allowance bill and the payment made thereof treated as final, irrespective of the date of completion of the journey.

13. Manner of reconstitution of the Corporation or the Central Board or the National Social Security Board or the State Unorganised Workers' Board or the Building Workers' Welfare Board or any of the Committees under sub-section (1) and the alternate arrangements for the purpose of administration of the relevant provisions of the Code under sub-section (2) of section 11.- When the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or the State Unorganised Workers' Board or the Building Workers Welfare Board has been superseded under the provisions of section 11 of the Code, the Central Government or the State Government, as the case may be, may-

- appoint or cause to be appointed or elected new Trustees or members to the Central Board or the (a) Corporation or the National Social Security Board or the State Unorganised Workers' Board or the Building Workers welfare board in accordance with sections 4, 5, 6 and 7, as the case may be, of the Code; and
- (b) in its discretion, make such arrangement for such period as it may think fit, to exercise the powers and perform the functions of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or the State Unorganised Workers' Board or the Building Workers Welfare Board.

124

CHAPTER III

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

14. Form, manner, time limits and fees for filing of appeal under sub-section (2) of section 23.- (1) Language of the Tribunal. — The language of the Tribunal shall be English:

Provided that the parties to the proceeding before the Tribunal may file documents drawn up in Hindi, if they so desire:

Provided further that:

- (i) The Tribunal may, in its discretion permit the use of Hindi in the proceedings but the final order shall be in English;
- (ii) The Tribunal hearing the matter, may in its discretion, direct English translation of pleadings and documents to be filed.

(2) **Procedure for filing appeals.** — (a) An appeal to the Tribunal shall be presented in **Form-I** by the appellant in person or by an agent or by a duly authorized legal practitioner to the Registry or any other officer authorized in writing by the Registrar to receive the same or be sent by registered post with acknowledgement due duly addressed to the Registrar of the Tribunal.

(b) The appeal under sub-rule (2) shall be presented electronically or in triplicate in a paper-book form along with one unused file size envelope bearing full address of the respondent:

Provided that where the number of respondents is more than one, as many extra copies of the appeal in paper-book form as there are respondents together with unused file size envelopes bearing the full address of each respondent or electronically shall be furnished by the Appellant:

Provided also that where the number of respondents is more than five, the Registrar may permit the appellant to file the extra copies of the appeal at the time of issue of notice to the respondents.

(c) The Registrar shall issue an acknowledgement of receipt of the appeal electronically or otherwise in Form-II.

(3) **Presentation and scrutiny of appeals.** — (a) The Registrar, or the Officer authorized by him under subrule (2), shall endorse on every appeal the date on which it is presented or deemed to have been presented under that rule and shall sign the endorsement digitally or otherwise.

- (b) If, on scrutiny, the appeal is found to be in order it shall be duly registered and given a serial number.
- (c) If the appeal, on scrutiny, is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the Registrar may allow the party to rectify the same in his presence, and if the same defect is not formal in nature, the Registrar may allow the appellant such time to rectify the defect as he may deem fit.
- (d) If the appellant fails to rectify the defect within the time allowed under clause (c), the Registrar may by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register the appeal and inform the appellant accordingly.

(4) **Place of filing appeals.** — The appeal shall ordinarily be filed by the appellant with the Registrar of the Tribunal within whose jurisdiction: —

- (i) the cause of action has arisen, or
- (ii) office of the respondent against whose order relief is sought, is located.

(5) Fee, time for filing appeal, deposit of amount due on filing appeal. —

- (a) Every appeal filed with the Registrar shall be accompanied by a fee of rupees five thousand to be remitted by electronic transfer or in the form of Crossed Demand Draft on a scheduled commercial bank in favour of the Registrar of the Tribunal and payable at the main branch of that Bank at the station where the seat of the said Tribunal situate.
- (b) Any person aggrieved by an order passed under section 125 or 128 of the Code, may within sixty days from the date of issue of the order, prefer an appeal to the Tribunal:

Provided that the Tribunal may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within the prescribed period, extend the said period by a further period of sixty days:

Provided further that no appeal by the employer shall be entertained by the Tribunal unless he has deposited with the Fund constituted under section 16 of the Code, by way of electronic transfer or Demand Draft, a sum equal to 25% of the amount due from him as determined under Section 125 or 128, as the case may be.

(6) **Content of the appeal.** — Every appeal filed under sub-rule (2) shall set forth concisely under distinct heads the grounds for such appeal. Such grounds shall be numbered consecutively. Every appeal, including any miscellaneous appeal shall be filed electronically or typed in double space on both sides on thick paper of good quality.

(7) **Documents to accompany the appeal.** — (a) Every appeal being filed electronically or otherwise shall be accompanied by a paper-book containing: —

- (i) a copy of the order against which the appeal is filed;
- (ii) copies of the documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal;
- (iii) an index of the documents.
- (b) The documents referred to in the clause (a) may be digitally signed or attested by a legal practitioner or by a gazetted officer and each document shall be marked serially as Annexures A-1, A-2, A-3 and so on.
- (c) Where an appeal is filed by an agent, document authorizing him to act as such agent shall also be appended to the appeal:

Provided that where an appeal is filed by a legal practitioner, it shall be accompanied by a duly executed 'Vakalatnama' in digital format or otherwise.

(8) **Plural remedies.** — An appeal shall be based upon a single cause of action and may seek one or more reliefs provided that they are consequential to one another.

(9) Service of notices and processes issued by the Tribunal. — (a) Notices and processes to be issued by the Tribunal may be served electronically or by any of the following modes directed by the Tribunal:

- (i) service by the party itself;
- (ii) by hand delivery (Dasti) through process server;
- (iii) by registered post with acknowledgement due.
- (b) Where notice issued by the Tribunal is served by the party himself electronically or by 'Hand delivery' (Dasti), he shall file with the Registry of the Tribunal, the acknowledgement, together with an affidavit of service.
- (c) Notwithstanding anything contained in clause (a) the Tribunal may, taking into account the number of respondents and their places of residence or work and other circumstances, direct that notice of the appeal shall be served upon the respondents electronically or in any other manner including any manner of substituted service, as it appears to the Tribunal just and convenient.
- (d) Notwithstanding anything done under clause (a), the Tribunal may in its discretion, having regard to the nature and urgency of the case, direct the service of the notice on the Standing Counsels appointed as such by the Central Government or any State Government or any other authority under the Code.
- (e) Every notice issued by the Tribunal shall, unless otherwise ordered, be accompanied by a copy of the appeal along with a copy of the paper-book.
- (f) Every appellant shall pay a fee for the service or execution of process in such manner as the Tribunal may direct under clause (c) such a sum, not exceeding the actual charges incurred in effecting the service, as may be determined by the Tribunal.
- (g) The fee for the service or execution of processes under clause (c) shall be remitted in the manner prescribed in sub-rule (5) within one week of the date of the order determining the fee or within such extended time as the Registrar may permit.
- (h) Notwithstanding anything contained in clauses (a) to (d), if the Tribunal is satisfied that it is not reasonably practicable to serve notice of appeal upon all the respondents, it may, for reasons to be recorded in writing, direct that the appeal shall be heard notwithstanding that some of the respondents have not been served with notice of the application:

Provided that no appeal shall be heard unless: --

- (i) Notice of appeal has been served on the Central Government or the State Government or the Central Board if such Government or Board is a respondent;
- (ii) Notice of appeal has been served on the authority which passed the order against which the appeal has been filed; and

(iii) The Tribunal is satisfied that the interests of the respondents on whom notice of the appeal has not been served are adequately and sufficiently represented by the respondents on whom notice of the appeal has been served.

(10) **Filing of reply and other documents by the respondents.** — (a) Each respondent intending to contest the appeal, shall file electronically or in triplicate the reply to the appeal and the documents relied upon in paper-book form with the Registry within one month of the service of notice of the appeal on him.

- (b) In the reply filed under clause (a), the respondent shall specifically, admit, deny or explain the facts stated by the appellant in his appeal and may also state such additional facts as may be found necessary for the just decision of the case. It shall be signed digitally or otherwise and verified as a written statement by the respondent or any other person duly authorized by him in writing in the same manner as provided for in order VI, Rule 15 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).
- (c) The documents referred to in clause (b) shall also be filed along with the reply and the same shall be marked as R-1, R-2, R-3 and so on.
- (d) The respondent shall also serve a copy of the reply along with documents as mentioned in clause (a) on the appellant or his legal practitioner, if any, electronically or otherwise and file proof of such service in the Registry.
- (e) The Tribunal may allow filing of the reply after the expiry of the prescribed period.

(11) **Date and place of hearing to be notified.** — The Tribunal shall notify to the parties the date and the place of hearing of the appeal electronically or otherwise in such manner as the Presiding Officer may, by general or special order direct.

(12) **Calendar of cases and time limit for disposal.** — (a) The Tribunal shall draw up a calendar for the hearing of cases and, as far as possible, hear and decide the cases according to the calendar.

(b) Notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure, 1908, the appeal under section 23, as far as practicable, shall be heard on day-to-day basis and endeavour shall be made to ensure that the same is decided within a period of one year:

Provided that where the appeal is not decided within the said period, the Presiding Officer hearing such appeal shall record the circumstances and reasons for not having decided so and submit the circumstances and reasons so recorded to the Central Government or such other officer authorised by it in this behalf:

(c) The Tribunal shall have the power to decline an adjournment and also to limit the time for oral arguments.

(13) Action on appeal for appellant's default. — (a) Where on the date fixed for hearing of the appeal or on any other date to which such hearing may be adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called for hearing, the Tribunal may, in its discretion, either dismiss the appeal for default or hear and decide it on merit.

(b) Where an appeal has been dismissed for default and the appellant files an appeal within thirty days from the date of dismissal and satisfies the Tribunal that there was sufficient cause for his non-appearance when the appeal was called for hearing, the Tribunal shall make an order setting aside the order dismissing the appeal and restore the same:

Provided that where the case was disposed of on merits the decision shall not be re-opened except by way of review.

(14) *Ex-parte* hearing and disposal of appeal. — (a) Where on the date fixed for hearing the appeal or on any other date to which such hearing may be adjourned, the appealant appears and the respondent does not appear when the appeal is called for hearing, the Tribunal may, in its discretion adjourn the hearing or hear and decide the appeal *exparte*.

(b) Where an appeal has been heard *ex-parte* against a respondent or respondents, such respondent or respondents may apply to the Tribunal for an order to set it aside and if such respondent or respondents satisfy the Tribunal that the notice was not duly served or that he or they were prevented by any sufficient cause from appearing when the appeal was called for hearing, the Tribunal may make an order setting aside the *ex-parte* hearing as against him or them upon such terms as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the appeal:

Provided that where the *ex-parte* order the appeal is of such nature that it cannot be set aside as against one respondent only, it may be set aside as against all or any of the other respondents also:

Provided further that in cases covered by clause (h) of sub-rule (9), the Tribunal shall not set aside ex-parte order of an appeal merely on the ground that it was not served upon the respondent or respondents.

(15) **Substitution of legal representatives.** — (a) In the case of death of a party during the pendency of the proceedings before the Tribunal, the legal representatives of the deceased party may apply electronically or otherwise within thirty days of the date of such death for being brought on record as necessary parties.

(b) Where no application is received from the legal representatives within the period specified in clause (a), the proceedings against the deceased party shall abate:

Provided that on good and sufficient reason the Tribunal, on an application, may set aside the order of abatement and substitute the legal representatives.

(16) **Adjournment of hearing.** — The Tribunal may, if sufficient cause is shown at any stage of proceedings, grant time to the parties or any of them, and adjourn the hearing of the appeal.

(17) **Order to be signed and dated.** — (a) Every order of the Tribunal shall be in writing and shall be signed digitally or otherwise by the Presiding Officer who pronounced the order.

(b) The order shall be pronounced in open court.

(18) **Communication of orders to parties.** — (a) Every final order passed on any appeal shall be communicated to the appellant and to the respondent concerned either electronically or otherwise by hand delivery or by registered post free of cost.

(b) If the appellant or the respondent to any proceeding requires a copy of any document or proceeding, the same shall be supplied to him on such terms and conditions on payment of such fees as may be fixed by the Presiding Officer by general or special order.

(19) **Orders and directions in certain cases.** — The Tribunal may make such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to its orders or to prevent abuse of its process or to secure the ends of justice.

(20) **Working hours of the Tribunal.** — Except on Saturdays, Sundays and other public holidays, the office of the Tribunal shall, subject to any order made by the Presiding Officer remain open from 9.30 A.M. to 6.00 P.M.

(21) **Sitting hours of the Tribunal.** — The sitting hours of the Tribunal shall, ordinarily, be from 10.30 A.M. to 1.30 P.M. and 2.30 P.M. to 5.00 P.M. subject to any general or special order made by the Presiding Officer.

(22) **Powers and functions of the Registrar.** — (a) The Registrar shall have the custody of the records of the Tribunal and shall exercise such other functions as are assigned to him under these rules or by the Presiding Officer by separate order.

- (b) The official seal shall be kept in the custody of the Registrar.
- (c) Subject to any general or special direction by the Presiding Officer, the seal of the Tribunal shall not be affixed to any order, summons or other process save under the authority in writing of the Registrar.
- (d) The seal of the Tribunal shall not be affixed to any certified copy issued by the Tribunal save under the authority in writing of the Registrar.

(23) Additional powers and duties of Registrar. — In addition to the powers conferred elsewhere in these rules, the Registrar shall have the following powers and duties subject to any general or special order of the Presiding Officer, namely: —

- (i) To receive all appeals and other documents;
- (ii) To decide all questions arising out of the scrutiny of the appeals before they are registered;
- (iii) To require any appeal presented to the Tribunal to be amended in accordance with the Code and the rules;
- (iv) Subject to the directions of the Tribunal, to fix the date of first hearing of the appeals or other proceedings and issue notices thereof;
- (v) To direct any formal amendment of records;
- (vi) To order grant of copies of document to parties to the proceedings;
- (vii) To grant leave to inspect the records of the Tribunal;
- (viii) To dispose of all matters relating to the service of notices or other process for the issue of fresh notices and for extending the time for filing such appeals and to grant time not exceeding fifteen days for filing a reply or rejoinder, if any, and to place the matter before the Tribunal for appropriate order after the expiry of the aforesaid period;
- (ix) To requisition records from the custody of any court of other authority;

- (x) To receive appeals within thirty days from the date of death for substitution of legal representatives of the deceased parties during the pendency of the appeals;
- (xi) To receive and dispose of appeals for substitution, except where the substitution would involve setting aside an order of abatement;
- (xii) To receive and dispose of application by parties for return of documents.

(24) Right of appellant to take assistance of legal practitioner and of Government etc. to appoint presenting officer. —

- (a) A person preferring appeal to a Tribunal under section 23 of the Code may either appear in person or take the assistance of a legal practitioner of his choice to present his case before the Tribunal.
- (b) The Central Government or a State Government or any other authority under the Code may authorize one or more legal practitioner or any of its officers and every person so authorized may present the case with respect to any appeal before a Tribunal.

(25) **Seal and emblem.** — The official seal and emblem of the Tribunal shall be in a round shape bearing name of the Tribunal in capital letters with Ashoka Pillar in the Center.

(26) **Dress of the Presiding Officer and staff of the Tribunal.** — The dress for the Presiding Officer of the Tribunal and member of the staff of the Tribunal shall be such as the Presiding Officer may specify.

(27) **Dress of the Parties.** — A legal practitioner or, as the case may be, a presenting officer shall appear before the Tribunal in his professional dress, if any, and if there is no such dress:

- (i) If a male, in a closed collared coat and trousers or in a lounge suit;
- (ii) If a female, in a saree, or any other customary dress of sober colour.

CHAPTER IV

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

15. Salary and allowances of the Director General or the Financial Commissioner under sub-section (3), their powers and duties under sub-section (4) and maximum monthly salary limit under the proviso to sub-section (7) of section 24.- (1) Salary and allowances of Director General and Financial Commissioner:- The Director General and the Financial Commissioner appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 24 shall receive such pay and allowances and other benefits as are admissible to officers of the Central Government drawing corresponding scales of pay:

Provided that where the Director General or the Financial Commissioner is a person already in the service of the Corporation, he shall be entitled to pension, gratuity and other superannuation benefits to which he would have been otherwise entitled but for his appointment as the Director General or the Financial Commissioner.

(2) Powers and duties of the Director General— (a) The powers and duties of the Director General shall be —

- (i) to act as the Chief Executive Officer of the Corporation;
- to convene, under the orders of the Chairperson, meetings of the Corporation, the Standing Committee and the Medical Benefit Committee in accordance with the Code and the Rules and to implement the decisions reached at the meetings;
- to enter into contracts on behalf of the Corporation in accordance with the Code or the Rules or Regulations made thereunder, or the general or special instructions of the Corporation or the Standing Committee;
- (iv) to furnish all returns and documents required by the Code or the Rules to the Central Government and to correspond with the Central Government and the State Governments upon all matters concerning the Corporation;
- (v) to undertake such other duties and to exercise such other powers as may from time to time, be entrusted or delegated to him.
- (b) The Director General may, with the approval of the Standing Committee, by general or special order, delegate any of his powers or duties under the Rules or the Regulations or under any resolution of the Corporation or the Standing Committee, as the case may be, to any person subordinate to him. The exercise or discharge of any of the powers or duties so delegated shall be subject to such restrictions, limitations and conditions, if any, as the Director General may, with the approval of the Standing Committee, impose.

(3) **Powers and duties of the Financial Commissioner.** — The powers and duties of the Financial Commissioner shall, subject to the control of the Director General, be —

- (i) to maintain the accounts of the Corporation and to arrange for the compilation of accounts by the collection of returns from the Centres and Regions;
- (ii) to prepare the budget of the Corporation;
- (iii) to arrange for internal audit of the accounts of the Centres and Regions and of the receipts and payments thereat;
- (iv) to make recommendations for the investment of the funds of the Corporation; and
- (v) to undertake such other duties and to exercise such other powers as may, from time to time, be entrusted or delegated to him.

(4) **Creation of posts by the Corporation--**The powers for creation of posts vested in the Corporation under subsection (6) of section 24 of the Code shall be exercised by the Corporation in relation to posts carrying maximum of Level 14 in the Pay Matrix as per the 7th CPC.

16. Manner of investment of Employees' State Insurance Fund or any other money which is held by Corporation under sub-section (4) of section 25.- (1) The Corporation shall invest the Fund vested in it within the ambit of the guidelines issued by the Central Government.

(2) The Corporation for the efficient administration of the Scheme may open as many accounts as it may consider necessary or as specified in the Scheme.

(3) All expenses incurred in respect of, and loss, if any, arising from any investment shall be charged to the Employees' State Insurance Fund and the profit, if any from the sale of any investment shall also accrue to the Employees' State Insurance Fund.

(4) Any investment made under this Rule may, subject to the provisions of sub-rule (1), be varied, transposed or realised from time to time:

Provided, however, that if such variation, transposition or realisation is likely to result in a loss, the prior approval of the Central Government shall be obtained.

Explanation. — The approval of the Central Government shall not be required merely on the ground that the value of the security on its maturity is less than the price at which it was purchased.

(5) The Central Government may, at any time, direct the vacation in part or in whole, or prohibit investment in any security or class of securities or any land or building.

(6) All dividends, interest or other sums received in respect of any investment shall, as soon as possible after receipt, be paid into or credited to the account of the Employees' State Insurance Fund.

17. Limits for defraying of expenditure *for promotion of measures for health and welfare of Insured Persons* **under clause (k) of section 26.-** For the promotion of measures for the improvement of the health and the welfare of Insured Persons and for the rehabilitation and re-employment of Insured Persons who have been disabled or injured, the Corporation may incur an expenditure up to a limit of rupees one thousand crore per year or as may be specified by the Central Government from time to time from the Employees' State Insurance Fund.

18. Conditions to acquire, hold, sell or otherwise transfer any movable or immovable property under subsection (1), conditions to invest moneys by the Corporation under sub-section (2) and the terms to raise loans and taking measures for discharging such loans under sub-section (3) of section 27.- (1) Acquisition of property- Subject to the provisions of sub-rule (3) and such conditions as may, from time to time, be laid down by the Corporation, the Director General may, for the purposes of the Code, acquire on behalf of the Corporation movable or immovable property:

Provided that sanction of the Standing Committee shall be required for the exchange of any immovable property, for the taking of any property on lease for a term exceeding **thirty six** months, or for the acceptance of any gift or be quest of property burdened an obligation.

(2) **Disposal of property**. - Subject to the provisions of sub-rule (3) and such conditions as may be laid down by the Corporation from time to time the Director General may —

(a) dispose of, by sale or exchange, any movable property belonging to the Corporation, the value of which does not exceed **rupees one crore** in each case, or grant for any term not exceeding twelve months a lease of any immovable property belonging to the Corporation. (b) with the sanction of the Standing Committee, lease, sell or otherwise dispose of any movable or immovable property belonging to the Corporation.

(3) **Procedure for execution of contracts**— (a) The Corporation may enter into and perform all such contracts as it may consider necessary or expedient for carrying into effect the provisions of the Code.

(b) Every contract made under or for any purpose of the Code shall be made on behalf of the Corporation-

- (i) by the Director General; or
- (ii) subject to such conditions as it may specify, by such member or officer of the Corporation as it may authorise:

Provided that the sanction of the Standing Committee shall be obtained in respect of any contract involving an expenditure exceeding rupees fifteen crore.

(c) Every contract entered into by any person as provided in clause (b) of sub-rule (3) shall be entered into in such manner and form as would bind him if it were made on his own behalf and may in like manner and form be varied or discharged:

Provided that the common or official seal, as the case may be, of the Corporation shall be affixed to every contract for amounts exceeding rupees five lakh.

(4) **Raising and repayment of loans**— (a) The Corporation may, in pursuance of a resolution passed at a meeting of the Standing Committee, and with the prior approval of the Central Government, raise loans for the purposes of the Code.

(b) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Corporation may raise loans —

(i) for the acquisition of land and/or the raising of buildings thereon; or

(ii) to repay a loan raised under this sub-rule; or

(iii) for any other purpose approved by the Central Government.

(c) All loans under this sub-rule shall be obtained —

- (i) from the Central Government on such rates of interest and such terms as to the time and method of repayment as the Central Government may specify; or
- (ii) with the approval of the Central Government from such bank or banks specified in rule 32.

(d) Where a loan is obtained from such bank or banks specified in rule 32 the Corporation may, with the approval of the Central Government, grant mortgages of all or any of the property vested in it for securing the repayment of the sums so advanced, with interest.

(e) All payments due from the Corporation for interest on and repayment of loans shall be made in such manner and at such times as may have been agreed upon:

Provided that the Corporation may apply any sums, which can be so applied, in repayment of any amount due in respect of the principal of any loan although the repayment of the same may not be due.

(f) No expenditure incurred out of a loan shall be charged by the Corporation to capital, except with the previous sanction (or under the direction) of the Central Government.

(g) The Corporation shall submit to the Central Government an annual statement by the thirtieth of April each year showing the loans raised and repayments made during the preceding year.

19. Manner of insurance of employees under sub-section (1) of section 28.- (1) The employer in respect of an establishment shall before taking any person into employment, unless such person is already registered under Chapter IV of the Code, register him by entering his name and Aadhaar number on the Specified Portal. A registration number shall be automatically allotted to the employee immediately on his registration by employer. This registration number shall remain valid for ten days during which the employer shall enter the updated particulars of that employee and family on declaration form available on the specified portal. An Aadhaar linked identity card shall be provided by the Corporation to the Insured Person and each of his dependent family members, electronically or otherwise.

(2) The registration number thus allotted shall automatically become invalid if the employee's details are not updated on the Declaration form within ten days or the Aadhaar number provided by the newly employed person is returned unauthenticated by the concerned authorities. (3) The employer of the establishment shall be responsible for correctness of the particulars of the employee, filled on specified portal by him. The Insured Person shall be responsible for correctness of the particulars of his/ her family submitted on the portal.

(4) The Registration number will be used by the employer for filing the contributions and for all other purposes in respect of this employee.

(5) The Registration number thus allotted to the employee shall be used by him for availing any benefits available to him and (or) his family members under the Code.

20. Rate of contributions under sub-section (2) of section 29.- (1) The amount of contribution for a wage period shall be in respect of —

- (a) employer's contribution, a sum (rounded to the next higher rupee) equal to three and one-fourth per cent. of the wages payable to an employee; and
- (b) employee's contribution, a sum (rounded to the next higher rupee) equal to three-fourth per cent. of the wages payable to an employee.

(2) In respect of an employee who is a person with disability under the Right of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and under the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) the employer shall not be required to pay employer's share of contribution up to a maximum period of three years from the date of commencement of the contribution period.

(3) The employer's share of contribution in respect of such employees and for such period under sub-rule (2) shall be reimbursed to the Corporation by the Central Government.

21. Type of administrative expenses and percentage of income which may be spent on expenses and the limits for such expenses under section 30.- (1) The expenditure incurred by the Corporation on the following items shall be termed as administrative expenses under section 30 of the Code, namely:

- (a) payment of fees and allowances to members of the Corporation, the Standing Committee and the Medical Benefit Committee and other committees of the Corporation;
- (b) payment of salaries, leave and joining time allowances, travelling and compensatory and other allowances, bonus, gratuities and compassionate allowances, pension, contributions to the Provident or other benefit funds and training related expenses of officers and employees of the Corporation;
- (c) defraying expenses on depreciation and maintenance of staff cars, office buildings, staff quarters, hiring of accommodation, purchase of furniture, office equipment, stationery, printing and other expenditure in respect of offices of the Corporation;
- (d) defraying expenses towards membership subscription to International Organisation, and other services for the purposes of giving effect to the provisions of the Chapter IV of the Code;
- (e) defraying the cost (including all expenses) of the auditing accounts of the Corporation and of the valuation of its assets and liabilities;
- (f) defraying the cost (including all expenses) of the Employees' State Insurance Courts set up under the Code;
- (g) payment of any sums under any contract entered into for the purposes of the Code by the Corporation or the Standing Committee or by any officer duly authorised by the Corporation or the Standing Committee in that behalf;
- (h) payment of sums under any decree, order or award of any Court or Tribunal against the Corporation or any of its Officers or servants for any act done in the execution of his duty or under a compromise or settlement of any suit or other legal proceedings or claim instituted or made against the Corporation;
- (i) defraying the cost and other charges of instituting or defending any civil or criminal proceedings arising out of any action taken under the Code;
- (j) defraying the expenditure in connection with publicity, of the E.S.I. Scheme including printing of publicity materials courses relevant to the purposes of the Code; and
- (k) defraying the expenditure on conducting evaluation studies on various aspects of functioning of the E.S.I. Scheme.

(2) The percentage of the total revenue income of the Corporation which may be spent every year on its administrative expenses shall not exceed fifteen per cent.

Explanation: - For the purpose of this rule the expression "ESI Scheme" means the Scheme maintained by the Corporation incorporated therein Rules, Regulations, Notifications and the Administrative instructions issued by the Corporation.

22. Limit for the amount of payment under the proviso to clause (f) of sub-section (1) of section 32.- The amount of funeral expenses for the purpose of proviso to clause (f) of sub-section (1) of section 32 of the Code shall be as notified by the Corporation.

23. The qualifications of a person to claim benefits, conditions, rate and period thereof under sub-section (3) of section 32 and rates, periods and conditions for payment of dependants' benefit under sub-section (1) and to other dependants under sub-section (2), of section 38.- (1) Sickness Benefit—(a)Subject to the provisions of the Code and the Regulations, a person shall be qualified to claim sickness benefit for sickness occurring during any benefit period if the contributions in respect of him were payable for not less than seventy-eight days in the corresponding contribution period and shall be entitled to receive such benefit at the rate of seventy per cent of the "Standard Benefit Rate" of that person during the corresponding contribution period rounded to the next higher rupee:

Provided that in case of a person who becomes an employee within the meaning of the Chapter IV of the Code for the first time and for whom a shorter contribution period of less than 156 days is available, he shall be qualified to claim sickness benefit if the contribution in respect of him were payable for not less than half the number of days available for working in such contribution period:

Provided further that in case of an Insured woman in receipt of maternity benefit or an Insured Person in receipt of temporary disablement benefit and due to this a shorter contribution period is available to her/ him, she/ he shall be qualified to claim sickness benefit in the corresponding benefit period if the contribution in her/ his respect were paid or payable for not less than half the number of days available for working in such shorter contribution period:

Provided also that he shall not be entitled to the benefits for the first two days of sickness except in the case of a spell of sickness following, at an interval of not more than fifteen days, the spell of sickness for which sickness benefits were last paid:

Provided that sickness benefits shall not be paid to any person for more than ninety-one days in any two consecutive benefit periods.

(b) (i) The sickness benefit may be extended if the person is diagnosed to be suffering from any one or more of the diseases specified in Regulations framed under the Code by the Corporation, provided that the Insured Person has completed four contribution periods immediately preceding the beginning of the spell in which the disease is first diagnosed and has paid contribution for a period of 156 days in the four aforesaid contribution periods and he is eligible to claim sickness benefit at least in one of the aforesaid four contributory periods.

- (ii) The extended sickness benefit shall be granted only if the Insured Person is otherwise entitled to extended sickness benefit as above but has exhausted the sickness benefit due to him under the fourth proviso of sub-rule (1) above or is ineligible to sickness benefit in terms of sub-rule (1) above.
- (iii) The sickness benefit may be extended for a maximum period of 730 days including the Sickness benefit under fourth proviso of sub-rule (1), subject to the conditions as specified in the Regulations.
- (iv) The daily rate of the extended Sickness Benefit shall be eighty per cent. of the "Standard Benefit Rate".

(2) **Maternity Benefit-** (a) An insured woman shall be qualified to claim maternity benefits for a confinement occurring or expected to occur in a benefit period, if the contributions in respect of her were payable for not less than seventy days in the immediately preceding two consecutive contribution period.

(b) Subject to the provisions of the Code and the Regulations, if any, an insured woman who is qualified to claim maternity benefits in accordance with clause (a) of sub-rule (2) shall be entitled to receive it at the daily rate specified in clause (e) of sub-rule (2) for all days on which she does not work for remuneration during a period of twenty six weeks of which not more than eight weeks shall precede the expected date of confinement:

Provided that where the insured woman dies during her delivery or during the period immediately following the date of her delivery for which she is entitled to maternity benefits, leaving behind child in either case, the maternity benefits shall be paid for the whole of that period but if the child also dies during the said period, then for the days up to and including the day of the death of the child, to the person nominated by the insured woman, in such manner as may be specified in the Regulations, and if there is no such nominee, to her legal representative.

Provided further that the insured woman shall be entitled to twelve weeks of maternity benefit from the date the child is handed over to the commissioning mother after birth or adopting mother, as the case may be:

Provided also that the insured woman having two or more than two surviving children shall be entitled to receive maternity benefits during a period of twelve weeks of which not more than six weeks shall precede the expected date of confinement.

(c) An insured woman who is qualified to claim maternity benefits in accordance with clause (a) of sub-rule (2) shall, in case of miscarriage or medical termination of pregnancy, be entitled, on production of such proof, as may be required under the Regulations, to maternity benefits at the rates specified in clause (e) of sub-rule (2), for all days on which she does not work for remuneration during a period of six weeks immediately following the date of her miscarriage or medical termination of pregnancy.

(d) An insured woman who is qualified to claim maternity benefits in accordance with clause (a) of sub-rule (2) in case of sickness arising out of pregnancy, confinement, premature birth of child or miscarriage or medical termination of pregnancy shall, on production of such proof as may be required under the Regulations, be entitled, in addition to the maternity benefits payable to her under any other provisions of the Code, for all days on which she does not work for remuneration to maternity benefits at the rates specified in the clause (e) of sub-rule (2) for all days on which she does not work for remuneration during an additional period not exceeding one month.

(e) The daily rate of maternity benefit payable in respect of confinement occurring or expected to occur during any benefit period shall be equal to the standard benefit rate in respect of the insured woman during the corresponding contribution period, rounded to the next higher rupee.

(3) **Confinement Expenses.**- An insured woman and an Insured Person in respect of his wife shall be paid a sum of rupees seven thousand five hundred per case as medical bonus on account of confinement expenses:

Provided that the confinement occurs at a place where necessary medical facilities under the Employees' State Insurance Scheme are not available:

Provided further that confinement expenses shall be paid for two confinements only.

(4) **Disablement benefits-** (a) A person shall be qualified to claim disablement benefits for temporary disablement for not less than three days (excluding the day of accident) for the period of such disablement sustained as an employee under the Code.

(b) A person shall be qualified to claim periodical payment for permanent disablement sustained as an employee under the Code whether total or partial, for such disablement:

Provided that where permanent disablement, whether total or partial, has been assessed provisionally for a limited period or finally, the benefit provided under sub-rule (4) shall be payable for that limited period, or as the case may be, for life.

(c) The daily rate of disablement benefit shall be ninety per cent. of the standard benefit rate in the contribution period corresponding to the benefit period in which the employment injury occurs, rounded to the next higher rupee:

Provided that where an employment injury occurs before the commencement of the first benefit period in respect of a person, the daily rate of disablement benefit shall be —

- (i) where a person sustains employment injury after the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of his average daily wages in that wage period, rounded to the next higher rupee;
- (ii) where a person sustains employment injury before the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of his wages actually earned or which would have been earned, had he worked for a full day on the date of accident, rounded to the next higher rupee.

Explanation. — The disablement benefit calculated as aforesaid shall be called the "full rate".

(d) The disablement benefits shall be payable to the Insured Person as follows:

- (i) for temporary disablement, at the full rate;
- (ii) for permanent total disablement, at the full rate;
- (iii) for permanent partial disablement resulting from an injury specified, in Part II of the Fourth Schedule, at such percentage of the full rate which would have been payable in the case of permanent total disablement, as specified in the said Schedule as being the percentage of the loss of earning capacity caused by the injury;
- (iv) for permanent partial disablement resulting from an injury not specified in Part II of the Fourth Schedule, at such percentage of the full rate payable in the case of permanent total disablement as is proportionate to the loss of earning capacity permanently caused by the injury.

Explanation. — Where more injuries than one are caused by the same accident, the rate of benefit payable subclauses (iii) and (iv) shall be aggregated but not so in any case as to exceed the full rate and in cases of disablement not covered by sub-clauses (i), (ii), (iii) and (iv) at such rate, not exceeding the full rate, as may be provided in the Regulations.

(5) **Dependant's Benefits**— (a) Dependant's benefit shall be paid to the dependants of the Insured Person who dies as a result of an employment injury, in the following manner:

(b) In the case of death of the Insured Person, the dependants' benefit shall be payable to his widow, children and widowed mother as follows:

- (i) to the widow during life until remarriage, an amount equivalent to three-fifths of the full rate and, if there are two or more widows, the amount payable to the widow as aforesaid shall be divided equally between the widows;
- (ii) to each legitimate or adopted son, an amount equivalent to two-fifths of the full rate until he attains the age of twenty-five years:

Provided that in the case of a legitimate or adopted son who is infirm and who is wholly dependent on the earnings of the Insured Person at the time of his death, dependants' benefits shall continue to be paid while the infirmity lasts;

(iii) to each legitimate or adopted unmarried daughter, an amount equivalent to two-fifths or the full rate:

Provided that in the case of legitimate or adopted daughter who is infirm and is wholly dependent on the earnings of the Insured Person at the time of his death, dependents' benefit shall continue to be paid while the infirmity lasts:

Provided further that if the total of the dependants' benefits distributed among the widow or widows and legitimate or adopted children and widowed mother of the deceased person as aforesaid exceeds at any time the full rate, the share of each of the dependants shall be proportionately reduced, so that the total amount payable to them does not exceed the amount of disablement benefits at the full rate.

(iv) to the widowed mother during life an amount equivalent to two-fifths of the full rate.

(c) In case the deceased person does not leave widow or legitimate or adopted child or widowed mother dependants' benefits shall be payable to other dependants as follows:

- (i) to widower, for life, an amount equivalent to three-tenths of the full rate;
- (ii) to a parent other than the widowed mother or grandparent, for life, at an amount equivalent to three-tenths of the full rate and if there are two or more parents (other than widowed mother) or grandparents the amount payable to the parents (other than widowed mother) or grandparents as aforesaid shall be equally divided between them;
- (iii) to any other —
- I. male dependant, until he attains the age of eighteen years,
- II. female dependant, until she attains the age of eighteen years or until marriage, whichever is earlier or if widowed, until she attains eighteen years of age or re-marriage, whichever is earlier

at an amount equivalent to two-tenths of the full rate:

Provided that if there be more than one dependant under sub-clause (iii) the amount payable under this subrule shall be equally divided between them.

(d) The daily rate of dependant's benefit shall be ninety per cent. of the standard benefit rate in the contribution period corresponding to the benefit period in which the employment injury occurs:

Provided that where an employment injury occurs before the commencement of the first benefit period in respect of a person, the daily rate of dependants' benefit shall be —

(i) where a person sustains employment injury after the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of his average daily wages during that wage period, rounded to the next higher rupee;

(ii) where a person sustains employment injury before the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of wages actually earned or which would have been earned had he worked for a full day on the date of accident, rounded to the next higher rupee:

Provided that the minimum total amount of the periodical monthly payment of dependents' benefit payable to all eligible dependents of a deceased employee, shall be as notified by the Corporation.

24. Limits within which the Corporation may incur expenditure from the Employees' State Insurance Fund under section 33.- For the promotion of measures for the improvement of the health and the welfare of Insured Persons and for the rehabilitation and re-employment of Insured Persons who have been disabled or injured, the Corporation may incur an expenditure up to a limit of rupees one thousand crore per year or as may be specified by the Central Government from time to time from the Employees' State Insurance Fund.

25. Manner and time within which the Insured person or the Corporation may file appeal against decision of Medical Board under clause (a) of sub-section (7) of section 37.- (1) If the Insured Person or the Corporation is not satisfied with the decision of the medical board, the Insured Person or the Corporation may appeal against such decision to the Medical Appeal Tribunal referred to in sub-section (7) of section 37 by presenting an application within ninety days from the date of communication of the said decision to the Insured Person or the Corporation, as the case may be:

Provided that the Medical Appeal Tribunal may entertain an application after the period of ninety days, if it is satisfied that the appellant had sufficient reasons for not presenting the application within the said period.

(2) The application, referred to in sub-rule (1), shall be in such form as may be specified in the Regulation.

(3) The application may be sent to the Chairperson of the Medical Appeal Tribunal by registered post or may be presented personally.

26. Manner and time within which second appeal may be filed to the Employees' Insurance Court by the Insured Person or the Corporation under clause (b) of sub-section (7) of section 37.- (1) The Insured Person or the Corporation may appeal to the Employees' Insurance Court by presenting an application within ninety days of the date of communication of the decision of the Medical Board or of the Medical Appeal Tribunal to the Insured Person or the Corporation, as the case may be:

Provided that the Employees' Insurance Court may entertain an application after the period of ninety days, if it is satisfied that the appellant had sufficient reasons for not presenting the application within the said period.

(2) The Rules made by the State Government in respect of the form and manner to be followed in presenting applications to the Employees' Insurance Court, shall be applicable to the applications presented under this Rule.

27. Qualification of an Insured Person and his family to claim medical benefit and the conditions subject to which such benefit may be given and the scale and period thereof, under sub-section (3) of section 39, and the payment of contribution and other conditions under the third proviso thereof.- (1) A person shall be entitled to medical benefit during any period for which contributions are paid or payable in respect of him or in which he is qualified to claim sickness benefit or maternity benefit

(2) A person who is in receipt of disablement benefit shall be entitled to medical benefit while he is in receipt of such benefit:

Provided that after the disablement has been declared as permanent disablement, the person shall not be entitled to medical benefit, if he is not otherwise entitled to such benefit, except in respect of any medical treatment which may be rendered necessary on account of the employment injury from which the disablement resulted.

(3) A person on becoming an Insured Person for the first time shall be entitled to medical benefit for a period of 3 months provided that where such a person continues for 3 months or more to be an employee of an establishment to which the Chapter IV of the Code applies, he shall be entitled to medical benefit till the beginning of the corresponding benefit period.

(4) The person in respect of whom contributions have been paid in a contribution period for not less than seventyeight days in the said contribution period shall be entitled to medical benefit till the end of the corresponding benefit period:

Provided that in case of a person who becomes an employee within the meaning of the Code, for the first time, and for whom a shorter contributory period of less than 156 days is available, he shall be entitled to medical benefit till the end of the corresponding benefit period if the contributions in respect of him were payable for not less than half the number of days available for working in such contribution period.

(5) When a person qualifies for extension of sickness benefit as per provision of clause (b) of sub-rule(1) of rule 23 and Regulations made on the subject he shall be entitled to medical benefit till the end of the relevant extended benefit period.

(6) An Insured Person, whose title to medical benefit has ceased under this rule, shall again be entitled to medical benefit from the date of his re-employment as an employee under the Chapter IV of the Code by an establishment to

which the Code applies immediately on registration on specified portal. Such an Insured Person shall, unless he is covered by sub-rule (4) or (5), be entitled to medical benefit till the commencement of the benefit period corresponding to the contribution period in which he is re-employed.

(7) The family of an Insured Person shall become entitled to medical benefit from such date as may be specified in the notification and shall continue to be so entitled so long as the Insured Person is entitled to receive medical benefit for himself, or in the case of death of the Insured Person till such date up to which the Insured Person would have remained entitled to medical care, had he survived.

(8) An Insured Person and his family shall be entitled to receive medical benefit only of such kind and on such scale as may be provided by the State Government or by the Corporation, as the case may be, and an Insured Person or his family shall not have a right to claim any medical treatment except such as is provided by the dispensary, hospital, clinic or other institution to which he or his family is allotted, or as may be provided by the Regulations.

(9) Nothing in the Code shall entitle an Insured Person and his family to claim reimbursement from the Corporation of any expenses incurred in respect of any medical treatment, except as may be provided by the Regulations.

(10) An Insured Person who ceases to be in an insurable employment on account of permanent disablement caused due to an employment injury shall be eligible to receive medical benefits for himself and his spouse at the scale prescribed under sub-rule (8) and the Regulations made thereunder, subject to: —

- (i) The production of proof by such an Insured Person that he ceased to be in an insurable employment on account of permanent disablement due to employment injury to the satisfaction of such officer in such manner as may be authorised by the Corporation; and
- (ii) the payment of contribution at the rate of fifty rupees per month in lump sum for one year at a time in advance to the concerned office of the Corporation in the manner prescribed by it.

28. Structure, functions, powers and activities of the organisation for providing certain benefits to employees in case of sickness, maternity and employment injury, under sub-section (6) of section 40.- (1) The State Government may establish such Organisation as an Employees' State Insurance Society, which shall serve as a managerial and health care body, in terms of sub-section (5) of section 40 of the Code.

(2) The Society shall consist of the Governing Body, the Executive Committee, the Chief Executive Officer (CEO) and the Secretariat.

(3) The Society shall be registered under the State specific Societies Registration Act and the States specific Public Trust Act.

(4) Constitution of the Governing Body of the Society: - The Governing Body shall consist of following Members:-

- (i) Chief Secretary of the State as Chairperson;
- (ii) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary (Labour/ Health) * as vice-Chairperson;
- (iii) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary (Health/ Labour) * other than (ii) above as member;
- (iv) Additional Chief Secretary / Principal Secretary/ Secretary (Finance);
- (v) Director, ESI Services of the State as CEO-cum-Member Secretary;
- (vi) Corporation's Nominee as member;
- (vii) Three Employers' Representative to be nominated by the Corporation as member;
- (viii) Three Employees' representatives nominated by the Corporation as member;
- (ix) Regional Director, Employees' State Insurance Corporation as member;
- (x) State Medical Officer, ESIC as member.

*Explanation: - Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary (Labour/ Health) whosoever is overseeing the ESI Directorate in the State will act as Vice-Chairperson.

(5) The management of the affairs of the Society shall be entrusted to the Governing Body and the property of the society shall be vested in the Governing Body and the society shall be responsible for repair and maintenance of the properties in the possession of the Society and vested in the Governing Body.

(6) The Society shall also have an Executive Committee which shall be for acting for and doing deeds on behalf of Governing Body. The Executive Committee shall consist of:-

- Additional Chief Secretary / Principal Secretary (Labour/Health) overseeing the ESI Directorate in the State as the Chairperson;
- (ii) Additional Chief Secretary / Principal Secretary (Health/Labour) other than the Chairperson as Vice Chairperson;
- (iii) Additional Chief Secretary / Principal Secretary (Finance) as member,
- (iv) Director-in-Chief of Directorate Health and Family Welfare of State as member,
- (v) Regional Director of ESIC as member;
- (vi) State Medical Officer of ESIC as member;
- (vii) one Employer Representative as member;
- (viii) one Employee Representative as member.
- (ix) The Director, State ESI Directorate shall be the CEO-cum-Member Secretary of the Executive Committee.

(7) One third or at least three, whichever is higher of the filled in posts of the members of the Governing Body or the Executive Committee, shall form the quorum for their meeting. Every matter coming up for decision before a meeting of the Governing Body or the Executive Committee, as the case may be, shall be decided by the majority of persons present and voting at the time of meeting and in case of equality of votes, the Chairman of the meeting shall have an additional casting vote.

(8) The Governing Body shall hold meeting at least twice a year and the Executive Committee shall hold meeting at least every three months. The Chairman, or in his absence, the Vice Chairman of the Governing Body or the Executive Committee, as the case may be, shall preside at the meeting.

(9) The Society shall establish a Secretariat which shall be responsible for day to day management of the Society's activities.

(10) The Chief Executive Officer may be authorized by the Governing Body to execute such contracts on behalf of the Society as it may deem fit in the conduct of the business of the Society, subject to the State Government norms.

(11) The Society shall submit its budget by 10th December of each year. The accounts of the Society shall be audited annually by the Comptroller and Auditor General of India.

(12) The financial year of the Society shall be from 1st April to 31st March.

(13) The financial statement for the year ending 31st March shall be prepared by 31st May of the year. An Annual Report along with Annual Accounts shall be submitted to the Corporation within six months of the closure of financial year.

(14) It shall have a bank account and the name of the Society to be opened in a Nationalised Bank. The Society shall be entitled to receive grants, donations, contributions, subscription, bequests, fees, loan or contingency in cash or kind, either in Indian or foreign currency, subject to the approval of Governing Body.

(15) The tenure of non-official members shall be two years. No non-official member shall be entitled to more than two terms as a member of the Society.

(16) The Society may sue or be sued in the name of Chief Executive Officer of the Society or of such other members as shall, in reference to the matter concerned, be appointed by the Governing Body for the occasion.

(17) The Society shall engage employees on deemed deputation from the State Government or Public Sector Undertaking or Central Government or Corporation and their pensionary liabilities, if any, shall rest with respective appointing authorities.

(18) The Society shall carry out any other activity as may be prescribed by the Central Government or as may be specified by the Corporation.

29. Extended period for insurance, the manner of satisfaction and the manner of calculation of capitalised value of benefit payable to the employee under sub-section (1) of section 42.- The capitalized value of the permanent disablement benefit and dependent benefit shall be calculated by multiplying the daily rate of benefit with the multiplication factor based on age of the insured person provided in the Regulations.

30. Terms and conditions subject to which the Scheme for other beneficiaries may be operated under section **44.-** The terms and conditions for providing benefit under the scheme for other beneficiaries under Section 44 of the Code and user charges shall be as approved by the Corporation from time to time.

31. Manner of commencement of proceedings before the Employees' Insurance Court, fees and procedure thereof under sub-section (1) of section 51.- (1) The proceeding before an Employees' Insurance Court shall be commenced by application by the Corporation, Aggrieved person or the employer of an establishment as the case may be.

(2) Subject to the provisions of Chapter IV of the Code and any rules made by the State Government, all proceedings before the Employees' Insurance Court shall be instituted in the Court appointed for the local area in which the insured person was working at the time the question or dispute arose.

(3) If the Court is satisfied that any matter arising out of any proceedings pending before it can be more conveniently dealt with by any other Employees' Insurance Court in the same State, it may, subject to any rules made by the State Government in this behalf, order such matter to be transferred to such other Court for disposal and shall forthwith transmit to such other Court the records connected with that matter.

(4) The State Government may transfer any matter pending before any Employees' Insurance Court in the State to any such Court in another State with the consent of the State Government of that State.

(5) The Court to which any matter is transferred under sub-rule (3) or sub-rule (4) shall continue the proceedings as if they had been originally instituted in it.

32. Rules under clause (zv) of sub-section (2) of section 155: (1) Bank or banks for depositing the Fund - All moneys accruing or payable to the Fund shall be received by such officers of the Corporation as may be authorised by it in this behalf. The amount so received shall as soon as practicable be acknowledged by a receipt electronically or otherwise in such form as may be specified in the Regulations and deposited in the Reserve Bank of India or Banks approved by the Central Government to the account of fund;

Provided that such bank or banks for depositing the fund shall be a nationalized bank or any scheduled bank authorised for Government agency business.

Explanation. — (a) "Nationalised Bank" means a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);

(b) "scheduled bank" means a scheduled bank referred to in section 42 and specified in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(c) "authorised bank for Government agency business" means banks notified by the Department of Expenditure in the Ministry of Finance vide Office Memorandum number S-11021/1(20)/Rly/2008/RBD/2018, dated 7th December, 2016, as amended from time to time."

(2) **Procedure for crediting moneys to the Banks**— (a) All moneys accruing or payable to the Corporation shall be credited to the approved bank or banks and not utilised directly for any purpose.

(b) The bank or banks shall be required at the end of every calendar month to furnish to the Corporation or such officer as may be authorised by it in this behalf, a statement of the amounts deposited in and withdrawn item the Fund during the month. These statements shall be examined by the Director General before the expiry of a period of two months following the period to whom the statement relate.

(3) *Manner of payment out of the Fund*— (a) The accounts of the Fund shall be operated on by such officers as may be authorised by the Standing Committee, with the approval of the Corporation.

(b) No payment shall be made by the bank or banks out of the Fund except on a cheque signed by such officers as may be authorised under clause (a).

(c) Any payment in excess of one thousand rupees shall be made electronically or by means of a cheque signed as aforesaid and not in any other way unless specifically authorised by the Standing Committee.

(d) No payment shall be made out of the Fund unless the expenditure is covered by a current budget grant:

Provided that in the absence of a current budget grant, the Corporation may authorise payments either generally or for any particular case:

Provided further that the payment of benefits to Insured Persons under the provisions of the Code and of the pay and allowances of duly sanctioned posts shall not be withheld for want of a sanctioned budget grant.

(4) *Circumstances in which cheques may be drawn.* -Before any person authorised under sub-rule (3) signs a cheque or authorises an electronic payment, he shall satisfy himself that the sum for which the cheque is drawn is —

- (i) required for a purpose or work specifically sanctioned by the proper authority and covered by a current budget grant; and
- (ii) required for any payment referred to and specified under section 26 of the Code:

Provided that in the absence of a current budget grant, the Corporation may authorise payments either generally or for any particular case:

Provided further that the payment of benefits to Insured Persons under the provisions of the Code and of the pay and allowances of duly sanctioned posts shall not be withheld for want of a sanctioned budget grant.

(5) **Preparation and submission of annual budget estimates-** (a) The budget estimates of the Corporation for each financial year beginning on the first of April and ending on the thirty-first of March next shall be prepared by the Financial Commissioner in such form as the Central Government may, from time to time, direct and shall be submitted with his recommendations by the Director General to the Standing Committee for approval at a meeting of the Standing Committee to be held before the first of February of the preceding year.

(b) A copy of the budget estimates shall be sent to each member of the Standing Committee and of the Corporation at least seven clear days before the meeting of the Standing Committee or the Corporation at which these estimates are to be considered.

(c) The Standing Committee shall consider and approve the budget estimates with such changes as it may consider necessary.

(d) The budget estimates as approved by the Standing Committee shall be placed before a meeting of the Corporation to be held before the twentieth of February of the preceding year.

(e) The budget estimates as passed by the Corporation shall be authenticated by affixing the common seal of the Corporation and shall be submitted to the Central Government under section 117, not later than the first of March next following.

(f) It shall be open to the Central Government to make such alterations in the budget estimates as may be considered necessary before according approval.

(g) The budget estimates as finally adopted by the Corporation and as approved by the Central Government shall be placed before the Parliament by the administrative ministry concerned in the month of March preceding the financial year to which the estimates relate and shall be published in the Official Gazette.

(6) **Supplementary estimates**-The Standing Committee may cause a supplementary estimate to be prepared and submitted to the Corporation if in respect of any financial year further expenditure is likely to be incurred. Every such supplementary estimate shall be considered and sanctioned by the Corporation and submitted to the Central Government in the same manner as if it were an original annual estimate, not later than the fifteenth of February of the financial year to which it relates. The provisions of sub-rule (5) shall, so far as may be, apply to such supplementary estimate.

(7) **Re-appropriation**—(a)If the Director General finds in the course of the year that there is likely to be an excess of expenditure over the sanctioned budget estimate under any head, he shall examine the allotment under each head of the budget estimate with the object of discovering probable savings under any other head and effecting a re-appropriation. Where such re-appropriation is feasible, he may sanction the re-appropriation subject to such conditions as may be laid down by the Central Government from time to time.

(b) Funds shall not be re-appropriated to meet expenditure on a new service not contemplated in the budget estimates except with the prior approval of the Central Government.

(c) No re-appropriation shall be permitted between the grant sanctioned for administrative expenses, two-thirds of which shall be met by the Central Government, and a grant sanctioned for any other expenditure.

CHAPTER V

GRATUITY

33. Bank or other financial institution in which the gratuity shall be invested for the benefit of minor under the third proviso to sub-section (1) of section 53.- In the case of nominee, or an heir, who is minor, the competent authority shall invest the gratuity amount deposited with him for the benefit of such minor in term deposit with the State Bank of India or Nationalised Bank.

Explanation.- "Nationalised Bank" means a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980).]

34. Time, form and manner of nomination by an employee under sub-section (1), the time to make fresh nomination under sub-section (4), the form and manner of modification of a nomination under sub-section (5) and the form for fresh nomination under sub-section (6) of section 55.- (1) A nomination shall be in Form-III and submitted in duplicate by the employee either by personal service, after taking proper receipt or by registered post acknowledgement due or electronically to the employer,

- (i) in the case of an employee who is already in employment for a year or more on the date of commencement of these rules but not submitted the nomination, ordinarily, within ninety days from such date; and
- (ii) in the case of an employee who completes one year of service after the date of commencement of these rules, ordinarily within thirty days of the completion of one year of service:

Provided that nomination in **Form-III** shall be accepted by the employer after the specified period, if filed and no nomination so accepted shall be invalid merely because it was filed after the specified period.

(2) Within thirty days of the receipt of nomination in **Form-III** under sub-rule (1), the employer shall get the service particulars of the employee, as mentioned in the form of nomination, verified with reference to the records of the establishment and return to the employee, after obtaining a receipt thereof, the duplicate copy of the nomination in **Form-III** duly attested either by the employer or an officer authorised in this behalf by him, as a token of recording of the nomination by the employer and the other copy of the nomination shall be recorded.

(3) An employee who has no family at the time of making a nomination shall, within ninety days of acquiring a family submit in the manner specified in sub-rule (1), a fresh nomination, as required under sub-section (4) of section 55, duplicate in **Form-III** to the employer and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply *mutatis mutandis* as if it was made under sub-rule (1).

(4) A notice of modification of a nomination, including cases where a nominee predeceases an employee, shall be submitted in duplicate in **Form-III** to the employer in the manner specified in sub-rule (1), and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply *mutatis mutandis*.

(5) A nomination or a fresh nomination or a notice of modification of nomination shall be, signed by the employee or, if illiterate, shall bear his thumb impression and shall be submitted by the employee electronically or by registered post acknowledgement due.

(6) A nomination, fresh nomination or notice of modification of nomination shall take effect from the date of receipt thereof by the employer.

35. Time within which and the form in which a written application shall be made under sub-section (1) and the form of application to the competent authority under clause (b) of sub-section (5) of section 56.- (1) Application for Gratuity: (a) An employee who is eligible for payment of gratuity under the Code, or any person authorised, in writing, to act on his behalf, shall apply, ordinarily within thirty days from the date the gratuity became payable, in Form-IV to the employer:

Provided that where the date of superannuation or retirement of an employee is known, the employee may apply to the employer before thirty days of the date of superannuation or retirement:

Provided further that an employee on fixed term employment shall be eligible for gratuity, if he renders service under the contract for a period of one year and he shall be paid gratuity at the rate of fifteen days' wages, based on the rate of wages last drawn by him, for every completed year of service or part thereof in excess of six months.

(b) A nominee of an employee who is eligible for payment of gratuity under the second proviso to sub-section (1) of section 53 shall apply, ordinarily within thirty days from the date of gratuity became payable to him, in **Form-IV** to the employer:

Provided that an application in plain paper with relevant particulars shall also be accepted. The employer may obtain such other particulars as may be deemed necessary by him.

(c) A legal heir of an employee who is eligible for payment of gratuity under the second proviso to sub-section (1) of section 53 shall apply, ordinarily within one year from the date of gratuity became payable to him, in **Form-IV** to the employer.

(d) Where gratuity becomes payable under the Code before the commencement of these rules, the periods of limitation specified in clauses (a), (b) and (c) sub-rule (1) shall be deemed to be operative from the date of such commencement.

(e) An application for payment of gratuity filed after the expiry of the periods specified in this rule shall also be entertained by the employer, if the applicant adduces sufficient cause for the delay in preferring his claim, and no claim for gratuity under the Code shall be invalid merely because the claimant failed to present his application within the specified period. Any dispute in this regard shall be referred to the competent authority for his decision.

(f) An application under this rule shall be presented to the employer either by electronically or personal service or by registered post acknowledgement due.

(2) Notice for payment of gratuity: (a) Within fifteen days of the receipt of an application under sub-rule (1) for payment of gratuity, the employer shall-

- (i) if the claim is found admissible on verification, issue a notice in **Form-V** to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the amount of gratuity payable and fixing a date, not being later than the thirtieth day after the date of receipt of the application, for payment thereof, or
- (ii) if the claim for gratuity is not found admissible, issue a notice in **Form-V** to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the reasons why the claim for gratuity is not considered admissible.

In the case of denial of gratuity a copy of the notice shall be endorsed to the competent authority.

(b) In case payment of gratuity is due to be made in the employer's office, the date fixed for the purpose in the notice in **Form-V** under sub-clause (i) of clause (a) sub-rule (2) shall be re-fixed by the employer, if a written application in this behalf is made by the payee explaining why it is not possible for him to be present in person on the date specified.

c) If the claimant for gratuity is a nominee or a legal heir, the employer may ask for such witness or evidence as may be deemed relevant for establishing his identity or maintainability of his claim, as the case may be. In that case, the time limit specified for issuance of notices under clause (a) of sub-rule (2) shall be operative with effect from the date such witness or evidence, as the case may be, called for by the employer is furnished to the employer.

(d) A notice in **Form-V** shall be served on the applicant either by personal service after taking receipt or by registered post with acknowledgement due or electronically.

(e) A notice under sub-section (2) of section 56 shall be in Form-V.

(3) **Mode of payment of gratuity**: The gratuity payable under the Code shall be paid through Demand Draft or by crediting in the bank account of the eligible employee, nominee or legal heir, as the case may be:

Provided that intimation about the details of payment shall also be given by the employer to the competent authority of the area.

(4) Application to competent authority for direction under clause (b) of sub-section (5) of section 56: (a) If an employer-

- (i) refuses to accept a nomination under rule 34 or to entertain an application sought to be filed under subrule (1), or
- (ii) issues a notice under clause (a) of sub-rule (2) either specifying an amount of gratuity which is considered by the applicant less than what is payable or rejecting eligibility to payment of gratuity, or
- (iii) having received an application under sub-rule (1) fails to issue notice as required under sub-rule (2) within the time specified therein, the claimant employee, nominee or legal heir, as the case may be, may, within one hundred eighty days of the occurrence of the cause for the application, apply in Form-VI to the competent authority for issuing a direction under sub-section (5) of section 56 with as many extra copies as are the opposite party:

Provided that the competent authority may accept any application under this sub-rule, on sufficient cause being shown by the applicant, after the expiry of the specified period.

(b) Application under clause (a) sub-rule (4) and other documents relevant to such an application shall be presented in person to the competent authority or shall be sent by registered post acknowledgement due or electronically.

(5) **Procedure for dealing with application for direction :** (a) On receipt of an application under sub-rule (4) the competent authority shall, by issuing a notice in **Form-VII**, by electronically or registered post acknowledgment due or in person call upon the applicant as well as the employer to appear before him on a specified date, time and place, either by himself or through his authorised representative together with all relevant documents and witnesses, if any.

(b) Any person desiring to act on behalf of an employer or employee, nominee or legal heir, as the case may be, shall present to the competent authority a letter of authority from the employer or the person concerned, as the case may be,

on whose behalf he seeks to act together with a written statement explaining his interest in the matter and praying for permission so to act. The competent authority shall record thereon an order either according his approval or specifying, in the case of refusal to grant the permission prayed for, the reasons for the refusal.

(c) A party appearing by an authorised representative shall be bound by the acts of the representative.

(d) After completion of hearing on the date fixed under clause (a), or after such further evidence, examination of documents, witnesses, hearing and inquiry, as may be deemed necessary, the competent authority shall record his finding as to whether any amount is payable to the applicant under the Code. A copy of the finding shall be given to each of the parties.

(e) If the employer concerned fails to appear on the specified date of hearing after due service of notice without sufficient cause, the competent authority may proceed to hear and determine the application ex parte. If the applicant fails to appear on the specified date of hearing without sufficient cause, the competent authority may dismiss the application:

Provided that an order under clause (e) of sub-rule (5) may, on good cause being shown within thirty days of the said order, be reviewed and the application re-heard after giving not less than fourteen days' notice to the opposite party of the date fixed for rehearing of the application.

(6) **Place and time of hearing.-** The sittings of the competent authority shall be held at such times and at such places as he may fix and he shall inform the parties of the same in such manner as he thinks fit.

(7) Administration of oath.- The competent authority may authorise a clerk of his office to administer oaths for the purpose of making affidavits.

(8) **Summoning and attendance of witnesses.**- The competent authority may, at any stage of the proceedings before him, either upon or without an application by any of the parties involved in the proceedings before him, and on such terms as may appear to the competent authority just, issue summons to any person in **Form-VII** either to give evidence or to produce documents or for both purposes on a specified date, time and place.

(9) Service of summons or notice.- (a) Subject to the provisions of clause (b) any notice, summons, process or order issued by the competent authority may be served either personally or by registered post acknowledgement due or electronically or in any other manner as prescribed under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(b) Where there are numerous persons as parties to any proceeding before the competent authority and such persons are members of any trade union or association or are represented by an authorised person, the service of notice on the Secretary, or where there is no Secretary, on the principal officer of the trade union or association, or on the authorised person shall be deemed to be service on such persons.

(10) Maintenance of records of cases by the competent authority.- (a) The competent authority shall record the particulars of each case under section 56 and at the time of passing orders shall sign and date the particulars so recorded.

(b) The competent authority shall, while passing orders in each case, also record the findings on the merits of the case and file it together with the memoranda of evidence with the order sheet.

(c) Any record, other than a record of any order or direction, which is required by these rules to be signed by the competent authority, may be signed on behalf of and under the direction of the competent authority by any subordinate officer appointed in writing for this purpose by the competent authority.

(11) **Direction for payment of gratuity**: If a finding is recorded under clause (d) of sub-rule (5) that the applicant is entitled to payment of gratuity under the Code, the competent authority shall issue a notice to the employer concerned in **Form-VIII** electronically or registered post acknowledgment due or in person specifying the amount payable and directing payment thereof to the applicant under intimation to the competent authority within thirty days from the date of the receipt of the notice by the employer. A copy of the notice shall be endorsed to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be.

(12) **Appeal.-** (a) The Memorandum of appeal under sub-section (8) of section 56 of the Code shall be submitted to the appellate authority with a copy thereof to the opposite party and the competent authority either through delivery in person or under registered post acknowledgement due or electronically.

(b) The Memorandum of appeal shall contain the facts of the case, the decision of the competent authority, the grounds of appeal and the relief sought.

(c) There shall be appended to the Memorandum of appeal a certified copy of the finding of the competent authority and direction for payment of gratuity.

(d) On receipt of the copy of Memorandum of appeal, the competent authority shall forward records of the case to the appellate authority.

(e) Within fourteen days of the receipt of the copy of the Memorandum of appeal, the opposite party shall submit his comments of each paragraph of the memorandum with additional pleas, if any, to the appellate authority with a copy to the appellant.

(f) The appellate authority shall record its decision after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard. A copy of the decision shall be given to the parties to the appeal by electronically or registered post or in person and a copy thereof shall be sent to the competent authority returning his records of the case.

(g) The competent authority shall, on receipt of the decision of the appellate authority, make necessary entry in the records of the case maintained by him.

(h) On receipt of the decision of the appellate authority, the competent authority shall, if required under that decision, modify his direction for payment of gratuity and issue a notice to the employer concerned in **Form-VIII** specifying the modified amount payable and directing payment thereof to the applicant, under intimation to the competent authority within fifteen days of the receipt of the notice by the employer. A copy of the notice be endorsed to the appellant employee, nominee or legal heir, as the case may be, and to the appellate authority.

(13) **Application for recovery of gratuity.** Where an employer fails to pay the gratuity due under the Code in accordance with the notice by the competent authority under sub-rule (11) or sub-rule (12), as the case may be, the employee concerned, his nominee or legal heir, as the case may be, to whom the gratuity is payable may apply to the competent authority in duplicate in **Form IX** for recovery thereof under section 129 of the Code.

36. Qualifications and experience of the officer appointed as the competent authority under sub-section (1) of section 58.- The competent authority shall be appointed by the Central Government by notification.

CHAPTER VI

MATERNITY BENEFIT

37. Form of notice under sub-section (1) and the proof of pregnancy and proof of delivery under sub-section (5) of section 62 and proof of miscarriage or medical termination of pregnancy under sub-section (1), the proof of tubectomy operation under sub-section (2) and the proof of illness under sub-section (3) of section 65.- (1) **Proof.**— (a) The fact that a woman is pregnant or has been delivered of a child or has undergone miscarriage or medical termination of pregnancy or tubectomy operation or is suffering from illness arising out of pregnancy, delivery, premature birth of a child or miscarriage or medical termination of pregnancy or tubectomy operation shall be proved by the production of a certificate in Form-X:

- (i) from a Medical Officer of a regional hospital or a dispensary set up under the Coal Mines Welfare Organisation; or
- (ii) where there is a Mines Board of Health within whose jurisdiction is situated, from the Medical Officer of that Board; or
- (iii) from a Registered Medical Practitioner.

b) The fact that a woman has been confined may also be proved by the production of a certified extract from a birth register maintained under the provisions of any law for the time being in force or a certificate signed by a registered midwife.

(c) The fact that a woman has undergone miscarriage may also be proved by the production of a certificate signed by a registered midwife.

(d) The fact of death of a woman or a child may be proved by the production of a certificate to that effect in **Form-X** from any of the authorities referred to in sub-rule (a) or by the production of a certified extract from a death register maintained under the provisions of any law for the time being in force.

(2) **Payment of maternity and other benefit.** — (a) A woman employed in a establishment and entitled to maternity benefit shall give notice to her employer in **Form-XI** and the employer shall make payment of the maternity benefit and any other amount due under the Code to the woman concerned, or, in case of her death before receiving such maternity benefit or amount, or where the employer is liable for maternity benefit under the second proviso to subsection (3) of section 60, to the person nominated by the woman in her notice in **Form-XI** and in case there is no such nominee to her legal representative.
(b) In case of doubt, the maternity benefit or other amount due to a woman employed in an establishment shall be deposited by the employer, within two months of the date of death of the woman concerned with the Competent Authority, who shall, after making necessary enquiries, pay it to the person who, in his opinion, is entitled to receive it.

(c) Whenever the payment referred to in sub-rule (a) is made, a receipt shall be obtained by the employer **in Form-XI** from the person to whom the payment is made. In cases falling under sub-rule (b), a receipt shall be given to the employer by the Competent Authority.

(d) The medical bonus shall be paid along with the second instalment of the maternity benefit.

(e) The maternity benefit or any other amount payable under **section 63** shall be paid within two months of the date of death of the woman entitled to receive such benefit or amount.

(f) The wages payable under **section 65** shall be paid to the woman entitled to receive such wages within forty-eight hours of production of the certificate **in Form-X** by her.

38. Duration of nursing breaks under section 66.- Each of the two breaks mentioned in section 66 shall be of 15 minutes' duration. An extra sufficient period, depending upon the distance to be covered, shall be allowed for the purpose of journey to and from the creche or the place where the children are left by women while on duty, provided that such extra period shall not be of less than 5 minutes and more than 15 minutes' duration. If any dispute arises regarding such extra period, the matter shall be referred to the Competent Authority for decision.

39. Number of employees and distance for crèche facility under sub-section (1) of section 67.- (1) in every establishment where fifty or more women employees are ordinarily employed, there shall be provided and maintained a creche for the use of children under the age of six years of such women.

(2) Such creche shall provide adequate accommodation with lighting, ventilation and shall be maintained in a clean and sanitary condition. The crèche shall be under the charge of women trained in the care of children and infants.

(3) The crèche facility shall be located within the establishment or at an appropriate distance from the establishment such that it is easily accessible to the women employees including a woman employee working from home.

40. Gross misconduct under the second proviso to sub-section (1) of section 68.- (1) The following acts shall constitute gross misconduct for purpose of section 68, namely:—

- (a) wilful destruction of employer's goods or property;
- (b) assaulting any superior or co-employee at the place of work;
- (c) criminal offence involving moral turpitude resulting in conviction in a court of law;
- (d) theft, fraud, or dishonesty in connection with the employer's business or property; and
- (e) willful non-observance of safety measure or rules on the subject or willful interference with safety devices or with firefighting equipment.

(2) **Appeal under section 68.**— (a) An appeal under sub-section (2) of section 68 shall be preferred to the Competent Authority in **Form-XIII.**

(b) The appeal may be made in writing and either handed over personally or sent under a registered cover or electronically to the Competent Authority.

(c) When an appeal is received, the Competent Authority shall furnish a copy of the memorandum of appeal to the employer, call for his reply thereto and also ask him to produce documents connected with the issue of the appeal by a fixing date. The Competent Authority may ascertain further details, if necessary, from the employer as well as from the woman. On considering the facts presented to him and ascertained by him the Competent Authority shall give his decision. In case the employer fails to submit his reply or produce the required documents within the specified period, the Competent Authority may give his decision ex parte.

41. Authority to whom an appeal may be preferred under sub-section (3) of section 72.- (1) Complaint under section 72.- (a) A complaint under sub-section (1) of section 72 shall be made in writing in Form-XII as the case may be.

(b) When a complaint referred to in section 72 is received by an Inspector-cum-Facilitator, he shall examine the relevant records maintained by the employer in this behalf, examine any person employed in the establishment and take down necessary statement for the purpose of the enquiry and if he is satisfied that the maternity benefit or the amount has been improperly withheld, he shall direct the employer to make the payment to the woman or to the person claiming the payment under section 63, as the case may be, immediately or within a specified period.

(2) Appeal under section 72.— (a) An appeal against the decision of the Inspector-cum-Facilitator under sub-section
(2) of section 72, shall lie to the Competent Authority.

(b) The aggrieved person shall prefer an appeal in writing to the prescribed Authority in **Form-XIII** and file other supporting documents.

(c) When an appeal is received, the prescribed Authority shall call from the Inspector-cum-Facilitator before a fixed date, the record of the case. The prescribed Authority shall, if necessary, also record the statements of the aggrieved person, and of the Inspector-cum-Facilitator and seek clarification if any is required.

(d) Taking into account the documents, the evidence produced before him and the facts presented to him or ascertained by him, the prescribed Authority shall give his decision.

42. Rules under clause (zv) of sub-section 2 of section 155.- (1) Duties and powers of the Competent Authority and Inspector-cum-Facilitator under Chapter VI of the Code.—

(a) The Competent Authority shall be responsible for the administration of these rules their respective areas notified.

(b) Every Inspector-cum-Facilitator shall discharge his duties within the area assigned to him by the Central Government and shall act under the supervision and control of the Competent Authority.

(c) Every Inspector-cum-Facilitator shall at each inspection of an establishment see.—

- (i) whether due action has been taken on every notice given under section 62;
- (ii) whether the Register of women employees prescribed under rule 55 is correctly maintained;
- (iii) whether there have been any cases of discharge or dismissal or notices of discharge or dismissal in contravention of the provisions of section 68 since the last inspection;
- (iv) whether the provisions of sub-section (1) of section 59, sub-sections (5) and (6) of section 62, section 64, sub-sections (1), (2) and (3) of section 65, sections 66, 67, 69 and 71 have been complied with and whether amounts due have been paid within the prescribed time;
- (v) whether there have been any cases of deprival of maternity benefit or medical bonus in contravention of sub-section (2) of section 68; and
- (vi) how far the irregularities pointed out at previous inspections have been remedied and how far orders previously issued have been complied with.

(d) Where an Inspector-cum-Facilitator observes irregularities against the Code or these Rules, he shall issue orders in writing to the employer asking the latter to rectify the irregularities within a specified period and to report compliance to the Inspector-cum-Facilitator.

(2) Supply of forms.--The employer shall supply to every woman employed by him at her request free of cost copies of Forms-X, XI, XII and XIII.

(3) Non-submission of notices, appeals or complaints in the prescribed forms.—Nothing in sub-rule (1) of rule 37 and sub-rules (1) and (2) of rule 40 shall affect the right of a woman entitled to receive maternity benefit or any other amount due under the Code if she fails to submit a notice, appeal or complaint under the said rules, as the case may be, in a prescribed form:

Provided that where a notice, appeal or complaint under the said rules has been submitted by a woman entitled to receive maternity benefit or any other amount due under the Code in a form other than the prescribed form, the authority concerned may, within fifteen days of the receipt of such notice, appeal or complaint require the woman to submit the notice, appeal or complaint, as the case may be, in the prescribed form.

(4) **Abstract** .—The abstract of the provisions of the Chapter V of the Code and the rules frame thereunder required to be exhibited under section 71 shall be in **Form-XIV** and shall be exhibited in such manner as the Competent Authority may require.

CHAPTER VII

SOCIAL SECURITY AND CESS IN RESPECT OF BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS

43. Manner and time of collection of cess under sub-section (2), manner of deposit of the cess so collected under sub-section (3), and the uniform rate or rates of advance cess under sub-section (4) of section 100 and manner of self-assessment of cess under sub-section (1) of section 103.- (1) Information to be furnished by the employer.— (a) Every employer, within sixty days of commencement of his work or payment of cess, as the case may be, furnish to the Assessing Officer, information in Form-XV.

(b) Any change or modification in the information furnished under clause (a) shall be communicated to the Assessing Officer in **Form-XV** incorporating details of such modification(s) immediately but not later than thirty days from the date of affecting the modification or change.

(2) **Time and manner of collection of Cess.**— (a)The cess levied under sub-section (1) of section 100 of the Code shall be paid by an employer in advance, on the basis of his self-assessment duly certified by Chartered Engineer at the time of approval or before the commencement of the work.

(b) For the purpose of self-assessment of cost of construction, the employer shall calculate the cost of construction work on the uniform rate or rates of construction as specified by respective State's Public Works Department or the Central Public Works Department or as per return or document submitted to the Real Estate Regulatory Authority, applicable for that particular year in which the commencement of building and other construction work took place in **Form-XVI**:

Provided, if there is any such type of construction activity involved for which neither State PWD nor Central PWD or Real Estate Regulatory Authority has specified any rate(s), the employer will calculate the cost of construction, based on the documents to be produced by him along with his assessment statement in **Form-XVI** within sixty days on completion of his each building and other construction work or project, to the assessing officer.

(c) Notwithstanding the provisions clauses (a) and (b), where the approval of a construction work by a local authority or such other authority notified by the Central Government or the State Government as the case may be, is required, every application for such approval shall be accompanied by a proof of online payment made in favour of the State Building and Other Construction Workers' Welfare Board for an amount of cess payable on the basis of self-assessment duly certified by the Chartered Engineer:

Provided that if the duration of the project is likely to exceed one year, the amount of cess payment may be for the amount of cess payable on cost of construction self-assessed to be incurred during one year from the date of commencement and further payments of due cess shall be made as per the provisions of clause (b) of sub-rule (2) of this rule.

(d) Notwithstanding the provisions of clauses (a) and (b), where the levy of cess pertains to building and other construction work of a Government or of a Public Sector Undertaking, such Government or the Public Sector Undertaking shall deduct or cause to be deducted the cess payable at the notified rates from the bills paid for such works. This deducted cess shall be deposited with the respective State Building and Other Construction Workers' Welfare Board within a period of thirty days from the date of such deduction made along with the details of the construction work to the Assessing Officer of the area concerned.

(e) In case, there is any stoppage or reduction of Building or construction work, employer shall furnish the information in **Form-XVII**, to the Assessing officer within sixty days of such stoppage or reduction of building or other construction.

(f) Every employer on completion of building or other construction work, shall be required to submit a return in **Form-XVIII**, to the Assessing officer within sixty days of each of his completed work.

(g) Advance cess paid as above shall be adjusted in the final assessment order made by Assessing Officer.

(3) **Transfer of the proceeds of the cess to the Board.**— (a) The proceeds of the cess collected under **sub-rule (2)**, shall be transferred by such Central or State Government office, as the case may be, Public Sector Undertaking, local authority or such other authority notified by the State Government, or assessing officer, in the Bank account of the State Building Workers' Welfare Board, electronically through online payment system.

(b) The amount collected shall be transferred to the Board's fund within thirty days of its collection through online payment system.

(c) The State Building and Other Construction Workers' Welfare Board shall periodically reconcile the amount of cess collected, with the concerned authorities of the State Government or Central Government or Public Sector

Undertaking of the State Government or the Central Government or any such other authority, as specified by the appropriate Government.

(d) The State Building and Other Construction Workers' Welfare Board shall submit half-yearly report, to the State Government with a copy to the Central Government, on the amount of cess collected, cumulative and during the period, expenditure incurred during the period, number of live building and other construction workers, or for such period and with such details, as specified by the Central Government.

(4) **Assessment.**— (a)The Assessing Officer, on receipt of information of return and cess paid in **Form-XVIII** from an employer shall make a scrutiny of such information furnished and, if he is satisfied about the correctness of the particulars so furnished, he shall make an order of assessment within a period not exceeding ninety days from the date of receipt of such information, indicating the amount of cess payable by the employer and endorse a copy thereof to the employer and to the cess-collector and to the Building and Other Construction Workers Welfare Board and despatch such order within five days of the date on which such order is made.

(b) The order shall inter-alia specify the amount of cess due, cess already paid by the employer or deducted at source and the balance amount payable and the date, consistent with the provision of sub-rule (2), by which the cess shall be paid to the cess collector.

(c) If on the scrutiny of information furnished by the employer in **Form-XVIII**, the Assessing Officer is of the opinion that employer has under-calculated or miscalculated the cost of construction or has calculated less amount of cess payable, he shall issue notice to the employer for assessment of the cess.

(d) On receipt of such notice the employer shall furnish to the Assessing Officer a reply together with copies of documentary or other evidences in support of his claim, within thirty days of the receipt of the notice:

Provided that the Assessing Officer may, in the course of assessment afford an opportunity to the assessee to be heard in person, if he so request to substantiate his claim.

(e) If the employer fails to furnish the reply within the stipulated period specified under clause (d) or where any employer fails to furnish information in Form-IV, the Assessing Officer shall proceed to make the assessment on the basis of the available records and other information incidental thereto.

(f) The assessing officer may, at any time while the work is in progress or in the process of assessment of cost of construction authorise such officer to make such enquiry at the work site or from documentary evidence or in any other manner as he may think fit for the purpose of estimating the cost of construction as accurately as possible.

(5) **Refund of overpaid cess.**— (a) Where the employer has deposited the cess in advance and the employer decides to withdraw from or foreclose the works or modifies the plan of construction thereby reducing the cost of construction undertaken or has been forced by other circumstances to call off the completion of the work undertaken, he may seek refund of the excess amount of advance cess paid by submitting information in **Form-XVII** to the Assessing Officer giving details of such reduction or stoppage of work.

(b) The Assessing Officer, on receipt of information in Form-XVII from an employer shall make a scrutiny of such information furnished and, if he is satisfied about the correctness of the particulars so furnished, he shall make an order of assessment within a period not exceeding within thirty days of receipt of such information.

(c) Following the assessment order made on receipt of **Form-XVII** as per clause (b), the Assessment Officer shall, wherever necessary, endorse a copy of the such assessment to the respective Building Workers Welfare Board, cess collector and to such other persons as he thinks appropriate, for making the refund of excess cess as ordered in the assessment made under clause (b).

(d) The Building and Other Construction Workers' Welfare Board shall, within thirty days of receipt of the endorsement from the Assessing Officer under clause (c), refund the amount specified in the order to the employer through electronically online payment System in the bank account as per details furnished by the employer for this purpose.

(e) Where the Appellate Authority has modified the order of assessment reducing the amount of cess, refund shall be made within such time as may be specified in that order or in the manner and time as specified under clause (d) above.

44. Time limit to pay the amount of cess and the rate of interest in case of delayed payment of cess under section 101.- (1) Date of payment of cess shall be the date on which the amount is deposited with the Cess Collector under clauses (a) and (b) of sub-rule (2) of rule 43, or the date of deduction at source under clause (d) of sub-rule (2) of rule 43, or the date on which the amount has been deposited with the local authority under clause (c) of sub-rule (3) of rule 43, as the case may be.

(2) If any employer fails to pay any amount of cess payable under section 100 of the Code, within such time as may be specified in the assessment order, such employer shall be liable to pay interest on the amount of cess, to be paid, at the

rate of one per cent. for every month or part of a month comprised in the period from the date on which such payment was due till such amount is actually paid.

45. Authority to inquire and impose penalty under section 104.- (1) An Assessing Officer, if it appears to him that an employer has not paid the cess within the date as specified in the assessment order or has paid less cess, including the cess deducted at source or paid in advance, shall issue a notice to such employer that it shall be deemed to be in arrears and such Assessing Officer may, after such inquiry as it deems fit, impose on such employer, a penalty not exceeding such amount of cess:

Provided that, before imposing any such penalty, such employer shall be given a reasonable opportunity of being heard and if after such hearing the Assessment Officer is satisfied that the default was for any good and sufficient reason, no penalty shall be imposed on such employer.

(2) If any penalty is imposed on the employer or the notice for imposing the penalty is withdrawn, as mentioned in sub-rule (1), the Assessing Officer will pass a speaking order in this regard stating the reasons thereof. A copy of such order shall be endorsed to the employer, cess-collector and to the Secretary, Building and other Construction Workers Welfare Board.

46. Time limit to prefer appeal, appellate authority, form and manner of appeal under sub-section (1) and fees **for appeal under sub-section** (2) **of section 105.-** (1) An employer aggrieved by an order of the assessment made under sub-rule (4) of rule 43 or by an order imposing penalty made under rule 45, may file an appeal in **Form-XIX** against such order, within ninety days of the receipt of such order, to the Appellate Authority as notified by the State Government in this regard.

- (2) The such appeal, inter-alia, shall be accompanied with—
- (a) the order appealed against;
- (b) a certificate from the Cess Collector to the effect that the amount of cess or penalty or both, as the case may be, relating to such appeal has been deposited;
- (c) a non-refundable fee equivalent to half percent, but not exceeding rupees twenty five thousand of the amount in dispute or penalty or both, as the case may be, under such appeal;
- (d) a statement of points in dispute; and
- (e) documentary evidence relied upon.

(3) On receipt of the appeal, the Appellate Authority may, call details from the Assessing Officer or his statement on the basis of his assessment order appealed against, as such Appellate Authority may consider necessary for the disposal of such appeal.

(4) The Appellate Authority shall give the appellant an opportunity of being heard in the matter and dispose of the appeal as expeditiously as possible but not exceeding sixty days from the date of receipt of such appeal.

(5) On being satisfied on the quantum of cess the Appellate Authority shall confirm the order of the Assessing Officer or if in his opinion the assessment was wrong; or on the higher side shall modify the order of assessment or if in his opinion the assessment is on the lower side or if the basis of assessment is wrong, it shall remand back the assessment order to the Assessing Officer along with his observations to rectify the wrong.

(6) An order remanded back under sub-rule (5) shall be disposed of by the Assessing Officer within 30 days in view of the observation made by the Appellate Authority:

(7) Provided that, if the amount of cess is proposed to be enhanced the assessee shall be given an opportunity of being heard.

(8) If the Appellate Authority is of the opinion that the quantum of penalty imposed is on the higher side or not correctly made it shall suitably modify or set aside the order of the Assessing Officer, as the case may be.

(9) The appeal under this rule shall be disposed of by making a speaking order and a copy of such order shall be sent to each of the appellant, the Assessing Officer and to the Secretary, Building and Other Construction Workers Welfare Board within five days of the date on which such order is made.

(10) An order in appeal reducing the amount of cess shall also ask Secretary of the concerned Building and Other Construction Workers' Welfare Board to refund the excess cess stating clearly a specified time to the appellants.

(11) An order in appeal enhancing or reducing the amount of cess or penalty or both, as the case may be, shall also specify the date by which the amount of cess or penalty or both should be paid or refunded.

(12) No appeal shall lie against the order of the Appellate Authority under this rule.

47. **Manner of registration of building worker as beneficiary under section 106.-** (1) It shall be the responsibility of the State Government and the State Building Workers' Welfare Board to register all such workers working as building or other construction workers within the geographical area of the state, on the specified portal of the Central Government and the State Government or Board through Aadhaar.

- (2) The employer or contractor of such building and other construction workers shall ensure that their workers are registered on the specified portal of the Central government and the State Government or Board.
- (3) The registration, renewal, and delivery of welfare scheme for the building workers shall be done electronically through the specified portal.
- (4) Portability of the benefits of the building and other construction workers, process for their registration, de –registration, and manner of obtaining the benefits in the state where they are working as building and other construction workers, shall be undertaken in the manner and process as specified by the Central Government.
- (5) The registration of the Building workers shall be done in the same manner and procedure(s) as prescribed for the registration of unorganised worker, gig worker and platform worker under rule 50.
- (6) Every State Government shall designate nodal officer for the purpose of registration, renewal and updation of particular(s) of building workers through official gazette.
- (7) Registration or Renewal as the case may be of the building and other construction workers shall be done only if they have been engaged as building or other construction work for not less than ninety days in a year.
- (8) Boards may utilise services of e-sewa kendras of the Central Government and State Governments and Business Correspondences of the Department of Posts or any other such agency for facilitating the registration, renewal, updation of particular(s) and delivery of welfare schemes for building workers.
- (9) Every Board shall submit a report annually to the State Government with a copy to the central government in the form as specified by the appropriate Government.
- (10) Board shall mobilize the building workers and facilitate to register eligible building workers and set up necessary camps as required in the labour intensive areas.
- (11) Every building worker registered as a beneficiary under section 106 of the Code, shall be entitled to the benefits provided by the Board from its Fund.
- (12) Where a Building worker migrates from one state to another, he shall be entitled to get benefits from the board in whose jurisdiction he is currently working and such board shall be responsible for providing such benefits to such workers.
- (13) Every registered Building Worker shall be issued a digital identity card or otherwise bearing his photograph and other details as specified by appropriate government.
- (14) Where identity card issued under sub-rule (1) above, is lost or accidentally destroyed, a duplicate identity card may be downloaded again from Board's web-portal with validation as specified by the State Government.
- (15) Charges if any, for registration or updation or renewal, may be borne by the Central Government or State Government or Board or by the worker himself, either partly or fully or as may be specified by State Government in this regard.

48. Benefits of a beneficiary under sub-section (2) of section 107.- If any building worker has been beneficiary for at least three years continuously immediately before attaining the age of sixty years, for the benefit of such workers, the Central Government may formulate such scheme (s) as may be notified by the Central Government.

49. Rules framed under clause (zv) of sub-section (2) of section 155.- (1) Recovery of overdue amount.— For the purpose of recovery of sums due on account of unpaid cess, interest or overdue payment or, penalty under these rules, the Assessing Officer shall prepare a certificate signed by him, specifying the amount due and send it to the Recovery Officer of the district concerned who shall proceed to recover from the said employer the amount specified thereunder as if it were an arrear of land revenue or by any other such laws prevailing in that State for this purpose.

(2) **Powers of Assessing Officer and other officers.**— An Assessing Officer, or an officer authorised, under subrule (4) of rule 43, if empowered by the State Government under section 103 of the Code, may,—

150

- (a) enter any establishment where building and other construction work is going on only with the prior approval of the Secretary, Building and Other Construction Workers Welfare Board;
- (b) make an inventory of materials, machinery or other articles lying at the work place;
- (c) enquire about the number of workers engaged in various activities;
- (d) require the production of any prescribed register or any other documents relevant to the assessment of cost of construction or number of workers employed;
- (e) seize or take copies of any such records;
- (f) make general assessment of the stage of the construction work having been completed;
- (g) take measurement, notes or photographs; and
- (h) exercise such other powers considered absolutely necessary for reasonable assessment of cost of construction.

(3) Filing of complaints.— (a) The Assessing Officer, or any inspector-cum-facilitator under the Code, having come to know of violation of an obligation to furnish return, furnishing of false information, intentionally or wilfully evading or attempting to evade the payment of cess may make a complaint with evidences pertaining to such complaint to the State Government with a copy to the Board in writing.

(b) The State Government may make such inquiry as considered necessary and authorise any officer as it thinks suitable to file a complaint in the court of law.

(4). **Exemption.**— (a) Any employer or class of employers in a State seeking exemption under section 102 of the Code may make an application to the Director General of Labour Welfare, Ministry of Labour and Employment, Government of India, stating the details of works undertaken, name of the Act or any other corresponding law in force in that State under which he is liable to pay cess for the social security and welfare measure of the construction workers and amount of cess actually paid along with the date of such payment and proof thereof. A copy of such application shall be endorsed to each of the Assessing Officer and the Building Workers Welfare Board concerned.

(b) On receipt of such application the Central Government may, if it feels necessary, seek a report from the State Government concerned.

(c) On examining the grounds, facts and merits of such application the Central Government may, by notification in the Official Gazette, issue an order exempting the employer or class of employers, as the case may be, from payment of cess payable under the Code where such cess is already levied and payable under such corresponding law.

(d) Assessment proceedings shall be stopped by the Assessing Officer for a period of thirty days commencing from the date of the receipt of a copy of the application under clause (a) to him, or till the order of the Central Government under clause (c) is conveyed to an employer or class of employers who made the application under clause (a), whichever is earlier.

CHAPTER VIII

SOCIAL SECURITY FOR UNORGANISED WORKERS, GIG WORKERS AND PLATFORM WORKERS.

50. Eligible age for registration under clause (a) and form and manner of information under clause (b), of subsection (1) and the form of application, documents for registration and manner of self registration under subsection (2), of section 113.- (1) Registration of unorganised worker or any category or sub-category of unorganised workers. –

- (a) Every eligible unorganised worker, or any category or sub-category of unorganised worker under section 113 shall be required to be registered with Aadhaar, on self-declaration basis in the form on the portal, as specified by the Central Government.
- (b) In order to be eligible for any benefit under any scheme(s) framed under the Code for any unorganised worker or any category or sub-category of unorganised worker, the appropriate Government may notify specific condition(s) for eligibility, as deemed fit.
- (c) The eligible unorganised worker, or any category or sub-category of unorganised worker shall submit application form, electronically, with Aadhaar on self-declaration basis for registration to such authority on the specified portal of Central Government.
- (d) On completion of registration, such worker shall be issued an acknowledgement, electronically or otherwise, bearing his Unique Registration Number.

- (e) The Central Government may provide a facility such as mobile app, web portal or any other application, facilitating the unorganised workers to register themselves on the specified portal.
- (f) In order to avail the facility of self-registration, an unorganised worker, or any category or sub-category of unorganised worker shall be required to establish his identity through OTP or any other procedure, as specified by the Central Government.
- (g) For availing any benefit under any of the social security scheme(s) framed under the Code, an unorganised worker or any category or sub-category of unorganised worker shall require to be registered on the specified portal of the Central Government, with such details as may be specified by the appropriate Government.
- (h) The unorganised worker, or any category or sub-category of unorganised worker shall be required to update their particulars such as current address, current occupation, mobile number, skill, or any other particular(s) from time to time, as may be specified by the appropriate Government. In the absence of such updation, any unorganised worker, or any category or sub-category of unorganised workermay not remain eligible to avail such benefit (s) of the social security scheme(s) notified under the Code.
- (i) The appropriate Government shall access the information from the above portal of the Central Government for delivery of benefits of the social security scheme(s) to the unorganised workers, or any category or subcategory of unorganised worker.
- (j) It shall be responsibility of the State Government or Building workers welfare board or the State Government(s) or any other such Board of the unorganised worker, employer of the Building workers or aggregators or the contractors of unorganised workers or any category or sub-category of unorganised workers, or gig workers or platform workers, to register such eligible workers with Aadhaar who are not registered with ESIC or EPFO on the portal specified by the Central Government.
- (k) The Directorate General of Labour Welfare, from time to time, shall de-duplicate the workers registered on the specified portal of the Central Government, on the basis of Aadhaar and only such workers, shall be eligible to derive the benefits of the scheme(s) notified under the Code.
- (l) The charges, if any, for registration or updation of particulars on the specified portal of the unorganised worker, or any category or sub-category of unorganised worker, may be borne by the Central Government or State Governments or unorganised worker, or any category or sub-category of unorganised worker, either partly or fully as may be specified by the appropriate Government.

(2) Registration of gig worker and platform worker and any other such worker. -

- (a) Every eligible gig worker or platform worker, under section 113 shall be required to be registered with Aadhaar, on self-declaration basis in the form on the portal, as specified by the Central Government.
- (b) For identification and smooth registration of eligible gig workers and platform workers, each aggregator shall share monthly or such other periodicity in such form as specified, details of the information of their gig workers or platform workers electronically to generate Unique Registration Number or temporary registration number on the Portal, as specified by the Central Government. Further, on issue of such number, each gig worker or platform worker shall authenticate himself through Aadhaar as per procedure specified by the Central Government.
- (c) Aggregator(s) shall link their database with the unique registration number issued under clause(d) of sub-rule (1) to facilitate registration of their gig and platform workers on the portal specified by the Central Government.
- (d) A gig worker or platform worker, who has completed the age of sixteen years, but not attained the age of sixty years, shall be eligible for registration as mentioned in clause (a) above:

Provided such worker has been engaged as gig worker or platform worker, for not less than ninety days during the preceding twelve months.

- (e) The registration of the gig worker or platform worker or any other such worker, shall be done in the same manner and procedure(s) as prescribed for the registration of unorganised worker, or any category or sub-category of worker, under sub-rule(1).
- (f) In order to be eligible for any benefit under any scheme(s) framed under the Code for gig workers and platform workers, the Central Government may notify specific condition(s) for eligibility, as deemed fit.
- (g) For availing any benefit under any of the social security scheme(s) framed under the Code, a gig worker or platform worker shall be required to be registered on the portal with such details as may be specified by the Central Government.

- (h) The unorganised worker, gig worker, platform worker shall be required to update his particulars such, as current address, current occupation, period of engagement with the concerned platform(s) or aggregator(s),mobile number, skill, or any other particulars from time to time, on the portal specified by the Central Government. In the absence of such updation, a gig worker or platform worker, may not remain eligible to avail benefit (s) of the social security scheme(s) notified under the Code.
- (i) The charges, if any, for registration or updation of particulars on the specified portal of the gig worker and platform worker, may be borne by the Central Government or aggregators or gig worker or platform worker, either partly or fully as may be specified by the Central Government

51. Carrying out the matters specified in clause (*i*) of sub-section (7) of section 114.- (1) The authority to collect and to expend the proceeds of contribution collected.- (1) The Central Government shall designate an Officer, or an agency, as the authority responsible to collect and expend the contributions from the aggregators.

(2) Such authority may seek any information as may be required from the aggregator(s) for registration of gig workers or platform workers, formulation of suitable welfare scheme(s) under section 114 and implementation thereof.

(3) The contribution collected under section 114 shall be part of the Social Security Fund in a separate account meant for gig workers and platform workers as mentioned in sub-section (2) of section 141.

(2) The rate of interest to be paid by an aggregator in case of delayed payment, less payment or non-payment of contribution.- If any aggregator fails to pay any amount of contribution payable under sub-section (4) of section 114, within such time as may be specified by the Central Government, such aggregator shall be liable to pay interest on the amount of contribution, to be paid, at the rate of one per cent. for every month or part of a month comprised in the period from the date on which such payment was due till such amount is actually paid.

(3) Self-assessment of contribution by aggregators.- (a) Every aggregator shall assess contribution payable under sub-section 4 of section 114 in the Form-XX and pay provisional contribution as assessed in the designated account of the Social Security Fund, for the preceding year not later than 30^{th} June, of the current year in which the contribution is payable.

(b) Aggregator after finalization of the audited statement of the account for the previous financial year as per the relevant provisions of the Income-Tax Act ,1961 or the Companies Act, 2013 or the Limited Liability Partnership Act, 2008, shall submit a final return in the **Form-XXI**, detailing the provisional payment of contribution made along with the details of outstanding contribution, if any paid by 31st October, of the current year in which the contribution is payable.

(c) In case of excess contribution, if any paid by any aggregator, such aggregator shall claim the refund in the **Form-XXI** of such excess amount. The authority designated by the Central Government in this regard, shall scrutinize the **Form-XXI**, as submitted by the aggregator and excess paid amount, if any, shall be refunded electronically in the bank account provided in **Form-XXI**, within a period not exceeding ninety days from the date of receipt of such claim.

If any aggregator feels aggrieved against the authority's order as mentioned in sub-rule (2) or sub-rule (3), an appeal shall lie with the Secretary, Ministry of Labour and Employment and his order in the matter shall be final.

(4) Conditions for cessation of a gig worker or a platform worker.- (a) Any gig worker or platform worker registered as a beneficiary under section 113 shall cease to be as such, when he attains the age of sixty years or when he is not engaged as gig worker or platform worker, with any of the aggregator(s) for a period less than ninety days in the preceding twelve months.

(b) Every aggregator shall share on monthly or in such other periodicity and in such form as specified, details of the information of their gig workers or platform workers electronically to the Central Government.

(5) Any other matter relating to smooth functioning of the social security scheme notified under section 114.-Every aggregator as defined under sub-section (2) of section 2, shall register on the Shram Suvidha portal or any other portal, as may be specified by the Central Government.

CHAPTER IX

FINANCE AND ACCOUNTS

52. Conditions to acquire, hold, sell or otherwise transfer any movable or immovable property under subsection (1), conditions to invest moneys, re-invest or realise investments under sub-section (2) terms to raise loans and take measures for discharging such loans under sub-section (3) and terms to constitute for the benefit of officers and staff or any class of them, provident or other benefit funds under sub-section (4) of section 120.-In the case of the Provident Fund, Pension Fund or Insurance Fund, such matters shall be specified in the Provident Fund Scheme or Pension Scheme or Insurance Scheme, as the case may be. In the case of the Corporation, it has been specified in Chapter IV and Chapter IX of these rules.

53. Conditions and manner of writing off irrecoverable dues under section 121.- (1) Where the Corporation or the National Social Security Board is of the opinion that the amount of contribution, cess, interest and damages due to the Corporation or the National Social Security Board has become irrecoverable, the Corporation or National Social Security Board or any other officer authorised by it in this behalf may sanction the writing off of the said amount, subject to the following conditions, namely: —

- (i) establishment has been closed for more than five years and the whereabouts of the employer cannot be ascertained, despite all possible efforts;
- (ii) decree obtained by the Corporation or the National Social Security Board could not be executed successfully for want of sufficient assets of the defaulting employer; or
- (iii) claim for contribution is not fully met by ----
 - (a) the Official Liquidator in the event of factories/establishments having gone into liquidation; or
 - (b) the Commissioner of payments in the event of unit being nationalised or taken over by the Government.

(2) In the case of the Provident fund, Pension Fund or Insurance Fund, such writing off shall be specified in the Provident Fund Scheme or Pension Scheme or Insurance Scheme, as the case may be.

54. Rules under clause (zv) of sub-section (2) of section 155.- (1) Maintenance of accounts-The Corporation shall maintain complete and accurate accounts in such form as the Standing Committee may, with the approval of Central Government, specified from time to time. The books shall be balanced on the thirty-first of March each year.

(2) **Revenue Accounts** - The Corporation shall prepare Revenue Accounts for the financial year ended on the thirty-first March and Balance Sheet as on the thirty-first March by the thirty-first of May:

Provided that on the application of the Corporation, the Central Government may extend the said date by a period not exceeding thirty days:

Provided further that the Corporation may, and if so required by the Central Government shall, cause to be prepared the Revenue Accounts and the Balance Sheet for any other period or as on any other date.

(3) **Production of accounts before the Comptroller and Auditor General of India.-** The annual accounts shall be set out and produced before the Comptroller and Auditor General of India for scrutiny on or before the fifteenth of June each year following the close of the financial year to which they relate:

Provided that on the application of the Corporation the Central Government may extend the said date by a period not exceeding thirty days.

(4) **Powers of the Comptroller and Auditor General of India-** The Corporation shall submit all accounts to the Comptroller and Auditor General of India as required by them. The Comptroller and Auditor General of India may —

- (i) by written notice, require the production before them or before any officer subordinate to him, of any document which they may consider necessary for the proper conduct of their audit;
- (ii) by written notice, require any person accountable for or having the custody or control of, any such documents, to appear in person before them or before any officer subordinate to them; and
- (iii) require any persons so appearing before them or before any officer subordinate to them to make and sign a declaration with respect to such document or to answer any question or prepare and submit any statement.

(5) **Report of Comptroller and Auditor General of India.-** The report of the Comptroller and Auditor General of India] on the annual accounts shall be submitted to the Corporation on such date and in such form as the Central Government may specify in this behalf and they shall state whether in their opinion the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the Corporation's affairs and in case they have called for any explanation or information from the Corporation or any of its officers whether it has been given and whether it is satisfactory.

(6) **Consideration of reports.-** (a) The annual report on the work and activities of the Corporation (excluding the unaudited accounts for the year incorporated therein) shall be considered by the Standing Committee and shall be placed for adoption at a meeting of the Corporation to be held before the tenth of December following the close of the financial year concerned.

(b) The annual accounts relating to a financial year duly authenticated by the Financial Commissioner and the Director General and approved by the Standing Committee shall be submitted for audit to the Comptroller and Auditor General

of India and the audited accounts together with the report of the Comptroller and Auditor General of India shall be placed for adoption at a meeting of the Corporation to be held before the tenth of December following the close of the financial year concerned :

Provided that the report of the Comptroller and Auditor General of India is received by the twentieth November, following the year to which it pertains.

(7) Authentication and submission of annual accounts and reports.--The annual accounts together with the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon and the annual report on the work and activities of the Corporation as adopted by the Corporation shall be authenticated by affixing the common seal of the Corporation and four copies thereof, together with the comments of the Corporation on the report of the Comptroller and Auditor General shall be submitted to the Central Government not later than the twentieth of December following the close of the financial year concerned for being placed before the Parliament :

Provided that if the report of the Comptroller and Auditor General of India is not received by the twentieth of November following the financial year to which it pertains the annual accounts together with the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon shall be submitted to the Central Government separately from the annual report on the work and activities of the Corporation.

(8) **Cost of audit.**- The cost of audit shall be paid by the Corporation by such date as may be specified by the Central Government.

(9) Impropriety or irregularity in accounts. - (a) The auditors shall submit to the Corporation and the Central Government a separate statement, if necessary, in regard to —

- (i) any material impropriety or irregularity which they may observe in the expenditure, or in the recovery of moneys due to, or in the accounts of the Corporation ; or
- (ii) any loss or waste of money or other property owned by or vested in the Corporation which has been caused by neglect or misconduct, with the names of the persons who in their opinion are directly or indirectly responsible for such loss or waste.

(b) The Standing Committee shall forthwith remedy any defect or irregularity that may be pointed out by the auditors and shall report to the Central Government the action taken by it thereon within ninety days of the receipt of the report of the auditors:

Provided that if there is a difference of opinion between the Standing Committee and the auditors, or if the Standing Committee does not remedy any defect or irregularity within a reasonable period, the Central Government may, and on a reference specifically made therefor, shall pass such orders thereon as they think fit and the Standing Committee shall thereafter take action in accordance therewith within such time as may be specified by the Central Government.

(10) **Disallowance of expenditure incurred and surcharge for loss or deficiency-** (a)The Standing Committee or any authority authorised by it in this behalf may after giving the person concerned an opportunity to submit an explanation, and after considering any such explanation, disallow any item of account contrary to the provisions of the Code or of the Rules or Regulations made thereunder, and surcharge the same on the person making or authorising the making of payment of such account and shall charge against any person accounting, the amount of any deficiency or loss incurred by the negligence or misconduct of that person, or of any sum which ought to have been but is not brought into account by that person, and shall in every such case certify the amount due from such person :

Provided that no certificate made by the authority authorised by the Standing Committee shall have effect unless it is approved by the Standing Committee.

(b)The Standing Committee shall state in writing its reasons for every disallowance, surcharge or charge made or approved by it and shall serve a certificate of the amount due and a copy of the reasons for its decision on the person against whom the certificate is made and shall also furnish copies thereof to the Central Government.

(c) Any person aggrieved by a certificate made under sub-rule (10) may, within one month from the date of the service of certificate on him under clause (b) sub-rule (10), file an application to the Central Government for setting aside or modifying the disallowance, surcharge or charge in respect of which the certificate was made.

(d) On receipt of an application under clause (c) or on its own motion, the Central Government may, after making such inquiry as may be necessary, pass such order as it thinks fit either confirming, modifying or setting aside the disallowance, surcharge or charge in respect of which the certificate was made, and the Standing Committee shall thereupon take action in accordance with such order within such time as may be specified by the Central Government.

(e) The Central Government may by order direct that all further action under the certificate made under sub-rule (10) shall be stayed until the disposal of the matter pending before it under clause (d).

(11) **Recovery of amounts certified to be due**— (a) Every sum certified to be due from any person by the Standing Committee or if the certificate has been modified by the Central Government, the sum shown to be due from such person in the modified certificate, shall be paid by such person to the Corporation within three months after he has been served with the certificate of the Standing Committee ; or within such longer period as may be allowed by the Central Government ; any such sum, if not so paid, shall be recovered as if it were an arrear of land revenue.

(b) Any sum or part of a sum so paid or recovered, the certificate in respect of which is set aside or modified, shall, as the case may require, be wholly or partly refunded to the person who paid it.

(12) **Establishment of Provident Fund:** The Corporation shall establish, maintain and contribute to a Provident Fund called the Employees' State Insurance Corporation Provident Fund (hereinafter referred to as the Provident Fund) in respect of its employees other than those whose services are placed at the disposal of the Corporation by the Central or State Government.

(13) Administration of the Provident Fund: The Provident Fund shall be administered by the Standing Committee of the Corporation or by any other Committee approved by it for the purpose and subject to such conditions as it may deem fit to impose.

(14) *Framing of Provident Fund Regulation:* The Corporation may make Regulations to provide for all other matters incidental to or necessary for the Provident Fund.

(15) **Bar on grant of cash benefits.-** Where an Insured Person is convicted under clause (o) of section 133 of the Code, he shall not be entitled to any cash benefit admissible under Chapter IV of the Code for a period of three months for first conviction and six months for each subsequent conviction from the date of receipt of judgement of the court in the concerned office of the Corporation.

CHAPTER X

AUTHORITIES, ASSESSMENT, COMPLIANCE AND RECOVERY

55. Form and manner for maintenance of records and registers and other particulars and details under clause (a), manner and form for display of notices at the work places of the employees under clause (b) and the manner and period of filing returns to the officers or authority under clause (d) of section 123.- (1) Register of Women Employees.— (a) The employee of every establishment in which women are employed shall prepare and maintain a register of women employees in Form XXII electronically or in hard copy and shall enter therein particulars of all women workers in the establishment.

Further, it shall always be available for inspection under notified inspection scheme for the Inspector-cum-Facilitator.

(b) The employer may enter in the register of women employees such other particulars as may be required for any other purpose of the Code.

(2) **Records.**—Records kept under the provisions Chapter V of the Code and the rules framed thereunder shall be preserved for a period of two years from the date of their preparation.

(3) **Annual returns.**— (a) The employer to which the provisions of Chapter V of the Code applies, on or before the 1st day of February in each year, upload a unified annual return in **Form-XXIII** online on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, giving information as to the particulars specified, in respect of the preceding year: Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise. Explanation.-For the purposes of this sub-rule, the expression "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

(b) If the employer to which the Code applies sells, abandons or discontinues the working of the establishment, then, he shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance, as the case may be, upload online, on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, a further unified return in **Form XXIII** referred to in clause(a) in respect of the period between the end of the preceding year and the date of the sale, abandonment or discontinuance.

CHAPTER XI

OFFENCES AND PENALTIES

56. Manner of compounding of offences by the authorisied officer specified under sub-section (1) of section 138 and the form and manner of making application for the compounding of an offence under sub-section (4) of section 138.- (1) The officer authorized by the Central Government by notification for the purposes of compounding

of offences under sub-section (1) of section 138 shall issue electronically a compounding notice in **Form-XXIV** for the offences for which are compoundable under section 138.

(2) The person so noticed may apply in Part III of the **Form-XXIV** to the officer electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) The Compounding Officer shall issue a composition certificate in Part IV of **Form-XXIV** within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.

(4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the prescribed time, the prosecution shall be instituted before the competent Court or the offence in respect of which the compounding notice was issued, against such person.

(5) **Composition after institution of prosecution.** — (a) The Court may compound any compoundable offence at any time after filing of a complaint under section 138 of the Code.

(b) The provisions of section 320 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply to such compositions.

CHAPTER XII

EMPLOYMENT INFORMATION AND MONITORING

57. Manner of establishment and maintenance of career centre and the career services under clause (9) of section 2.- (1)The appropriate Government may establish, run and maintain Career Centre or modify and declare its already established office or employment exchange or both or a portal or authorize any other such centre as Career Centre by notification. Till such notification, existing local Employment Exchanges and Central Employment Exchange would function as Career Centres (Regional) and Career Centre(Central) respectively.

(2)The appropriate Government may also enter into an agreement with any institution, local authority, local body or private body for running a Career Centre .

(3) The Career Centres established under sub-rules (1) and (2) above shall inter-alia perform the following functions namely:

(a) collection and furnishing of information, either by the keeping of registers or otherwise, manually, digitally, virtually or through any other mode; relating to:

- (i) persons who seek to employ employees;
- (ii) persons who seek employment;
- (iii) occurrence of vacancies; and
- (iv) persons who seek vocational guidance and career counseling or guidance to start self-employment;

(b) providing career counseling & vocational guidance;

- (c) organizing job-fairs and job drives;
- (d) employment related surveys and studies;
- (e) employability enhancement activities; and
- (f) other services as may be decided by the appropriate Government from time to time.

Explanation: Appropriate Government for this purpose would be Central Government for Career Centre (Central) and respective State Government for Career Centre(Regional)

58. Manner and form of reporting vacancies and form of filing the return by the employer, to the concerned career centre under sub-section (2) of section 139.- (1) Reporting of Vacancies to Career Centres: (a) After the commencement of this Code in any State or area thereof, the employer in every establishment in public sector in that State or area shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to such Career Centre as may be specified in the notification by the Appropriate Government.

(b) The employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishments in private sector shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to such Career Centre (Regional) from such date as may be specified in the notification by the Appropriate Government.

(c) Appropriate Government shall provide for mechanism (including digital) for receipt of vacancies reported by the employers. Career Centre to which the vacancies are reported, would provide a unique vacancy reporting number for the vacancy reported and convey it to the employer in writing, through email or digitally or through any other such media immediately but in any case not later than three working days from the date of receipt of reporting of vacancies.

Explanation: (1) Establishment in "public sector" means an establishment owned, controlled or managed by -

- (i) the Government or a Department of the Government
- (ii) a Government company as defined in clause (45) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013);
- (iii) a corporation (including a co-operative society) or an autonomous organization or an authority or a body established by or under a Central or State Act, which is owned ,controlled or managed by the Government; and
- (iv) a local authority.
- (2) "*Establishment in private sector*" means an establishment which is not an establishment in public sector and with ordinarily 50 or more employees or such number of employees as may be notified by the Central Government.
- (3) Appropriate Government would be Central Government for Career Centre(Central) and respective State Government for Career Centre(Regional). The State Government, having no career centre or digital portal of its own, may specify by notification reporting of vacancies by establishments in an area thereof to the digital portal or to the Career Centre of the Central Government.
- (2) Type of vacancies and respective Career Centre for reporting of vacancies: (a) The following vacancies, namely-
 - (i) All vacancies in posts of Technical and Scientific nature carrying a minimum pay or pay level or both as notified by the Central Government, occurring in establishments in respect of which the Central Government is the appropriate Government under the Code; and
 - (ii) Vacancies which an employer may desire to be circulated to the Career Centers outside the State or Union Territory in which the establishment is situated

shall be reported to such Career Centre(Central) as may be specified by the Central Government by notification.

(b) Vacancies other than those specified in clause (a) of sub-rule (2) above, shall be reported to the Career Centre (Regional) concerned.

(c) Vacancies which have been reported to the Career Centre (Regional) and for which recruitment is to be made on State or Inter-State or all India basis, shall also be reported to Career Centre(Central) or uploaded on a digital portal as specified by the Central Government by notification.

(3) Form and manner of reporting of vacancies: (a) The vacancies shall be reported in writing or through valid official email or digitally to the Career Centre specified by the Appropriate Government.

(b)The vacancies shall be reported in the format given at **Form-XXV**, furnishing as many details as practicable, separately in respect of each type of vacancy.

(c) Any change in the particulars already furnished to the Career Centre under clause (a) of sub-rule(3), shall be reported in writing or through official email or digitally as the case may be, to the specified Career Centre.

(4) Time limit in the reporting of vacancies:

- (a) Vacancies, required to be reported to the Career Centre (Regional), shall be reported at least fifteen days before the last date of receipt of the applications of the prospective candidates for purpose of appointment or taking interview or test against the vacancies reported.
- (b) Vacancies required to be reported to the Career Centre (Central) shall be reported at least forty days before the last date of receipt of the applications of the prospective candidates for purpose of appointment or taking interview or test against the vacancies reported.

(5) **Maintenance of records:** (a) After commencement of this Code in any state or area thereof, the employers in every establishment in the public sector in that state or area shall maintain records manually or electronically or digitally about

- i) Total number of employees (regular, contractual or fixed term employment) on 31st March of every year;
- *ii)* Persons recruited during the year ending on 31st March;

- iii) Occupational details of its employees on 31st March of every year;
- iv) Vacancies for which suitable candidates were not available during the year ending on 31st March; and
- v) Approximate number of vacancies likely to occur during the next financial year.

(b) Appropriate Government may by notification, require that from such date as may be specified in the notification, the employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishment in private sector shall maintain records manually or electronically or digitally about

- i) Total number of employees (regular, contractual or fixed term employment) on 31st March of every year;
- ii) Persons recruited during the year ending on 31st March;
- iii) Occupational details of its employees on 31st March of every year;
- iv) Vacancies for which suitable candidates were not available during the year ending on 31st March; and
- v) Approximate number of vacancies likely to occur during the next financial year.

(6) **Submission of returns:** An employer shall furnish to the concerned Career Centre(Regional) yearly returns in form EIR(Employment Information Return) as given at **Form-XXVI.** Yearly returns shall be furnished manually or, electronically, or digitally, as the case may be, as specified by the respective State Government in notification, within thirty days of the due date namely *31*stMarch of the year.

(7) **Declaration of Executive Officer:** (a) The Director of Employment or officer of his equivalent or above rank, controlling the work of Career Centres (Regional) of the respective State Government, will declare in writing an officer looking after the work of Career Centres (Regional) as "Executive Officer" for each district for the purpose of enforcement /implementation of Chapter XIII (Employment Information and Monitoring) of the Code. He shall be the officer who shall exercise the rights and perform duties referred to in section 139 of the Code, or authorize any person in writing to exercise those rights and perform duties.

(b) The Director of Employment or an officer of equivalent or above rank, controlling the work of Directorate General of Employment, Ministry of Labour & Employment, New Delhi, will declare in writing an officer looking after the work of Career Centres (Central) as "Executive Officer" for the purpose of enforcement /implementation of Chapter XIII (Employment Information and Monitoring) of the Code. He shall be the officer who shall exercise the rights and perform duties referred to in Section 139 of the Code.

(8) Levy of penalty under the Chapter XIII of the Code: The Director of Employment or an officer of equivalent or above rank, controlling the work of Career Centres (Regional) of the respective State shall be the competent authority to approve institution or sanction the institution of levy of penalty for an offence under the Code as mentioned in section 133.

(9) **Issue of guidelines:** For implementation of provisions of Code on Social Security, 2020 relating to Chapter XIII and rules thereof, the Central Government may issue detailed guidelines which may be supplemented further by the respective State Government as per local needs.

CHAPTER XIII

MISCELLANEOUS

59. Manner of establishment and administration of the Social Security Fund under sub-section (4) of section 141.- (1) All the following funds received shall be credited to separate account(s) and called as Social Security Fund and all expenses towards the scheme (s) notified under sections 109 and 114 for the Unorganised Workers, Gig Workers and Platform Workers shall be met out of this fund:

(a) under sub-section (1) of section 141 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020); and

(b) under sub-section (1) of section 115 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020).

(2) The Central Government shall identify the source(s) for initial funding/ replenishing the Social Security Fund from time to time.

(3) The fund shall be administered by the Central Government through an agency designated by the Central Government in the manner, as notified by the Central Government.

(4) Directions of the Central Government, if any shall be complied by the agency designated for the administration of the Social Security Fund.

(5) The Statement of accounts of Social Security Fund shall be maintained by the agency, in the form(s) and manner as specified by the Central Government and shall be submitted to the Central Government from time to time.

(6) The accounts of the Social Security Fund shall be audited by Comptroller and Auditor General of India.

60. Eligibility conditions to be fulfilled prior to grant of exemption and the conditions to be complied with after exemption under sub-section (1); and extension period of exemption under sub-section (3) of section 143.- (1)

An establishment, to be eligible to seek exemption under section 143 of the Code shall be required to fulfil the following conditions, prior to grant of exemption: -

- (a) the employees of such establishment are in receipt of benefits substantially similar or superior to the benefits granted in the scheme framed under Chapter III or the benefits available under Chapter IV, as the case may be, of the Code;
- (b) the establishment seeking exemption shall make an application electronically or otherwise;
- (c) the establishment has been complying with the provisions of Chapter III of the Code or the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952); or, the provision of Chapter IV of the Code or Employees' State Insurance Corporation Act, 1948 (34 of 1948), as the case may be, for a period of three years continuously immediately before making the application and has not defaulted in payment of contribution payable under the respective Chapters during such period;
- (d) the establishment seeking exemption under section 143 of the Code should have minimum five hundred contributory members for the purposes of Chapter III of the Code or minimum five hundred employees for the purposes of Chapter IV of the Code, as the case may be, on the date of such application;
- (e) the establishment seeking exemption from the provisions of the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme framed under section 15 of the Code should have a cumulative balance in members account of rupees fifty crore or more in respect of the Scheme from which exemption is sought;
- (f) for the purposes of the Chapter III, the establishment shall furnish consent of majority of the employees for seeking exemption under section 143 of the Code;
- (g) the establishment seeking exemption should have a positive net worth during each of the last three years before the date of application;
- (h) the establishment must have seeded the Aadhaar Number of each of the member in the respective members' account for the purposes of Chapter III or that of each of insured person and his/her family members for the purposes of Chapter IV, as the case may be, of the Code in the respective data-base; and
- (i) for the purposes of Chapter III of the Code, the establishment shall provide facilities for online claim settlement and has an online portal for grievance resolution to provide linkages with that of Employees' Provident Fund Organisation within ninety days of grant of exemption.

(2) The notification granting exemption under section 143 of the Code shall be issued so as to take effect from the date of the notification and shall contain the other terms and conditions to be complied with by the establishment and/or the employer, as the case may be.

(3) (a) The application for extension of exemption under section 143 of the Code shall be made on specified portal, at least six months before expiry of exemption.

(b) The exemption granted to an establishment from provision of Chapter IV shall be extendable by the appropriate Government for a period of five years at a time, subject to the condition that the establishment continues to fulfil the relevant conditions in specified sub-rule (1) of Rule 60 except that in clause (d) of sub-rule (1) of Rule 60.

(c) No exemption from the provision of Chapter IV shall be extended without prior consultation of the Corporation. The Corporation shall submit its views to the Appropriate Government within three months of receipt of application failing which the appropriate Government shall decide on the extension of exemption, as it may deem fit.

(d) The exemption granted in respect of the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme or the Insurance Scheme, as the case may be, may be extended for such period and on such terms and conditions as may be specified in the respective Schemes.

61. Time within which the Central Board or the Corporation, as the case may be, shall forward its view to the appropriate Government under sub-section (1) section 143.- The Central Board or the Corporation, as the case may be, shall forward its views on the application seeking exemption under section 143 of the Code to the appropriate government within six months of receipt of proposal for exemption. If Central Board or the Corporation, as the case may be, is unable to provide its views within the said period, the appropriate government may extend the time limit or take action on the application of exemption, as it may deem fit.

62. Conditions which the exempted establishment or the class of establishments or an employee or class of employees, as the case may be, shall comply with after such exemption under sub-section (2) of section 143.- (1) The establishment to which exemption has been granted from the provision of Chapter IV of the Code:

- (a) shall maintain such records regarding the exempted employees and submit such returns and other information to the Corporation as may be specified in the Regulations; and
- (b) in case of change of legal status of an establishment which has been granted exemption under section 143 of the Code, due to merger, demerger, acquisition, sale, amalgamation, formation into a subsidiary, whether wholly owned or not, etc. the exemption shall be deemed to be cancelled and the establishment shall be required to apply afresh for exemption, to the appropriate Government.

(2) For the purposes of Chapter III, the establishment and/or employer, after the grant of exemption, shall comply with all such terms and conditions as may be specified in the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme or the Insurance Scheme, as the case may be, framed under section 15 of the Code.

63. Conditions for management of the trust under sub-section (5) of section 143, which has been granted exemption under sub-section (1) of section 143, under Chapter III.- (1) A Board of Trustees shall be established for the management of the Provident Fund or the Pension Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner, as the case may be, from time to time.

(2) The Board of Trustees shall consist of such equal number of representatives each of the employers and employees as may be prescribed in the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme, as the case may be.

(3) The employer of such exempted establishment shall be the Chairperson of the Board of Trustees. The Chairperson may exercise a casting vote in an event of equality of votes. However, arm's length principles shall be maintained by the Chairperson in all meetings of the Board of Trustees.

(4) The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in the accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner or any officer authorized by him.

(5) The terms and conditions, including the tenure of office of the Trustees, the procedure and manner for election or nomination of the representatives of the employees and of employers to the Board of Trustees, disqualification and cessation of trusteeship, re-election or re-nomination of trustees, the quorum at the meeting of the Board, records to be kept of the transaction of business and all such other matters and conditions for the management of the Trust shall be as provided for in the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme, as the case may be.

(6) In case of any dispute or doubt on any general issues within the ambit of these terms and conditions, the matter shall be referred to the Regional Provident Fund Commissioner in whose jurisdiction the head office of the establishment is located. The decision of the Regional Provident Fund Commissioner in the matter shall be final and binding.

64. Submission of a copy of the Form to the office of Director General, Labour Bureau under clause (zv) of subsection (2) of section 155. – A copy of Form V (notice for Payment/Rejecting claim of Gratuity) shall be shared electronically with the Director General, Labour Bureau in auto-mode.

FORM- I

[See Rule 14 (2)(a)]

APPEAL UNDER SECTION 23 OF THE CODE ON SOCIAL SECURITY, 2020

APPEAL

INDEX

Serial No.	Description of documents relied Page No.	
1.		
2.		
3.		
4.		
		Signature of the Applicant

For use in Tribunal's office

Date of filing (or) Date of receipt by post Registration No.

Signature of Registrar

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

BETWEEN

A. B.

APPELLANT

Vs.

C. D.

RESPONDENT

DETAILS OF APPEAL

1. Particulars of the appellant:

- (i) Name of the appellant
- (ii) Office address
- (iii) Address for service of notices

2. Particulars of the Respondent:

- (i) Name of the respondent
- (ii) Office address
- (iii) Address for service of notices

- 3. **Particulars of the order/notification against which appeal is made**: The appeal is against the following order/notification
 - (i) Order/notification No. with reference to Annexure
 - (ii) Date
 - (iii) Passed by
 - (iv) Subject in brief
- 4. **Jurisdiction of the Tribunal**: The appellant declares that the subject of the matter against which he wants redressal is within the jurisdiction of the Tribunal.
- 5. Limitation. —The appellant further declares that the appeal is within the limitation prescribed in Section 127 of the Social Security Code, 2020.
- 6. Facts of the case: The facts of the case are given below:

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or otherwise)

7. **Details of remedies exhausted**. —The appellant declares that he has availed of all the remedies available to him under the Code.

(Give here chronologically the details of representations made and the outcome of such representation with reference to the Annexure numbers).

8. Matters not previously filed or pending with any other Court. —The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respects of which this appeal has been made, before any court of law or any other authority or any other bench of the Tribunal nor any such appeal writ petition or suit is pending before any of them.

In case the appellant has previously filed any appeal, writ petition or suit, the stage at which it is pending and if decided, the gist of the decision should be given with reference to the Annexure.

9. **Relief(s) sought.** —In view of the facts mentioned in para 6 above the appellant prays for the following relief(s):--

[Specify below the relief(s) sought explaining the ground for relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon].

10. **Interim order, if any prayed for**. —Pending final decision on the appeal the applicant seeks issue of the following interim order—

(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons)

11. In the event of appeal being sent by Registered post, it may be stated whether the appellant desires to have oral hearing at the admission stage and if so, he shall attach a self-addressed Post Card, Inland Letter, at which intimation regarding the date of hearing could be sent to him.

12. Particulars of Bank Draft/Postal order in respect of the Appeal Fee:

- 1. Name of the Bank on which drawn
- 2. Demand Draft No. (OR)
- 3. Details of online fund transfer

13. List of enclosures

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

[PART II—SEC. 3(i)]

VERIFICATION

Signature of the Appellant

Date:

Place:

То

The Registrar

FORM-II

[See Rule 14 (2)(c)]

RECEIPT SLIP

> For Registrar Central Government Industrial Tribunal

Date:

Seal:

FORM-III

[(See Rule 34 (1),(2), (3) and (4)]

Nomination/Fresh Nomination/Modification of Nomination

(Strike out the words not applicable)

То.....

(Give here name or description of the establishment with full address)

or

*Strike out unnecessary portion.

2. I hereby certify that the person(s) mentioned is/are a member(s) of my family within the meaning of clause(33) of section 2 of the Code on Social Security, 2020.

3. I hereby declare that I have no family within the meaning of clause (33) of section 2 of the said Code.

4 (a) My father/mother/parents is/are not dependent on me.

(b) My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.

5. I have excluded my husband from my family by a notice dated the..... to the competent authority in terms of clause (33) of section 2 of the said Code.

6. Nomination made herein invalidates my previous nomination.

Nominee(s)

S.No.	Name in full with full	Relationship with	Age of	Proportion by which
	address of nominee(s)	the employee	nominee	the gratuity will be
				shared
1.				
2.				
3.				
So on				

Manner of acquiring a "Family"

(Here give details as to how a family was acquired, i.e., whether by marriage or parents being rendered dependent or through other process like adoption)

Statement

- 1. Name of employee in full
- 2. Sex
- 3. Religion
- 4. Whether unmarried/married/widow/widower
- 5. Department/Branch/Section where employed
- 6. Post held with Ticket No. or Serial No., if any
- 7. Date of appointment
- 8. Permanent address:

Village Office	Thana	Sub-division	Post-
1	 State		E-mail
ID	 Mobile Number		
Place:			

Date:

Signature/Thumb-impression of the Employee

Certificate by the Employer

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in this establishment.

Employer's Reference No., if any

Signature of the employer/Officer authorised Designation

Name and address of the establishment or

rubber stamp thereof.

Acknowledgement by the Employee

Received the duplicate copy of nomination in Form-III filed by me and duly certified by the employer.

Date:

Signature of the Employee

FORM-IV

[(See Rule 35(1)]

Application for Gratuity by an Employee/Nominee/Legal Heir

(Strike out the words not applicable)

То,....

(Give here name or description of the establishment with full address)

Sir/Madam,

I,(name of employee/nominee/legal heir) /nominee of late......(Name of the employee)/ as a legal heir of late......(Name of the employee), beg to apply for payment of gratuity to which I am entitled under sub-section (1) of section 53 of the Code on Social Security, 2020 on account of-

(a) my superannuation/retirement/resignation after completion of not less than five years of continuous service/total disablement due to accident/total disablement due to disease/ on termination of contract period under fixed term employment with effect from the.....or;

(b) death of the aforesaid employee while in service/superannuation on.....after completion of......years of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from the...... or;

(c)death of aforesaid employee of your establishment while in service/superannuation on......(date) without making any nomination after completion ofyears of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from.....

Necessary particulars relating to my appointment are given in the statement below.

- 1. Name of employee in full, (if, the gratuity is claimed by an employee)
 - a. Marital status of employee(unmarried/married/widow/widower)
 - b. Address in full of employee

or

- 2. Name of nominee/legal heir, (if the gratuity is claimed by nominee/legal heir)
 - a. Name of Employee

Date:

- b. Marital status of nominee/legal heir(unmarried/married/widow/widower)
- c. Relationship of nominee/legal heir with the employee
- d. Address in full of nominee/legal heir
- e. Date of death and proof of death of the employee
- f. Reference No. of recorded nomination if available
- 3. Department/Branch/Section where last employed
- 4. Post held by employee.
- 5. Date of appointment.
- 6. Date and cause of termination of service
- 7. Date of Death
- 8. Total period of service of the employee
- 9. Total wages last drawn by the employee.
- 10. Total gratuity payable to the employee/ share of gratuity claimed by a nominee/legal heir.
- 11. Payment may please be made by crossed bank cheque/credit in my bank account no.....

Yours faithfully, Signature/Thumb-impression of the applicant employee/nominee/legal heir.

Place:

Date:

FORM-V

[(See Rule 35(2)]

Notice for Payment/Rejecting claim of Gratuity

(Strike out the words not applicable)

То,....

(Name and address of the applicant employee/nominee legal heir)

You are hereby informed that

(a) *as required under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 35 of the Code on Social Security (Central) Rules, 2020, that your claim for payments of gratuity as indicated on your application in **Form-IV** under the said rules is not admissible for the reasons stated below:

Reasons (Here specify the reasons); or

- 3. Amount payable shall be sent to you through demand draft or shall be credited in your bank account as desired by you.
- 4. Brief statement of calculation

- (a) Date of appointment.
- (b) Date of termination/superannuation/resignation/ disablement/death.
- months.
- (d) Wages last drawn:
- (e) Proportion of the admissible gratuity payable in terms of nomination/as a legal heir:
- (f) Amount payable:

*strike out para, if, not applicable

Place:

Date:

Signature of the Employer/authorised officer.

Name or description of establishment or

rubber stamp thereof.

Copy to: The Competent Authority in case of denial of gratuity.

Copy also to: Office of DG Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Chandigarh.

FORM-VI

[(See Rule 35(4)]

Application for Direction

Before the Competent Authority for Chapter V under the Code on Social Security, 2020

Application No.

BETWEEN

(Name in full of the applicant with full address)

AND

(Name in full of the employer concerned with full address)

The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late...... an employee of the above-mentioned employer/a legal heir of late..... and employee of the abovementioned employer, and is entitled to payment of gratuity under section 53 of the Code on Social Security, 2020 on account of his own/aforesaid employee's superannuation on.....(date)/his own continuous service/his own/aforesaid employees' total disablement with effect from(date)due to accident/disease death of aforesaid employee on.....

2. The applicant submitted an application under Rule..... of the Code on Social Security (Central) Rules, 2020 on thebut the above-mentioned employer refused to entertain it/issued a notice dated the......under clauseof sub-rule of ruleoffering an amount of gratuity which is less than my due/issued a notice datedof sub-rule.....of rule..... rejecting my eligibility to payment of gratuity. The duplicate copy of the said notice is enclosed.

3. The applicant submits that there is a dispute on the matter (specify the dispute).

Date

4. The applicant furnishes the necessary particulars in the annexure hereto and prays that the Competent Authority may be pleased to determine the amount of gratuity payable to the petitioner and direct the above-mentioned employer to pay the same to the petitioner.

5. The applicant declares that the particulars furnished in the annexure hereto are true and correct to the best of his knowledge and belief.

Date:

Signature/Thumb impression of the applicant.

ANNEXURE

1. Name in full of applicant with full address

2. Basis of claim (Death/Superannuation/Retirement/Resignation/Disablement of Employee/Completion of contract period under Fixed Term Employment)

3. Name and address in full of the employee

4. Marital status of the employee (unmarried/married/widow/widower)

5. Name and address in full of the employer

6. Department/Branch/Section where the employee was last employed (if known)

7. Post held by the employee with Ticket or Sl. No., if any (if known)

8. Date of appointment of the employee (if known)

9. Date and cause of termination of service of the employee (Superannuation / retirement / resignation

/disablement / death/Completion of contract period under Fixed Term Employment)

10. Total period of service by the employee

11. Wages last drawn by the employee

12. If the employee is dead, date and cause thereof

13. Evidence/witness in support of death of the employee

14. If a nominee, No. and date of recording of nomination with the employer

15. Evidence/witness in support of being a legal heir if a legal heir

16. Total gratuity payable to the employee (if known)

17. Percentage of gratuity payable to the applicant as nominee/legal heir

18. Amount of gratuity claimed by the applicant

Place:

Date:

Signature/Thumb-impression of the applicant

FORM – VII

[(See Rule 35 (5),(8)]

Notice for Appearance before the Competent Authority/Summon

(Strike out the words not applicable)

To,

(Name and address of the employer/applicant)

Whereas Shrian employee under you/a nominee(s)/legal heir(s) ofShri.....an employee under the above-mentioned employer, has/have filed an application under sub-rule (4) of rule 35 of the Code on Social Security(Central) Rules, 2020 alleging that----

(A copy of the said application is enclosed, if, summon is issued then copy of application is not required)

Take notice that in default of your appearance on the day before-mentioned, the application will be dismissed/heard and determined in your absence.

List of documents-

- 1.
- 2.
- 3. so on

Given under my hand and seal, thisday of20.....

Competent Authority

under the Code on Social Security Code, 2020

Note: 1. Strike out the words and paragraphs not applicable.

- 2. The portion not applicable to be deleted.
- 3. The summons shall be issued in duplicate. The duplicate is to be signed and returned by the persons served before the date fixed.
- 4. In case the summons is issued only for producing a document and not to given evidence it will be sufficient compliance to the summons if the documents are caused to be produced before the Competent authority on the day and hour fixed for the purpose.

FORM – VIII

[(See Rule 35(11) and (12)]

Notice for Payment of Gratuity as Determined by Competent/Appellate Authority

(Strike out the words not applicable)

To,

(Name and address of employer)

Social Security, 2020.

Now, therefore, I hereby direct you to pay the said sum of Rs.to Shri/Smt./Kumari within thirty days of the receipt of this notice with an intimation thereof to me.

Given under my hand and seal, thisday of......20.....

Competent Authority

under the Code on Social Security Code, 2020

Copy to:

1. The Applicant- He is advised to contact the employer for collecting payment.

2. The Appellate Authority if applicable.

Note.--- (Strike out paragraphs if not applicable)

FORM - IX

[(See Rule 35(13)]

Application for Recovery of Gratuity

Before the Competent Authority for Chapter V under the Social Security Code, 2020

Application No.

BETWEEN

(Name in full of the applicant with full address)

AND

(Name in full of the employer/Trust/Insurer concerned with full address)

1. The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late.....

an employee of the above mentioned employer/a legal heir of latean employee of the above-mentioned employer, and you were pleased to direct the said employer in your notice dated theunder sub-rule (11) or sub-rule (12) of rule 35 of Code on Social Security (Central) Rules, 2020 for payment of a sum of Rs..... as gratuity payable under the Code on Social Security, 2020.

2. The applicant submits that the said employer failed to pay the said amount of gratuity to me as directed by you although I approached him for payment.

3. The applicant therefore prays that a certificate may be issued under section 129 of the Code for recovery of the said sum of Rs.due to me as gratuity in terms of your direction.

Signature/Thumb-impression of applicant.

Place:

Date:

Note.—Strike out the words not applicable.

FORM – X

[See Rule 37(1)(a) and (d)]

Certificate of Medical Officer/Medical Practitioner for confinement/miscarriage/ Medical termination of pregnancy or tubectomy operation/ delivery of a child/adoption of child

This is to certify that-

 *I examined......wife/ daughter of Woman employee in...... (Name of the establishment) on...... (Date) and found/ cannot discover that she is pregnant and is expected to be delivered of a child within (month and/days) from the above mentioned date/ has undergone miscarriage/ Medical termination of pregnancy or tubectomy operation/has been delivered of a child on....... (Date) or is suffering from.......(date) from

Date

illness arising out of pregnancy/delivery/ premature birth of a child or miscarriage/ Medical termination of pregnancy or tubectomy operation.

- 2. *Smt...... wife/daughter of...... employed in..... (Name of the establishment) expired onbefore/during/ after confinement. The child died on...../survives her.
- 3. *I examined....wife/ daughter of....a woman employed in..... (Name of establishment) and found that she has been delivered of a child/ has undergone miscarriage on...... (date).

*Strike out unnecessary portion.

Signature, qualifications and designation of

Medical Officer/Medical Practitioner/Midwife

Date.....

Definitions of "child" and "miscarriage" as in the Code on Social Security, 2020.-

1. "Child" includes a still-born child.

2. "Miscarriage" means expulsion of the contents of a pregnant uterus at any period prior to or during the twenty-sixth week of pregnancy but does not include any miscarriage, the causing of which is punishable under the Indian Penal Code.

FORM – XI

[See Rule 37(2)(a) and (c)]

(Notice of Claim for Maternity Benefit and Payment thereof under section 62 & 63)

То

..... (name of establishment)

PART I

Notice

[See Rule 37(2)(a)]

I(name of woman) wife/ daughter of..... employed as..... at.......(name of establishment), hereby give notice that I expect to be confined within six weeks next following from the date of this notice/ have given birth to a child on....(date) and shall be absent from work from....(date). I shall not work in any establishment during the period for which I receive maternity benefit.

2.For the purpose of section 63, I hereby nominate...... (Here enter name and address of the nominee) to receive maternity benefit and/ or any other amount due to me under the Code in case of my death.

Signature or impression of woman

Signature of an Attester in case

the woman is not able to sign

and affix thumb impression.

Date.....

PART II

FORM OF RECEIPT OF MATERNITY BENEFIT

[See Rule 37(2)(c)]

I,...., the undersigned, a woman employee/ the nominee of..... woman employee/ legal representative of..... woman employee deceased in.....(name of establishment) at..... in..... district received maternity benefit and/or other amount due under the Code on Social Security ,2020 from the employer of the establishment referred to above, as detailed below:-

Rs..... being the first installment of maternity benefit paid on.....

Rs..... being the second installment of maternity benefit after delivery paid on.....

Rs..... being the medical bonus under section 64 of the Code paid on.....

Rs.....being the wages for the leave period from..... to..... mentioned under section 65.

*My/ Her confinement/ miscarriage Medical termination of pregnancy or tubectomy operation took place on.....or I/she fell ill because of pregnancy, delivery, premature birth of a child or miscarriage Medical termination of pregnancy or tubectomy operation on...... In consequence I..... her nominee/legal representative has received the aforesaid amounts prescribed in sections 60, 64 and 65 of the Code on Social Security , 2020.

Signature or thumb impression of.....

*Woman employee or her nominee or legal representative

Signature of an Attester in case the woman is

not able to sign and affixes thumb impression

Date.....

*Strike out unnecessary portion.

FORM – XII

[See Rule 41(1)(a)]

Complaint to the Inspector-cum-Facilitator

To,

The Inspector-cum-Facilitator

(Under The Code on Social Security, 2020)

Sir,

I..... (Name of woman) employed in..... (name and full address of the establishment) or I....., (name), a person nominated under section 62 by or a legal representative of.....(name of woman) employed in......(name and full address of the establishment) having fulfilled the conditions laid down in the Code on Social Security , 2020 and the Rules thereunder, am entitled to Rs..... being maternity benefit and/ or Rs..... being the medical bonus and/ or Rs..... being wages for leave due under section 65 but the same has been improperly withheld by the employer/discharged or dismissed during or on account of her absence from work in accordance with the provisions of this Chapter VI of Code on Social Security , 2020.

You are therefore requested, to direct the employer to pay the amount to me/ to set aside the discharge or dismissal done by the employer.

Signature or thumb impression of the Woman/ nominee/ legal representative

Date.....

Signature of an Attester in case the woman/

nominee/ legal representative is

unable to sign and affixes thumb impression.

Full address of the women/nominee/legal representative.

FORM-XIII

Appeal

[See Rule 40(2) and 41 (2) (b)]

To,

The Authority,

(Appointed under the Code on Social Security, 2020)

.....(Address)

Sir,

I....., the undersigned, woman employee of...... (name and full address of the establishment)

*Feel aggrieved by the order of Inspector-cum-Facilitator under sub section (2) of section 72 for the reasons attached hereto, prefer this appeal under sub-section (2) of section 68 and request that the said employer be ordered to pay the above mentioned amount to me. A copy of the order of Inspector-cum-Facilitator cum Facilitator in this behalf is enclosed; or

*Shri....., Inspector-cum-Facilitator, having directed under sub-section (2) of section 72 to pay the maternity benefit or other amount being...... (Nature of amount) to which...... (Name of woman) is said to be entitled/to set aside my discharge or dismissal during or on account of absence from work in accordance with the provisions of this Chapter V of the Code on Social Security, 2020(*Strike out unnecessary portion*).

I prefer this appeal under sub-section (3) of section 72. In view of the facts mentioned in the memorandum attached hereto and other documents filed herewith it is submitted that the woman is not entitled to the maternity benefit or the said amount and hence the order of the Inspector-cum-Facilitator in the copy of which is enclosed, may be set aside.

*Strike out unnecessary portion.

Signature or thumb impression of the Women/Aggrieved person

Date.....

.....

Signature of an Attester in case the woman is not able to sign and affixes thumb impression. Full address of the nominee/legal representative

FORM – XIV

[See Rule 42(4)]

(Abstract for the Maternity Benefit, and the rules made under the Code on Social Security, 2020).

1. No employer shall knowingly employ a woman during the six weeks immediately following the day of her delivery of miscarriage/ Medical termination of pregnancy and no woman shall work in any establishment during the said period.

2. No pregnant woman shall, on a request being made by her in this behalf, be required by her employer to do during the period of one month immediately preceding the period of six weeks before the date of her expected delivery and also for any period during this period of six weeks for which she does not avail of leave of absence, any work which is of an arduous nature or which involves long hours of standing, or which in way is likely to interfere with her pregnancy or the normal development of the foetus, or is likely to cause her miscarriage or otherwise to adversely affect her health.

3. (a) Subject to the provisions of the Code, every woman who has actually worked in an establishment of the employer from whom she claims maternity benefit for a period of not less than eighty days, including the days during which she was laid off, shall be entitled to, and her employer shall be liable for, the payment of maternity benefit at the rate of her average daily wages, or **the minimum rate of wage fixed or revised under the Code on Wages, 2019 or Two hundred rupees a day**, whichever is higher, for the period of her actual absence not exceeding six weeks immediately preceding the day of delivery and the remaining period immediately following that day:

Provided further that where a woman dies during the period for which maternity benefit is payable, to her, the benefit shall be payable only for the days up to and including the day of her death. However, where the woman having been delivered of a child, dies during her delivery or during the remaining period of maternity benefit leaving behind in either case the child, the employer shall be liable for the, payment of maternity benefit for the entire period of maternity benefit following the day of her delivery but if the child also dies during the said period, then, for the days up to and including the day of the death of the child.

(b)The amount of maternity benefit for the period preceding the date of her expected delivery shall be paid in advance by the employer to the woman on production of a certificate in **Form-X** stating that she is pregnant and is expected to be delivered of a child within six weeks of the date of production of the certificate, and the amount due for the subsequent period shall be paid by the employer to the woman within forty-eight hours of production of the certificate in **Form-X** stating that she has been delivered of a child or production of a certified extract from a Birth Register maintained under the provisions of any law for the time being in force.

4. (a) Any woman employed in an establishment and entitled to maternity benefit under the provisions of this Code may give notice in writing in **Form-XI** to her employer, stating that her maternity benefit and any other amount to which she may be entitled under this Code may be paid to her or to such person as she may nominate in the notice and that she will not work in any establishment during the period for which she receives maternity benefit.

(b)In the case of a woman who is pregnant, such notice shall state the date from which she will be absent from work, not being a date earlier than six weeks from the date of her expected delivery.

(c)Any woman who has not given the notice when she was pregnant may give such notice as soon as possible after the delivery.

(d)On receipt of the notice, the employer shall permit such woman to absent herself from establishment until the expiry of the remaining period of maternity benefit after the day of her delivery.

5. (a)Every woman entitled to maternity benefit under the Code shall also be entitled to receive from her employer a medical bonus of rupees three thousand and five hundred, if no pre-natal, confinement and post-natal care is provided for by the employer free of charge. The medical bonus shall be paid along with the second installment of the maternity benefit.

(b)In case of miscarriage/medical termination of pregnancy, a woman shall, on production of a certificate in **Form-X** be entitled to leave with wages at the rate of maternity benefit, for a period of six weeks immediately following the day of her miscarriage. The wages shall be paid within 48 hours of production of the certificate in **Form-X**.

(c)A woman suffering from illness arising out of pregnancy, delivery, premature birth of child or miscarriage/ medical termination of pregnancy or tubectomy operation shall, on production of a certificate in **Form-X**, be entitled, in addition to the period of absence allowed to her on account of maternity or miscarriage/ medical termination of pregnancy or tubectomy operation, as the case may be, to leave with wages at the rate of maternity benefit for a maximum period of one month. The wages for the leave period shall be paid within 48 hours of the expiry of that period.

6. Every woman delivered of a child who returns to duty after such delivery shall, in addition to the interval for rest allowed to her, be allowed in the course of her daily work two breaks of 15 minutes' duration for nursing the child until the child attains the age of fifteen months. An extra sufficient period, depending upon the distance to be covered, shall be allowed for the purpose of the journey to and from the creche or the place where the children are left by women while on duty, provided that such extra period shall not be less than 5 minutes and more than 15 minutes' duration.

7. (1) When a woman absents herself from work in accordance with the provisions of the Code, it shall be unlawful for her employer to discharge or dismiss her during or on account of such absence or to give notice of discharge or dismissal on such a day that the notice will expire during such absence, or to vary to her disadvantage any of the conditions of her service.

(2) (a) The discharge or dismissal of a woman at any time during her pregnancy, if the woman but for which discharge or dismissal would have been entitled to maternity benefit or medical bonus shall not have the effect of depriving her of the maternity benefit or medical bonus:

Provided that where the dismissal is for one or more of the following acts, the employer may, by order in writing communicate to the woman, deprive her of the maternity benefit or medical bonus or both-

- (i) Willful destruction of employer's goods or property;
- (ii) Assaulting any superior or co-employee at the place of work;
- (iii) Criminal offence involving moral turpitude resulting in conviction in acourt of law;
- (iv) theft, fraud, or dishonesty in connection with the employer's business or property; and
- (iv) willful non-observance of safety measures or rules on the subject or willful interference with safety devices or with fire-fighting equipment.

(b) Any woman deprived of maternity benefit or medical bonus or both, may within sixty days from the date on which the order of such deprivation is communicated to her, appeal in **Form-XIII** to the Competent Authority and his decision on such appeal whether the woman should or should not be deprived of maternity benefit or medical bonus or both, shall be final.

8. If a woman works in any establishment after she has been permitted by her employer to absent herself under the provisions of the Act, she shall forfeit her claim to the maternity benefit for such period.

9. (1) Any woman claiming the maternity benefit or any other amount to which she is entitled under the Act and any person claiming that payment due has been improperly withheld may make complaint to the Inspector-cum-Facilitators in writing in **Form-XIII** as the case may be.

(2)The Inspector-cum-Facilitators may, on his own motion or on receipt of a complaint in **Form-XII**, make an inquiry or cause an enquiry to be made and if satisfied that payment has been wrongfully withheld, may direct the payment to be made in accordance with his orders.

(3) Any person aggrieved by the decision of the Inspector-cum-Facilitator may, within, thirty days from the date on which such decision is communicated to such person, appeal to the Authority prescribed by the Appropriate Government.

(4)The decision of Authority where an appeal has been preferred to him or of the Inspector-cum-Facilitator where no such appeal has been preferred, shall be final.

10. (a)The employer shall supply to every woman employed by him at her request free of cost copies of Forms X, XI, XII and XIII.

(b)The failure to submit a notice, appeal or complaint in the prescribed form will not affect the right of a woman entitled to receive maternity benefit or any other amount due under the Code. Where a notice, appeal or complaint has been received in a form other than the prescribed form, the authority concerned shall within fifteen days of the receipt of such notice, appeal or complaint, require the woman to submit the notice, appeal or complaint, as the case may be in the prescribed form.

11. (a) (1) The employer of the establishment in which women are employed shall prepare and maintain a register of women employees in **Form-XXII** and shall enter therein particulars of all women workers in the establishment.

(2) All entries in the register of women employees shall be made in ink and maintained up-to-date and it shall always be available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator during working hours.

(b)The employer to which the Code applies, on or before the 1st day of February in each year, upload a unified annual return in **Form-XXIII** online on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, giving information as to the particulars specified, in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

FORM – XV

[See Rule 43(1)(a) and (b)]

Information for commencement or modification in respect of Building or Other Construction Work by the Employer

1.	Name and address (permanent) of the establishment.	
2.	Name of the employer and address details	
3.	Name and address/ location of place where the building and other construction is proposed to be carried on.	
4.	Name, designation and address of the authorised Person along with contact details	
5.	Correspondence address for the proposed building or other construction work may be sent	
6.	Nature of proposed construction work	
7.	Date of commencement of work(in case construction has started)	
8.	Approximate duration of work	
9.	Details of any change /modifications in the proposed construction work	

I/we hear by intimate that the building or other construction work (name of work) have you registration number dated is likely to commence/ is likely to modify with effect from (date)/ [on (date)].

Signature of employer Name: Date: Place: Mobile Number: E-mail (if any):

FORM – XVI

[See Rule 43 (2)(b)]

Format for Self- assessment of Cess for Building or other Construction Work to be furnished by Employer

1.	Name and address (permanent) of the establishment.	
2.	Name of the employer and address details	
3.	Name and address/ location of place where the building and other construction is proposed to be carried on.	
4.	Name, designation and address of the authorised Person along with contact details	
5.	Correspondence address for the proposed building or other construction work may be sent	

6.	Nature of	proposed construction work		
7.		commencement of work(in case on has started)		
8.	Approxim	ate duration of work		
9.	Total prop	oosed area of construction work		
10.	on the rat some othe	mated cost of the construction based es of (PWD or CPWD or RERA or er rates as the case may be) along ments (original) as per Rule 43.		
11		timated cost of construction as y chartered engineer		
12	Amount of provisional cess		%age of total estimated cost of the construction as notified by the Central Government	Total estimated cess (in Rs.)
13	time of a	cess paid, along with details (at the oproval of the Project or before the ement of the construction work)/ at source		
14	Details of cess paid (when duration of the proposed construction work is more than one year)			
	Sl	Year	Amount (in Rs.)	
	No			
	14.1	1 st year		
	14.2	2 nd Year		
	14.3	3 rd Year		
15	Total of th	ne cess paid (Srl.No. 13 + 14)		

Declaration

- 1. I/We hear by declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.
- 2. I/We hear by declare that I/We are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of employer

Name: Date: Place: Mobile Number: E-mail (if any):

Certified by Chartered Engineer

Along with his registration number, duly stamp.

FORM- XVII

[See Rule 43 (2) (e)]

Notice for stoppage or reduction of Building or Other Construction Work

1.	Name of Estab	lishment		
2.	Registration n	umber of Establishment		
3.	Address of est	ablishment		
4.	Date of comm	encement of work	DD MM YYYY	
5.	Approximate p	proposed period of work	DD MM YYYY	
6.	Date of stoppa construction w	ge or reduction of the building or other vork		
7.	(PWD or CPV	d cost of the construction based on the rates of WD or RERA or some other rates as the case with documents (original) as per Rule 43.		
8	Total incurred	cost of the construction work		
9	Total amount of cess payable		%age of total incurred cost of the construction as notified by the Central Government	Total cess payable (in Rs.)
10	Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work)/deduction at source, if any			
11		ess paid (when duration of the proposed vork was more than one year)		
	Sl No	Year	Amount (in Rs.)	
	11.1	1 st year		
	11.2	2 nd Year		
	11.3	3 rd Year		
12	Total of the ce	ss paid (Srl.No. 10 + Srl.No 11)		
13.	Amount of outstanding cess (Srl.No. 13 – Srl.No .16)			
14	Proof of payment of outstanding Cess, if applicable			
15.	Amount of overpaid cess, if applicable			
16.	In case overpaid, details of the bank account in which excess amount is to be refunded			
17	Remark, if any	1		

Declaration

1. I/We hear by declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

2. I/We hear by declare that I/We are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of employer

Name: Date: Place: Mobile Number: E-mail (if any):

Certified by Chartered Engineer

Along with his registration number, duly stamp.

FORM- XVIII

[See Rule 43 (2) (f) and 43(4) (a) and (c)]

Return on completion of building or other construction work submitted by employer

1.	Name and address (permanent) of the establishment.			
2.	Name of the employer and address details			
3.	Name and address/ location of place where the building and other construction is proposed to be carried on.			
4.	Name, designation and address of the authorised Person along with contact details			
5.	Correspondence address for the proposed building or other construction work may be sent			
6.	Nature of proposed construction work			
7.	Date of commencement of work(in case construction has started)			
8.	Date of completion of work			
9.	Duration of work			
10.	Total completed area of construction work			
11.	Total estimated cost of the construction based on the rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates as the case may be) along with documents (original) as per Rule 43			
12	Total incurred cost of the construction work			
13	Total amount of cess payable	%age of total incurred cost of the construction as notified by the Central Government Government		
14	of approv	ess paid, along with details (at the time val of the Project or before the ment of the construction work) at source, if any		
-----	------------------	--	-----------------	--
15		cess paid (when duration of the proposed n work is more than one year)		
	Sl	Year	Amount (in Rs.)	
	No			
	14.1	1 st year		
	14.2	2 nd Year		
	14.3	3 rd Year		
16	Total of the	e cess paid (Sl.No. 14 + 15)		
17.	Amount of No.16)	outstanding cess (Sl.No. 13 – Sl.		
18	Proof of pa	yment of outstanding Cess, if any		
19.	Amount of	overpaid cess, if applicable		
20.		erpaid, details of the bank account in ess amount is to be refunded		
21.	Remark, if	any		

Declaration

1. I/We hear by declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

2. I/We hear by declare that I/We are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of employer

Name: Date: Place: Mobile Number: E-mail (if any):

Certified by Chartered Engineer

Along with his registration number, duly stamp.

FORM – XIX

[See Rule 46(1) and section 105 of the Code on Social Security, 2020)

Proforma for Appeal before the Appellate Authority against Order of Assessment or Order Imposing Penalty

1.	Name and address (permanent) of the establishment.	
2.	Name of the employer and address details	
3.	Name and address/ location of place where the building and other construction is proposed to be carried on.	

4.	Name, designation and address of the authorised Person along with contact details	
5.	Correspondence address for the proposed building or other construction work may be sent	
6.	Nature of proposed construction work	
7.	Date of commencement of work(in case construction has started)	
8.	Date of completion of work	
9.	Duration of work	
10.	Total completed area of construction work	
11.	Total estimated cost of the construction based on the rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates as the case may be) along with documents (original) as per Rule 43.	
12.	Total incurred cost of the construction work	
13.	Total amount of cess payable	%age of total incurred cost of the construction as notified by the Central GovernmentTotal cess payable (in Rs.)
14.	Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work)/deduction at source, if any	
15.	Details of cess paid (when duration of the proposed construction work is more than one year)	
	SI.	Year
	No.	
	14.1	1 st year
	14.2	2 nd Year
	14.3	3 rd Year
16.	Total of the cess paid (Sl.No. 14 + 15)	
17.	Amount of outstanding cess (Sl. No. 13 – Sl. No.16)	
18	Proof of payment of outstanding Cess, if any	
19.	Amount of overpaid cess, if applicable	
17.	Amount of cess assessed by the Assessing Officer	
18.	Amount of outstanding cess to be paid by the employer	
19.	Amount of penalty for non-payment of cess imposed / outstanding ccess claimed by the Assessing Officer.	
20.	Ground for Appeal with supporting documents	
21.	Remark, if any	

Declaration

1. I/We hear by declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

2. I/We hear by declare that I/We are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of employer

Name: Date: Place: Mobile Number: E-mail (if any):

FORM – XX

[See Rule 51(3)(a)]

Format for Self- assessment of contribution by Aggregators of gig workers and platform workers

(to be submitted by 30th June of the current year in which the contribution is payable.)

1.	Registratio	on number of Aggregator / platform	
2.		the Aggregator / platform and address/ location of r / platform	
3.	Name and details	address of the authorised person along with contact	
4.	the Aggre financial	f gig workers and platform workers associated with gator / platform / as on opening day of the current year, i.e. 1^{st} day of April in the year in which on is payable.	
5.	Annual to preceding	rn-over of such Aggregator / platform of the year	
6.		f the aggregator, payable to gig workers and platform uring the preceding year	
7.	Provisiona	l Contribution assessment	(Amount in Rs.)
	7.1	% of the annual turnover as notified under sub- section (4) of section 114 for the preceding year	
	7.2	5% of the liability of the aggregator to gig workers and platform workers	
8.	Amount o Rs.)	f contribution payable (minimum of 7.1 and 7.2) (in	
9.	Payment of	f provisional contribution as assessed above.	
10.	Details of	the Provisional payment	
11.	Remark, in	fany	

Note-1: For purposes of calculating contribution, turnover of an aggregator as defined under sub-section (91) under Section 2 of the Companies Act, 2013, means the gross amount of revenue recognised in the profit and loss account from the sale, supply, or distribution of goods or on account of services rendered, or both, by a company during a financial year.

Note-2: For this purpose, the annual turnover of an aggregator shall not include any tax, levy and cess paid or payable to the Central Government.

Declaration

1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

2. I/We hear by declare that I/We are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of contribution amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of contribution amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature of authorized person Along with seal and stamp

> Name: Date: Place: Mobile Number: E-mail (if any):

FORM – XXI

[See Rule 51 (3)(b) and (c)]

Format for return to be submitted by Aggregators of gig workers and platform workers (to be submitted by 31st October, of the current year in which the contribution is payable.)

1.	Registratio	n number of Aggregator / platform	
2.		the Aggregator / platform and address/ location of / platform	
3.	Name and details	address of the authorised person along with contact	
4.	Aggregator financial y	gig workers and platform workers associated with the / platform / as on opening day of the current year, i.e. 1^{st} day of April in the year in which n is payable.	
5.	Annual tu preceding	rn-over of such Aggregator / platform of the year	
6.	-	f the aggregator, payable to gig workers and platform uring the preceding year	
7.	Final Cont account	ribution assessment after audited statement of	(Amount in Rs.)
	7.1	% of the annual turnover as notified under sub- section (4) of section 114 for the preceding year	

	7.2 5% of the liability of the aggregator to gig workers and platform workers
8.	Amount of contribution payable (minimum of 7.1 and 7.2) (in Rs.)
9.	Amount paid as provisional contribution based on self-assessment.
10.	Details of the Provisional payment (along with receipt)
11.	Amount of outstanding contribution to be paid (Srl. No. 8- Srl.No.9)
11.	Proof of payment of outstanding contribution, if any
12	Amount of excess paid contribution, if any
13	In case excess paid, details of the bank account in which refund amount is to be refunded
14	Remark, if any

Note-1: For purposes of calculating contribution, turnover of an aggregator as defined under sub-section (91) under section 2 of the Companies Act, 2013, means the gross amount of revenue recognised in the profit and loss account from the sale, supply, or distribution of goods or on account of services rendered, or both, by a company during a financial year.

Note-2: For this purpose, the annual turnover of an aggregator shall not include any tax, levy and cess paid or payable to the Central Government.

Declaration

1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

2. I/We hear by declare that I/We are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of contribution amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of contribution amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature of authorized person

Along with seal and stamp

Name: Date: Place: Mobile Number: E-mail (if any):

FORM – XXII

[(See Rule 55 (1)(a)]

REGISTER OF WOMEN EMPLOYEES

Name of establishment

- 1. Serial Number.
- 2. Name of woman and her father's (or, if married, husband's) name.
- 3. Date of appointment.
- 4. Nature of work.
- 5. Dates with month and year in which she is employed, laid off and not employed.

Month	No. of days employed	No. of days laid off	No. of days not employed	Remark
a	b	с	d	e

- 6. Date on which the woman gives notice under section 62.
- 7. Date of discharge/dismissal, if any.
- 8. Date of production of proof of pregnancy under section 62.
- 9. Date of birth of child.
- 10. Date of production of proof of delivery/miscarriage/Medical Termination of pregnancy/ tubectomy operation /death / adoption of child.
- 11. Date of production of proof of illness referred to in section 65.
- 12. Date with the amount of maternity benefit paid in advance of expected delivery.
- 13. Date with the amount of subsequent payment of maternity benefit.
- 14. Date with the amount of bonus, if paid, under section 64.
- 15. Date with the amount of wages paid on account of leave under section 65(1) & 65(3).
- 16. Date with the amount of wages paid on account of leave under section 65(2) and period of leave granted.
- 17. Name of the person nominated by the woman under section 62.
- 18. If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity benefits and/or other amount was paid, the amount thereof, and the date of payment.
- 19. If the woman dies and the child survives, the name of the person to whom the amount of maternity benefit was paid on behalf of the child and the period for which it was paid.
- 20. Signature of the employer of the establishment authenticating the entries in the register of women employees.
- 21. Remarks column for the use of the Inspector-cum-Facilitator.

FORM XXIII

[(See Rule 55(3)(a)]

Unified Annual Return

A. **General Part:** (a) Name of the establishment..... Address of the establishment: House No./Flat No.Street No./Plot No. Town......District.....State.....pin code..... (b) Name of the employer..... Address of the employer: House No./Flat No.Street No./Plot No. Town......District.....State.....pin code...... E-mail ID......Mobile number..... (c) Name of the manager or person responsible for supervision and control of establishment Address: House No./Flat No.....Street No./Plot No.... Town.....District.....State.....pin code..... E-mail ID......Mobile number....

B. Employer's Registration/Licence number under the Codes mentioned in column (2) of the table below:

S. No.	Name	Registration	If yes (Registration No.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
01.	The Code on Occupational Safety Health and working condition code 2020.			
02.	The Code on Social Security 2020.			
03.	Any other Law for the time being in force.			

C. Details of Employer, Contractor and Contract Labour:

01.	Name of the employer in the						
02.	Date of commencement of the	e establishment.					
03.	Number of Contractors engag	ed in the establishment during	ng the year.				
04.	Total Number of days during the year on which Contract Labour was employed.						
05.	Total number of man-days we	orked by Contract Labour du	ring the year.				
06.	Name of the Manager or Age	nt (in case of mines).					
07.	Address House No./Flat No.	<u> </u>					
	District State Pin Code						
	E-mail ID	umber					

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

D. Working hours and weekly rest day:

01.	Number of days worked during the year.	
02.	Number of mandays worked during the year.	
03.	Daily hours of work.	
04.	Weekly day of rest.	

E. Maximum number of persons employed in any day during the year:

Sl. No.	Males		Children (below 14 years of age.)	Total

F. Wage rates (Category Wise):

Category	Rates of				No. o	f workers	S		
	Wages		Regular			Contract			
		Male	Female	Children	Adolescent	Male	Female	Children	Adolescent
Highly									
Skilled									
Skilled									
Semiskilled									
Unskilled									

G. (a) Details of Payments:

Gross wages paid Dedu		Deductions		Net wages paid		
In cash	In kind		Deductions for damage or loss	Others	In cash	In kind

(b) Number of workers who were granted leave with wages during the year:

Sl. No.	During the year	Number of workers	Granted leave with wages

H. Details of various welfare amenities provided under the statutory schemes:

Sl. No.	Nature of various welfare amenities provided	Statutory (specify the statute)

I. Maternity Benefit under the Code on Social Security, 2020:

(a) Details of establishment, medical and para-medical staff:

01.	Date of opening of establishment	
02.	Date of closing, if closed	

03.	Name of Medical Officer	
03(i)	Qualification of Medical Officer	
03(ii)	Is Medical Officer at (the mines or circus)?	
03(iii)	If a part time, how often does he/she pay visit to establishment ?	
03(iv)	Is there any Hospital?	
03(v)	If so, how many beds are provided?	
03(vi)	Is there a lady Doctor?	
03(vii)	If so, what is her qualification?	
03(viii)	Is there a qualified mid-wife?	
03(ix)	Has any crèche been provided?	

(b) Leave Granted under the Code on Social Security, 2020

01.	Total number of female employees in the establishment	
02.	Total number days of leave granted	
03.	Number of employees granted maternity leave/benefited by ESI	

Declaration

It is to certify that the above information is true and correct and also I certify that I have complied with the all provisions of Labour Laws applicable to my establishment.

Place

Date

Sign. Here

Date:

FORM-XXIV

[See Rule 56 (1)]

Notice to the Employer who committed an offence for the first time for compounding of offence under subsection (1) of section 138 of the Code on Social Security, 2020

Notice No.....

PART	—	Ι	

1.	Name of the Person:	
2.	Name and Address of the Establishment :	
3.	Registration No of the Establishment:	
4.	Particulars of the offence:	
5.	Provisions of the Code/Scheme/Rules/Regulations under which the offence is committed:	
6.	Compounding amount required to be paid towards composition of the offence:	
7.	Name and Details of Account for depositing the Amount specified in Column 6:	

PART –II

In view of the above, you have an option to pay the above-mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice and return the application duly filled in Part – III of this notice.

In case the said amount is not paid within the specified time, necessary action for filing of prosecution shall be initiated without giving any further opportunity in this regard.

(Signature of the Compounding Officer)

[PART II—SEC. 3(i)]

PART – III

[See Rule 56 (2)]

Application under sub-section (4) of section 138 for compounding of offence

Ref: Notice No.....

The undersigned has deposited the entire amount as specified in Column 6 of Part-I and the details of payment are given below with a request to compound the offences mentioned in Part-I.

- 1. Details of the compounding amount deposited (Copy of electronically generated receipt to be attached):
- 2. Details of the prosecution, if filed for the violation of above-mentioned offences may be given:
- 3. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence:
- 4. Any other information which the applicant desires to provide:

Signature of the applicant (Name and Designation)

Dated:

Place:

PART – IV

Composition Certificate

[See Rule 56 (3)]

Ref: Notice No.....

This is to certify that the offence under sub-section of section 133 of the Code in respect of which Notice No. Dated: _____ was issued to Sh...... (Applicant), the employer of (name and Registration Number of establishment) has been compounded on account of remission of full amount of Rs (Rupees) towards the composition of offences to the satisfaction of the said Notice.

(Signature)

Name and Designation of the Officer

Date: Place:

Date: Place:

Date:

Date:

FORM-XXV

[See Rule 58(3)(b)]

Form for Reporting Vacancies to Career Centres

(Separate forms to be used for each type of posts)

1	Particulars of the employer:		
	Name:		
	Address with pin code:		
	Telephone No. :		
	Mobile No.:		
	Email address :		
	Name & Type of Establishment		
	(Central Government, State Government, PSU, Autonomous, Private, etc)		
	Registration No of establishment under Code:		
	Economic activity details:		
2.	Particulars of the indenting Officer:		
	Name:		
	Designation:		
	Telephone No. :		
	Mobile No.:		
	Email address :		
3.	Particulars of vacancy(ies):		
	(a) Designation/nomenclature of the vacancy(ies) to be filled		
	(b) Description of duties of the post		
	(job role/functional role)		
	(c) Qualifications/Skills required		
	(educational, technical, experience)	Essential	Desirable/Preferable
	(i) Educational Qualifications		
	(ii) Technical Qualifications		
	(iii) Skills		
	(iv) Experience		
	(d) Age Limits, if any		
	(Age as on last date of application)		
	(e) Preferences (such as Ex-servicemen, persons with disabilities, women, etc) if any		
	(f) duration of employment	Number of posts	
	(i) 3-6 months		
I	l	I	

	(ii) 6-12 months		
	(iii) 12 months and more		
4.	Whether there is any obligation for arrangement persons such as Scheduled Caste(SC), Scheduled Backward Classes(OBC), Ex-serviceman and vacancies: Yes/No (if yes, give the number of vacancies to be filled by	Tribe(ST), Econor persons with disab	mically Weaker Sections(EWS), Other bilities (pwd), etc, in filling up the
	Category	Number of vacancies to be filled	
		Total	*By Priority candidates
	(a) Scheduled Caste		*(Applicable for Central Government vacancies)
	(b) Scheduled Tribe		
	(c) OBC		
	(d) EWS		
	(e) Ex-Serviceman		
	(f) Persons with disabilities (pwd)		
	(g) women		
	(h) Others(specify)		
6.	Pay and Allowances:		
	For Government vacancies: Mention pay level/pay scale of the post with basic pay/pay per month with other details if any		
	For others: Mention minimum total emoluments per month with other details, if any.		
7.	Place of work (Name of the town/village and district, pin code, etc. in which it is situated)		
8.	Mode of Application(email, online, in writing, etc) and Last date for receipt of applications.		
9.	Particulars of officer to whom the applications be sent/candidates should approach		
	(Mention Name, designation, email id, address, telephone No., website address in case of online)		
10.	Mode of Recruitment		
	{Through Career Centre, Placement Agency, self- management, any other mode(specify) }		
11.	Would like to prefer submission of list of eligible candidates registered with Career Centre	Yes/No	
12.	Any other relevant information		

Signature, Name & Designation of Authorised Signatory of establishment/ employer with seal & date

(For Official Use- to be filled by Career Centre)

13.	Name, address, email id of the Career Centre	
14.	Date of receipt of Vacancies	
15.	NIC Code of the establishment/	
16.	NCO Code of the post	
17.	Unique Vacancy ID(number)	

Signature, Name& Designation of Authorised Signatory

of Career Centre with seal & date

NOTE:

- 1. Career Centre to which the vacancies are reported, would provide a unique vacancy reporting number for the vacancy reported and convey it to the employer in writing, through email or digitally or through any other such media immediately but in any case not later than 3 working days from the date of receipt of reporting of vacancies.
- 2. An employer, if advertises that vacancy in any media or makes recruitment through any agency or any other mode, may invariably quote that unique vacancy reporting number in that advertisement or recruitment process.
- 3. Any change in the particulars already furnished to the Career Centre, shall be reported in writing or through valid official email or digitally(including through a portal) as the case may be, to the appropriate Career Centre.

FORM-XXVI

[See Rule 58(6)]

Form EIR (Employment Information Return)

Yearly Return to be submitted to the Career Centre (Regional) for the Year ended.....

The following information is required to be submitted under the Code on Social Security (Chapter XIII – Employment Information & Monitoring) 2020.

Name & Address of the Employer	
Whether – Head Office	
Branch Office	
Type of Establishment	
(Public /Private Sector)	
Nature of business/Principal activity	
Establishment Registration No. under the Code	

1. (a) EMPLOYMENT

Total number of *manpower of establishment* including working *proprietors/partners//contingent* paid and contractual workers, out-sourced workers excluding part-time workers and apprentices. (The figures should include every person whose wage or salary *is paid*).

Category	On the last working previous Year	day of the	On the last working day of the Year under report
	previous real		

MEN	
WOMEN	
Other (Transgender)	
TOTAL :	
PWD (persons with disabilities) out of above total	

(EIR-continued)

2. Number of vacancies* occurred and reported to Career Centre during the year and the number of vacancies filled during the year					
Occurred	Reported Career Centre Career Centre		Filled	Source (Career Centre/ NCS Portal/ Govt. Recruiting	
	(Regional)	(Central)		Agencies/ Private Placement Organisations/ others)	
1	2	3	4	5	

*As per provisions of Code on Social Security, 2020(Chapter XIII) and Rules made there under,

3. MANPOWER SHORTAGES:

Vacancies/posts remained unfilled because of shortage of suitable applicants.

Name of the occupation or designation of the post	Number of unfilled vacancies/posts				
	Skill/qualifications(educational/experience)prescribed	Essential	Desirable		
1	2	3	4		

(Please list any other occupations also for which this establishment had any difficulty in obtaining suitable applicants recently.)

4. Estimated Manpower Requirement by Occupational Classification during the next calendar year (Please give below the number of employees in each occupation separately).

Occupation	Number of employees				
	Please give as far as possible approximate number of vacancies in each occupation you are likely to fill during the next financial year due to retirement/ expansion or re-organisation.				
Description	Men	Women	Others	Total	PWD
			(trans- gender)		(persons with disabilities) out of total
1	2	3	4	5	6
*					
Total :					

* In the column (description) -Use exact terms such as Engineer (Mechanical), Assistant Director (Metallurgist); Research Officer (Economist); Supervisor (Tailoring), Inspector (Sanitary), Superintendent (Office), Manager (Sales), Manager (Accounts), Executive (Marketing), Data Entry Operator.....so on.

Signature, Name & Designation of Authorised Signatory

of establishment/ employer with seal & date

То

The Career Centre,

.....

Note:- 1. This return is to be rendered to the Career Centre (Regional) within 30 days after the end of the *financial year* concerned by establishments/employers vide their obligation under the Code on Social Security, 2020 (Chapter XIII-Employment Information and Monitoring).

2. The main purpose in obtaining the information from employers is to know (i) the vacancies/employment opportunities available; (ii) type of personnel who are in short supply; and (iii) future job opportunities for providing vocational guidance to the jobseekers and connecting them with the employers. This is helpful in ascertaining the skill needs also. Employers too will be able to call on the Career Centres for getting suitable candidates as per their requirements.

[F. No. R-11011/03/2020-SS-II]

ANURADHA PRASAD, Addl. Secy.